शि माला, खंड 9, अंक 25

मंगलवार, 26 अप्रैल, 2005
6 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 58
Dated 19/12/05

(खण्ड 9 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 25, मंगलवार, 26 अप्रैल, 2005/6 वैशाख, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1
सदस्यों द्वारा निवेदन	
21 अप्रैल, 2005 को पश्चिम रेलवे के वडोदरा डिवीजन के समलाया स्टेशन पर 9168 अप साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर के बारे में	2-35
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 421 से 440	35-[illegible]
अतारांकित प्रश्न संख्या 4605 से 4744	96-3[illegible]
"महिलाओं पर अत्याचार" के बारे में दिनांक 1 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 203 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	339
सभा पटल पर रखे गए पत्र	341-349
राज्य सभा से संदेश	350
प्राक्कलन समिति	
सातवां प्रतिवेदन	352
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
विवरण	353
कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति	
आठवें से दसवां प्रतिवेदन	354
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
तीसरा और चौथा प्रतिवेदन	354
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
छठा और सातवां प्रतिवेदन	355
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ साठवां प्रतिवेदन	355

विषय | कॉलम

लोक लेखा समिति

बारहवां प्रतिवेदन 375

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री गुलाम नबी आजाद 356

(दो) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग संबंधी स्थायी समिति के छियासठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन 357

कार्यमंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 359

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तमिलनाडु के चेन्नई में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन 360

(दो) गुजरात के मेहसाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विकास और पेयजल योजनाओं में ओ.एन.जी.सी. से प्राप्त रायल्टी का एक आनुपातिक भाग व्यय किए जाने के लिए गुजरात सरकार को निदेश जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री जीवाभाई ए. पटेल . 360

(तीन) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में अवस्थित वर्तमान गारमेंट फैक्टरियों को अन्यत्र ले जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. ठुम्मर 361

(चार) झारखंड में सिंदरी उर्वरक संयंत्र को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रशेखर दूबे 362

(पांच) देश में तम्बाकू और इसके उत्पादों के प्रयोगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधान लाए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन 362

विषय		कॉलम

(छह)	कर्नाटक के मंगलौर हवाई अड्डे का शीघ्र स्तरोन्नयन किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती मनोरमा माधवराज	363
(सात)	देश में जटरोफा पौधे की खेती को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री भंवर सिंह डांगावास	363
(आठ)	राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने की दिशा में संबंधित लंबित मामलों को शीघ्र निपटाये जाने की आवश्यकता	
	श्री दुष्यंत सिंह	364
(नौ)	समानांतर विपणन योजना के अंतर्गत सफेद मिट्टी के तेल के खुदरा वितरण के लिए एक अलग नेटवर्क बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	365
(दस)	मध्य प्रदेश में "स्वजलधारा योजना" के कार्यान्वयन के लिए निधिया उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	365
(ग्यारह)	हल्दिया डॉक परिसर में शिपिंग चैनल के डिसिल्टिंग के लिए उपाय शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री लक्ष्मण सेठ	366
(बारह)	तमिलनाडु में मदुरै और स्थानीय शहरों के बीच डी.एम.यू. ट्रेन सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी. मोहन	367
(तेरह)	उत्तर प्रदेश में एकीकृत रोग मानिटरिंग परियोजना कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामजीलाल सुमन	367
(चौदह)	बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 के लोखा नरहिया खंड पर यूथी-बालान नदी पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव . .	368
(पन्द्रह)	उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के वन क्षेत्रों में रह रहे जनजातियों के लोगों को स्वामित्व अधिकार दिलाए जाने की आवश्यकता	
	श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा	368

विषय कॉलम

(सोलह) तमिलनाडु में को-आपरेटिव सोसायटियों के कार्य को दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. वेणुगोपाल 369

(सत्रह) तमिलनाडु के कोयम्बटूर, शिवगंगैई और रामनाथपुरम जिलों की एन टी सी मिलों के कामगारों से बोनस की वसूली के आदेश को निरस्त किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. अप्पादुरई 369

(अठारह) झारखंड में "कुर्मी" जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनिल कुमार महतो 370

(उन्नीस) केरल के वेस्ट हिल के एफ सी आई डिपो में संविदा श्रम को समाप्त किए जाने के कारण उत्पन्न समस्याओं को हल किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार 370

(बीस) पश्चिम बंगाल के सुंदरवन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल 371

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 387-388

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 387-398

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 399-400

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 399-402

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल
श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री अजय माकन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

मंगलवार, 26 अप्रैल, 2005/6 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष, स्वामी रंगनाथानन्द के निधन की दुखद सूचना सभा को देनी है।

स्वामीजी एक अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत के सांस्कृतिक मूल्यों का प्रचार-प्रसार किया और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनायी। उनके प्रभावशाली नेतृत्व में रामकृष्ण मिशन ने विभिन्न क्षेत्रों, विशेषत: निर्धन और पददलित लोगों के कल्याण और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा प्रदान की।

धार्मिक सौहार्द और सह-अस्तित्व में स्वामीजी का दृढ़ विश्वास था।

उनका निधन 96 वर्ष की आयु में 25 अप्रैल, 2005 को कोलकाता में हुआ।

हम स्वामी जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपने और सभा की ओर से रामकृष्ण मिशन को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.0½ बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रश्नकाल शुरू करूंगा। प्रश्न संख्या 421

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, कल दिन में जब यहां शोर हो रहा था, लालू जी को वक्तव्य रखने की आपने अनुमति दी थी।...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को देखूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : वह वक्तव्य इस शताब्दी का...*

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उस शब्द को निकाल दिया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, उसके अंदर ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है जो यहां हुई ही नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम देख लेंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उस वक्तव्य में एक नाम लिया गया है।...*(व्यवधान)* सब लोगों के नाम लिये गये हैं...*(व्यवधान)* लालू जी के ऊपर चार्जेज फ्रेम हो गये हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : लालू प्रसाद यादव जी को इस्तीफा दे देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आपने अपनी बात कह दी है। उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया गया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : धारा 420 का मुकदमा जिस पर हो...*(व्यवधान)* आज तक ऐसा कोई व्यक्ति मंत्री नहीं हुआ जिस पर 420 का मुकदमा हो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, चारा मामले में लालू जी के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं।...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, लालू जी के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, इस कारण उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा दे देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में आसन के समीप नहीं आएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूं। कृपया आसन के समीप नहीं आएं।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

(इस समय श्री सुशील कुमार मोदी और कुछ अन्य माननीय आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? क्या आप किसी को बोलने नहीं देंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुनी और बोलने के लिए एलाऊ किया, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप किसी को बोलने नहीं देंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जो करना चाहते हैं, करिए। हम क्या करें?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग क्या चाहते हैं?

[अनुवाद]

मैं यहां क्या कर सकता हूं? आपको ऐसा करके क्या मिलेगा? मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

आप बैठिए। आप अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, उन्हें प्रश्नकाल में व्यवधान डालने का कोई अधिकार नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत हुई।

[*अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए*]

सदस्य द्वारा निवेदन

21 अप्रैल 2005 को पश्चिम रेलवे के वडोदरा डिवीजन के समलाया स्टेशन पर 9168 अप साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर के बारे में

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, लालू प्रसाद जी इस्तीफा दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, आप लोग बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, प्लीज।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम आपसे अपील करते हैं, प्लीज, आप बैठिये। यह संसद है। हम बहुत खुश हैं कि आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यहां आये हैं। हम नहीं जानते कि किस बात का ऐतराज है।

[अनुवाद]

मैंने बैठक के लिए नेताओं से अनुरोध किया। आपकी पार्टी ने उस बैठक में भाग नहीं लिया। मैं व्यथित हूं, मैं बहुत अप्रसन्न हूं। मेरा केवल यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहता है कि सभा का कार्य चलता रहे।

आज भी जब हम सुबह मिले तो प्रो. मल्होत्रा ने कुछ बातें कहीं। उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया गया है। वह कुछ कहना चाहते थे। कोई निर्णय लेने से पहले भी, मेरी बायीं ओर बैठे माननीय सदस्य, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, ने महसूस किया कि उन्हें कुछ नारे लगाने चाहिए या कुछ बातें कहनी चाहिए। सभी यहां आए थे। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि वे सभा में आसन के समीप न आएं, और अपने-अपने स्थान से ही बोलें। मैं सभा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे अपील करने के अलावा और क्या कर सकता हूं? आप जो भी चर्चा करना चाहते हैं तो हमें निर्णय करने दीजिए कि किस तरह और कब चर्चा की जाए...

(व्यवधान)

जब अध्यक्षपीठ सभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मेरा नहीं पर कृपया अध्यक्षपीठ का सम्मान करें। यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो बाहर का रास्ता भी है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैंने सपने में भी कभी यहां बैठने के बारे में नहीं सोचा। यदि आपको लगता है कि मैं अयोग्य हूं तो मैं यहां से जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन जैसाकि मैंने बताया कि यह संस्था हम सबसे कहीं बड़ी है। अतः, मैं आप सब से अपील करता हूं।

सम्माननीय श्री वाजपेयी जी यहां उपस्थित हैं। यदि आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं कि सभा का संचालन किस तरह से किया जाना चाहिए, तो कृपया मुझे बताएं। मैं दूसरे पक्ष के माननीय नेताओं से भी पूछूंगा। वे भी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं अन्य माननीय नेताओं से भी कहूंगा कि वे बताएं कि सभा का संचालन किस तरह से किया जाना चाहिए। मुझे और कुछ नहीं कहना है। यदि मैंने कोई गलत निर्णय लिया है तो मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूं, लेकिन कृपया मुझे उचित तरीके से सभा का संचालन करने दीजिए। अन्यथा, हम पर दोष लगाया जा रहा है। श्री वाजपेयी, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, मुझे आपकी बात सुन कर प्रसन्नता होगी। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कम से कम जब वरिष्ठ नेता बोल रहे हो तो एक-दूसरे को बीच में न टोके।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो कुछ कहा है, उसे बड़ी गम्भीरता से हम लोग लेते हैं। हम चाहते

हैं कि सदन अनुशासन के अंतर्गत चले और सदन की मर्यादा की रक्षा हो। लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों की ओर से, आपके सहयोग के द्वारा ही ऐसा वातावरण बन सकता है। यहां मैं उस बड़े सवाल पर नहीं जा रहा हूं। अभी जो रेल दुर्घटना हुई थी और उस रेल दुर्घटना के बारे में कल रेल मंत्री ने सदन में वक्तव्य दिया है, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। रेल मंत्री किसी उत्तरदायित्व की भावना से वक्तव्य देंगे या जो कुछ उनके पूर्वाग्रह हैं, उसके अनुसार वक्तव्य देंगे, उनका वक्तव्य मेरे पास है। आज मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगा, वैसे भी सदन का बहुत समय ऐसी बातों में जाया होता है।

रेल मंत्री ने रेल कर्मचारियों को दोष दिया है कि दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि रेल कर्मचारियों ने ध्यान नहीं दिया। दुर्घटना का कारण प्रथम दृष्टया रेल कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही एवं कर्मव्य के प्रति गैर-जिम्मेदारी प्रतीत होती है। प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए रेल कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। पश्चिम क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त ने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है और घटना के कारणों की जांच आरंम्भ कर दी है।

अध्यक्ष महोदय, रेल कर्मचारी तो निलंबित कर दिये गये हैं क्योंकि दुर्घटना हो गई लेकिन रेल मंत्री को कोई सजा अभी तक नहीं मिली है, उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। जिम्मेदारी उनकी भी है। अगर वैधानिक जिम्मेदारी न मानें तो नैतिक जिम्मेदारी मान सकते हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाना, इतने लोगों का मर जाना और इसके साथ रेल कर्मचारियों को दंडित करना, वहीं यह भी देखना चाहिए कि दुर्घटना कैसे हुई।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात है।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम चार सालों से सुनते आ रहे थे कि अब रेलवे में ऐसा इंतजाम हो गया है कि दुर्घटना होने से पहले ही...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद) : आपके समय में भी दुर्घटनाएं हुई हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिये। हमने आप लोगों से अपील की है। आप लोगों को जब मौका देंगे, तो आप बोलें। आप इन्हें बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

वह हमारे देश के सम्माननीय वरिष्ठ नेता हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं इसीलिए उठा रहा हूं क्योंकि कल आपने पत्रकारों के सामने भाषण देते हुए यह कहा था कि पत्रकारों को बड़ी जिम्मेदारी से रिपोर्ट करना चाहिए।

अब रेल मंत्री के एक वक्तव्य का अगला हिस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं उद्धृत कर रहा हूं:-

"मुझे खेदपूर्वक सूचित करना है कि जब मैं सयाजी अस्पताल, वड़ोदरा में घायल यात्रियों से मिलने जा रहा था तो बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ताओं ने मेरे खिलाफ नारेबाजी की, मुझे गालियां दीं, मेरी गाड़ी पर हमला कर दिया और गाड़ी में लगे विन्डस्क्रीन को तोड़ दिया और मुझे शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने मुझ पर पानी से भरी बोतलें एवं बर्फ के टुकड़े भी फेंके। अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं बोर्ड के अन्य पदाधिकारियों पर भी पथराव हुआ। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि मेरे अतिरिक्त निजी सचिव ने कुछ व्यक्तियों को पैट्रोल से भरी जरीकैन एवं माचिस लेकर मेरी गाड़ी को आग लगाने के उद्देश्य से गाड़ी की ओर बढ़ते हुए देखा, ...परंतु वे अपने प्रयास में सफल नहीं हो सके।"

कुछ लोग जो आगे बढ़ रहे थे, वे रेल मंत्री की गाड़ी में आग लगाना चाहते थे, लेकिन बाद में रुक गए।

"अस्पताल परिसर में गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ताओं को भड़काते हुए देखा गया। उनके इस असभ्य व्यवहार एवं अराजकता की स्थिति के कारण मैं अस्पताल में भर्ती कुछ घायल यात्रियों से नहीं मिल सका। इस परिस्थिति में मैंने अस्पताल से प्रस्थान करने का निर्णय लिया। गुजरात सरकार के कुछ मंत्रियों की उपस्थिति में बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यकर्ताओं ने दुर्घटना स्थल पर भी निरीक्षण के दौरान बाधा पहुंचाई।"

महोदय, ये गंभीर आरोप हैं।

"जिला प्रशासन ने यथोचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं की एवं वे पूरे घटनाक्रम के दौरान मूकदर्शक बने रहे। वहां पर पूरी तरह से अराजक स्थिति बनी हुई थी। पश्चिम रेलवे ने इस घटना के बारे में राओपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की है।"... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सम्माननीय श्री वाजपेयी जी, उन्होंने जो नाम लिया था वह मैंने हटा दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो नाम लिया था, वह मैंने स्पष्टतया हटा दिया है। कल उन्होंने वक्तव्य दिया था और नाम का उल्लेख किया था। मैंने वह नाम हटा दिया है। वह नाम यहां नहीं है। मैंने वह नाम कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माफ कीजिए, हमें पता नहीं था कि आपने नाम निकाल दिये हैं।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सभी नाम नहीं हटाए गए हैं, सिर्फ एक नाम हटाया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने व्यक्ति के विरुद्ध आरोप को हटा दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि अगर यहां एक दूसरे पर अनर्गल आरोप लगाए जाएंगे, भले ही वह किसी और दल का हो, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, अगर वह सीमा का उल्लंघन करेगा तो फिर सदन में मर्यादा कैसे रहेगी?

क्या माननीय रेल मंत्री जी से हम यह आशा करें कि वह इस तरह का वक्तव्य सदन में आ कर दें। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से संबंधित हूं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : ये वही लोग हैं जो गुजरात ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : कृपया शांत रहिए.... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात सुनें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, उन्हें ऐसा कहने का हक है।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : आप बैठ जाइए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको यह कहने का हक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उनका विश्वास है। आप ऐसा किस तरह कह सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए। वाजपेयी जी, अब आप बोलिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए। ऐसा मत कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : आप बैठ जाइए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सब से अनुरोध कर रहा हूं कि आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मूझे सदन में बोलने से रोका जा रहा है। यह लोकतंत्र का मखौल होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें ऐसा कहने का हक है। यह असंसदीय नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा वह असंसदीय नहीं है। वह ऐसा कहने के हकदार हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें एक दूसरे की बात सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन पर नियंत्रण रख रहा हूं। मैं उन्हें शांत रहने के लिए कह रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं? आप मुझे बताएं कि मैं इसे किस तरह नियंत्रित करूं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अत:, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप उन्हें रोकिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग एक-एक करके बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं साग्रह निवेदन करता हूं। यह काम करने का तरीका नहीं है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि इस चर्चा का संचालन किस तरह किया जाए। निर्णय लेने का कुछ काम मुझ पर छोड़ दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा सदन के माननीय सदस्यों को उत्तेजित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं सदन से आशा करता हूं कि आप मुझे गंभीरता के साथ सुनेंगे। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। जो कुछ माननीय रेल मंत्री जी ने कहा है, मैं सिर्फ उसे दोहरा रहा हूं। रेल मंत्री जी ने आरोप लगाया है...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : आरोप नहीं लगाया है। सही बात कही है।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (छपरा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा कि आपको बोलने का अवसर मिले।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक साथ बोलने से क्या फायदा होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माननीय रेल मंत्री जी ने जो वक्तव्य कल यहां दिया, मैं उसी के आधार पर बोल रहा हूं। मुझे बोलने से रोका जा रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री कैलाश जोशी (भोपाल) : कल भी सदन में यही होता रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यहां बैठ सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सब कुछ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग भी हमारी बात नहीं सुनते हैं। हम क्या करें। हम सभी सदस्यों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कभी आपको महसूस होगा कि कार्य से मेरा मतलब क्या है। श्री वाजपेयी जी, कृपया जारी रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जब आप नाराज हो जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का मौका देने की कोशिश करता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम आपसे यही आशा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम कोशिश करते हैं। मैं कोई सुपरमैन नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, कल जो वक्तव्य यहां दिया गया था, उसकी कॉपी मेरे पास है। उसमें संगठनों का नाम लेकर उन पर आरोप लगाए गए हैं। आप कहते हैं कि नाम निकाल दिए हैं।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : नाम नहीं निकाले गए हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नाम नहीं निकाले गए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह नियम के अंतर्गत नहीं आता है।

[हिन्दी]

जो रूल में था, वही हमने किया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमने कहा है कि जिन इंडीविजुअल्स का नाम लिया गया था, उन्हें निकाल दिया गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अगर इंडीविजुअल का नाम न लें, लेकिन व्यक्ति जिस पार्टी से संबंधित है, उस पार्टी का पूरा नाम लिया गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी, क्या मैं एक बात कह सकता हूं? आज मैंने अनुमति दे दी होती। उन्होंने प्रश्नकाल में बिना किसी सूचना के बोलना शुरू कर दिया और मैंने उन्हें नहीं रोका। मैंने प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा से अनुरोध किया कि मैं किसी और दिन

उचित रूप से सूचना दिए जाने पर उन्हें बात रखने की अनुमति दे दूंगा, जैसेकि आप दे रहे हैं। मैंने कभी भी मना नहीं किया। अपने पक्ष में किसी से भी पूछ लीजिए कि क्या मैंने 'नहीं' कहा था। लेकिन यदि हर कोई बोलता है तो मुझे सुनाई नहीं देता है कि क्या कहा जा रहा है।

अतः, मेरा पुनः आप से निवेदन है- मुझे प्रसन्नता है कि आज आप आए हैं— मैं आपकी और प्रत्येक सदस्य की इस पर निर्णय लेने संबंधी तरीकों का पता लगाने, इस पर चर्चा करने तथा विचारों को जबरदस्त ढंग से रखने, जैसाकि आप आज कर रहे हैं, में आपकी सहायता करूंगा। जो कुछ भी किया जा सकता था उसे कभी नहीं रोका। जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो पहला प्रश्न नहीं पूछा जा सका। आपने स्वयं कई बार इस बात की निंदा की है। मेरे पास आपके भाषण और टिप्पणियां हैं। मैं कह रहा हूं कि कुछ अवसरों पर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जब सदस्य बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और प्रश्नकाल भी नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके पक्ष में से किसी पर भी दोष लगाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा निवेदन केवल यह है कि कृपया वह तरीका ढूंढे जिससे उस विषय पर सुचारू रूप से चर्चा हो सके जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं। मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है। यदि कुछ कहा गया है, वह मुझे कहा गया है जिससे चर्चा हो सके। मैं इसकी अनुमति दे देता।

[हिन्दी]

आपने कभी मांगा नहीं। जो नाम हमारे सामने आए, हमने उन्हें देखा और उन्हें निकाल दिया।

[अनुवाद]

मैंने नियमानुसार ऐसा किया है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नाम नहीं निकाले गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे नाम नहीं हैं। इंडीविजुअल का नाम निकाल दिया गया है।

[अनुवाद]

यदि मैंने कोई गलती की थी तो मुझे कोई अभ्यावेदन दिया जा सकता था। किसी ने भी मुझे नहीं कहा कि मैंने गलती की है। मैं बहुत सावधानीपूर्वक उसे देखता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर) : सर आप तो बोलने नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमने आपको कब बोलने नहीं दिया?

[अनुवाद]

श्रीमती किरण माहेश्वरी, आप ऐसा कह रही हैं। यह बिल्कुल अनुचित है।

[हिन्दी]

आपको सबसे ज्यादा बोलने दिया गया है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उस तरफ से लगातार जो कहा गया है वह केवल*...इसमें से नाम नहीं निकाले गए हैं। जिन संगठनों का नाम लिया गया है, उन्हें डिलीट नहीं किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनसे कहिए कि वे संगठन के नामों को डिलीट करें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है। श्री खारबेल स्वाईं, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

यह आपकी सीट नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं? जब मंत्री महोदय बोल रहे थे, तब सभा में क्या हालत थी? मैं आपको टेलीविजन फुटेज दिखाऊंगा। यहां तक कि मुझे भी सुनाई नहीं दिया। अतः, मैंने कहा था कि मुझे भी बताएं कि उन्होंने क्या कहा। जब मैंने देखा कि वहां नाम लिखे हुए हैं तो मैंने वे नाम हटा दिया।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको लगता है कि कुछ और किया जाना चाहिए था तो आप आकर मुझे बता सकते थे। आप इस बात को उठा सकते थे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह तो आज सुबह हमने रेज किया था और कहा था कि जो संघ और बंजरंग दल का नाम है, वे नाम नहीं निकाले गए हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ पर दोष लगाना बहुत आसान है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चूंकि मैं यहां हूं, मेरा इरादा केवल यह पता लगाने की कोशिश करना है कि सभा का संचालन किस तरह से किया जाए ताकि हमारी प्रतिष्ठा पर दाग न लगे। दुर्भाग्य से, मैंने कल आपको बताया था कि जब मैं कल एक वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी से मिला तो उन्होंने कहा,

[हिन्दी]

'आंखों से आंसू निकलते हैं।'

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, कल से अब तक आप फ्रीडम फाइटर का चार बार जिक्र कर चुके हैं, लेकिन कभी आपने यह नहीं कहा कि सरकार में टेंटेड मिनिस्टर नहीं होंगे, सरकार दागी मंत्रियों के भरोसे नहीं चलेगी, सरकार में सम्मानित लोग होंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं श्री वाजपेयी से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी बात जारी रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, अब आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : ये बोलते हैं कि हम सारे देश के दुश्मन हैं।...*(व्यवधान)* यहां जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, क्या ये सारे देश के दुश्मन हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल यह संदेश देना चाहता हूं कि हम स्वतंत्रता सेनानियों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी, क्या आप इस मुद्दे पर कुछ और कहना चाहते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम वाजपेयी जी ने लिया है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : लालू जी, हम आपको बुलाएंगे। वाजपेयी जी, आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, उन्हें कैसे पता कि कौन से लोग वहां उपस्थित थे?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम आपकी भावनाएं समझना चाहते हैं और उन भावनाओं के अनुसार सदन चले, यह हमारी इच्छा है, लेकिन अगर सदन इस तरह चलेगा कि यहां कुछ संगठनों के नाम लिए जाएंगे और यह कहा जाएगा कि संगठन के लोगों ने मारने की कोशिश की थी, ...*(व्यवधान)* जानलेवा हमले की कोशिश की थी। ...*(व्यवधान)* क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? यह गंभीर आरोप है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम सोचेंगे, इसे फिर देखेंगे। आपने जब इसे उठाया है, तो मैं फिर वीडियो मंगा कर देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप भविष्य में इसका ध्यान रखिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। इस तरह के दोषारोपण नहीं होने चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जब इतनी बड़ी रेल दुर्घटना हो गई तो क्या रेल मंत्री जी का यह नैतिक कर्तव्य नहीं है कि वह इस्तीफा दे दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसमें हम क्या कर सकते हैं?

[अनुवाद]

मैं उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कह सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आपने सन् 2002 में इस्तीफा दिया था?...*(व्यवधान)* क्या गुजरात कांड के बाद आपने इस्तीफा दिया था, जो आज आप इनसे इस्तीफा मांग रहे हैं?...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : उस समय वाजपेयी जी ने नरेन्द्र मोदी जी की वकालत की थी।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : बीजेपी के लोग आज नैतिकता की बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : आप सन् 2002 में कहां थे?...*(व्यवधान)* आज आप नैतिकता की बात करते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : वाजपेयी जी ने उस समय अपना बयान क्यों बदल दिया और गुजरात में दंगा पीड़ितों को देखने के बाद नरेन्द्र मोदी से कहा कि राजधर्म का पालन करो, हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे।...*(व्यवधान)* आज आप नैतिकता की बात करते हैं।...*(व्यवधान)* आपने उस समय नैतिकता की बात क्यों नहीं की? आपको उस समय इस्तीफा दे देना चाहिए था...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.54 बजे

(इस समय श्री रतिलाल कालीदास वर्मा, श्री दुष्यंत सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी जी, मैं आपका ध्यान हमारे नियमों की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे नियमों में विशेषरूप से उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : किसी दल पर भी आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह इसमें साफ लिखा है। आप आइये, हमें रूल्स समझाइये, हम वैसा ही करेंगे, लेकिन हाउस चलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : इस तरह से हाउस नहीं चलेगा।

श्री पवन कुमार बंसल : ये जब यहां हाउस न चलने देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां ये लोग क्या कर रहे होंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यहां जो कुछ हो रहा है, उसका मुझे बहुत खेद है। मैं केवल फिर अपना आक्रोश व्यक्त कर सकता हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे ईमानदारीपूर्वक किए जा रहे सभी प्रयास निष्फल हो जाएंगे। अभी प्रश्नकाल चल रहा है। इसके बाद भी जब मैंने देखा कि वाजपेयी जी यहां हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी और मैंने स्वयं उनसे बोलने का अनुरोध किया था; उन्होंने बोला भी है। लेकिन यदि आप कुछ और चाहते हैं तो अध्यक्षपीठ ऐसा नहीं कर सकती है। 'त्यागपत्र' सरकार पर या संबंधित मंत्री पर निर्भर करता है। आप बहुत क्षुब्ध हैं लेकिन कृपया सभा का संचालन होने दीजिए। वे कहेंगे कि वे इसका उत्तर चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस तरह कैसे चलेगा?

[अनुवाद]

तो मुझे यह करना होगा। क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं, वाजपेयी जी?

[हिन्दी]

आप बोलिये।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : एक मिनट लूंगा। मैं इस साइड के लोगों से निवेदन करूंगा कि माननीय वाजपेयी जी को जो भी बात कहनी है, वे बोलें, कोई भी बीच में बात नहीं करेंगे। उसके बाद इस तरफ से भी अगर कोई बोलना चाहे तो शान्ति से, बगैर किसी लड़ाई-झगडे के सुनना चाहिए। अटल जी हम सुनेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये न। आप लोगों को क्या हो रहा है? आप लोग यहां क्या तय करना चाहते हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा होगा, अगर यह पद्वति डाल दी जाये कि एक उधर से बोले और एक इधर से बोले।

अध्यक्ष महोदय : हम यही तो चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर इसमें अपोजीशन घाटे में रहेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बातचीत करने और बहस करने का स्थान है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या इस सदन में नैतिकता की बात करना अपराध है?

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आप इसे छोड़िये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या मैं सदन में खड़े होकर कुछ नहीं कह सकता...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा की गई अपील कि आपको बिना बाधा के बोलने दिया जाए, समर्थन करता हूं। मैं हरेक से अपील कर रहा हूं कि वाजपेयी जी की बात बाधा पहुंचाए बिना सुनी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

आप बोलिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर अब माननीय सदस्य धैर्य से काम लें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। यह बात मैं केवल इस अवसर पर लागू नहीं कर रहा हूं। हम पार्टियों के मैम्बरों से किसी दोष के कारण, किसी अपराध के कारण त्याग-पत्र दिलवा चुके हैं। मैं उन सदस्यों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या कोई कह सकता है कि नैतिकता में हमारा विश्वास नहीं है?...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन फिर वापस ले लिया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ठीक है। आपका विश्वास नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन नैतिकता के बिना यह सदन नहीं चलेगा। मुझे ताज्जुब है कि रेल दुर्घटना के ऊपर वक्तव्य दिया जाना था, रेल मंत्री द्वारा नहीं, गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाना था, लेकिन गृह मंत्री ने वक्तव्य नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह अनैतिक काम मैं नहीं करूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : कृपया इसे इस तरह मत घुमाइये।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाये...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रेल दुर्घटना के बारे में रेल मंत्री का बयान आना चाहिए, वह आया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं। आप पुराने सदस्य हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

संसदीय परम्पराएं आपको मालूम है।

अध्यक्ष महोदय : सब भूल जाते हैं। सभी भूल गए हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सचमुच में त्यागपत्र मांगने की जरूरत ही नहीं पडनी चाहिए, बल्कि उन्हें तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दोनों तरफ के इन्सटांसेज हैं। ऐसे इन्सटांसेज हैं कि घटना भी हुई है और त्यागपत्र भी दिया गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस वक्तव्य में जो भी आपत्तिजनक शब्द एवं कथन हैं, वे निकाल दिए जाएं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कोई ऐसा नहीं कर सकता; केवल मैं ऐसा कर सकता हूं। इसलिए, मुझे इस पर विचार करना है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उनको देखना मंत्री महोदय का काम है। मंत्री महोदय उसे अभी देख लें और उन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाए। दूसरी बात यह है कि अगर नैतिकता का मानदंड स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर यह सदन किस तरह चलेगा, इस पर भी विचार कर लिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या बात है?

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इस वक्तव्य में और भी इस तरह की बातें कही गई हैं, जो नहीं कही जानी चाहिए थीं। आखिरकार श्री लालू प्रसाद जी इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं। वे एक ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं। वे जो भाषा बोलते हैं उसे बच्चे सुनते हैं। हालत यहां तक हो गई है कि बड़ों पर उन बातों का कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चों पर उनका असर पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि सदन में मैं कोई नया सदस्य नहीं हूं। इस सदन में मुझे लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं। मैंने कभी सदन की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या बात है?

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, चमड़े की जुबान है कभी-कभी फिसल जाती है। मैंने सदन की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत लम्बे समय बाद सभा में हंसी आई है। मैं उससे सहमत नहीं हूं परन्तु कम से कम वातावरण में कुछ बदलाव हुआ है।

[हिन्दी]

आप बोलिए, हम आपको सुनना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग छोड़िए। हम तो उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी तो सुनेंगे नहीं, फिर क्यों बोल रहे हैं? आप भी नहीं सुनते हैं, कोई भी नहीं सुनता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह हर तरफ आम बात हो गई है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : यह मल्होत्रा जी का असर है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सलीम, कृपया आपस में बात न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने कहा कि जो आपत्तिजनक बातें हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि हम सोचेंगे और रूल के मुताबिक देखेंगे।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, श्री लालू प्रसाद जी को स्वयं इन बातों को मान लेना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मुझ पर नहीं उन पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह के शब्द सदन की कार्यवाही में जाएं। अगर जाएंगे तो यह सदन की मर्यादा का पालन नहीं है। श्री लालू प्रसाद जी को स्वयं खड़े होकर इन शब्दों को निकालने की बात मान लेनी चाहिए। यह सदन की मर्यादा का पालन नहीं है। मगर श्री लालू प्रसाद जी इन सब बातों पर पहले ध्यान नहीं देते हैं, जिससे बाद में कठिनाई पैदा होती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सदन का संचालन अगर ठीक तरह से करना है, तो श्री लालू प्रसाद जी जैसे मंत्री नहीं रहने चाहिए। अब आप कहेंगे कि यह मेरे हाथ में नहीं है। मैं जानता हूं कि बहुत-सी बातें आपके हाथ में नहीं हैं, किंतु कुछ चीजें आपके हाथ में आ रही हैं। कुछ और चीजें आप अपने हाथ में ले लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप हमें समझाइए कि हम क्या अपने हाथ में लें? हम और क्या शक्तियां लें?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : स्पीकर साहब और अधिक अधिकार लेने के लिए तैयार हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम आपके पास आएंगे, तब आप मुझे समझाना।

[अनुवाद]

मुझे खुशी है कि आप आज आए हैं और मैं खुश हूं कि आपने इस मामले में हस्तक्षेप किया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे और कुछ नहीं कहना है।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : लालू जी ने जो शब्द कहे थे, वे उन्हें विदड्रा करें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : मैं आपकी मुसीबत को समझ रहा हूं। मैं वाजपेयी जी का बहुत आदर करता हूं। वे जिस दल में हैं, जिस संगठन में हैं, उन्होंने बार-बार स्वीकार किया है कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं। मैं उनके आहत होने का कारण भी समझ रहा हूं।...*(व्यवधान)* जहां तक संघ परिवार, बीजेपी की बात है, जब हम आपस में चर्चा करते हैं तब वाजपेयी जी के बारे में हमारी अवधारणा अलग होती है कि वे मॉडरेट हैं, कुछ अच्छा काम भी करना चाहते हैं लेकिन उन्हें करने नहीं दिया जाता।

हाल के दिनों में मीडिया के एक साथी ने जब उनका इंटरव्यू लिया...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मीडिया बीच में कहां से आ गया। ...*(व्यवधान)*

श्री गुलाम नबी आज़ाद : आप अटल जी की तारीफ नहीं सुनना चाहते।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : आप हमारी बात तो सुनिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मेरी बात सुनिए। उन्होंने एक भी असंसदीय शब्द नहीं कहा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। अभी इन्होंने कुछ भी अनपार्लियामैंट्री नहीं कहा। यह क्या बात है।

(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : मैं आपके खिलाफ कोई अनपार्लियामैंट्री शब्द, कोई डैरोगेटरी शब्द इस्तेमाल कर ही नहीं सकता।...*(व्यवधान)* मैं विषय पर आता हूं।...*(व्यवधान)* वाजपेयी जी ने कहा कि अब हमारे जिम्मे कोई काम नहीं है।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : लालू जी फिर वही बात कर रहे हैं। वाजपेयी जी को कोई काम नहीं है। इसका रेल दुर्घटना से क्या ताल्लुक है।...*(व्यवधान)* इन्होंने कल भी यही किया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें कहने दीजिए।

[हिन्दी]

उसके बाद हम देखेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुमान मत लगाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर कुछ खिलाफ बोलेंगे, तब हम देखेंगे। सब माननीय सदस्यों ने वाजपेयी जी की बात सुनी है। सब उनका आदर करते हैं।

(व्यवधान)

श्री लालू यादव : आज तक मेरी बात सुनी ही नहीं गई। मैं जब-जब बोलने के लिए खड़ा हुआ, मुझे गालियां दी गईं। मुझे आज भी गालियां दी गईं। मुझे एक ही बात पर कितनी बार गालियां दी गई हैं। चारा चोर, खजाना चोर कहकर आज भी गालियां दी गई हैं।...*(व्यवधान)* भाजपा पर जब संकट आता है, तब संकट हरण के रूप में वाजपेयी जी को लाया जाता है।...*(व्यवधान)* आप मेरी बात तो सुनिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आप किसी को यह नहीं कह सकते कि उन्हें क्या कहना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई भी उन्हें यह नहीं कह सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले आप इनकी बात सुनिए। हमने कहा है कि हम उसके बाद श्री प्रभुनाथ सिंह जी की बात सुनेंगे।

(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : आप जिस रूप में व्यवहार करना चाहते हैं,

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करें, आपको छूट है, आप कर सकते हैं।...*(व्यवधान)* मैं कह रहा था कि आज वाजपेयी जी को...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उसका लोप कर दिया गया है। मैं इसका लोप कर दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह डिलीट हो गया।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री लालू प्रसाद का भाषण ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय अटल बिहारी जी ने अपने भाषण में रेल मंत्री जी के बारे में पूरा उल्लेख किया है। रेल मंत्री जी को उसका उत्तर देने का बराबर का हक है।... *(व्यवधान)* अब माननीय अटल बिहारी जी क्या करें, हमने यह थोड़े ही कहा है कि आप यह कहें या वह कहें। आप इनका एजेंडा थोड़े ही तय करेंगे कि ये क्या कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे। यह गलत बात है।...*(व्यवधान)* यह कोई गाली तो नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : जो चार्जेज उन्होंने लगाए हैं, उन्हें वे विदड्रा करें।...*(व्यवधान)*

श्री गुलाम नबी आजाद : लालू जी अपनी बात स्पष्ट कर रहे हैं। यह गलत बात है।...*(व्यवधान)* यह जबर्दस्ती वाली बात नहीं हो सकती।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप एक दूसरे को संबोधित नहीं कर सकते। आपको अध्यक्षपीठ को संबोधित करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यदि वरिष्ठ सदस्य एक दूसरे को संबोधित करते रहेंगे

[हिन्दी]

तो यह हाउस कैसे चलेगा? हमने आपसे रिक्वैस्ट की थी कि

[अनुवाद]

यदि ये कुछ असंसदीय कहते हैं तो निश्चय ही आपको इसे उठाने का अधिकार है। कोई भी माननीय सदस्य दूसरे स्दस्य को यह नहीं बता सकता कि वह कैसे बोले और क्या बोले।

[हिन्दी]

यह क्या बात है? आप बैठिये। हम बहुत खुश हुए कि श्री वाजपेयी जी ने यहां आकर अपनी बात रखी। उनकी बात को हमने ध्यान से सुना है। हम उनकी रिसपैक्ट करते हैं। लालू जी, आप बोलिये।

[अनुवाद]

कृपया यह तय कीजिये कि कोई विवादास्पद बात न कही जाए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सच सच होता है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे भी अपोज करते हैं? आप स्टेटमैंट भी अपोज कर रहे हैं। सच्चाई छुपानी नहीं चाहिए, क्या आप इसे भी अपोज करते हैं?

(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से ...*(व्यवधान)* आप बोल रहे हैं कि मैं घटनाक्रम पर कन्सैंट्रेट करूं। इस सदन में हमारी बहन श्रीमती जयाबहन ठक्कर तीन टर्म्स से आपकी पार्टी की सांसद हैं। हम उनका आदर करते हैं। अपने बजट भाषण में वे सही बातें तथा जो भी कंसट्रक्टिव सुझाव होते हैं, उसे रखती हैं। हम देख रहे हैं कि जब से यह घटना हुई है, तब से वे एक दिन भी सदन में नहीं आयी हैं।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उन्होंने आपको और प्राइम मिनिस्टर को लिखा है। उसमें लिखा है कि आप बिल्कुल गलत बयान दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर ने एक वक्तव्य दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उसका उत्तर कैसे दे सकते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : श्रीमती जयाबहन ठक्कर ने आपको, हमको और प्राइम मिनिस्टर को लिखा है। उन्होंने लिखा है कि लालू जी सब गलत बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, आप इसे भी निकाल दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसे भी निकाल दिया।

(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, उनको यह भी ग्राह्य नहीं है, तो आप इसे भी निकाल दीजिए। आप जो चाहिए, लिखवा लीजिए। आपने जांच करने के लिए श्री मोदी जी को भेजा। मोदी के पक्ष में मोदी गये। हमारे सैक्रेट्री भी थे।...*(व्यवधान)* मैंने घटनास्थल पर जाने से पहले कोई भेदभाव नहीं किया। माननीय सदस्या श्रीमती जयाबहन ठक्कर को हम अपने साथ प्लेन में लेकर गये। उनको हमने अपने साथ रखा। श्री नरेन्द्र मोदी के तीन मंत्री भी वहां पर थे। क्या यह सच नहीं है, इसका आप पता करिये। जिस जगह ट्रेन के ऊपर ट्रेन के डिब्बे पड़े थे, उसे विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल का पट्टा लगाये हुए लोगों ने बिल्कुल कैप्चर कर लिया था।...*(व्यवधान)*

महोदय, इसके बाद जो मैंने कहा है, ...*(व्यवधान)* मैं जो सदन में कह रहा हूं, ...*(व्यवधान)* और कल तक कहता रहूंगा।...*(व्यवधान)* जिन्दगी भर कहता रहूंगा कि जिस जाति और बिरादरी में मैंने जन्म लिया है, वह जाति और कौम बनावटी बात नहीं करती है। अगर हमला होता है तो...*(व्यवधान)* मेरी बात सुनिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री लालू प्रसाद का वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : मैं असत्य नहीं बोलता हूं।...*(व्यवधान)* आदरणीय वाजपेयी जी ने कहा है और सुझाव दिया है।...*(व्यवधान)* जरा सुनिए। ...*(व्यवधान)* कितनी दिक्कत हम लोगों को काम करने में होती है। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, ये लोग...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वाई की बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : लालू जी, आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : हमें बात करने दीजिए।...*(व्यवधान)* आप लोग सुनिए न।...*(व्यवधान)* एक कहावत है: "वहां न खोजिए जहां होती है आग"...*(व्यवधान)* महोदय, हमारे साथ दिल्ली के सभी मीडिया के लोग गये थे। श्री सुकेश रंजन, जो 'आज तक' के संवाददाता हैं।...*(व्यवधान)* बोलने दीजिए। हमारी बात सुनिए।...*(व्यवधान)* श्री सुकेश रंजन ने अपने हैड क्वार्टर को जो फीड किया है। यह ऑफिशियल, ...*(व्यवधान)* महोदय, ये लोग हमें सुनने नहीं देंगे।...*(व्यवधान)* ये सुकेश रंजन क्या बोल रहे हैं, जरा सुनिए। ये सी.डी. दिखा रहे हैं। "देखिए संजय... मैं आपको बताऊं, मैं उनके साथ ही था। मैं उनके साथ घटनास्थल तक गया था। पहली बार जब वे स्टेशन पहुंचे थे, वहां भी बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता थे।" यह सुकेश रंजन ने अपने हैड क्वार्टर को फीड किया है। उसके बाद फिर सुनिए,

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

"उन्होंने लालू यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए। काफी भीड़-भाड़ थी .... वहां लालू ठीक से इंस्पेक्ट नहीं कर पाए। वहां से उनको आनन-फानन में लौटना पड़ा।...पुलिस एस्कोर्ट में उनको गाड़ी में बिठाया गया।" यह पूरा मैं सदन की मेज पर रख देता हूं।*...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे।

[अनुवाद]

जिसके पश्चात् मैं इस पर ध्यान दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद यादव : महोदय, आगे अस्पताल में किस तरह से हम पर जानलेवा हमला हुआ।...*(व्यवधान)* यह मैं नहीं बल्कि 'आज तक' अखबार के रिपोर्टर और जो डी.डी.-2 इन सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है।...*(व्यवधान)* मैं अपने बयान पर कायम हूं।...*(व्यवधान)* जानलेवा हमला हमारे ऊपर हुआ है।...*(व्यवधान)* मैं अपने बयान पर कायम हूं। हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है।...*(व्यवधान)* और ये लोग नैतिकता की बात करते हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.19 बजे

[अनुवाद]

(इस समय श्री सुशील कुमार मोदी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : सन् 2004-05 में 234 रेल दुर्घटनाएं हुईं और 231 लोग हताहत हुए, 2003-04 में 325 रेल दुर्घटनाएं हुईं और 294 लोग हताहत हुए और 2002-03 में 351 रेल दुर्घटनाएं हुईं तथा 418 लोग हताहत हुए। उस समय क्या किया था?...*(व्यवधान)* मैं अपने बयान पर कायम हूं। इसी प्रकार वर्ष 2001-2002 में 414 दुर्घटनायें हुईं और 326 लोग मारे गए। वाजपेयी जी हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, उन्होंने इन घटनाओं के समय क्या किया था? महोदय, मैं अपने बयान पर कायम हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह का नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

यह क्या बात है, मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह को बोलने के लिए बुलाया है। प्लीज, आप लोग बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह एनडीए के एक घटक दल से हैं, उनकी बात तो सुनिए।

मोहम्मद सलीम : महोदय, क्या व्यवहार अनपार्लियामेंटरी नहीं है? ...*(व्यवधान)* जब भी कोई सदस्य इधर से बोलने के लिए खड़ा होता है तो ये लोग डिस्टर्ब करते हैं। ये लोग नया नियम बना रहे हैं। ...*(व्यवधान)* इनको दूसरों की बात सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए। लेकिन ये लोग दूसरों की सुन नहीं सकते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उसके बारे में बाद में निर्णय लूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने से रोका जा रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आइए, आप यहां बैठकर बताइए कि मैं क्या करूं। अपने आपे लीडर को यहां बैठने के लिए कहिए। मैं बार-बार हाथ जोड़कर सबसे अपील कर रहा हूं कि आप लोग एक दूसरे की बात सुनिए।

(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम : महोदय, इन लोगों की तरफ से यह दोहरा मापदण्ड क्यों अपनाया जा रहा है...*(व्यवधान)* यह दोहरी नीति है...*(व्यवधान)* ये लोग किसी और की बात नहीं सुन सकते हैं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठ जाइए।

*चूंकि बाद में अध्यक्ष महोदय ने आवश्यक अनुमति नहीं दी, वीडियो क्लिपिंग को सभा पटल पर रखा नहीं माना गया।

[अनुवाद]

जब प्रश्न काल प्रारम्भ हुआ तो प्रश्नों पर विचार नहीं हो सका। अब हम सभा पटल पर रखे गए पत्र लेंगे।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय पोषण मिशन

*421. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में कुपोषण का वर्तमान स्तर कितना है;

(ख) क्या विभिन्न सर्वेक्षणों से इस बात का पता चला है कि महिलाएं और बच्चे कम वजन, रक्त की कमी और चिरकालिक ऊर्जा की कमी से सर्वाधिक ग्रस्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुपोषण रोधी कार्यक्रमों के लिए कुल कितना आवंटन किया गया है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय पोषण मिशन अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है; और

(च) यदि हां, तो देश में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) बच्चों एवं महिलाओं में अल्प-पोषण तथा रक्ताल्पता की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पोषणीय स्थिति सुधारने हेतु कुछ प्रत्यक्ष उपायों (कुपोषण रोधी कार्यक्रमों) के लिए किया गया आबंटन इस प्रकार है:-

(रुपये करोड़ों में)

समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.)	12147
प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	7786
मध्याह्न भोजन स्कीम	5900
प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-पोषण घटक	
2002-03	484
2003-04	413
2004-05	408
किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम	
2002-03	103
2003-04	145
आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	35
पोषण शिक्षा एवं राष्ट्रीय पोषण नीति	10

(ङ) और (च) नीति-निर्देशन एवं समन्वय निकाय के रूप में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पोषण मिशन का गठन जुलाई, 2003 में किया गया। राष्ट्रीय पोषण मिशन की कार्यकारी समिति की पहली बैठक 3 सितम्बर, 2004 को आयोजित की गई तथा अनुवर्ती बैठकों का आयोजन निकट भविष्य में किया जायेगा। इस दौरान, अनेक पोषणोन्मुख कार्यक्रमों तथा उपायों में कोई ढील नहीं आई है। सरकार देश में महिलाओं तथा बच्चों में व्याप्त कुपोषण की समस्या से परिचित है एवं इस समस्या के समाधान के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में की गई प्रतिबद्धता के अनुसरण में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु व्यापक मध्यावधि कार्य नीति तैयार करने के लिए अगस्त, 2004 में योजना आयोग ने एक अंतर्मंत्रालीय कार्यदल गठित किया है। इसके अलावा, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा से संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए योजना आयोग में एक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित किया जा रहा है।

सरकार कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु अपने विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से पोषण सम्बन्धी अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में की गई प्रतिबद्धता के आधार पर **समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम** का विस्तार किया जा रहा है। सरकार ने आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत पूरक खाद्य की लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा वहन करने का निर्णय लिया है तथा इस उद्देश्य हेतु वर्ष 2005-06 के बजट में 1500 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया है।

वर्ष 2004 के दौरान, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शामिल करके, **प्रारम्भिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम** (मध्याह्न भोजन स्कीम) को सुदृढ़ किया गया है।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम—आर.सी.एच.-II, जिसमें गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं, शाला-पूर्व बच्चों के लिए लौह तत्व एवं फॉलिक एसिड अनुपूरक तथा 3 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए विटामिन 'ए' अनुपूरक घटक हैं, का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

अभिनिर्धारित 51 पिछड़े जिलों में **किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम** को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अल्प-पोषित किशोरियों (35 किलो से कम वजन वाली) तथा गर्भवती एवं शिशुवती माताओं (40 किलो से कम वजन वाली) को प्रतिमाह 6 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जाता है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के पोषण घटक ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान कर 6 माह से 3 वर्ष की नाजुक आयु वर्ग में कुपोषण की समस्या का समाधान किया है।

आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों के नियन्त्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य घेंघा रोग की व्यापकता को वर्ष 2010 तक 10 प्रतिशत से कम करना है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के **खाद्य एवं पोषण बोर्ड** ने पोषण सहायता तथा महिलाओं एवं बच्चों हेतु जागरुकता विकास कार्यक्रम में तेजी लाई है। बोर्ड ने प्रमुख साझेदारों विशेषकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता के साथ अंतर्क्षेत्रीय समन्वयन को मजबूती प्रदान की।

खाद्य उत्पादन में वृद्धि, लक्षियत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्तोदय अन्न योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, गरीबी उपशमन कार्यक्रम, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल एवं सफाई सुविधाएं, सर्व शिक्षा अभियान एवं साक्षरता कार्यक्रम, महिला कल्याण एवं सहायता कार्यक्रम, पोषणीय स्थिति में सुधार हेतु कुछ अप्रत्यक्ष उपाय हैं, जो लोगों की पोषणीय स्थिति में सुधार लाने में सहायता करते हैं।

विवरण-I

बच्चों एवं महिलाओं में अल्प-पोषक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रतिशत			ऊर्जा की चिर-कालिक कमी से पीड़ित महिलाओं का प्रतिशत [बॉडी मास इन्डेक्स 18.5 (कि.ग्रा./वर्ग मी.)]
		अल्प वजनी	अवरुद्ध विकास	दुर्बल	
1	2	3	4	5	6
	भारत	47.0	45.5	15.5	35.8
	उत्तर				
1.	दिल्ली	34.7	36.8	12.5	12.0

1	2	3	4	5	6
2.	हरियाणा	34.6	50.0	5.3	25.9
3.	हिमाचल प्रदेश	43.6	41.3	16.9	29.7
4.	जम्मू व कश्मीर	34.5	38.8	11.8	26.4
5.	पंजाब	28.7	39.2	7.1	16.9
6.	राजस्थान	50.6	52.0	11.7	36.1
	मध्य				
7.	मध्य प्रदेश	55.1	51.0	19.8	38.2
8.	उत्तर प्रदेश	51.7	55.5	11.1	35.8
	पूर्व				
9.	बिहार	54.4	53.7	21.0	39.3
10.	उड़ीसा	54.4	44.0	24.3	48.0
11.	पश्चिम बंगाल	48.7	41.5	13.6	43.7
	पूर्वोत्तर				
12.	अरुणाचल प्रदेश	24.3	26.5	7.9	10.7
13.	असम	36.0	50.2	13.3	27.1
14.	मणिपुर	27.5	31.3	8.2	18.8
15.	मेघालय	37.9	44.9	13.3	25.8
16.	मिजोरम	27.7	34.6	10.2	22.6
17.	नागालैण्ड	24.1*	33.0	10.4	18.4
18.	सिक्किम	20.6	31.7	4.8	11.2
	पश्चिम				
19.	गोवा	28.6	18.1	13.1	27.1

1	2	3	4	5	6
20.	गुजरात	45.1	43.6	16.2	37.0
21.	महाराष्ट्र	49.6	39.9	21.2	39.7
	दक्षिण				
22.	आन्ध्र प्रदेश	37.7	38.6	9.1	37.4
23.	कर्नाटक	43.9	36.6	20.0	38.8
24.	केरल	26.9	21.9	11.1	18.7
25.	तमिलनाडु	36.7	29.4	19.9	29.0

* अल्प वजन का मूल्यांकन आयु हेतु वजन के 'माध्यम से, अवरुद्ध विकास का मूल्यांकन आय हेतु ऊंचाई, दुर्बलता का मूल्यांकन, ऊंचाई हेतु वजन से किया जाता है। अल्प-पोषित बच्चे वे बच्चे होते हैं, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या संदर्भों के दो मानकों के मध्य अंतर होता है।

बॉडी मास इन्डेक्स — सी.ई.डी....ऊर्जा की चिर-कालिक कमी।

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-II, 1998-99।

विवरण-II

बच्चों एवं महिलाओं में राज्य-वार रक्ताल्पता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रक्ताल्पता से पीड़ित 15-49 वर्ष की आयु की महिलाओं का प्रतिशत	रक्ताल्पता से पीड़ित 6-35 माह के बच्चे
1	2	3	4
	भारत	51.8	74.3
	उत्तर		
1.	दिल्ली	40.5	69.0
2.	हरियाणा	47.0	83.9
3.	हिमाचल प्रदेश	40.5	69.9
4.	जम्मू व कश्मीर	58.7	71.1
5.	पंजाब	41.4	80.0
6.	राजस्थान	48.5	82.3
	मध्य		
7.	मध्य प्रदेश	54.3	75.0
8.	उत्तर प्रदेश	48.7	73.9
	पूर्व		
9.	बिहार	63.4	81.3
10.	उड़ीसा	63.0	72.3
11.	पश्चिम बंगाल	62.7	78.3

पूर्वोत्तर		
12. अरुणाचल प्रदेश	62.5	54.5
13. असम	69.7	63.2
14. मणिपुर	28.9	45.2
15. मेघालय	63.3	67.6
16. मिजोरम	48.0	57.2
17. नागालैंड	38.4	43.7
18. सिक्किम	61.1	76.5
पश्चिम		
19. गोवा	36.4	53.4
20. गुजरात	46.3	74.5
21. महाराष्ट्र	48.5	76.0
दक्षिण		
22. आन्ध्र प्रदेश	49.8	72.3
23. कर्नाटक	42.4	70.6
24. केरल	22.7	43.9
25. तमिलनाडु	56.5	69.0

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-II, 1998-99।

[हिन्दी]

नक्सली संगठनों को विदेशी सहायता

***422. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

नक्सली संगठन विदेशों से सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनसे कुछ विदेश निर्तिम हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने संबद्ध देशों के साथ यह मामला उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) यह सुझाने वाली कोई रिपोर्ट नहीं हैं कि भारतीय नक्सली संगठनों को विदेश से किसी भी प्रकार कि योजनाबद्ध सहायता प्राप्त हो रही है।

(ख) और (ग) भारतीय नक्सली संगठनों से, समय-समय पर ए.के.-47, .303 राइफलें तथा विदेशी मूल की .410 बन्दूकें (मसकेट्स) बरामद हुई हैं।

(घ) से (च) सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर, आतंकवाद का मुकाबला करने संबंधी संयुक्त कार्य ग्रुपों (जेडब्ल्यूजी) और गृह सचिव स्तरीय वार्ताओं जैसे द्विपक्षीय तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से परराष्ट्रों के साथ चर्चा की जाती है।

[अनुवाद]

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

***423. श्री सर्वानन्द सोनोवाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार, असम सरकार तथा आल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच हुई त्रिपक्षीय वार्ता में 1951 की राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तथा 1952 से 1971 के बीच तैयार की गई मतदाता सूचियों के आधार पर असम की एक संवर्धित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने पर सहमति हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या असम सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच किसी समय-सीमा पर सहमति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो समय-सीमा निर्धारित नहीं करने और इस योजना को अनिश्चित काल तक लटकाए रखने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) 01.07.1999 को आयोजित त्रिपक्षीय बैठक में, आल असम स्टूडेन्ट्स यूनियन (ए ए एस यू) ने आग्रह किया था कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अद्यतन किया जाए।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि नागरिकों का रजिस्टर असम के सभी जिलों में उपलब्ध नहीं है। तथापि, असम सरकार द्वारा उपलब्ध रिकॉर्डों के कंप्यूटरीकरण के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने उपलब्ध रजिस्टर सुरक्षित रखने के संबंध में उप-आयुक्तों को भी अनुदेश जारी किए हैं।

विद्यालयों में खेल एक विषय के रूप में

*424. श्री अर्जुन सेठी :
श्री हंसराज जी. अहीर :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खेलों के स्तर को बढ़ाने के लिए विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर खेल को एक अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित करने का है;

(ख) क्या हाल ही में इस मामले पर विचार-विमर्श के लिए केन्द्र और राज्यों के खेल मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या इस संबंध में राज्यों को कोई दिशा-निर्देश दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) ने अपने स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को तैयार करने में यह प्रस्ताव रखा है कि "स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा" स्कूली पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य विषय के रूप में होनी चाहिए। खेल संबंधी गतिविधियों को इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है। पाठ्यक्रमों की विस्तृत योजनाओं को तैयार किया जाना है और इसे राज्य सरकारों तथा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। अधिकतर राज्यों में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को माध्यमिक स्तर तक एक अनिवार्य विषय के रूप में स्थान दिया गया है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह वैकल्पिक विषयों में से एक है। तथापि, एन.सी.ई.आर.टी. ने 2004 में पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पर एक ग्रुप को शामिल करते हुए फोकस ग्रुप गठित किया है।

(ख) सभी राज्य खेल मंत्रियों/सचिवों की एक बैठक 16 फरवरी, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित हुई थी।

(ग) विचार-विमर्श से निकले मुख्य मुद्दों में से एक था कि शिक्षा संस्थानों में शारीरिक शिक्षा पर अधिक जोर दिये जाने की आवश्यकता है।

(घ) और (ङ) "खेल" राज्य का विषय है। ऐसे में, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राज्यों को इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

बेरोजगार कश्मीरी विस्थापित

*425. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में कश्मीरी विस्थापित बेरोजगार हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केन्द्र और राज्य सरकार की एजेन्सियों ने इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई अभियान शुरु किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है बेरोजगार कश्मीरी प्रवासियों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

सरकार, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभिन्न सेक्टरों में रोजगार और स्व-रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए गम्भीरता से प्रयास कर रही है। जम्मू और कश्मीर में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए एक लाख रोजगार अवसरों के सृजन की परिकल्पना करते हुए अप्रैल, 2003 में एक व्यापक योजना की घोषणा की गई थी, जिसके अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य में 15.8.2003 से 31.3.2005 के बीच 102307 रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। नवम्बर, 2004 में घोषित, जम्मू और कश्मीर हेतु प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना में लगभग 24,000 करोड़ रुपए का परिव्यय अन्तर्ग्रस्त है, जिसमें रोजगार और आय-अर्जन पर जोर देने हेतु प्रावधान शामिल हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों, जो 1.1.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान सामान्यतः जम्मू और कश्मीर राज्य में रह रहे थे, को केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा डाक में भर्ती हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्षों की छूट भी उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में, छूट की अवधि को 31.12.2005 तक बढ़ा दिया गया है। ये उपाय, कश्मीरी प्रवासियों सहित सभी वर्ग के लोगों के हित के लिए हैं।

महिलाओं एवं बच्चों का दुर्व्यापार

***426. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार से सम्बन्धित कोई 'एक्शन रिसर्च प्रोग्राम' आरम्भ किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रोग्राम के अन्तर्गत सरकार के पास देश के प्रभावित जिलों से सूचना एकत्रित करने के लिए रिसर्च पार्टनर हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एक्शन रिसर्च की अन्तिम रिपोर्ट पूरी हो गई है; और

(च) यदि हां, तो उसमें महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार पर रोक लगाने के लिए दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) इस विषय के प्रति लोगों में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए किए गए उपायों में टेलीविजन पर स्पॉटों तथा रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण, क्षेत्रीय सम्मेलन तथा गैर-सरकारी संगठनों व अन्य सम्बद्ध पक्षों के साथ परामर्श बैठकें और गैर-सरकारी संगठनों हेतु क्षमता विकास कार्यक्रम शामिल हैं।

(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यूनीफेम तथा समाज विज्ञान संस्थान नामक स्वैच्छिक संगठन द्वारा 'भारत में महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार' विषय पर एक कार्य शोध आरम्भ किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने उक्त शोध में अपना सहयोग एवं सहायता प्रदान की है।

(ग) और (घ) जी, हां। उक्त शोध अध्ययन में दस भागीदार थे, जिनका विवरण इस प्रकार है :-

1. समेकित ग्रामीण विकास सेवाएं, सिकन्दराबाद
2. सखी, पटना
3. अर्ज, गोवा
4. सामाज विज्ञान संस्थान, बैंगलोर
5. महिला समाज शिक्षा संस्थान, मुम्बई
6. इम्पल्स गैर-सरकारी संगठन नेटवर्क, शिलांग
7. विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर
8. समाज विज्ञान संस्थान, चेन्नई

9. सेवा, गोरखपुर

10. समाज विज्ञान संस्थान, कोलकाता

(ङ) और (च) जी, हां। इस अध्ययन की मुख्य अनुशंसाएं इस प्रकार हैं:-

(i) महिलाओं एवं बच्चों को अवैध व्यापार का शिकार बनाने वाले मुख्य कारण आर्थिक तथा महिलाओं के साथ भेदभाव हैं, जो कि विकास प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी के मार्ग में बाधक हैं। राजनैतिक संकल्प शक्ति उत्पन्न करने तथा इस विषय को सर्वसाधारण का मुद्दा बनाने के अतिरिक्त विभिन्न कार्यकलापों को समन्वित करने वाला राष्ट्रीय नोडल अभिकरण स्थापित किया जाना भी आवश्यक है।

(ii) समुदाय तथा परिवार को महिलोन्मुख विषयों, महिलाओं के अधिकारों तथा बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

(iii) अवैध व्यापार से उद्धार हेतु तथा उद्धार के उपरान्त चलाए जाने वाले कार्यकलापों में देखभाल के मानवाधिकारों के अनुकूल, न्यूनतम मानक निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

(iv) यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि सभी अपराधों की रिपोर्ट दर्ज की जाए, ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 8 का प्रयोग करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि पीड़ितों को पुन: अवैध व्यापार का शिकार न बनाया जाए। संबंधित अधिकारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वे कानूनों का कार्यान्वयन करने या न्याय प्रदान करने के समय महिलोन्मुख विषयों और बाल अधिकारों को ध्यान में रख सकें।

न्यायालयिक विज्ञान सम्बन्धी सेवाएं

*427. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालयिक विज्ञान सम्बंधी सेवाओं में अपर्याप्तता के कारण आपराधिक न्याय प्रचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या एनएचआरसी ने अत्याधुनिक न्यायालयिक विज्ञान हेतु विशेषज्ञ कोर समूह का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समूह द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा अब तक कार्यान्वित नहीं की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में न्यायालयिक विज्ञान सेवाओं में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश में वर्तमान विधि विज्ञान ढांचे का अध्ययन करने के लिए वर्ष 1998 में विशेषज्ञों के एक कोर ग्रुप का गठन किया था तथा उसे मजबूत करने के लिए उपायों की सिफारिश की थी।

(ग) कोर ग्रुप ने कई उपायों की सिफारिश की हैं जिनमें केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय विधि विज्ञान संगठन का सृजन करना, संबंधित राज्यों के गृह विभाग के अधीन राज्य विधि विज्ञान निदेशालय स्थापित करना, प्रत्येक राज्य में राज्य विधि विज्ञान विकास बोर्ड स्थापित करना, प्रत्येक पुलिस मुख्यालय में एक रेंज विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करना आदि शामिल है।

(घ) केन्द्र सरकार के स्तर पर 2005 में गृह मंत्रालय के अधीन विधि विज्ञान निदेशालय (डी एफ एस) का सृजन किया गया था जिसके अधीन चंडीगढ़, हैदराबाद और कोलकाता स्थित तीन केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालायें (सी एफ एस एल) और हैदराबाद, कोलकाता और शिमला स्थित तीन प्रश्नगत दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक (जी ई क्यू डी) लाए गए थे। राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्टों के अनुसार महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्यों के विधि विज्ञान संस्थान उनके अपने-अपने गृह विभाग के अधीन हैं। मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और झारखंड राज्यों ने विधि विज्ञान विकास बोर्डों के गठन के बारे में

सूचित किया है। तथापि, कुछ राज्य सरकारें, अपेक्षित वैज्ञानिक मानवशक्ति प्रदान करने में असमर्थ होने के कारण वे आवश्यक सुधार नहीं कर पाये हैं और उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार विभिन्न राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में लगभग 1100 ऐसे पद रिक्त पड़े हैं।

(ङ) विधि विज्ञान ढांचे का उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए विधि विज्ञान निदेशालय अपेक्षित मार्गदर्शन करता है। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग की प्रयोगशालाओं के परीक्षण और अंशशोधन (केलीब्रेशन) के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के माध्यम से भारत सरकार, विधि विज्ञान निदेशालय, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफ एस एल) के गुणवत्ता नियंत्रण/गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम चलाता रहा है और जहां तक सी एफ एस एल, हैदराबाद का संबंध है, आंध्र प्रदेश और हरियाणा राज्य के एफ एस एल का प्रत्यायन किया गया है। सी एफ एस एल में आधुनिक सुविधायें उपलब्ध हैं और कुछ राज्य एफ एस एल में डी एन ए प्रोफाइलिंग, स्वापक (नारको) विश्लेषण, मस्तिष्क-अंगुली छाप, वक्ता अधिप्रमाणन, साइबर विधि विज्ञान आदि तथा दांडिक न्याय प्रणाली के महत्वपूर्ण मामलों में अधिप्रमाणित वैज्ञानिक साक्ष्य प्रदान करने की सुविधायें भी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य पुलिस बलों (एम पी एफ योजना) के आधुनिकीकरण की योजना के अधीन उपकरण प्राप्त करने तथा उचित प्रयोगशाला भवनों के निर्माण हेतु निधियां प्रदान की जाती हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग ने भी राज्यों में 415 चलती-फिरती विधि विज्ञान प्रयोगशालायें स्थापित करने के लिए निधियां प्रदान की हैं जिनमें से 244 कार्य कर रही हैं। अधुनातन उपकरण और मशीनरी लगाने के लिए सी एफ एस एल और जी ई क्यू डी को निधियां भी प्रदान की गई हैं।

नागरिक निकायों को अधिक शक्तियां सौंपना

*428. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :**
श्री निखिल कुमार :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरों की वर्तमान मांग और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा संस्थागत व्यवस्था पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) 74वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधान किस सीमा तक क्रियान्वित किये गए हैं और नई संस्थागत व्यवस्थाओं से शहरी स्थानीय निकायों को कितनी सहायता मिली है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार नागरिक निकायों को अधिक शक्तियां सौंपने के उद्देश्य से संविधान में और संशोधन करने की योजना बना रही है जैसा कि 3 अप्रैल, 2005 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने सभी नगर पालिकाओं को चरणबद्ध तरीके से ई-गवर्नेंस सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई राष्ट्रीय योजना भी तैयार की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रथम चरण में किन शहरों का चयन किया गया है; और

(ज) देश के सभी शहरों को इस योजना में कब तक सम्मिलित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान सांस्थानिक व्यवस्था के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय, समकक्ष निकाय तथा राज्य सरकारों द्वारा सृजित विशेष एजेंसियां विभिन्न नागरिक सेवाओं तथा अवसंरचना जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के अनुसार "स्थानीय सरकार" राज्यों का विषय है। संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा अन्तः-स्थापित संविधान के भाग-IXक में शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक जैसी संरचना का प्रावधान है। नगर अपनी वर्तमान और साथ ही भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारें आवश्यक सांस्थानिक प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) उपर्युक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधान राज्य स्तर पर निम्नलिखित सीमा तक कार्यान्वित किए गए हैं :-

I. **सीटों का आरक्षण:-** शहरी स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई हैं। कुल सीटों में से कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

II. **नगरपालिकाओं का कार्यकाल:-** राज्य नगरपालिका अधिनियमों में नगरपालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष नियत किया गया है और राज्यों द्वारा इसी व्यवस्था का अधिकांशत: पालन किया जा रहा है।

III. **शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व:-** राज्यों ने नगरपालिकाओं को, जो शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व सौंपे हैं उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

IV. **कर लगाने से संबंधित अधिकार:-** राज्यों ने नगर-पालिकाओं को कर, शुल्क, चुंगी और फीस लगाने के जो अधिकार दिए हैं, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

V. **राज्य वित्त आयोग:-** राज्यों ने शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग में का गठन किया है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

VI. **राज्य निर्वाचन आयोग:-** शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कराने के लिए राज्यों ने राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया है।

VII. **जिला योजना समितियां:-** राज्यों ने जिला योजना समितियों के गठन के लिए अपने-अपने राज्य नगरपालिका कानूनों में प्रावधान किए हैं। आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, झारखण्ड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने जिला योजना समितियों का गठन किया है। मेघालय और नागालैंड में जिला योजना व विकास बोर्ड गठित किए गए हैं। मिजोरम राज्य ने जिला योजना समितियों का गठन नहीं किया है क्योंकि इस राज्य में कोई शहरी स्थानीय निकाय नहीं है।

VIII. **महानगरीय योजना समितियां:-** पश्चिम बंगाल में महानगरीय योजना समिति का गठन किया गया है। 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने यह बताया है कि उनके पास कोई महानगरीय क्षेत्र नहीं है, अत: महानगरीय योजना समितियों का गठन करने का प्रश्न नहीं उठता। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को महानगरीय योजना समिति के गठन से छूट दी गई है। शेष राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा इन समितियों का गठन अभी किया जाना है।

IX. **वार्ड समितियां:-** 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र को नगरपालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन किया जाना अपेक्षित है और आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ (रायपुर नगर निगम), कर्नाटक (बंगलौर), केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इनका गठन किया गया है। गोवा और हिमाचल प्रदेश में स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकारों की आबादी कम होने के कारण वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान नहीं हैं। शेष राज्यों से इन समितियों का शीघ्र गठन करने को कहा जा रहा है।

संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद जहां कहीं नई सांस्थानिक व्यवस्था लागू की गई हैं, उनसे शहरी स्थानीय निकायों को विभिन्न शहरी सेवाएं मुहैया कराने के संबंध में अपनी कार्यप्रणाली बेहतर बनाने में मदद मिली है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) से (ज) भारत सरकार द्वारा 2003-2007 के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित की गई राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना में नगरपालिकाओं में ई-गवर्नेंस संबंधी मिशन मोड परियोजना सहित ई-गवर्नेंस संबंधी विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं को तैयार करने के लिये चुना गया है। परियोजनाओं के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण-I

शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक शक्तियां सौंपना

राज्य/संघ शासित प्रदेश	संविधान की बारहवीं अनुसूची में दिये गये 18 कार्य																	
	कस्बा नियोजन सहित शहरी नियोजन	भू-उपयोग व भवनों के निर्माण का विनियमन	आर्थिक व सामाजिक विकास की योजना	सड़कें व पुल	घरेलू, औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए जल आपूर्ति	जन स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था तथा कचरा प्रबंधन	अग्नि शमन सेवाएं	शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकी पहलुओं को प्रोत्साहन	अशक्त व मंद बुद्धि के लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा	स्लम सुधार तथा उन्नयन	शहरी गरीबी उपशमन	शहरी सुविधाओं का प्रावधान, यथा पार्क, गार्डन, खेल के मैदान	सांस्कृतिक, शैक्षिक व सौन्दर्य संबंधी पहलुओं को प्रोत्साहन	दफन व कब्रिस्तान, दाह संस्कार व शमनयान तथा विद्युत शवदाह गृह	कांजी हाउस, पशुओं के प्रति निर्दयता को रोकना	जन्म मरण के आंकड़े, जन्म व मृत्यु का पंजीकरण	जन सुविधाएं, पथ प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप तथा जन सुविधाएं	पशु वध शाला तथा टेनरी का विनियमन
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
आंध्र प्रदेश	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
अरुणाचल प्रदेश	राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य में कोई शहरी स्थानीय निकाय नहीं है। राज्य में वर्ष 2004 के अंत तक नगरपालिका प्रशासन शुरु किये जाने की संभावना है।																	
असम	x	✓	x	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓	x	✓	✓	x	✓	✓
बिहार	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
छत्तीसगढ़	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
गोवा	✓	✓	x	✓	x	x	x	✓	x	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
गुजरात	x	x	✓	✓	✓	x	✓	x	x	✓	–	x	x	✓	✓	✓	x	✓
हरियाणा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
जम्मू और कश्मीर	74वां संविधान संशोधन जम्मू व कश्मीर में लागू नहीं है।																	
झारखंड	राज्य में शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव अभी होना है। चुनाव संपन्न होने के बाद ही कार्य सौंपने का काम शुरु किया जायेगा।																	
कर्नाटक	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	✓	x	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
केरल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
मध्य प्रदेश	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
महाराष्ट्र	x	x	✓	x	x	x	x	✓	x	✓	✓	x	x	x	✓	x	x	✓
मणिपुर	राज्य सरकार ने बताया है कि उन्होंने 12वीं अनुसूची में दी गयी शक्तियों एवं कार्यों को अभी जारी/प्रकाशित नहीं किया है।																	
मेघालय	राज्य सरकार ने बताया है कि राज्य को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से छूट प्राप्त है।																	
मिज़ोरम	राज्य सरकार ने बताया है कि मिजोरम में अभी तक शहरी स्थानीय निकायों का गठन नहीं किया गया है।																	
नागालैंड	x	✓	✓	x	x	✓	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
उड़ीसा	✓	x	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
पंजाब	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
राजस्थान	✓	✓	✓	x	x	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓
सिक्किम	राज्य सरकार ने बताया है कि सिक्किम में कोई शहरी स्थानीय निकाय नहीं है।																	
तमिलनाडु	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
त्रिपुरा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
उत्तरांचल	राज्य सरकार ने बताया है कि संविधान की 12वीं अनुसूची से संबंधित कार्यों को नये अधिनियम में शामिल किया जायेगा एवं तदनुसार शहरी स्थानीय निकायों को सौंपा जायेगा।																	
उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓
पश्चिम बंगाल	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
अंडमान और निकोबार द्वीप	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x
चंडीगढ़	x	x	x	x	✓	✓	✓	x	x	x	✓	x	x	✓	✓	x	x	✓
दादरा और नगर हवेली	संघ शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली में कोई नगरपालिका नहीं है।																	
दमन और दीव	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	x
रा.रा.क्षे. दिल्ली																		
एम.सी.डी.	x	x	✓	✓	x	✓	x	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
एन.डी.एम.सी.	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
पांडिचेरी	शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना होने के बाद ही संविधान की 12वीं अनुसूची में दिये गये 18 कार्य सौंपे जायेंगे। तथापि इन कार्यों को अपेक्षित स्तर तक दिये जाने की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।																	
लक्षद्वीप	संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कोई शहरी स्थानीय निकाय नहीं है। सम्पूर्ण संघ शासित प्रदेश को ग्रामीण समझा जाता है।																	

(✓) = शहरी स्थानीय निकायों को कार्य पूरी तरह सौंप दिये गये हैं।

(x) = शहरी स्थानीय निकायों को कार्य नहीं सौंपे गये हैं।

(-) = इन कार्यों के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण-II

शहरी स्थानीय निकायों को सौंपी गई वित्तीय शक्तियों के ब्यौरे

राज्य/संघ शासित प्रदेशों का नाम	वित्तीय शक्तियों के ब्यौरे
1	2
आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश नगरपालिका अधिनियम (ए पी एम ए) 1965 के तहत नगरपालिकाओं द्वारा पहले से ही संपत्ति कर खाली भूमि कर एवं विज्ञापन कर आदि लगाने के कार्य का निष्पादन किया जा रहा है।
अरुणाचल प्रदेश	राज्य में कोई शहरी स्थानीय निकाय नहीं है।
बिहार	*बिहार नगरपालिका अधिनियम, 1922 में धारा 80ए के अंतर्गत* निम्नलिखित प्रावधान हैं:- नगरपालिका की कर लगाने की शक्तियां और कोष—जो राज्य सरकार द्वारा समस-समय पर निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर्गत तथा इसके अंतर्गत बनाए गए अधिनियम व नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन होंगे:- (क) नगरपालिका निर्धारित प्रक्रिया से कर, शुल्क, पथकर तथा फीस लगा सकती है, उगाही कर सकती है तथा विनियोजित कर सकती है। (ख) नगरपालिका को निर्धारित प्रयोजनार्थ और यथा निर्धारित शर्तों व सीमाओं के अध्यधीन राज्य सरकार द्वारा कर शुल्क पथकर तथा फीस लगाने व एकत्र करने का कार्य सौंपा जा सकता है। (ग) नगरपालिका को राज्य के संचित कोष से यथा निर्धारित सहायता अनुदान मुहैया कराया जा सकता है। (घ) *नगरपालिका स्वयं अथवा स्वयं की ओर से* प्राप्त सभी धनराशि जमा करने तथा साथ ही उससे धनराशि निकालने के लिए यथानिर्धारित एक कोष का गठन करेगी।
छत्तीसगढ़	राज्य सरकार ने दिनांक 9/11-12-2003 को सूचित किया है कि नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 37 तथा 73 और नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 70 और 110 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के जरिए विभिन्न नगरपालिका प्राधिकरणों को वित्तीय शक्तियां मुहैया कराई गई हैं।
गोवा	संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय शक्तियों के हस्तांतरण के संबंध में उल्लेखनीय है कि गोवा *नगरपालिका अधिनियम, 1968 के संशोधन अधिनियम, 1993* के द्वारा एक नयी धारा 142ए सम्मिलित की गई है, जिसमें निम्नलिखित का प्रावधान है। "धारा 142ए कुछ करों आदि का समनुदेशन, सरकार: (क) परिषद को यथा निर्धारित प्रयोजनार्थ तथा शर्तों व सीमाओं के अध्यधीन सरकार द्वारा लगाए व वसूले जाने वाले कर शुल्क, पथकर तथा फीस लगाने व वसूलने का कार्य देगी। (ख) परिषद को राज्य के संचित कोष से शासकीय राजपत्र में प्रकाशित एक आदेश द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित सहायता अनुदान मुहैया कराएगी। इसके अलावा, धारा 143ए (संशोधन अधिनियम, 1993 के द्वारा अन्तःस्थापित) के तहत गोवा पंचायती राज अधिनियम, 1993 की धारा 200 के अंतर्गत गठित राज्य वित्त आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। आयोग को राज्य में सभी नगरपालिका

1	2
	परिषदों की अंतिम स्थिति की समीक्षा करने तथा सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, पथकरों व फीस का निर्धारण तथा परिषदों को सहायता अनुदान तथा परिषदों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए सरकार को सिफारिशें करेगा।"
हरियाणा	जहां तक शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरिक वित्तीय शक्तियों का संबंध है, हरियाणा सरकार ने दिनांक 31.5.1994 को प्रथम राज्य वित्त आयोग गठित किया था और उसने शहरी स्थानीय निकायों को धनराशि हस्तांतरित करने की सिफारिश की थी। दूसरा राज्य वित्त आयोग दिनांक 6.5.2000 को गठित किया गया था। इसकी सिफारिशें प्राप्त होनी हैं। दूसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद राज्य में नगरपालिकाओं को वित्तीय शक्तियां हस्तांतरित कर दी जाएंगी।
हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश प्रिंसिपल एक्ट, 1994 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए धारा 65 और 66 के अंतर्गत विभिन्न कर लगाने की शक्तियां दी गई हैं। धारा 66 (2) के प्रावधानों के अनुसार सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वेच्छा से लगाए जाने वाले विभिन्न करों की अधिकतम सीमा दिनांक 29.3.2001 की अधिसूचना सं. एल एस जी-डी (1) 9/94 के तहत अधिसूचित की है। कर की निर्धारित दरें इस प्रकार हैं:- क. शो टैक्स—50 प्रति शो ख. जली खपत पर कर—2 पैसे प्रति यूनिट ग. भवन पर सामान्य कर के 15% की दर से वाणिज्यिक भवन पर सीवरेज कर घ. वाहनों पर प्रवेश कर—हल्के वाहन पर 5/- रुपये, खाली भारी वाहन पर 10/- रुपये तथा भरे भारी वाहन पर 15/- रुपये और चल संपत्ति के हस्तांतरण पर धनराशि का 2% इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान मुहैया कराने के लिए बजट प्रावधान किया जा रहा है।
जम्मू व कश्मीर	संशोधन (74वां संविधान) अधिनियम इस राज्य पर लागू नहीं है।
झारखंड	चुनाव पूरे होने के बाद संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को सुपुर्द की गई वित्तीय शक्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा।
कर्नाटक	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उसने शहरी स्थानीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय शक्तियां दी हैं। नई प्रणाली के तहत नगर निगम पहले के 30 लाख रुपये की तुलना में एक करोड़ रुपये तक की राशि खर्च कर सकता है। इसी प्रकार नगर म्यूनिसिपैलिटी, कस्बा म्यूनिसिपैलिटी और कस्बा पंचायत, जहां पहले क्रमशः एक लाख रुपये, 50,000/- रुपये और 5000/- रुपये खर्च करने का अधिकार रखती थी वहीं अब क्रमशः 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये और 2.5 लाख रुपये खर्च कर सकती है।
केरल	राज्य योजना परिव्यय नियतन का लगभग 33% अंश शहरी स्थानीय निकायों सहित स्थानीय निकायों को उनके द्वारा तैयार की गई योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए आबंटित किया जाता है। नगरपालिका परिषद के पास सभी परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति देने के संबंध में अप्रतिबंधित शक्तियां हैं।
मध्य प्रदेश	राज्य नगरपालिका अधिनियमों में शहरी स्थानीय निकायों को उनकी कार्यप्रणाली के लिए कर लगाने

1	2
	का अधिकार दिया गया है। ये कर अनिवार्य करों और विवेकाधीन करों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। सभी नगरपालिका निकायों से आशा की गई है कि वे अनिवार्य करों को लगाकर राजस्व उगाहें जबकि विवेकाधीन करों के मामले में उन्हें लगाना नगरपालिका निकायों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। अनिवार्य और विवेकाधीन करों की सूची नीचे दी गई है:-
	अनिवार्य कर
	संपत्ति कर
	जल कर
	सफाई कर
	अग्नि कर
	प्रकाश व्यवस्था कर
	स्थानीय निकाय कर
	विवेकाधीन कर
	सफाई व्यवस्था कर
	जल निकास कर
	व्यावसायिक कर
	बाजार शुल्क
	सुधार कर
	तीर्थ यात्रा पर कर
	थियेटर/नाटकों पर कर
	वाहनों/पशुओं के मालिकों पर कर
	वाहनों/पशुओं पर चुंगी
	मकान, भवन/भूमि पर रहने वाले व्यक्तियों पर कर
	नगरपालिका द्वारा निर्मित पुल पर चुंगी
	विज्ञापन कर (समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन को छोड़कर)
	सामान/पशुओं आदि पर सीमा कर
	(संदर्भ-इंपेक्ट एसेस्मेंट 74 कांस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बुक)
	राज्य में नगर निगमों को संपूर्ण वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। कुछ मामलों में राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी पूर्ववर्ती प्रतिबंध अक्तूबर, 2003 से हटा लिया गया है। इसके अलावा, नगर निगमों के महापौरों को पहली बार स्वतंत्र वित्तीय अधिकार भी दिए गए हैं। नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों को अधिनियम के तहत अब अधिकतम वित्तीय सहायता भी प्राप्त है।
महाराष्ट्र	राज्य सरकार द्वारा यथासूचित प्रथम राज्य वित्त आयोग (शहरी स्थानीय निकायों के लिए) की रिपोर्टों और सिफारिशों की स्थिति इस प्रकार है:-
	महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोग ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के लिए कुल 93 सिफारिशें की थीं। 93 में से सरकार ने 82 सिफारिशें पूरी तौर पर स्वीकृत की हैं, 8 अंशत: स्वीकृत की हैं और 3 को अस्वीकार कर दिया था।
	राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई: .
	(i) नगरपालिकाओं को कोई नए कर सौंपे गए — नहीं
	(ii) राज्य करों से प्राप्त राजस्व में हिस्सेदारी और राजस्व सांझेदारी व्यवस्था को युक्तियुक्त

1	2
	बनाना – यह मद महाराष्ट्र सरकार के व्यय विभाग से संबंधित है। तथापि, शहरी स्थानीय निकायों के लिए करों में हिस्सेदारी संबंधी सिफारिशें निम्नवत हैं :-
	सड़क अनुदान – 17.25%
	भूमि राजस्व – 75%
	मनोरंजन कर
	ए श्रेणी एम सी 60%
	बी श्रेणी एम सी 70%
	सी श्रेणी एम सी 90%
	स्टाम्प शुल्क – कुल प्राप्त राशि का 1%
	सी श्रेणी एम सी को माइनर मिनरल पर रोयल्टी – 5 लाख रुपये
	अनुदान सहायता–प्रथम राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार हिल स्टेशन नगरपालिका परिषद को विशेष पर्यटन विकास अनुदान (राज्य के 6 हिल स्टेशन नगरपालिका परिषदों में से प्रत्येक को 10 लाख रुपये)
	सेवाओं का निजीकरण – शून्य
	राज्य सरकार ने 19.5.2004 को सूचित किया है कि संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार नगरपालिकाओं को अधिकार, प्राधिकार और उत्तरदायित्व इसलिए सौंपे गए हैं ताकि वे संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार कर सकें और कार्यकलाप निष्पादित कर सकें तथा स्कीमें कार्यान्वित कर सकें।

1	2
	तदनुसार निम्नलिखित अधिनियमों में संशोधन किया गया है:- • मुम्बई नगर निगम अधिनियम, 1888 • मुम्बई प्रोविंशियल नगर निगम अधिनियम, 1949 • नागपुर सिटी नगर निगम अधिनियम, 1948 तथा • महाराष्ट्र नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम, 1965
मणिपुर	मणिपुर नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 221 के अंतर्गत निम्नवत सूचीबद्ध उप नियमों की पुष्टि करके शहरी स्थानीय निकायों को कुछ वित्तीय शक्तियां सौंपी जाती हैं:- 1. दुकानों का रजिस्ट्रेशन और उन्हें लाइसेंस देना; 2. होटलों का विनियमन; 3. मोबाइल स्टाल/वेन्डर/हॉकर लाइसेन्स का विनियमन और प्रदान करना; 4. बाजारों का विनियमन; 5. पार्किंग शुल्क; 6. विज्ञापन; 7. वाहनों और पशुओं पर प्रवेश शुल्क; 8. व्यापार और घरेलू कचरे पर सफाई (स्केवेन्जिग) कर; और 9. भवन।
मेघालय	अनुच्छेद 243-जेड सी के अनुसार 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अधिकार क्षेत्र से मेघालय को छूट दी गई है।

1	2
मिजोरम	राज्य में अभी तक शहरी स्थानीय निकाय गठित नहीं किए गए हैं।
नागालैंड	शहरी स्थानीय निकायों को अब तक वित्तीय शक्तियां नहीं दी गई हैं क्योंकि नागालैंड नगरपालिका अधिनियम, 2001 हाल ही में बनाया गया है और नगरपालिका चुनाव वर्ष 2004 के मध्य तक करवाने की आशा है।
उड़ीसा	भारत के संविधान के 74वें संशोधन के परिणामत: उड़ीसा सरकार ने राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय शक्तियां प्रदान करने के लिए उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1950 के साथ-साथ उड़ीसा नगर निगम अधिनियम, 2003 में पर्याप्त प्रावधान किए हैं जो इस प्रकार हैं:- अपना बजट तैयार करना; ऋण लेना तथा ऋण निधि का गठन; नगरपालिका कराधान; क. कर लगाने और वसूलने का अधिकार ख. सेवा कर ग. जल निकासी कर घ. शौचालय कर ङ भूमि कर च. गाड़ी ठेला तथा अन्य पशुओं पर कर छ. पार्किंग शुल्क ज. निर्माण स्थल पर विकास प्रभार झ. शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले बाजारों तथा अन्य वाणिज्यिक परिसरों पर लाइसेंस शुल्क
राजस्थान	दिनांक 21.5.1996 को एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके अनुसार राजस्थान नगरपालिका (सामग्री की खरीद और संविदा) (प्रथम संशोधन) नियम, 1996 नामक नियम बनाते हुए नियम, 14 में संशोधन करते हुए प्रावधान किया गया है कि 25,000/- रुपये से 2 करोड़ रुपये तक के व्यय के संबंध में निम्नलिखित प्राधिकारियों से प्रशासनिक एवं वित्तीय पूर्व स्वीकृति/पूर्व अनुमोदन लिए बिना सामग्री/वस्तुओं की खरीद अथवा कार्य निष्पादन के लिए कोई भी संविदा नहीं की जाएगी यथा आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम निदेशक, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार तथा जिला मुख्यालयों में स्थित नगर निगम, नगरपालिका परिषद, नगरपालिका बोर्ड तथा अन्य नगरपालिका बोर्ड के मामले में स्थानीय निकायों के उप निदेशक (क्षेत्रीय)। पहले राज्य वित्त आयोग ने शुद्ध राज्य कर का 2.18% भाग स्थानीय निकायों को देने की सिफारिश की थी। इस राशि में से पी आर आई तथा शहरी स्थानीय निकायों का हिस्सा 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण और शहरी आबादी के अनुपात पर आधारित था। इसी प्रकार, दूसरे राज्य वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों को शुद्ध कर आय का 2.25% भाग देने की सिफारिश की तथा पी आर आई व शहरी स्थानीय निकायों का हिस्सा 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण व शहरी आबादी के अनुपात में था।
सिक्किम	राज्य में कोई शहरी स्थानीय निकाय नहीं है।
तमिलनाडु	संबंधित नगरपालिका परिषदों द्वारा नगरपालिका बजट तैयार एवं अनुमोदित किया जाता है। दिनांक 8.7.1998 के जी ओ एम एस सं. 119 एम ए डब्ल्यू एस विभाग में कार्य एकल मद के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु नगर

1	2
	पालिकाओं को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं जबकि पहले वित्तीय सीमा काफी कम थी।
	कार्य के शीघ्र निश्पदन के लिए नगरपान्लिकाओं द्वारा किए जाने वाले अलग-अलग कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति देने की अधिकार सीमा भी बढ़ा दी गई है जबकि पहले वित्तीय सीमा काफी कम थी।
	परिषदें बिना किसी वित्तीय सीमा के सभी प्रकार के कार्यों और सामग्री की सप्लाई के लिए टेंडर अनुमोदित करने के लिए सक्षम हैं।
	शहरी स्थानीय निकायों को अधिकार है कि वे सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ ऋणपत्रों के माध्यम से किसी वित्तीय संस्थान से बांड जारी करके जनता से ऋण ले सकते हैं।
	सरकार ने दिनांक 4.5.98 के सरकारी आदेश एम एस सं. 69, एम ए एंड डब्ल्यू एस (एम ए 3) में प्रमुख नगरपालिका सेवाओं के निजीकरण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस सरकारी आदेश द्वारा नगरपालिका परिषदों को बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिस्पर्धा के लिए निजीकरण का अधिकार दिया गया है।
त्रिपुरा	संविधान अधिनियम की धारा 243 वाई के अनुसार त्रिपुरा नगरपालिका अधिनियम, 1994 में राज्य वित आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तदनुसार राज्य वित्त आयोग नियुक्त किया गया तथा आयोग ने अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं। राज्य सरकार ने अनेक सिफारशें विशेषकर शहरी स्थानीय निकायों को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार देने संबंधी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। राज्य वित्त आयोग की सफारिशों पर राज्य सरकार के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं:-
	राज्य कर राजस्व का 1.5.5% भाग शहरी स्थानीय निकायों को दिया जाए।

1	2
	योजना के तहत शहरी स्थानीय निकायों को नवीतम जनगणना के आधार पर उनकी आबादी के अनुसार 200/-रुपये प्रति व्यक्ति की दर से अनुदान सहायता मुहैया कराई जाएगी।
उत्तरांचल	राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल अधिनियम, 1916, उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल आरक्षण नियम, 1994 और उत्तर प्रदेश संशोधन नियम, 2000 स्वीकार कर लिये हैं तथा उनका पालन किया गया है। राज्य 9.11.2000 को बनाया गया था तथा राज्य वित्त आयोग ने पहली वित्त आयोग रिपोर्ट तैयार की है जिसमें शहरी स्थानीय निकायों को दी गई वित्तीय शक्तियों के संबंध में विस्तृत विश्लेषण किया गया है।
	संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कार्यों का नगरपालिकाओं को अन्तरण विधि द्वारा किया जायेगा। इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है तथा शक्तियों, प्राधिकार, उत्तरदायित्वों आदि के अन्तरण के पहलुओं की जांच करने देखने के लिए मंत्री (यू.डी.), उत्तरांचल की अध्यक्षता में दो समितियां बनायी गई हैं।
	राज्य में राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय शक्तियों का अन्तरण प्रति व्यक्ति आधार पर आधारित है और यह निकटवर्ती रेल मुख्यालय से दूरी पर निर्भर करता है।
पश्चिम बंगाल	शहरी स्थानीय निकायों के अनिवार्य और विवेकाधीन कार्य तथा उनकी वित्तीय शक्तियां संबंधित निगम और नगरपालिका अधिनियम में निर्धारित किए गए हैं।
	राज्य सरकार ने अपने दिनांक 15.4.2004 के पत्र के तहत शहरी स्थानीय निकायों को दी गई वित्तीय शक्तियों का ब्यौरा निम्नवत प्रस्तुत किया है:-

1	2
	कराधान शक्तियां • भूमि और भवनों पर कर लगाने की शक्ति • समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों को छोड़कर विज्ञापनों पर • ठेला गाड़ियों और गाड़ियों पर • फेरी और पुलों पर चुंगी कर लगाना शुल्क तथा उपभोक्ता प्रभार आदि लगाने का अधिकार • सभाओं पर शुल्क लगाना • पर्यटकों पर शुल्क लगाना • व्यवसाय, व्यापार और पेशे के लिए नाम लिखाने पर • जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था आदि जैसी सेवाओं के लिए शुल्क/प्रभार आदि लगाना, तथा भवन निर्माण नक्शों के म्यूटेशन स्वीकृति के लिए शुल्क पश्चिम बंगाल नगरपालिका अधिनियम, 1993 के विभिन्न प्रावधानों के निबंधनों में शहरी स्थानीय निकायों को उपर्युक्त अधिकार दिए गए हैं। उपर्युक्त अधिकारों के तहत शहरी स्थानीय निकायों को अधिकांश मामलों में उप नियम बनाने अपेक्षित होते हैं जबकि कुछ मामलों में पार्षद बोर्ड ऐसे शुल्कों की दरों का निर्धारण कर सकता है। जल आपूर्ति के लिए राज्य सरकार ने जल प्रभार लगाने के लिए नियम बनाए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा एकत्रित मनोरंजन कर में से राज्य सरकार द्वारा 10% रख लिए जाने के पश्चात् शेष राशि शहरी स्थानीय निकाय और पंचायतों के बीच 80 : 20 अनुपात में बांटी जाती है।
चंडीगढ़	अंतरित कार्यों के संबंध में सभी प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां नगर निगम चंडीगढ़ के पास हैं। इसके अलावा, चंडीगढ़ प्रशासन चंडीगढ़ नगर निगम को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए योजना तथा गैर योजना अनुदान सहायता दे रहा है।
दादरा तथा नगर हवेली	इस संघ शासित प्रदेश में कोई शहरी स्थानीय नहीं है।
दमन तथा दीव	दो शहरी स्थानीय निकाय हैं। उन्हें दमन एवं दीव नगरपालिका (संशोधित) विनियमन, 1994 और नगरपालिका नियमों में भी दी गई सभी वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के वित्तीय अधिकार इस प्रकार हैं:- कर – दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा अनिवार्य रूप से लगाए जाने वाले कर हैं यथा संपत्ति कर, वाहनों तथा पशुओं पर कर, थियेटर कर, समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर कर संपत्ति अंतरण पर कर तथा भवनों पर कर जिसका भुगतान भवन नक्शे की स्वीकृति के लिए आवेदन करते समय किया जाना है जबकि दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग करके लगाए जाने वाले कर हैं: शिक्षा उप कर, व्यवसाय, व्यापार, पेशों और रोजगार पर कर, बिजली उपभोग कर किसी विकास कार्य को करने से शहरी भूमि मूल्यों में वृद्धि पर सुधार कर तथा चुंगी। दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को क्रमशः 12वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची में निर्धारित दरों पर जुर्माना और अर्थ दण्ड लगाने का प्राधिकार प्राप्त है।

1	2
	दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को यह अधिकार है कि वे कोई भूमि अर्जित करने, किसी भवन के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार अथवा सरकार का देय किसी ऋण का पुनर्भुगतान करने तथा पहले लिए गए किसी ऋण पुनर्भुगतान करने के लिए सभी करों अथवा किसी एक कर की प्रतिभूमि पर ऋण पत्र जारी करके अथवा किसी अन्य माध्यम से ऋण ले सकते हैं बशर्ते कि कोई भी ऋण केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अथवा स्थानीय ऋण अधिनियम, 1914 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत स्वीकृति हेतु आवेदन पहले से प्रकाशित किए बिना न लिया जाए।
	दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद निगम/परिषद से संबंधित किसी भी स्थावर तथा अचल संपत्ति का अधिग्रहण करने अथवा बेचने के लिए सक्षम हैं।
	दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अपने संबंधित अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए आवश्यक किसी भी संविदा को करने तथा निष्पादित करने के लिए सक्षम है।
पांडिचेरी	चूंकि शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना नहीं हुई है अत: इन्हें दी जाने वाली वित्तीय शक्तियां अंतरित नहीं की गई हैं। तथापि, नगरपालिका परिषदों को और अधिक वित्तीय शक्तियां सौंपी जा चुकी हैं जिनका प्रतिनिधित्व अब वर्ष, 2001 में पुन: संशोधित पांडिचेरी म्यूनिसिपैलिटी (पावर्स एंड प्रोसीजर फॉर एक्जीक्यूशन वर्क्स एंड परचेज ऑफ स्टोर्स) नियम, 1997 के अनुसार विशेष अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
लक्षद्वीप	इस संघ शासित क्षेत्र में कोई शहरी स्थानीय निकाय नहीं है।

विवरण-III

राज्य वित्त आयोग का ब्यौरा

राज्य का नाम	पहले एस.एफ.सी के गठन की की तारीख	दूसरे एस.एफ.सी. के गठन की की तारीख
1	2	3
आंध्र प्रदेश	22.6.1994	8.12.1996
अरुणाचल प्रदेश	21.5.2003	2008 में अपेक्षित
असम	23.6.1996	2001 में गठित
बिहार	23.4.1995	2.6.1999
छत्तीसगढ़	22.8.2003	2008 में अपेक्षित
गोवा	22.4.1994	अप्रैल, 1999
गुजरात	15.9.1994	नवम्बर, 2003
हरियाणा	31.5.1994	6.9.2000
हिमाचल प्रदेश	23.4.1994	25.5.1999
जम्मू तथा कश्मीर	2001	2005 में अपेक्षित
झारखण्ड	28.1.2004	2009 में अपेक्षित
कर्नाटक	10.6.1994	23.6.1999
केरल	23.4.1994	23.6.1999
मध्य प्रदेश	17.6.1994	17.6.1999
महाराष्ट्र	23.4.1994	22.6.1999
मणिपुर	22.4.1994	3.1.2003
मेघालय	इस राज्य में एस.एफ.सी. का गठन नहीं किया गया क्योंकि संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, जिसके तहत एस.एफ.सी. गठित किया जाना अपेक्षित है वह उन पर लागू नहीं है।	

1	2	3
मिजोरम	इस राज्य में एस.एफ.सी. का गठन नहीं किया गया क्योंकि संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, जिसके तहत एस.एफ.सी. गठित किया जाना अपेक्षित है वह उन पर लागू नहीं है।	
नागालैंड	इस राज्य में एस.एफ.सी. का गठन नहीं किया गया क्योंकि संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, जिसके तहत एस.एफ.सी. गठित किया जाना अपेक्षित है वह उन पर लागू नहीं है।	
उड़ीसा	21.11.1996 तथा 24.8.1998 को पुनर्गठित	5.6.2003
पंजाब	22.4.1994	21.9.2000
राजस्थान	23.4.1994	7.5.1999
सिक्किम	22.7.1998	2003
तमिलनाडु	23.4..1994	1.12.1999
त्रिपुरा	23.4.1994	29.10.1999
उत्तरांचल	31.3.2001	2006 में अपेक्षित
उत्तर प्रदेश	22.10.1994	25.2.2000
पश्चिम बंगाल	मई, 1994	जुलाई, 2000
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20.9.1995	28.8.2001
चण्डीगढ़	मई, 1995	9.1.2001
दादरा व नगर हवेली	8.9.1995	दिसम्बर, 2001
दमन और दीव	8.9.1995	दिसम्बर, 2001
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	अप्रैल, 1995	2001
पांडिचेरी	12.3.1997	5.1.2004
लक्षद्वीप	8.9.1995	दिसम्बर 2001

महिलाओं एवं बच्चों हेतु कल्याणकारी योजनाएं

***429. श्री सुब्रत बोस :**
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और तत्पश्चात् महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास योजनाओं के अन्तर्गत राज्य-वार आवंटित/जारी धनराशियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस धनराशि के उपयोग की अनुवीक्षा करती है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस सम्बन्ध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कार्य-निष्पादन कैसा रहा है;

(घ) क्या सरकार ने इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को कोई नये दिशा-निर्देश दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इन योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् महिलाओं एवं बच्चों के जीवन-यापन की स्थितियों में आए सुधार में अब तक प्राप्त राज्य-वार उपलब्धियां क्या हैं; और

(छ) देश में महिलाओं एवं बच्चों हेतु बनाई जाने वाली प्रस्तावित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को निर्मुक्त की गई निधियों का ब्यौरा संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध महिला एवं बाल विकास विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में दर्शाया गया है।

(ख) जी, हां। विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों के उपयोग का प्रबोधन आवधिक रिपोर्टों, समीक्षा बैठकों तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से किया जाता है।

(ग) वर्ष दर वर्ष चलने वाली केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत निधियां आवश्यकतानुसार तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पहले संस्वीकृत निधियों के उपयोग के आधार पर जारी की जाती हैं। उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा, उन्हें निर्मुक्त, निधियों के उपयोग की स्थिति संतोषजनक रही।

(घ) और (ङ) स्कीमों के कार्यान्वयन की सपीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। जब कभी आवश्यक समझा जाता है तो समय-समय पर स्कीमों के कारगर कार्यान्वयन हेतु उपाय/प्रक्रियाएं सुझाने हेतु दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

(च) विभाग की स्कीमों के वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन का ब्यौरा संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध वार्षिक रिपोर्टों तथा निष्पादन बजट 2005-06 और विभाग की वेबसाइट http://www.wcd.nic.in में उपलब्ध है।

(छ) समय-समय पर आवश्यकतानुसार महिलाओं एवं बच्चों के लिए नई स्कीमें तैयार करने तथा आरम्भ करने पर विचार किया जाता है। विभाग इस दिशा में प्रयासरत है कि मौजूदा स्कीमों के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं में अधिकाधिक सुधार किया जाए।

योगेश चन्द्र समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना

***430. श्री अधीर चौधरी :**
श्री मुनव्वर हसन :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान भूमि आबंटन में अनियमितताओं की जांच करने के लिए गठित की गई योगेश चन्द्र समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समिति ने कौन-कौन सी सिफारिशें की हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इन सिफारिशों की जांच कर ली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार का विचार भविष्य में भूमि के उचित आबंटन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुछ कठोर कानून बनाने का भी है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा विभिन्न धार्मिक, सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों, स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों, राजनीतिक दलों आदि को 1998-99 से किए गए भूमि आबंटनों के 100 मामलों में से समिति समझती है कि 32 मामलों में प्रक्रिया और/अथवा मामले के गुणावगुणों पर उचित ध्यान दिए बिना भूमि का आबंटन किया गया। समिति ने शेष 68 मामलों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है।

(ग) समिति ने सुझाव दिया है कि समिति के निष्कर्षों के आधार पर प्रत्येक आबंटन के गुणावगुणों पर कानूनी राय लेने के पश्चात् प्रत्येक मामले में अलग से कार्यवाही की जाए। भविष्य में किए जाने वाले आबंटनों की प्रक्रिया के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि भूमि के आबंटनों हेतु आवेदनों की जांच के लिए गठित मौजूदा जांच समिति को चाहिए कि वह प्रशासनिक मंत्रालय से आवेदकों के ब्यौरे जैसे पूर्ववृत, कार्यकलाप की प्रकृति, कार्य-निष्पादन, पिछले 5 वर्षों के लिए आडिट रिपोर्टें, राष्ट्रीय राजधानी में कार्यालय स्थापित करने की जरूरत और परियोजना के ब्यौरे हासिल करे और इन ब्यौरों तथा प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिशों के विश्लेषण के पश्चात् सचिव/शहरी विकास मंत्रालय को उपयुक्त आदेशों के लिए लिखित सिफारिश करे।

(घ) से (च) सरकार ने सिफारिशों पर विचार किया और सभी 32 मामलों, जिनके संबंध में समिति ने कुछ टिप्पणियां की है, को सलाह के लिए विधि मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई उनकी सलाह प्राप्त होने पर निर्भर करेगी।

(छ) और (ज) कोई नया कानून विचाराधीन नहीं है। तथापि, आबंटन के लिए आवेदनों की जांच को ज्यादा कारगर और आबंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा।

साहसिक खेल

*431. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :**
श्री अनन्त नायक :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में साहसिक खेलों की विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किए जाने सहित अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से खेलों की पहचान की गयी है;

(ग) क्या ऐसे साहसिक खेलों का विकास करने के लिए कोई विशेष रणनीति तैयार की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कौन-कौन से विश्वविद्यालयों में साहसिक खेलों को बढ़ावा दिया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए धनराशि का कितना आबंटन किया गया है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान साहसिक खेलों को बढ़ावा देने पर विश्वविद्यालय-वार कितनी धनराशि खर्च की गयी?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त) : (क) और (ख) जी, हां। भारत के पास अपने विविध भू-भाग के साथ साहसिक खेलों जैसे व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलूनिंग, स्कीइंग माउंटेन हाईकिंग, स्कूबा डाइविंग, एंगलिंग ट्रैकिंग और रोप क्लाइम्बिंग आदि के लिए बड़ी क्षमता है।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय ने देश में साहसिक पर्यटन को विकसित करने तथा फैलाने के लिए विभिन्न उपाय प्रारंभ किये हैं। इनमें जम्मू व कश्मीर तथा गोवा में क्रमश: स्कीइंग तथा पर्वतारोहण संस्थान एवं जलीय खेल संस्थान की स्थापना शामिल है। सिक्किम सरकार को साहसिक एवं पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए भारतीय हिमालय केन्द्र की स्थापना हेतु सहायता भी दी जा रही है। मंत्रालय हिमाचल में पैरा ग्लाइडिंग, मुम्बई में एफ 1 पावर बोट चैम्पियनशिप तथा भोपाल में एशियाई कैनोइंग चैम्पियनशिप में प्रतियोगिता को बढ़ावा दे रहा है। भारत को साहसिक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए तथा मार्केटिंग के लिए, एक ब्रोशर तैयार किया गया है तथा उसे अंतर्राष्ट्रीय दौरा प्रचारकों के लिए प्रकाशित किया गया है।

'साहसिक संवर्धन योजना' के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय साहसिक मनोरंजनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाओं और व्यक्तियों एवं संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। साहसिक संवर्धन योजना के अंतर्गत विभिन्न साहसिक कार्यक्रमों को प्रारंभ करने तथा साहसिक संवर्धन के लिए भारतीय पर्वतारोहण संस्थान नई दिल्ली, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) तथा जवाहर पर्वतारोहण संस्थान, पहलगांव (जम्मू व कश्मीर) को भी सहायता प्रदान की जाती है।

नेहरु युवा केन्द्र संगठन, जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का एक स्वायत्तशासी संगठन है, अपने तेनजिंग नोर्गे साहस शिविर पहल के अंतर्गत देश में साहसिक संवर्धन के लिए विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है।

साहस के संवर्धन के लिए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भूमि, समुद्र तथा वायु में साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि को उच्चतम राष्ट्रीय मान्यता के रूप में व्यक्तियों को तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भी प्रदान करता है। उन व्यक्तियों को जीवन पर्यंत उपलब्धि पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है जिन्होंने, व्यक्तिगत उत्कृष्टता के अलावा, साहसिक संवर्धन के उद्देश्य के लिए अपने आपको समर्पित कर दिया।

(ङ) विश्वविद्यालयों को निर्धारित सहायता के लिए कोई प्रावधान नहीं है, यद्यपि वे साहसिक संवर्धन योजना के अंतर्गत अनुदानों के पात्र हैं।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान (2002-2003 से आज की तारीख तक), निम्नलिखित विश्वविद्यालयों को साहसिक संवर्धन योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है:-

क्र. सं.	विश्वविद्यालयों के नाम	स्वीकृत धनराशि (रुपये में)	जारी की गई धनराशि (रुपये में)
1	2	3	4
1.	जम्मू व कश्मीर विश्वविद्यालय	50,000/-	50,000/-

1	2	3	4
2.	गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान (समकक्ष विश्वविद्यालय, डिंडीगल, तमिलाडु	5,00,000/-	3,75,000/-
3.	सी.सी.एस. कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा)	1,76,750/-	1,32,600/-
4.	बरहामपुर विश्वविद्यालय, उड़ीसा	2,25,000/-	1,68,750/-

[हिन्दी]

किसानों को मुआवजा

*432. **श्री रामदास आठवले :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सभी किसानों को मुआवजा दिया है जिनकी भूमि का अधिग्रहण भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने के लिए किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा अभी तक मुआवजे के रूप में, राज्यवार, कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(घ) प्रभावित किसानों को कितना मुआवजा दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) भारत सरकार ने, भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने के प्रयोजनार्थ अधिग्रहित को गई भूमि का मुआवजा संबंधित कृषकों को देने के लिए पंजाब सरकार को 7.00 करोड़ रु. और राजस्थान सरकार को 3.91 करोड़ रु. जारी किए हैं।

जम्मू और कश्मीर तथा गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सरकार, इन राज्यों से मुआवजे की अदायगी के लिए निधियों की मांग की प्रतीक्षा कर रही है।

भारत-चीन व्यापार

*433. **श्री मोहन सिंह :**
श्री जी.वी. हर्ष कुमार :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और इसके पश्चात् भारत और चीन के बीच (हजार डालर में) कितने मूल्य का आपसी व्यापार हुआ;

(ख) क्या भारत में चीनी प्रधानमंत्री के दौरे के पश्चात् भारत और चीन ने अपने व्यापारिक संबंधों का और अधिक विस्तार करने पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भारत और चीन के बीच एयर कार्गो के परिवहन में वृद्धि की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारत और चीन के बीच परस्पर व्यापार का मूल्य इस प्रकार है:-

(मूल्य हजार अमरीकी डालर में)

	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005 (अप्रैल-जनवरी)
सकल व्यापार	2988340	4767520	7008330	8914410

(ख) और (ग) जी, हां। चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की हाल में भारत यात्रा के दौरान दोनों देश वर्ष 2008 तक द्विपक्षीय व्यापार की यात्रा को 20 बिलियन अम. डालर तक अथवा अधिक बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास करने हेतु सहमत हुए थे।

(घ) और (ङ) चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की हाल में भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी सम्पर्क को मजबूत करने के महत्व को मान्यता भी दी और सीधे हवाई और समुद्री संपर्कों, पर्यटन

और व्यक्तिगत संपर्कों को और बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए सहमत हुए। संतुष्टि के साथ यह नोट किया गया था कि भारत और चीन के बीच नागर विमानन के व्यापक उदारीकरण के संबंध में एक समझौता ज्ञापन को यात्रा के दौरान अंतिम रूप दिया गया था।

[अनुवाद]

भारत में वैश्विक व्यापार केन्द्र

*434. श्री बाडिगा रामकृष्णा :
श्री ई. पोन्नुस्वामी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में वैश्विक व्यापार केन्द्र स्थापित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रों के कार्य की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए किस निगरानी एजेन्सी को नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में छह मुक्त व्यापार और भांडागार क्षेत्र (जोन) स्थापित करने की योजना बना रही है ताकि भारत को वैश्विक व्यापार केन्द्र बनाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसका विदेशी व्यापार पर क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा; और

(च) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है और इनके द्वारा कब तक कार्य आरंभ कर दिया जायेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) वर्ष 2004-09 की विदेश व्यापार नीति के अनुसार एमएमटीसी लि. ने छह मुक्त व्यापार एवं भांडागार जोनों की स्थापना को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया है।

(ग) से (च) चरणबद्ध रूप से स्थापित किए जाने वाले मुक्त व्यापार एवं भाण्डागार जोनों के लिए अस्थायी रूप से अभिज्ञात किए गए छह स्थान कांडला, नोएडा, मुम्बई, हल्दिया, कोच्ची तथा इन्नौर हैं। प्रत्येक भाण्डागार के लिए अनुमानित निवेश लगभग 100 करोड़ रुपए का होगा। इसमें विभिन्न उत्पादों के व्यापार एवं भंडारण के लिए विश्व श्रेणी की बुनियादी संरचनाओं के सृजन की परिकल्पना की गई है।

बांग्लादेश से लगी सीमा पर खेती

*435. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बांग्लादेश सीमा के निवासियों को बाड़ लगाए जाने के कार्य के कारण अपनी भूमि पर खेती करने में समस्याएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे के समाधान हेतु बांग्लादेश के साथ यह मामला उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) कुल मिलाकर, भारत-बांग्लादेश सीमा के निवासियों को बाड़ लगाने के चल रहे कार्य के कारण अपनी भूमि पर खेती करने में कोई समस्या नहीं आ रही है। उन निवासियों, जिनकी भूमि बाड़ और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में पड़ती है, की सहज आवाजाही के लिए उपयुक्त स्थानों पर गेट बनाए गए हैं। इन गेटों को खोलने और बन्द करने का समय स्थानीय लोगों के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन के साथ परामर्श करके तय किया जाता है। तथापि, आपतिक स्थिति में, बी.एस.एफ. के गार्ड, जो प्रत्येक गेट पर तैनात होता है, द्वारा किसी भी समय गेट खोले जा सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ-साथ रहने वाले निवासियों को बी.एस.एफ. द्वारा आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

दक्षिण एशियाई देशों का सम्मेलन

*436. **श्री खारबेल स्वाईं** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हैदराबाद में दक्षिण एशियाई देशों के कृषि-विशेषज्ञों की कृषि क्षेत्र पर वैश्वीकरण और विश्व व्यापार संगठन की नीतियों के प्रभावों पर चर्चा करने हेतु बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि पर विश्व व्यापार संगठन की नीतियों का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े कुछ ठोस कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केन्द्र (सीईएसएस), हैदराबाद ने मार्च, 2005 में दक्षिण एशिया में कृषि के वैश्वीकरण पर एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन (सार्क) का आयोजन किया था। भारत, भूटान, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने गोल मेज बैठक में भाग लिया था।

(ग) और (घ) कृषि संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत भारत ने अपने प्राथमिक कृषि उत्पादों को 100%, प्रसंस्कृत खाद्य को 150% और कुछ खाद्य तेलों के 300% की दर से शुल्क निर्धारित करने की वचनबद्धता की है। आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के बाद भारत ने स्किम्ड दुग्ध पाउडर, मक्का, चावल, गेहूं और बाजरा जैसे कुछेक कृषि उत्पादों, जो पूर्ववर्ती वार्ताओं के दौरान 0% अथवा निम्न दरों पर वचनबद्ध थे, के बारे में ऊर्ध्वगामी टैरिफ दरें निर्धारित करने हेतु वार्ताएं की हैं।

भारत से कृषि क्षेत्र के लिए घरेलू सब्सिडियाँ कम करने की अपेक्षा नहीं की गई है क्योंकि सकल सहायता उपाय (एएमएस) (उत्पाद विशिष्ट) नकारात्मक है और वह समग्र एएमएस न्यूनतम निर्धारित सीमा के भीतर है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के कृषकों को कोई कठिनाई न हो, सरकार ने संवेदनशील मदों के आयात पर निगरानी रखने के लिए एक उचित तंत्र लागू किया है और वह डब्ल्यूटीओ के अनुरूप विभिन्न उपायों जिनमें निर्धारित स्तरों के भीतर लागू टैरिफ का उचित अंशांकन और कतिपय विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में रक्षोपाय कार्रवाई शामिल हैं, का सहारा लेकर घरेलू उत्पादकों को उचित संरक्षण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

इसके अतिरिक्त, सरकार भारतीय किसानों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए अनेक विकासात्मक कार्यक्रम भी चला रही है। इस कार्यक्रमों में उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी की शुरूआत करना, जल, ऋण एवं उर्वरक समेत उन्नत निविष्टियों की उपलब्धता और न्यूनतम समर्थन कीमत (एमएसपी) स्कीम तथा बाजार हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) के जरिए कीमत सहायता प्रदान करना शामिल हैं।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

*437. श्री नवजोत सिंह सिद्धू :
श्री डी. विट्ठल राव :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने व्यापार और गैर-टैरिफ संबंधी बाधाओं को दूर करने हेतु एक संयुक्त अध्ययन समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अध्ययन समूह ने दोनों देशों के बीच व्यापार सहयोग हेतु कोई दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा व्यापार में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार को पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने हेतु कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। भारत और पाकिस्तान ने नवम्बर, 2004 में इस्लामाबाद में दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों की हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में दोनों देशों के वाणिज्य सचिव स्तर पर एक संयुक्त अध्ययन दल (जेएसजी) का गठन किया है। जेएसजी की पहली बैठक 22-23 फरवरी, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। सीमाशुल्क सहयोग तथा व्यापार सुविधा और गैर टैरिफ बाधाओं के संबंध में दो उप दलों का गठन भी किया गया था।

(ग) और (घ) सीमाशुल्क सहयोग एवं व्यापार सुविधा संबंधी उप दल की बैठक जेएसजी की प्रथम बैठक के साथ-साथ 22 फरवरी, 2005 को आयोजित की गई थी तथा उसके विचारार्थ विषयों (टीओआर)

पर पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की गई थी। यह उप दल प्रशासनिक मामलों, उद्गम संबंधी नियमों में सीमाशुल्क सहयोग, सीमाशुल्क प्रक्रियाओं के सुमेलीकरण तथा सूचना के आदान-प्रदान, तकनीकी सहायता, क्षमता विनिर्माण, मूल्यांकन इत्यादि से जुड़े मुद्दों पर विचार करेगा। जेएसजी के गठन से द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होने की आशा है क्योंकि दोनों देश गैर-टैरिफ बाधाओं तथा सीमाशुल्क सहयोग से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे।

(ङ) और (च) जी, हां। सरकार को देश के विभिन्न शीर्ष मंडलों एवं व्यापार तथा उद्योग जगत से अभ्यावेदनों के जरिए अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ सुझाव निम्नानुसार हैं:-

(1) व्यापार की सकारात्मक सूची में और अधिक मदों को जोड़ने हेतु पाकिस्तान से अनुरोध करना;

(2) भू-मार्गों को खोलना;

(3) अफगानिस्तान, इराक इत्यादि जैसे तीसरे देशों को भारतीय वस्तुओं के पारगमन की सुविधाएं प्रदान करना;

(4) एक संयुक्त व्यापार परिषद का गठन करना;

(5) संयुक्त आयोग को पुनरूज्जीवित करना; और

(6) संयुक्त उद्यमों इत्यादि के तहत निवेश को बढ़ावा देना।

सरकार ने इन सुझावों को पाकिस्तान की सरकार के साथ विभिन्न चर्चाओं/बैठकों में उठाया है। दोनों देशों ने संयुक्त आर्थिक आयोग को यथा संभव शीघ्र पुन: सक्रिय करने का निर्णय लिया है तथा संयुक्त व्यापार परिषद का गठन करने के लिए भी सहमति प्रदान की है।

बांग्लादेश से लोगों का आना

*438. श्री भर्तृहरि महताब : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश से भारत में हिन्दुओं के आने की खबरें हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और उसके पश्चात् आज तक कितने हिन्दू भारत आए;

(ग) उनके आने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जांच और नियंत्रण के बावजूद सीमा के ऊबड़-खाबड़ और सुभेद्य स्वरूप के कारण हिन्दू समुदाय से संबंधित बांग्लादेशी राष्ट्रिकों की देश में घुसपैठ की रिपोर्टें हैं।

(ख) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) भारत में बांग्लादेशी राष्ट्रिकों की घुसपैठ, स्थानिक समस्या है और इस घुसपैठ में जातीय, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक जैसे कई कारक अंतर्निहित है।

(घ) बांग्लादेश से अवैध प्रवासन को रोकने के लिए सरकार ने इस मुद्दे को नियमित रूप से विभिन्न मंचों पर बांग्लादेश सरकार के साथ उठाया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने देश में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कई उपाय भी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल, भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात सीमा चौकसी बल को मजबूत बनाना और उन्हें आधुनिक और अधुनातन उपकरणों/गैजट्स से सज्जित करना; सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करना; सीमा चौकियों के बीच के अंतर को कम करना; गश्त तेज करना; सीमा सड़कों के निर्माण और सीमा पर बाड़ लगाने के कार्यक्रम में तेजी लाना; निगरानी उपकरणों का प्रावधान आदि करना शामिल है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को भी निदेश दिया गया है कि वे विदेशियों विषयक अधिनियम (असम के मामले में आई एम डी टी अधिनियम) का कड़ाई से पालन करें। भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने तथा उन्हें उनके देश वापस भेजने के लिए विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ग) के अधीन शक्तियों को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी राष्ट्रिकों सहित विदेशी राष्ट्रिकों को तत्काल उनके देश वापस भेजने के लिए उनका पता लगाने हेतु विशेष अभियान चलाने के लिए उन्हें समय-समय पर प्रशासनिक निर्देश भी जारी किए जाते हैं।

लघु चाय उत्पादकों की समस्याएं

*439. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में लघु चाय उत्पादकों को पेश आ रही समस्याओं का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार किया गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में चाय उत्पादकों को समर्थन मूल्य और अन्य प्रोत्साहनों के रूप में कितनी राशि दी गई;

(घ) क्या लघु चाय उत्पादकों के सहायतार्थ चाय उद्योग को कोई विशेष पैकेज देने का विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) विशेष तौर पर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उनकी बिखरी हुई लघु आकार की जोतों के कारण लघु चाय उपजकर्ता कुल मिलाकर असंगठित हैं। उपजकर्ताओं के लिए फसल की देखभाल करने की उत्तम प्रथाओं के संबंध में उचित तकनीकी सहायता प्राप्त करना कठिन मालूम होता है। चूंकि लघु उपजकर्ताओं के पास अपनी स्वयं की प्रसंस्करण सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए उन्हें अपनी हरी पत्तियों को सीधे अथवा पत्ती एकत्रकर्त्ता एजेंटों के माध्यम से निजी क्रीत पत्ती कारखानों अथवा संपदा कारखानों को बेचना पड़ता है। गत वर्ष मूल्य हिस्सेदारी फार्मूला लागू किये जाने तक लघु चाय उपजकर्ता निर्मित चाय के विनिर्माताओं से अपनी हरि पत्ती के लिए उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर रहे थे। बहुत से छोटे चाय उपजकर्ताओं के पास विशेषत: उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उचित भूमि स्वामित्व कागजात भी नहीं हैं।

(ख) लघु चाय उपजकर्ताओं की सहायता के लिए सरकार और चाय बोर्ड द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्मित चाय के लिए विनिर्माता द्वारा प्राप्त की गई कीमत का उचित हिस्सा लघु चाय उपजकर्ताओं को प्राप्त हो, 1 अप्रैल, 2004 से चाय के विनिर्माताओं और लघु चाय उपजकर्ताओं के बीच एक कीमत हिस्सेदारी फार्मूले को कार्यान्वयन। कीमत हिस्सेदारी फार्मूले में हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों जहां हिस्सेदारी 52 : 48 के अनुपात में है, को छोड़कर सभी चाय उपजकर्ता राज्यों में हरी चाय पत्ती आपूर्तिकर्ता ओर विनिर्माता के बीच बिक्री आय की 60 : 40 के अनुपात में हिस्सेदारी की तब तक परिकल्पना की गई है जब तक विनिमार्ताओं द्वारा प्राप्त कीमतें राज्य के औसत की तुलना में औसत के बराबर अथवा कम रहती हैं। जब कीमत वसूली राज्य की औसत कीमत से अधिक हो जाएगी तो उसके अन्तर को 50 : 50 के अनुपात में हिस्सेदारी करनी आवश्यक होगी।

2. फरवरी से मई, 2004 तक चार महीने की अवधि के लिए लघु चाय उपजकर्ताओं के लिए एक कीमत सब्सिडी स्कीम का कार्यान्वयन जिसमें 10-12 हेक्टेयर तक की जोत वाले लघु चाय उपजकर्ताओं को निर्मित चाय के लिए अधिकतम 8 रुपए प्रति किग्रा. सब्सिडी (जो हरी चाय पत्ती के लिए लगभग 2 रुपए प्रति किग्रा. के बराबर होगी) के भुगतान की परिकल्पना की गई थी।

3. एक विशेष चाय अवधि ऋण (एसटीटीएल) का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें चाय क्षेत्र में बकाया आवधिक/कार्यशील पूंजी ऋणों के अनियमित हिस्से की पुनर्संरचना/पुनः चरणबद्ध करने की परिकल्पना की गई है जिसके वापसी भुगतान की अवधि लघु चाय उपजकर्ताओं के लिए एक वर्ष की स्थगन अवधि के साथ 5 से 7 वर्ष है। एसटीटीएल में लघु चाय उपजकर्ताओं के लिए अधिकतम 9% वार्षिक ब्याज की रियायती दर पर 2 लाख रुपए तक कार्यशील पूंजी स्वीकृत करने की व्यवस्था भी है।

(ग) लघु चाय उपजकर्ताओं के लिए कोई समर्थन कीमत प्रदान नहीं की जाती है क्योंकि चाय की कीमत मांग और आपूर्ति की स्थिति से निर्धारित होती है। विभिन्न विकास कार्यकलापों जैसे नवरोपण, पुनर्रोपण, नवीकरण, कटाई-छंटाई और रिक्तियों को भरने, सिंचाई सुविधाएं सृजित करने में स्व-सहायता समूहों को संगठित करने, अध्ययन दौरों में भाग लेने आदि के लिए लघु उपजकर्ताओं को सब्सिडी और सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु चाय उपजकर्ताओं को प्रदान की गई सब्सिडियां और अन्य प्रोत्साहन इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष के लिए रोपण संबंधी कार्यकलाप के लिए सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता (लाख रुपए में)			
		2002-03	2003-04	2004-05#	कुल
1.	असम एवं त्रिपुरा	198.23	229.46	129.46	557.15
2.	बिहार	95.30	32.66	8.13	136.09
3.	हिमाचल प्रदेश	4.54	1.68	4.97	11.19
4.	केरल	14.50	6.18	3.67	24.35
5.	मणिपुर	9.34	22.49	5.10	36.93
6.	मेघालय	5.22	4.36	2.75	12.33
7.	मिजोरम	—	—	0.52	0.52
8.	नागालैंड	285.76	181.97	274.38	742.11
9.	तमिलनाडु	88.85	50.47	80.58	219.90
10.	पश्चिम बंगाल	2.47	0.43	140.21	143.11
	कुल	704.21	529.70	649.77	1883.68
	अन्य प्रोत्साहन	124.62	53.33	147.12	325.07
	कीमत सब्सिडी	—	—	2085.76	2085.76
	कुल जोड़	828.83	583.03	2882.65	4294.51

#अनंतिम।

कीमत सब्सिडी के वितरण के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

राज्य	वितरित की गई सब्सिडी की राशि (लाख रुपये में)
असम	9.39
पश्चिम बंगाल	11.32
हिमाचल प्रदेश	0.90
द. भारत	2064.15
जोड़	2085.76

(घ) और (ङ) दिनांक 16 और 17 सितम्बर, 2004 को आयोजित चाय से संबंधित पणधारकों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने चाय बोर्ड के अन्दर लघु उपजकर्ता विकास निदेशालय की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त किया है जो लघु क्षेत्र के विकास और विनियमन के लिए उत्तरदायी होगा। इस निदेशालय के जरिए लघु उपजकर्ताओं को उत्पादक सोसाइटियों में संगठित होने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। ऐसी सोसाइटियां लघु उपजकर्ताओं द्वारा उत्पादित चाय के लिए गुणवत्ता अनुरूपता और कीमत वसूली तथा क्षेत्र से निर्यात निष्पादन बढ़ाने पर लक्षित निदेशालय के विस्तार कार्यकलापों के लिए केन्द्र बिन्दुओं के रूप में कार्य करेगी।

अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में परिसंघों की भागीदारी

***440. प्रो. एम. रामदास : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में विभिन्न परिसंघों द्वारा भागीदारी बढ़ाने के लिए एक संगठनात्मक ढांचा बनाने या विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहनों सहित प्रतिभा खोज तथा प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) खेल राज्य अकादमी, मनोरंजन खेल तथा साहसिक खेलों की स्थापना के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त) : (क) भारत के संविधान में खेल "राज्य मंत्री" का विषय है, केन्द्र सरकार को किसी भी खेल के मामले पर कानून बनाने का अधिकार नहीं. है। खेल परिसंघ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी निकाय हैं और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता उनके वार्षिक कलेंडर और प्रत्येक खेल विधा के लिए दीर्घकालिक विकास योजना पर निर्भर करता है।

(ख) खेल संवर्धन, प्रतिभा खोज और संबंधित गतिविधियां मुख्यत: राष्ट्रीय खेल परिसंघों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार उनके प्रयासों को निम्नलिखित तरीके से बढ़ावा देती है:-

1. संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों, भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञ/वैज्ञानिकों से परामर्श लेते हुए विभिन्न खेलविधाओं के लिए दीर्घावधिक विकास योजनाओं (एल.टी.डी.पी.) को अंतिम रूप देना और उनका कार्यान्वयन करना।

2. खिलाड़ियों को उपस्कर और वैज्ञानिक सहायता का प्रावधान।

3. प्रशिक्षण शिविरों में भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना।

4. विदेशों में टीमों और भारतीय प्रशिक्षकों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना।

5. अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खिलाड़ियों की सहभागिता के लिए संबंधित परिसंघों को वित्तीय सहायता देना।

6. उत्कृष्ट लड़के और लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि वे पोषण आहार, खेल उपस्कर समर्थन पा सकें और खेलों को जीविका के रूप में अपना सकें। खेल संबंधी विषयों में अनुसंधान के लिए महिलाओं को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

7. "प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण" तथा "राष्ट्रीय खेल विकास निधि" से संबंधित योजना के अंतर्गत देश और विदेश में उपस्करों की खरीद, वैज्ञानिक सहायता और प्रशिक्षण तथा सहभागिता के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

8. युवावस्था में खेलों को व्यापक आधार देने और प्रतिभा का पता लगाने के लिए सरकार "सेना बाल खेल कंपनी योजना" (ए.बी.एस.सी.) के अंतर्गत सेना की सहायता कर रही है। वर्ष 2004-05 के दौरान विद्यमान आठ सेना बाल खेल कंपनी के अतिरिक्त दस और ए.बी.एस.सी. को मंजूरी दी गई है।

9. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता योजना में शामिल करने के लिए हाल ही में 25 नवोदय विद्यालय अनुमोदित किए गए हैं।

(ग) राज्य खेल अकादमी की योजना के अंतर्गत आरंभ में पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, जम्मू व कश्मीर और केरल राज्य से समर्थन प्राप्त हुआ था लेकिन उनसे कोई पक्का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। उड़ीसा सरकार ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। "साहस का संवर्धन" एक योजना है जिनके अंतर्गत व्यक्तियों सहित मान्यता प्राप्त संस्थाओं और संगठनों को साहस के संवर्धन और साहस संबंधी मनोरंजक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना

4605. श्री पी. करुणाकरन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान क्रियान्वित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या परिणाम हासिल हुए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। कीमत स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) 500 करोड़ रुपए की मूल धनराशि से चाय, काफी, रबड़ और तम्बाकू के उपजकर्ताओं के लाभ के लिए स्थापित की गई है जिसमें 482.88 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार द्वारा अंशदान के रूप में और 500 रुपए प्रति उपजकर्ता की दर से भागीदार उपजकर्ताओं द्वारा वापस न किये जाने वाले प्रारंभिक अंशदान के रूप में 17.12 करोड़ रुपए शामिल हैं। निधि की मूल धनराशि को उपयोग नहीं किया जाएगा ओर केवल ब्याज की आय को कीमत स्थिरीकरण निधि स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह स्कीम उपजकर्ताओं और सरकार, सरकार के बीच भागीदारी स्कीम है जो संकट की अवधियों के दौरान निकासियों के प्रावधान सहित सामान्य/बढ़ोतरी/संकट की अवधियों पर निर्भर करते हुए उपजकर्ताओं और सरकार से प्राप्त अंशदानों के सिद्धांत पर आधारित है। अभी तक इस स्कीम के अंतर्गत 30,605 उपजकर्ताओं को नामांकित किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। पीएसएफ स्कीम अप्रैल, 2003 से चालू हुई है। चाय, काफी और रबड़ के संबंध में वर्ष 2003 के लिए कीमत स्पैक्ट्रम बैंड की घोषणा की गई थी जिसके आधार पर 31 मार्च, 2004 तक नामांकित सदस्यों के संबंध में लेन-देन का दायित्व निर्धारित किया गया था। वर्ष 2004 के लिए कीमत स्पैक्ट्रम बैंड की भी हाल में घोषणा कर दी गई है।

भारत सरकार के मुद्रणालयों को बंद/ स्थानांतरित किया जाना

4606. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारत सरकार के कुछ मुद्रणालयों/पाठ्य पुस्तक मुद्रणालयों/भारत सरकार प्रपत्र भण्डार-गृह तथा सहायक निदेशक (ओ.पी.) का कार्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को बंद/स्थानांतरित करने संबंधी निर्णय की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में भारत सरकार लेखन-सामग्री कार्यालय, कोलकाता के गठन पर कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में जी.आई.एस.ओ., कोलकाता हेतु बजट अनुदान बढ़ाने की मांग पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख)सरकार के दिनांक 16.8.2002 के निर्णय के तहत मुद्रणालयों/यूनिटों को बंद करने/स्थानांतरण करने संबंधी निर्णय की इस समय सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) व्यय सुधार आयोग ने भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, कोलकाता को बंद करने की सिफारिश की है। तथापि, इस मंत्रालय ने उक्त आयोग की सिफारिश स्वीकार नहीं की है। भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, कोलकाता को बनाए रखने संबंधी मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जा रहा है।

(ङ) और (च) भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, कोलकाता के लिए बजट अनुदान में वृद्धि करने संबंधी मामला संगठन को बंद करने के बारे में व्यय सुधार आयोग की सिफारिश से जुड़ा है तथा बंद करने/जारी रखने संबंधी अन्तिम निर्णय लिए जाने पर ही इस पर विचार किया जा सकता है।

दि.वि.प्रा. द्वारा भूमि आवंटन

4607. श्री कैलाश बैठा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने अप्रवासी भारतीय डाक्टरों द्वारा एक नर्सिंग होम का निर्माण किए जाने हेतु वर्ष 1977 में मस्जिद मोठ, दिल्ली में उन्हें भूमि आवंटित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या अप्रवासी भारतीय डाक्टरों द्वारा उक्त नर्सिंग होम का निर्माण किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या दि.वि.प्रा. ने वाणिज्यिक उपयोग हेतु उस भूमि का प्रयोग-प्रयोजन बदल दिया है तथा उस भूमि पर एक वाणिज्यिक काम्पलेक्स का तेजी से निर्माण हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इस भूमि का प्रयोग-प्रयोजन बदलने के क्या कारण हैं; और

(च) किसी भूमि का प्रयोग-प्रयोजन बदलने के संबंध में दि.वि.प्रा. की नीति क्या है और इसके पास भूमि का प्रयोग-प्रयोजन बदलने हेतु कितने आवेदन लंबित पड़े हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि वर्ष 1977 में मस्जिद मोठ में नर्सिंग होम के निर्माण के लिए अनिवासी भारतीय डाक्टरों को कोई भूमि आवंटित नहीं की गई थी। तथापि, 1976 में नर्सिंग होम के लिए एक प्लाट की नीलामी की गई थी जो केवल अनिवासी भारतीयों तक सीमित नहीं थी। नीलामी खरीदार ने अब तक नर्सिंग होम का निर्माण नहीं किया है।

(घ) से (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि निष्पादित पट्टा विलेख की शर्तों व निबंधनों के अनुसार परिवर्तन प्रभार लेने के बाद पट्टाकर्त्ता को भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार दिया जा सकता है। तदनुसार नीलामी खरीदार के अनुरोध पर दिल्ली विकास प्रधिकरण ने परिवर्तन प्रभार लेने के बाद वर्ष 2000 में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भू-उपयोग नर्सिंग होम से बदलकर सामान्य वाणिज्यिक कर दिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि भू-उपयोग परिवर्तन का कोई आवेदन उनके पास लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

4608. श्री बापू हरी चौरे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी विकास और प्रबंधन नीति समस्याएं और आवश्यकताएं विषय पर कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रगति मैदान में आयोजित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्मेलन में पूरे देश से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था; और

(घ) उक्त सम्मेलन कितने दिनों के लिए आयोजित हुआ था और इसमें किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गयी तथा उन पर क्या निर्णय लिए गए?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) शहरी विकास मंत्रालय ने ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित नहीं किया है। तथापि, जैसा कि एक प्राइवेट संगठन, गुड गवर्नेस इंडिया फाउंडेशन द्वारा सूचित किया गया है, उन्होंने 3-5 मार्च, 2005 तक प्रगति मैदान में "शहरी विकास तथा प्रबंधन कार्यनीतियां-समस्याएं एवं सम्भावनाएं" पर चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सम्मेलन में शहरी विकास, प्रबंधन, सुशासन, ई-गवर्नेस, सम्पत्ति मार्केट समस्याओं, आवासीय सुधारों, अवस्थापना प्रौद्योगिकियों तथा आवासीय, टाउनशिप व अवस्थापना की डिजाइन, निर्माण और रखरखाव में भागीदारी संबंधी मामलों पर चर्चा की गई तथा केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा विकास, प्रबंधन व शासन में इनका उपयोग करने के लिए योजनाएं बनाई गई।

[अनुवाद]

छोटे और मझौले शहरों के समेकित विकास हेतु निधियां

4609. कुंवर मानवेन्द्र सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार छोटे और मझौले शहरों के समेकित विकास हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आबंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को दी जाने वाली धनराशि का निर्माण करने हेतु कोई मानदंड निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस संबंध

में राज्यों को जनसंख्या और / अथवा क्षेत्रफल के आधार पर निधियां मुहैय्या कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्ष 2005-06 के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) छोटे तथा मझोले कस्बों की एकीकृत विकास स्कीम (आईडीएसएमटी) के अंतर्गत राज्यों को आबंटित केन्द्रीय सहायता, 1991 की जनगणना अनुसार इन कस्बों में अखिल भारत की शहरी आबादी में छोटे तथा मझोले कस्बों (5 लाख तक की आबादी वाले) में राज्य की शहरी आबादी की प्रतिशतता के आधार पर होती है। इसके अलावा, राज्यों में आईडीएसएमटी स्कीम के निष्पादन को भी धनराशि जारी करते समय ध्यान में रखा जाता है।

संघ शासित प्रदेशों के लिए केन्द्रीय सहायता वार्षिक रूप से उनके लिए निर्धारित धनराशि की उपलब्धता की शर्त पर दिशानिर्देश में विनिर्दिष्ट वित्तपोषण पद्धति के अनुसार मुहैया कराई जाती है।

(च) आईडीएसएमटी स्कीम के अंतर्गत 2005-06 के लिए 100.00 करोड़ रु. का राज्यवार नियतन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कुल नियतन (आईडीएसएमटी) 100.00 करोड़ रु.

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	धनराशि का नियतन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8.52
2.	बिहार	3.86
3.	छत्तीसगढ़	1.95
4.	गोवा	0.30
5.	गुजरात	5.17
6.	हरियाणा	2.19
7.	हिमाचल प्रदेश	0.28
8.	जम्मू-कश्मीर	0.61
9.	झारखंड	2.38
10.	कर्नाटक	5.96
11.	केरल	4.08
12.	मध्य प्रदेश	5.51
13.	महाराष्ट्र	8.43
14.	उड़ीसा	2.70
15.	पंजाब	2.38
16.	राजस्थान	4.72
17.	तमिलनाडु	8.59
18.	उत्तरांचल	0.97
19.	उत्तर प्रदेश	11.54
20.	पश्चिम बंगाल	8.51
21.	केन्द्र शासित प्रदेश	0.40
22.	पूर्वोत्तर राज्य (राज्यों को आबंटित राशि का 10%)	9.85
आईडीएसएमटी के अंतर्गत अनुदान— मुख्य शीर्ष 3601 व 3602		98.90

1	2	3
	आईडीएसएमटी के अंतर्गत अनुदान— मुख्य शीर्ष 3601 व 3602	1.10
	आईडीएसएमटी के अंतर्गत कुल केन्द्रीय सहायता	100.00

टिप्पणी:

*दिल्ली और चंडीगढ़ आईडीएसएमटी दिशानिर्देशों के तहत पात्र नहीं हैं। क्योंकि उपर्युक्त प्रत्येक शहर में आबादी 1991 की जनगणना अनुसार 5 लाख से अधिक थी।

**नियतन मानदंड : 1991 की जनगणना अनुसार इन कस्बों में अखिल भारत की शहरी आबादी में 5 लाख तक के कस्बों में राज्य की शहरी आबादी की प्रतिशतता (-) पूर्वोत्तर और संघ शासित प्रदेशों की आबादी

=

5 लाख तक की आबादी वाले कस्बों में राज्य की शहरी आबादी × 100

---

5 लाख तक की आबादी वाले कस्बों में अखिल भारत की शहरी आबादी (-) पूर्वोत्तर व संघ शासित प्रदेश की आबादी

[हिन्दी]

राजस्थान में नेहरू युवा केन्द्र

4610. श्री कैलाश मेघवाल :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में राजस्थान में कार्यरत नेहरू युवा केन्द्रों की स्थानवार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् इन केन्द्रों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों तथा राज्य में इन केन्द्रों के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गांधी ग्रामोद्योग संकल्प अभियान और अन्य योजनाओं द्वारा क्या उपलब्धियां हासिल की गयी हैं तथा उक्त संगठन के विभिन्न कार्यालयों द्वारा उन पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त) : (क) वर्तमान में राजस्थान में 30 नेहरू युवा केन्द्र कार्यरत हैं। स्थानावार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद उनके निष्पादन सहित नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के ब्यौरे की एक सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) (1) गांधी ग्रामोद्योग संकल्प अभियान के अंतर्गत राजस्थान में सभी नेहरू युवा केन्द्रों (30) ने 2 अक्तूबर, 2004 से 8 अक्तूबर, 2004 तक जागरुकता रैलियां, साक्षरता अभियान, स्वच्छता अभियान, टीकाकरण शिविर, सर्वधर्म प्रार्थनाएं आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित करके आत्मनिर्भर सप्ताह का आयोजन किया। चयनित गांवों में बेसलाइन वर्से का भी आयोजन किया गया तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण तथा अधिकारिता से संबंधित विकासात्मक जरूरतों की पहचान की गयी।

बहुत से चयनित गांवों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

कुछ संबंधित सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों और कार्यक्रमों के साथ अभिसरण तथा संपर्क स्थापित किए गए हैं।

योजना के अंतर्गत, ग्राम समुदाय की क्षमता विकसित करने के लिए विभिन्न मध्यस्थताओं तथा आवश्यकता आधारित गतिविधियों/कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राजस्थान में 30 केन्द्रों को 12.00 लाख रुपये की कुल धनराशि (अर्थात् 40,000/- रुपये प्रति केन्द्र) आबंटित की गई है जिसे वर्ष के दौरान 2 अक्तुबर, 2005 तक खर्च किया जाएगा।

(2) अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियां तथा 2001-02 से 2003-04 तक के दौरान उन पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

राजस्थान में नेहरू युवा केन्द्रों का ब्यौरा

1. जालौर
2. पाली

3. सिरोही

4. राजसमंद

5. उदयपुर

6. भीलवाड़ा

7. चित्तौड़गढ़

8. डूंगरपुर

9. बांसवाड़ा

10. झालावाड़

11. बारन

12. कोटा

13. बूंदी

14. सवाई माधोपुर

15. टोंक

16. जैसलमेर

17. बाड़मेर

18. जोधपुर

19. बीकानेर

20. नागौर

21. श्रीगंगानगर

22. चुरू

23. झुंझुनू

24. सीकर

25. जयपुर

26. अजमेर

27. अलवर

28. दौसा

29. भरतपुर

30. धौलपुर

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके प्रदर्शन सहित राजस्थान में केन्द्रों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा

गांधी ग्रामोदय संकल्प अभियान

इस कार्यक्रम के लिए, राजस्थान में 30 केन्द्रों के लिए 12.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(I) नियमित कार्यक्रम

वर्ष	निश्चित लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य	लाभार्थियों की संख्या		
			पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6
1. युवा क्लब विकास कार्यक्रम					
2002-03	90	88	2150	308	2458
2003-04	90	90	1830	256	2086
2004-05	90	82	1918	321	2339
2. व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम					
2002-03	120	145	987	2285	3272
2003-04	120	137	1892	1702	3594
2004-05	120	318	1867	5271	7138
3. जागरूकता अभियान					
2002-03	90	89	18572	4963	23535

1	2	3	4	5	6
2003-04	90	77	14500	4434	18934
2004-05	90	85	12929	4116	17045
4. कार्य शिविर					
2002-03	90	87	2107	217	2324
2003-04	90	95	2853	120	2973
2004-05	90	84	2123	51	2174
5. खेल संवर्धन कार्यक्रम					
2002-03	90	134	35947	11898	47845
2003-04	90	167	9937	1336	11273
2004-05	90	105	20015	2766	22781
6. कार्यशालाएं तथा सेमिनार					
2002-03	30	41	6512	5156	11668
2003-04	30	62	2384	837	3221
2004-05	30	25	1639	612	2251
7. सांस्कृतिक कार्यक्रम					
2002-03	90	87	39512	25474	64986
2003-04	90	87	15524	9635	25159
2004-05	90	75	52859	30579	83438
8. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस/सप्ताह मनाना					
2002-03	360	672	58996	27984	86980
2003-04	360	700	40627	23026	63653
2004-05	360	981	87015	36157	123172
9. साहस का संवर्धन कार्यक्रम					
2002-03	60	97	1186	246	1432
2003-04	60	45	1222	28	1250
2004-05	60	42	942	60	1002

2. नेहरू युवा केन्द्र संगठन के जरिए कार्यान्वित की गई युवा कार्यक्रम और मंत्रालय की योजनाएं

(i) राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक

वर्ष	तैनाती
2002-03	153
2003-04	220
2004-05	180

(ii) युवा विकास केन्द्र

वर्ष	खोले गए
2002-03	01
2003-04	शून्य
2004-05	शून्य

(iii) उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार

वर्ष	पुरस्कृत युवा क्लब		
	जिला स्तर	राज्य स्तर	राष्ट्रीय स्तर
2002-03	14	1	1
2003-04	10	1	शून्य
2004-05	21	1	शून्य

(iv) युवा क्लबों को वित्तीय सहायता

वर्ष	शुरू किए गए नये युवा क्लब
2002-03	62
2003-04	06
2004-05	19

(v) ग्रामीण खेल क्लब

वर्ष	शुरू किए गए नये ग्रामीण खेल क्लब
2002-03	9
2003-04	शून्य
2004-05	शून्य

(vi) ग्रामीण सूचना प्रौद्योगिकी युवा विकास केन्द्र

वर्ष	स्थापित किए गए नये ग्रामीण सूचना प्रौद्योगिकी युवा विकास केन्द्र
2002-03	शून्य
2003-04	शून्य
2004-05	03

3. विशेष कार्यक्रम/गतिविधियां

1. आपदा राहत कार्रवाई
2. विलेज टाक एड्स
3. कश्मीरी ग्रामीण युवा संस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम
4. विश्व तम्बाकू रहित दिवस मनाना
5. विश्व जनसंख्या दिवस पर युवा दौड़
6. विश्व एड्स दिवस मनाना
7. तम्बाकू निरोधक गतिविधियां
8. राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस
9. गांधी जयंती तथा आत्मनिर्भर ग्राम सप्ताह मनाना

विवरण-III

2001-02 से 2003-04 तक दौरान योजनाओं पर राजस्थान के केन्द्रों द्वारा व्यय

क्र. सं.	जिले का नाम	उपयोग 2001-02	उपयोग 2002-03	उपयोग 2003-04
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	58470	63528	78922
2.	बांसवाड़ा	59672	75065	59684
3.	बाड़मेर	44088	87844	72016
4.	भरतपुर	10000	25000	138485
5.	भीलवाड़ा	71465	109000	96207
6.	बीकानेर	38364	51000	39100
7.	बूंदी	48364	48612	86980
8.	चित्तौड़गढ़	74021	107515	88002
9.	चुरू	97423	87870	89432
10.	डूंगरपुर	17965	35165	79166
11.	जयपुर	30000	0	36419
12.	जैसलमेर	49840	65000	73741
13.	जौधपुर	54380	68155	98886
14.	जालौन	25240	78941	79000
15.	सवाई माधोपुर	48920	39515	64000

1	2	3	4	5
16.	सिरोही	25892	141337	39043
17.	टोंक	56030	95628	93528
18.	उदयपुर	68165	82420	110667
19.	अलवर	94304	85337	136200
20.	कोटा	23844	0	18000
21.	पाली	33392	137735	74776
22.	धौलपुर	50556	31389	52998
23.	नागौर	69657	73000	115330
24.	सीकर	0	66097	60320
25.	झुंझुनू	68789	74096	464000
26.	झालावाड़	0	0	64776
27.	श्रीगंगानगर	17174	65000	101000
28.	राजसमंद	51751	157442	113128
29.	बारन	23705	0	52280
30.	दौसा	61446	52420	44932
31.	आरसी-जौधपुर	0	65194	0
32.	आरसी-सवाई माधोपुर	0	53625	0
33.	आरसी-अजमेर	0	0	0
	कुल	1372917	2122930	2721018

[अनुवाद]

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बीमा की सुविधा

4611. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/हैल्परों का बीमा किया गया है; और

(ख) इस नई योजना के अंतर्गत अब तक कार्य की राज्यवार कितनी प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) और (ख) अभी तक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना में शामिल हुई कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्कीम में शामिल होने की इच्छुक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की संख्या	स्कीम में शामिल होने की इच्छुक आंगनवाड़ी सहायिकाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	48555	46446
2.	अरुणाचल प्रदेश	सूचना प्राप्त नहीं हुई	
3.	असम	सूचना प्राप्त नहीं हुई	
4.	बिहार	सूचना प्राप्त नहीं हुई	
5.	छत्तीसगढ़	37686	37686
6.	गोवा	1709	1709
7.	गुजरात	सूचना प्राप्त नहीं हुई	
8.	हरियाणा	446	387

1	2	3	4
9.	हिमाचल प्रदेश	5941	4919
10.	जम्मू और कश्मीर	4721	4311
11.	झारखंड	15666	14922
12.	कर्नाटक	36349	33027
13.	केरल	19133	16345
14.	मध्य प्रदेश	सूचना प्राप्त नहीं हुई	
15.	महाराष्ट्र	64497	0
16.	मणिपुर	3917	3850
17.	मेघालय	668	553
18.	मिजोरम	138	117
19.	नागालैंड	1498	1270
20.	उड़ीसा	39446	0
21.	पंजाब	8635	4975
22.	राजस्थान	31894	30801
23.	सिक्किम	494	456
24.	तमिलनाडु	18329	11194
25.	त्रिपुरा	3619	3561
26.	उत्तर प्रदेश	सूचना प्राप्त नहीं हुई	
27.	उत्तरांचल	सूचना प्राप्त नहीं हुई	
28.	पश्चिम बंगाल	11283	10721
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	200	52
30.	चण्डीगढ़	256	249
31.	दिल्ली	3682	3433
32.	दादरा व नगर हवेली	137	137
33.	दमन व दीव	50	45
34.	लक्षद्वीप	74	74
35.	पांडिचेरी	868	868
	कुल	359891	232108

[हिन्दी]

प्रौढ़ शिक्षा

4612. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में प्रौढ़ जनजातीय महिलाओं को प्रौढ़शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एवं उसके पश्चात् केन्द्र सरकार, द्वारा कितनी सहायता मुहैया करायी गयी है; और

(ग) राज्य में प्रौढ़ जनजातीय महिलाओं की जिलावार संख्या कितनी है जो शिक्षित हो चुकी है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय गुजरात में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चला रहा है। इस कार्यक्रम में अन्यों के साथ-साथ जनजातीय महिलाएं भी शामिल हैं।

(ख) गुजरात में इस कार्यक्रम को चलाने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	धनराशि
1	2
2002-03	17,20,35,250/-

1	2
2003-04	15,95,54,500/-
2004-05	5,61,10,241/-
कुल	38,76,99,991/-

(ग) अनुसूचित जनजातीय महिलाओं के संबंध में अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्ष 2003 हेतु गुजरात राज्य में जिलावार कुल अनुसूचित जनजातीय लाभार्थियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	कवर किए गए अनुसूचित जनजाति लाभार्थि
1	2	3
1.	गांधीनगर	132
2.	अहमदनगर	12342
3.	मेहसाणा	681
4.	बांसकंठा	16072
5.	पंचमहल	199710
6.	बहरुच	81468
7.	सुरत	180000
8.	वलसाद	96838
9.	डांग्स	25613
10.	सुरेन्द्रनगर	1309
11.	जूनागढ़	615
12.	भावनगर	1432
13.	साबरकंठा	43475
14.	खेड़ा	2207
15.	वड़ोदरा	160511
16.	वड़ोदरा एमसी क्षेत्र	15768
17.	राजकोट	156
18.	अमरेली	107
19.	जामनगर	366
20.	भुज कच्छ	19027
21.	सूरत एमसी क्षेत्र	5459
22.	खेड़ा फेस-II	0
23.	100 टीक्यूएस गुजरात विद्यापीठ	0
24.	एमसी अहमदाबाद शहर	7724
	कुल	871012

[अनुवाद]

आतंकवादियों के साथ पुलिस मुठभेड़

4613. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें पुलिस ने लश्कर-ए-तैएबा के आतंकबादियों को मार गिराया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2004 और 2005 के दौरान हुई इस प्रकार की मुठभेड़ों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। 2004 और 2005 (22 अप्रैल तक) वर्षों के दौरान मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं:-

मुठभेड़ की तारीख	मारे गए आतंकवादी का नाम	उस संगठन का नाम जिसके लिए कार्य कर रहा था
29.4.2004	(1) जगतार सिंह उर्फ जग्गा उर्फ दीपक	खालिस्तान फोर्स
	(2) रविन्द्र उर्फ रवि	
17.8.2004	(1) अबीद उर्फ विक्की	लश्कर-ए-तैयबा
5.3.2005	(1) बिलावल, रावल पिन्डी, पाकिस्तान का निवासी	लश्कर-ए-तैयबा
	(2) शाहनवाज, सिंधु, पाकिस्तान का निवासी	
	(3) शमस उर्फ परवेज अहमद पटना, बिहार का निवासी	

राष्ट्रीय रीयल एस्टेट विकास नीति

4614. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय रीयल एस्टेट विकास नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अध्येयतावृत्ति

4615. **श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण :**

श्री हरिभाऊ राठौड़ :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित एम.फिल. और पी.एच.डी. करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) उक्त योजना से राज्यवार कितने विद्यार्थियों के लाभान्वित होने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) अभी तक नहीं, महोदय।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि

4616. **श्री रनेन बर्मन :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-2005 और 2005-2006 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के लिए वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी किए गए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार 1993-94=100) के त्वरित अनुमान के संदर्भ में मापी गयी सम्पूर्ण औद्योगिक वृद्धि अप्रैल-फरवरी, 2004-2005 के दौरान बढ़कर 8.1 प्रतिशत तक हो गयी इसकी तुलना में 2003-2004 की इसी अवधि में यह वृद्धि 6.9 प्रतिशत थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डी.आई.जैड क्षेत्र, गोल मार्केट में झुग्गियां

4617. मो. मुकीम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में डी.आई.जैड. क्षेत्र, गोल मार्केट में कितनी झुग्गियां हैं और वे कहां-कहां पर हैं;

(ख) वर्ष 1998, 2000, 2002 और 2004 में कराये गए सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक स्थान पर कितनी झुग्गियां थीं; और

(ग) डी.आई.जैड. क्षेत्र, गोल मार्केट, नई दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से झुग्गियों को अन्यत्र ले जाने हेतु घोषणा की विभिन्न तिथियां कौन-कौन सी हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) डीआईजैड क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर झुग्गियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) भूमि तथा विकास कार्यालय और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दोनों ने यह सूचित किया है कि उन्होंने झुग्गियों के पुनर्स्थापन के लिए कोई घोषणा नहीं की है।

विवरण-I

	स्थान	झुग्गियों की संख्या
(i)	कालीबाड़ी र्मापर एनडीएससी जल आपूर्ति नियंत्रण कक्ष के सामने उद्यान मार्ग, डीआईजैड एरिया ब्लांक 54-58	233
(ii)	कालीबाड़ी मार्ग पर एनडीएससी जल आपूर्ति नियंत्रण कक्ष के समीप/पीछे की ओर सी-33, जेजे कैम्प	115
(iii)	राष्ट्रपति संपदा क्वांटर टी-1, कालीबाड़ी मार्ग, डीआईजैड एरिया, गोल मार्किट की ओर	60
(iv)	सेवारत कार्मिकों के लिए आरएमएल अस्पताल तथा एनडीएमसी को आबंटित प्लाट सं. एबीसी और राष्ट्रपति संपदा स्टाफ क्वार्टर (जी प्वाइंट)	105

विवरण-II

	स्थान	झुग्गियों की संख्या		
		2000 तक	2002 तक	2004 तक
1	2	3	4	5
(i)	ब्लांक न. 54-58, कालीबाड़ी मार्ग, डीआईजैड एरिया, गोल मार्किट के सामने राजीव गांधी कैम्प	225	225	233
(ii)	कालीबाड़ी मार्ग पर एनडीएमसी जल आपूर्ति नियंत्रण कक्ष के समीप/पीछे के ओर सी-33, जेजे कैम्प	115	115	115
(iii)	राष्ट्रपति संपदा क्वांटर टी-1, कालीबाड़ी मार्ग, डीआईजैड एरिया, गोल मार्किट की ओर	60	60	60

1	2	3	4	5
(iv)	सेवारत कार्मिकों के लिए आरएमएल अस्पताल तथा एनडीएमसी को आबंटित प्लाट सं. एबीसी और राष्ट्रपति संपदा स्टाफ क्वार्टर	60	60	105
(v)	से. 4 डीआईजैड एरिया (राजा बाजार) गोल मार्किट में एनडीएमसी पॉलीक्लीनिक के पीछे	200	200	–
(vi)	से. 4 डीआईजैड एरिया (राजा बाजार) गोल मार्किट में यूनियन अकाडमी स्कूल, एच एस स्कूल के समीप का स्थान	650	650	–
(vii)	राष्ट्रपति संपदा क्वाटर टी-1, कालीबाड़ी मार्ग, डीआईजैड एरिया, गोल मार्किट के सामने	50	–	–
(viii)	जैन मंदिर और केलोमिवि पूछताछ केन्द्र से. 4 राजा बाजार, गोल मार्किट के बीच का स्थान	100	100	–
(ix)	पेशवा रोड पर ईएसएस के समीप सीजीएचएस डिस्पेंसरी का प्लांट	40	–	–
(x)	पेशवा रोड पर एनडीएमसी प्राथमिक विद्यालय के समीप कन. शॉपिंग का प्लाट	3	3	–
(xi)	सेंट कोलम्बस स्कूल, गोल मार्किट में भाई वीर सिंह मार्ग पर पेट्रोल पम्प के समीप सी-107 में झुग्गी कैम्प	165	165	–

[अनुवाद]

चल औषधालय योजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

4618. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में आदिवासियों हेतु चल औषधालय योजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों को संवितरण हेतु कोई आवर्ती अनुदान लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) गैर-सरकारी संगठनों को भुगतान कब तक किया जाएगा?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) से (ग) जी, हां। राज्य सरकार की अनुशंसा के अभाव में, जिसकी अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है, एकीकृत विकास अभिकरण, रेयुपेट, नंदीगामा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश को स्वीकृत चल औषधालय के अनुरक्षण एवं संचालन के लिए आवर्ती खर्च के समक्ष वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 का सहायतानुदान लंबित है। राज्य सरकार से आपकी अनुशंसा शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही प्रस्ताव पर स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

नवजात शिशु स्तनपान संबंधी दिशानिर्देश

4619. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवजात शिशु और शिशु स्तनपान संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार किए गए थे और फील्ड अवसंरचना के माध्यम से उनके कार्यान्वयन हेतु उन्हें राज्यों को परिचालित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्यों द्वारा इन दिशानिर्देशों को उचित रूप से कार्यान्वित किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में राज्यों द्वारा किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा उनके समाधान हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) जी, हां। दिनांक 6 अगस्त, 2004 को जारी किए गए शिशुओं एवे छोटे बच्चों के आहार संबंधी राष्ट्रीय दिशा-निर्देश सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस अनुरोध के साथ भेजे गए थे कि वे इनके संबंध में कार्य योजना तैयार करें तथा विभिन्न पक्षों के बीच इनका प्रचार करें।

(ख) इन दिशा-निर्देशों में उद्देश्य, दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य, स्तनपान तथा पूरक आहार के संबंध में सही मानक, कठिन परिस्थितियों में आहार संबंधी निर्देश तथा शिशुओं एवं छोटे बच्चों हेतु उपयुक्त आहार के संवर्धन संबंधी परिचालनात्मक दिशा-निर्देश शामिल किए गए हैं।

(ग) से (ङ) कुछेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी से उत्तर प्राप्त होने हैं।

पांचवें अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी

4620. श्री गिरिधर गमांग : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में वन क्षेत्रों, विशेषकर पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा हेतु विधेयक तैयार किया है;

(ख) क्या संबंधित मंत्रालयों और विभागों और पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों वाले संबंधित राज्यों से भी वनों में आदिवासियों के अधिकारों के संबंध में परामर्श किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित विधेयक को संसद में कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) से (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय को जनजातीय समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय के निराकरण एवं उनके वैध वन्य अधिकारों की स्पष्ट पुष्टि के लिए अनुसूचित जनजाति (वन्य अधिकारों को मान्यता) विधेयक तैयार करने का अधिदेश हुआ है। इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस पर कार्यवाही की जा चुकी है।

(ग) जहां तक संसद में विधेयक को पेश करने का संबंध है, इस समय कोई समय-सीमा इंगित नहीं की जा सकती।

सरकारी कॉलोनियों में खतरनाक सरकारी फ्लैट

4621. श्री ए. वेंकेटेश नायक : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संपदा निदेशालय/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी कॉलोनियों विशेषकर सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में अनेक सरकारी फ्लैटों को रहने के लिए खतरनाक घोषित किया गया है/किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन फ्लैटों को खतरनाक घोषित किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन फ्लैटों के आवंटियों से फ्लैट खाली करवाए बिना आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके इन त्रुटिपूर्ण फ्लैटों की उचित मरम्मत/नवीकरण पर विचार किया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा प्रभावित आवंटियों के सुरक्षित और सुचारू स्थानांतरण सहित उन्हें आस-पास उपयुक्त वैकल्पिक फ्लैट आवंटित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) फ्लैटों को संरचनात्मक खराबी और सामान्य टूट-फूट आदि के कारण खतरनाक घोषित किया गया है जो कि अधिभोगियों के जान-माल को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

(घ) कोई भी क्षति पाए जाने पर केलोनिवि द्वारा तुरन्त मरम्मत कार्य किया जाता है। किसी फ्लैट को खाली करना तभी अपेक्षित होता है जब उसकी दशा ऐसी हो कि अधिभोग के दौरान उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती हो। सामान्य मरम्मत कार्यों को समुचित प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा फ्लैटों के अधिभोग के दौरान भी किया जाता है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं।

(च) सरोजनी नगर में खतरनाक घोषित किए गए 26 क्वार्टरों में से, कवार्टर संख्या डीजी 973 से लेकर डीजी 988 में रह रहे 16 आबंटियों को वैकल्पिक आवास का प्रस्ताव दिया गया है। खतरनाक घोषित किए गए अन्य क्वार्टर खाली पड़े हैं।

विवरण

खतरनाक घोषित किए गए क्वार्टरों का ब्यौरा

क्र. सं.	क्षेत्र	टाईप "ए"	टाईप "बी"	टाईप "सी"	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	सरोजनी नगर	–	–	26	26
2.	प्रोबिन रोड	–	–	14	14
3.	देव नगर	–	–	03	03
4.	लोधी रोड परिसर	–	107	04	111
5.	आराम बाग	–	036	–	036
6.	एम.बी. रोड	135	464	–	599
7.	अलीगंज	266	–	–	266
8.	तिमार पुर	–	007	–	007
9.	सादिक नगर	–	002	–	002
10.	डी आई जेड एरिया	–	017	–	017
11.	लक्ष्मी बाई नगर	–	001	–	001
12.	किदवई नगर	–	002	–	002
13.	नौरोजी नगर	–	004	–	004
14.	श्रीनिवास पुरी	–	001	–	001

भूख से मौतें

4622. श्री सनत कुमार मंडल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में भुखमरी के कारण राज्यवार कितने आदिवासी बच्चों की मौत की रिपोर्ट मिली है; और

(ख) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों में जनजातीय कार्य मंत्रालय में किसी भी राज्य से जनजातीय बच्चों की भूख से हुई मौत संबंधी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, दूरस्थ और पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों की मौतों को रोकने के उपाय करने हेतु केन्द्रीय योजना समिति द्वारा चयनित क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों के जनजातीय ग्रामों में पोषक मानकों में गिरावट से सुरक्षा देकर वर्ष 1996-97 के दौरान प्रायोगिक आधार पर अन्न बैंक योजना शुरू की गई थी। इस योजना को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

आयरन स्क्रैप

4623. श्री सुकदेव पासवान : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काशीपुर, उत्तरांचल में एक स्टील फैक्ट्री में हाल ही में जिन्दा शैल्स पाए गए हैं;

(ख) क्या फैक्ट्रियां/आयातकर्ता अभी भी ऐसे स्क्रैप का आयात कर रहे हैं जिसमें जिन्दा शैल्स पाये गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्टील फैक्ट्रियां स्क्रैप के आयात में सरकारी मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आयातकर्ताओं और संबंधित अधिकारियों के बीच पत्तनों और अन्तर्देशीय कार्गो डिपुओं में किसी सांठगांठ का भंडाफोड़ किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) मैसर्स एस.जी. स्टील्स, काशीपुर की एक फैक्ट्री में गोले पाए गए थे जिसमें एक श्रमिक फैक्ट्री में कुछ स्क्रैप काटते समय 22.12.2004 को हुए एक विस्फोट में मारा गया था। बाद में मौके का निरीक्षण करने के दौरान पुलिस ने 671 छोटी और 131 बड़ी मिसाइलें तथा 1200 कारतूस बरामद किए थे। तत्पश्चात, फैक्ट्री से बरामद किए गए जीवित मिसाइलों को निष्क्रिय करने हेतु एनएसजी के साथ इस मामले को उठाया गया था।

(ख) से (च) स्क्रैप के आयात की अनुमति प्रक्रिया पुस्तिका, 2004-09 के पैरा 2.32 में निहित प्रावधानों के आधार पर दी जाती है। इन प्रावधानों के अंतर्गत आयात के लिए प्रक्रिया पुस्तिका के परिशिष्ट-5 में सूचीबद्ध जांचकर्ता एजेंसी से एक पोत लदान-पूर्व निरीक्षण प्रमाण-पत्र लेना अपेक्षित है। स्क्रैप के आयात के लिए 21 बन्दरगाह विनिर्दिष्ट हैं। स्क्रैप के आयात की प्रक्रिया का अनुपालन समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 18.10.2004 के सीमाशुल्क परिपत्र सं. 56/2004-कस्टम के अनुसार किया जा रहा है। यदि किसी उल्लंघन का पता लगता है तो संबंधित अधिकारी धात्विक स्क्रैप की खेप की निकासी इसके अधिनिर्णय के पश्चात ही कर सकता है। सरकार के ध्यान में आयातकों और पत्तन तथा अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपुओं के अधिकारियों के बीच किसी मिलीभगत का मामला नहीं लाया गया है।

नेबरहुड स्कूल प्रोग्राम के अन्तर्गत कॉमन स्कूल

4624. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री विजय कृष्ण :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा दी गई सलाह के अनुसार नेबरहुड स्कूल प्रोग्राम के अन्तर्गत कॉमन स्कूल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

उर्दू भाषा

4625. श्री मो. ताहिर :
मोहम्मद शाहिद :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्दूभाषी राज्यों के कुछ ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया है जहां पर उर्दू माध्यम से शिक्षण प्रणाली को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे क्षेत्रों के लिए उर्दू भाषा के शिक्षकों की भर्ती हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस समय राज्यवार कितने उर्दू शिक्षण संस्थान हैं; और

(च) सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान इन संस्थानों को कुल कितनी धनराशि का वितरण किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (च) सरकार "भाषा शिक्षकों की नियुक्ति" संबंधी योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के रूप में असम के 323 ब्लॉकों तथा 4 जिलों के लिए उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है। यद्यपि उर्दू शिक्षण संस्थाओं के संबंध में ऐसे किसी आंकड़े का राष्ट्रीय स्तर पर राज्य-वार रखरखाव नहीं किया जाता है, अतः संलग्न विवरण के अनुसार योजना के अंतर्गत 2004-2005 के दौरान 3289 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 325.26 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	निर्मुक्त की गई राशि	अध्यापकों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	51.12	290
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.60	05
3.	बिहार	43.20	360
4.	दिल्ली	0.60	05
5.	गुजरात	8.40	70
6.	हरियाणा	1.20	10
7.	कर्नाटक	6.60	55
8.	झारखंड	7.80	65
9.	केरल	10.20	85
10.	मध्य प्रदेश	1.80	15
11.	महाराष्ट्र	3.00	25
12.	राजस्थान	5.40	45
13.	तमिलनाडु	1.20	10
14.	पश्चिम बंगाल	63.60	530
15.	उत्तर प्रदेश	34.80	290
	कुल	239.52	1860
	उर्दू भाषा पढ़ाने वाले वर्तमान शिक्षकों को मानदेय	85.74	1429
	कुल योग	325.26	3289

[अनुवाद]

व्यावसायिक शिक्षा

4626. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए यूएस संकल्पना का अध्ययन करने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा कब तक रिपोर्ट दिए जाने की संभावना है; और

(ग) भारतीय छात्रों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को इस बदली हुई व्यावसायिक शिक्षा संबंधी नीति से कितना लाभ होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्री ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सामुदायिक कॉलेजों की भूमिका से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली में सामुदायिक कॉलेजों को शुरू करने के लिए व्यावहारिकता, वांछनीयता तथा पैरामीटरों के संबंध में अपनी राय देने के लिए एक समिति गठित की है। समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

[हिन्दी]

दिल्ली और हरियाणा में पौधारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा

4627. श्री सज्जन कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार विशेष परियोजना के अंतर्गत दिल्ली और हरियाणा में पौधारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए दिल्ली और हरियाणा में किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) इस परियोजना के लिए कितने वित्तीय संसाधन जुटाए जा रहे हैं और इस परियोजना के कब तक आरंभ होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह बताया है कि वे केवल दिल्ली में अपने क्षेत्राधिकार के अधीन हरित क्षेत्रों में पौधारोपण करते हैं न कि हरियाणा में। पौधारोपण का कार्य डीडीए के नियंत्रणाधीन मास्टर प्लान के हरित क्षेत्रों, जिला पार्कों, समूह आवास पार्कों, प्रतिवेशी पार्कों तथा वन क्षेत्रों में किया जा रहा है।

(ग) समय-समय पर वार्षिक बजट में प्रावधान की गयी दिल्ली विकास प्राधिकरण की अपनी धनराशि का उपयोग उसके पार्कों के विकास/पौधारोपण स्कीमों के लिए किया जा रहा है।

[अनुवाद]

नागरिकों के लिए शौचालय

4628. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री नकुलदास राई :

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लाखों लोगों को शौचालय की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) भारत की जनगणना, 2001 के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 14,110,936 परिवारों के पास कोई शौचालय नहीं है।

(ग) कम लागत सफाई स्कीम के अंतर्गत, एक केन्द्र प्रवर्तित स्कीम शुष्क शौचालयों को दो-गड्ढों वाले जलवाही शौचालयों में परिवर्तित किया जाता है तथा जहां कोई शौचालय नहीं होता, वहां नई यूनिटें बनाई जाती हैं। यह स्कीम केवल 5 लाख तक की आबादी वाले शहरी कस्बों तक सीमित है। इसके अलावा, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना (वाम्बे) के एक घटक, निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी स्लमों के लिए समुदाय शौचालय बनाए जा रहे हैं।

शहरी निर्धनों संबंधी राष्ट्रीय नीति

4629. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में शहरी निर्धनों संबंधी राष्ट्रीय नीति की शुरूआत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ज्ञान केंद्र

4630. श्री राजनरायन बुधौलिया :
श्री हरिभाऊ राठौड़ :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान केंद्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन ज्ञान केंद्रों के क्या उद्देश्य हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन केंद्रों की स्थापना के लिए कितना आवंटन किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) ज्ञान केंद स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास नहीं है।

भारत से आतंकवादियों को प्रत्यावासित करना

4631. **श्री पंकज चौधरी :**

श्री संतोष गंगवार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अन्य देशों विशेषकर मॉरीशस, बहरीन, तजाकिस्तान और म्यांमार के साथ आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को प्रत्यावासित करने हेतु तथा आतंकवाद से लड़ने के लिए किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे करार के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारत सरकार ने मॉरीशस, बहरीन तथा तजाकिस्तान के साथ प्रत्यार्पण संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये संधियां संबंधित देशों से भारत को तथा विलोमत: आतंकवादियों और अन्य अपराधियों के प्रत्यार्पण हेतु कानूनी ढांचा उपलब्ध करवायेंगी।

(ग) ये संधियां संबंधित सरकारों द्वारा अनुसमर्थन प्रक्रिया पूरी कर लेने के पश्चात लागू होंगी।

आई ए एस/आई पी एस के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग

4632. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने उम्मीदवारों को भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग दी गई है;

(ख) इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान परीक्षा में कितने प्रतिशत उम्मीदवार सफल हुए?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एवं उसके उपरांत इस मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति के 642 विद्यार्थियों को सिविल सेवाओं के लिए कोचिंग कराने के लिए 38.23 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। जहां तक सफल अभ्यर्थियों के प्रतिशत का प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक सरकार ने सिविल सेवाओं सहित सभी पाठ्यक्रमों में क्रमश: 13.33% एवं 8.1% सफलता-दर की सूचना दी है। इस उद्देश्य के लिए वित्तपोषित अन्य राज्य सरकारों एवं अभिकरणों ने सफल अभ्यर्थियों की सफलता-दर शून्य बताई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महिला आयोग

4633. **श्रीमती पी. सतीदेवी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग के पास राज्य महिला आयोगों के कार्यकरण के अनुवीक्षण संबंधी कोई प्रणाली है;

(ख) क्या राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा को केन्द्रीय मंत्री का संवैधानिक दर्जा दिया गया है;

(ग) क्या राज्य महिला आयोगों के कार्यकरण की प्रणाली में एकरूपता है;

(घ) इस समय राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष कुल कितने मामले लम्बित हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा समन प्राप्त करने के बावजूद आयोग में उपस्थित न होने वाले व्यक्तियों को दंड देने के लिए महिला आयोग अधिनियम में दांडिक उपबंध का प्रावधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) राज्य-स्तरीय महिला आयोग संबंधित राज्य सरकारों के स्वतंत्र निकाय हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का राज्य-स्तरीय महिला आयोगों पर कोई नियन्त्रण नहीं है।

(ख) राज्य-स्तरीय महिला आयोग संबंधित राज्य सरकारों के कार्याधिकार क्षेत्र में आते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग राज्य सरकारों द्वारा राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों को प्रदत्त दर्जे के बारे में सूचना नहीं रखता है।

(ग) राज्य महिला आयोग संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों के अंतर्गत गठित किए गए हैं। ये कानून अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं।

(घ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचित किया है कि उन्होंने समस्त शिकायतों पर संज्ञान लिया गया है, परन्तु कुछेक ऐसे मामले हैं, जिनमें संबंधित संगठनों से रिपोर्टें प्राप्त होनी हैं। 1 जनवरी, 2002 से 31 मार्च, 2005 तक आयोग के समक्ष लम्बित ऐसी शिकायतों की संख्या 8776 है।

(ङ) इस पहलू का ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में संशोधन भी सरकार के विचाराधीन हैं।

मालवीय नगर मुख्य बाजार की संपर्क सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था

4634. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालवीय नगर मुख्य बाजार से खिड़की एक्सटेंशन की ओर जाने वाली संपर्क सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो क्या मालवीय नगर समुदाय अस्पताल और राजकीय बाल/बालिका विद्यालय के सामने वाली सड़क पर सूर्यास्त के पश्चात घनघोर अंधेरा व्याप्त हो जाता है;

(ग) क्या हाल ही में इस सड़क पर चेन झपटने और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की कई घटनाएं हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सड़क पर "स्ट्रीट लाइटों" की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या इस क्षेत्र की अन्य सड़कों और पड़ोसी क्षेत्र साकेत में भी यही स्थिति विद्यमान है; और

(च) यदि हां, तो इन सभी स्थलों पर प्रकाश की व्यवस्था कब तक किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने यह सूचित किया है कि उक्त क्षेत्रों में प्रकाश की व्यवस्था असंतोषजनक नहीं है।

(ग) पुलिस आयुक्त (दिल्ली) ने यह सूचित किया है कि वर्ष 2004 और 2005 (31.3.2005 तक) के दौरान इस सड़क पर चैन झपटने और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है। तथापि, इस अवधि के दौरान क्रमशः साकेत में एक मामले तथा मालवीय नगर में चैन झपटने के तीन मामलों की सूचना मिली थी। पुलिस प्राधिकारियों द्वारा तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(घ) पुलिस आयुक्त, दिल्ली ने यह सूचित किया है कि घोर अपराधियों की गतिविधियों की नियमित निगरानी करने, बाजारों और लड़कियों के स्कूल के समीप पीकेट/सादे कपड़ों में पुलिस के सिपाहियों की तैनाती, नियमित डिविजन और पुलिस गश्त, मोटर साईकिल तथा पीसीआर गश्त आदि जैसी विभिन्न निवारक कार्रवाईयां की गई हैं।

(ङ) और (च) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि साकेत के नजदीकी क्षेत्रों के प्रकाश की व्यवस्था असंतोषजनक नहीं है।

[हिन्दी]

डेयरी उत्पादों का निर्यात

4635. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
मोहम्मद शाहिद :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान केसीन के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्यात के माध्यम से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ग) क्या डेयरी क्षेत्र ने 2004-05 के दौरान निर्यात लक्ष्यों को बढ़ा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे निर्यातकों के लिए क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान केसीन, केसिनेट्स और केसीन की अन्य व्युत्पत्तियाँ केसिन ग्लू के निर्यात का मूल्य निम्नानुसार है:-

वर्ष	मूल्य करोड़ रुपए में
2001-2002	123.74
2002-2003	124.90
2003-2004	76.83
2004-2005 (अप्रैल-सित.)	52.63

स्रोत: डीजीसीआईएस

(ग) जी, हां। वर्ष 2004-05 के दौरान दुग्ध उत्पादों के निर्यात के लिए 165 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2004-05 (अप्रैल-जन.) के दौरान निर्यात 309.06 करोड़ रुपए के हुए थे।

(घ) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अनेक स्कीमें चलाता है जिनके अंतर्गत निर्यातकों को बाजार विकास, अवस्थापना विकास, गुणवत्ता उन्नयन, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। नए बाजार खोलने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का निर्यात

4636. श्री तथागत सत्पथी :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्यान्नों का निर्यात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह तब तक खाद्यान्न निर्यात नहीं करेगी जब तक एक भी कुपोषण का मामला मौजूद रहेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में रिपोर्ट किए गए कुपोषण के मामलों की संख्या कितनी है;

(च) क्या इस प्रतिबन्ध से खाद्यान्नों की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि हुई है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) सरकार खाद्यान्नों का सीधा निर्यात नहीं करती है परंतु निर्यातकों द्वारा खाद्यान्न के निर्यात को सुकर बनाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

चाय उद्योग में श्रमिक

4637. श्री जोवाकिम बखला :
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न चाय उत्पादक जिलों में चाय श्रमिकों की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए उपाय किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने चाय उद्योग में कार्य कर रहे श्रमिकों की समस्याओं की जांच के लिए किसी समिति अथवा बोर्ड का गठन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (घ) चाय बागान श्रमिकों के सामने विभिन्न कठिनाइयां आ सकती हैं। ऐसी सूचनाएं हैं कि कतिपय मामलों में सांविधिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार के मामलों में कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। तथापि, 16 एवं 17 सितम्बर, 2004 को नई दिल्ली में भारतीय चाय उद्योग के समक्ष चुनौतियों पर आयोजित पणधारकों के सम्मेलन में श्रम संबंधी मुद्दों समेत चाय के बारे में व्यापक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। सरकार ने उन पणधारकों के सम्मेलन में की गयी सिफारिशों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए एक चाय सलाहकार समिति का गठन किया है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा बसों को जब्त करना

4638. श्री रघुनाथ झा :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के नियमों को उल्लंघन करने के कारण सैकड़ों बसों को जब्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन बसों की संख्या कितनी हैं जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी बिना इलेक्ट्रोनिक गति नियंत्रक के चल रही हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात् दिल्ली में डी टी सी, ब्लू लाइन बस, आर टी वी और भारी वाहनों द्वारा पृथक-पृथक कितने व्यक्तियों को मारा गया;

(घ) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 853 बसें।

(ग) वर्ष 2002, 2003, 2004 के दौरान और 31 मार्च, 2005 तक दिल्ली में बसों, आर टी वी और अन्य भारी वाहनों द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(घ) घातक सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में ड्राइवरों के विरुद्ध मामले दर्ज किए जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और कानून की उचित धाराओं के अधीन उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाता है तथा उनके ड्राइविंग लाइसेंसों को निलम्बित/रद्द किया जाता है। ऐसी दुर्घटनाओं में संलिप्त बसों को जब्त भी किया जाता है तथा उनके परमिटों को निलम्बित/रद्द किया जाता है। 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा 232 बसों के परमिट निलंबित किए गए थे और 11 बसों के परमिट रद्द किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 243 ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द किए गए थे।

(ङ) दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

क्र. सं.	बसों के प्रकार/अन्य भारी वाहन	मारे गए व्यक्ति			
		2002	2003	2004	2005 (31 मार्च तक)
1	2	3	4	5	6
1.	ब्लू लाइन बसें	30	66	79	46

1	2	3	4	5	6
2.	चार्टर्ड बसें	197	184	155	12
3.	डी टी सी बसें	29	36	57	8
4.	मिनी बसें/आर टी वी	47	48	29	19
5.	डी टी सी के तहत बसें	13	—	—	—
6.	अन्य राज्यों की बसें	9	20	18	2
7.	स्कूल बसें	3	0	2	0
8.	एच टी वी/मालवाहक	295	314	295	59
9.	टैंकर्स	7	18	21	3
10.	टैम्पों	126	115	108	28
11.	ट्रैक्टर्स	28	44	34	9

विवरण-II

I. दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमः

1. सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शराब पीकर गाड़ी चलाने, लापरवाही से गाड़ी चलाने, नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने, लाल बत्ती लांघने, तेज गति से गाड़ी चलाने इत्यादि के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करना;

2. लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए पाए जाने वाले चालकों को गिरफ्तार करना; दुर्घटनाओं में शामिल बसों के परमिट/लाइसेंसों को रद्द करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण को सिफारिश भेजना;

3. घातक सड़क दुर्घटनाओं में शामिल बसों के परमिट/लाइसेंसों को रद्द करने के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण को सिफारिश भेजना;

4. डी टी सी, प्राइवेट बसों, आर टी वी और ब्लू लाईन बसों इत्यादि के विरुद्ध विशेष अभियोजन अभियान चलाना;

5. विभिन्न महत्वपूर्ण पैरामीटरों पर सड़क दुर्घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करने के लिए सड़क दुर्घटना विश्लेषण प्रणाली आधारित कंप्यूटर की शुरुआत करना और ब्लैक स्पॉट्स की पहचान करना;

6. दिल्ली के महत्वपूर्ण हिस्सों में विवाद रहित यातायात परिचालन योजनाओं की शुरुआत करना;

7. धीमी गति से चलने वाले यातायात से तेज गति से चलने वाले यातायात को अलग करना;

8. दुर्घटनाओं संभावित सड़कों पर केन्द्रीय छोरों (सेन्ट्रल वर्जेज) में अंतराल को बंद करना;

9. शहरी सड़कों पर बस बे, येल्लो बॉक्स, बस बॉक्सिज इत्यादि का प्रावधान करना;

10. दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में यातायात सिग्नलों/ब्लिन्करों की शुरुआत करना;

11. दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती करना;

12. सुभेद्य दुर्घटना वाली जगहों पर चल गश्त और ग्रुप चैकिंग;

13. उनके बीच बेहतर सड़क अनुशासन पैदा करने की दृष्टि से बस ऑपरेटरों के बीच सड़क सुरक्षा साहित्य का वितरण करना। दिल्ली की सड़कों पर रक्षात्मक रूप से गाड़ी चलाने, लेन में गाड़ी चलाने, गोल चक्कर पर गाड़ी चलाने और सामान्य यातायात नियमों का पालन करने पर विशेष जोर दिया जाता है;

14. विभिन्न प्रकार की बसों के पेशेवर चालकों को प्रशिक्षण देना;

15. सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण गतिविधियों और बस ऑपरेटरों/चालकों के पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न स्थानों पर चल प्रदर्शनी वाहन ले जाना; और

16. वाहनों, विशेष रूप से भारी वाणिज्यिक वाहनों, मालवाहक और यात्री दोनों के लिए निर्धारित गति सीमाओं को लागू करना।

II. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के परिवहन विभाग द्वारा उठाए गए कदम :

1. एम.सी. मेहता बनाम यू ओ आई और अन्यों (सी डब्ल्यू पी सं. 13029/85) के मामले में जारी भारत के उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्देशों तथा घातक दुर्घटनाओं के संबंध में कोर्ट्स आन इट्स ओन मोशन के मामले में (अपराध याचिका सं. 207/04) पर दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों का कार्यान्वयन।

2. दिल्ली यातायात पुलिस की सिफारिश पर घातक दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों के परमिटों को निलम्बित/रद्द करना।

3. दिल्ली यातायात पुलिस की सिफारिश पर घातक दुर्घटनाओं में शामिल ड्राइवरों के ड्राईविंग लाइसेंसों को निलम्बित/रद्द करना।

4. राज्य परिवहन प्राधिकरण ने परिवहन वाहन के परमिट हेतु नई शर्त जोड़ी है जिसके अनुसार यदि कोई परिवहन वाहन अपने मियाद अवधि में दो घातक दुर्घटनाओं में शामिल होता है, तो उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा।

5. दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार परिवहन वाहनों के परमिट के लिए एक नई शर्त भी जोड़ी जा रही है जो निम्नानुसार है:-

"यदि कोई भारी वाहन दिल्ली से गुजरता है अथवा दिल्ली में चलाया जा रहा है, तो वह ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जाएगा जिसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तथा ड्राईविंग प्रशिक्षण संस्थान, लोनी रोड अथवा परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किसी अन्य संस्थान से इस आशय का प्रमाणपत्र हासिल किया हो"।

6. परिवहन विभाग, बुराड़ी की निरीक्षण यूनिट जो परिवहन वाहनों को फिटनैस प्रमाणपत्र जारी करती है, को भारत के ओटोमोटिव अनुसंधान संघ, पुणे के साथ सहयोग से आधुनिक किया जा रहा है।

7. वाहन निर्माताओं के साथ सहयोग से दो और अधुनातन (स्टेट आफ द आर्ट) ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं।

8. भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, बी आई एस मानदण्डों को ए आई एस : 018/2001 मानदण्डों, जिन्हें सामान्य रूप से "इलैक्ट्रोनिक गति नियंत्रण डिवाईस हेतु विशिष्टियों" के नाम से जाना जाता है, के द्वारा बदल गया है। परिवहन वाहनों के फिटनैस प्रमाणपत्रों के पंजीकरण तथा नवीनीकरण के समय निरीक्षण यूनिट, बुराड़ी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि नियमों के अंतर्गत छूट प्राप्त मामलों को छोड़कर वाहनों में गति नियंत्रण डिवाइस लगे हों।

9. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने वह तरीका भी अधिसूचित किया है जिसके द्वारा ए आई एस : 018 मानदण्डों के अनुरूप गति नियंत्रण डिवाइस लगाए तथा लागू किए जायेंगे। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन वाहनों में इलैक्ट्रोनिक गति नियंत्रण डिवाइसों की जांच तेज कर दी है।

अंधेरी-घाटकोपर गलियारे के साथ एम.आर.टी.एस. हेतु इक्विटी

4639. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री बालासाहिब विखे पाटील :
श्री हरिभाऊ राठौड़ :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से मुम्बई में अंधेरी-घाटकोपर गलियारे के साथ व्यापक त्वरित परिवहन प्रणाली हेतु 25 प्रतिशत इक्विटी प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को पूरा करने के लिए किसी बाह्य सहायता पर भी विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) इस परियोजना हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय करों और शुल्कों में छूट प्रदान करने के अलावा 15 कि.मी. (लगभग) लम्बे बरसोवा-अंधेरी-घाटकोपर एलिवेटेड कोरीडोर हेतु इक्विटी और व्यवहार्य अंतराल वित्तपोषण के लिए भारत सरकार से अंशदान करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार का विचार बिल्ड ऑन आपरेट ट्रांस्फर (बूट) आधार पर परियोजना का निष्पादन करने तथा उसके द्वारा शुरू की गई बोली प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के बाद निश्चित आवश्यकताओं के बारे में सूचित करने का है। इस परियोजना के वित्तपोषण के लिए बाह्य सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

पद्म पुरस्कार

4640. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार पद्म पुरस्कारों से विभूषित व्यक्ति इन्हें अपने नामों के साथ प्रयोग नहीं कर सकेंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) दो जनहित रिट याचिकाओं में पद्म पुरस्कारों की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि ये पुरस्कार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अर्थ के अंतर्गत "उपाधियां" हैं। पुरस्कारों की संवैधानिक वैधता को बनाए रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि ये पुरस्कार अनुच्छेद 18(1) के अर्थ के अंतर्गत "उपाधियां" नहीं हैं और यह कि उन्हें नाम के शुरू में या अंत में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने आगे यह भी निदेश दिया कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ऐसे पुरस्कारों को नियंत्रित करने वाले विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए चूककर्ता को प्रदान किये गये ऐसे पुरस्कार से वंचित कर दिया जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय की उपर्युक्त टिप्पणियों को तदनुसार प्रति वर्ष सभी पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की जानकारी में लाया जाता है और उन्हें सलाह दो जाती है कि वे उच्चतम न्यायालय के निदेशों को पालन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उन्हें प्रदान किए गए पद्म पुरस्कार का वे अपने नाम से पहले या बाद में इस्तेमाल न करें और यह कि वे किसी व्यक्ति या संगठन को पुरस्कार का हवाला देने की अनुमति न दें जिससे यह उपाधि जैसा लगे या उस जैसा दिखे।

[हिन्दी]

शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

4641. श्री अतीक अहमद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने 1993 में शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो अब तक स्थापित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है और इनमें कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा यथाशीघ्र सभी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) सरकार ने 1995 में पांच 'क्षेत्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों' की स्थापना को मंजूरी दी थी। तथापि, वित्तीय कठिनाइयों और मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण केवल ग्वालियर, मुम्बई और मैसूर में ही तीन संस्थान स्थापित किए जा सके। इन संस्थानों में अब तक 1218 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन की शैक्षिक समिति ने संपूर्ण संस्थानों के रूप में इन प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यकरण/संरचना की समीक्षा की है और वर्तमान संस्थाओं को पूर्णत: कार्यसंचालित करने तथा केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ और संपूर्ण संस्थाओं की स्थापना का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

शैक्षिक संस्थानों को छात्रवास सुविधाओं हेतु अनुदान

4642. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

श्री वसुभाई दानाभाई बारड़ :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षिक संस्थानों में खानपान एवं छात्रावास की सुविधाओं हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वर्ष 2003-04 और तत्पश्चात् आज तक विभिन्न राज्यों को दिए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है और देश में राज्य-वार ऐसे संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2003-04 और 2004-05 हेतु राज्य-वार अनुदान जारी करने हेतु लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) अनुदानों को जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) खानपान एवं छात्रावास सुविधाओं को आरंभ करने के लिए चालू केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों विशेषत: गुजरात से प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) शैक्षिक संस्थाओं में बोर्डिंग तथा छात्रावास ,सुविधाएं प्रारंभ करने के निमित्त कोई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम मौजूद नहीं है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं हेतु बोर्डिंग तथा छात्रावास सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत इस मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को इस संबंधी निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर सहायता अनुदान दिया जाता है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

नाथूला दर्रे से भारत-चीन व्यापार

4643. **योगी आदित्यनाथ :**
श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नाथूला दर्रे के माध्यम से चीन के साथ सीमावर्ती व्यापार शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई बातचीत हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह बातचीत कब तक होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) से (ग) पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जून, 2003 में चीन यात्रा के दौरान दोनों पक्ष सीमा व्यापार करने के लिए नाथुला में एक तीसरा मार्ग खोलने को सहमत हुए थे।

(घ) और (ङ) चीन के प्रधानमंत्री वेन जिआबाओ की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने चीन जनवादी गणराज्य के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत गणराज्य के सिक्किम राज्य के बीच नाथुला दर्रा के जरिए सीमा व्यापार संबंधी ज्ञापन के कार्यान्वयन की संतोष जाहिर करते हुए समीक्षा की थी।

[अनुवाद]

आवासी परियोजनाओं हेतु हडको द्वारा वित्तपोषण

4644. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड कुछ राज्यों में कुछ आवासीय परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात् राजस्थान सहित इन राज्यों में आवासी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य-वार हडको द्वारा स्वीकृत धनराशि कितनी है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) हडको द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आवासीय परियोजनाओं के लिए मंजूर ऋण राशि के राजस्थान राज्य सहित राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

2002-03 से 2004-05 के दौरान आवास के लिए स्वीकृत राज्यवार ऋण

(करोड़ रु. में)

राज्य का नाम	2002-03 के दौरान	2003-04 के दौरान	2004-05 के दौरान
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	278.95	848.83	229.80
अरुणाचल प्रदेश	.60	7.63	1.90
असम	18.52	34.86	79.78
बिहार	.00	.00	1251.70
छत्तीसगढ़	26.39	39.07	130.94
दिल्ली	32.03	38.18	
गोवा		2.00	
गुजरात	6.19	130.66	122.63
हरियाणा	6.85		33.97
हिमाचल प्रदेश	.88	295.23	6.51
जम्मू व कश्मीर	.00	.00	12.32
झारखंड	.00	40.00	500.00
कर्नाटक	1463.82	424.63	465.68
केरल	55.00	68.51	95.35
मध्य प्रदेश	50.47	136.72	38.66
महाराष्ट्र	518.14	47.80	64.75
मणिपुर	10.00	10.00	.00
मिजोरम	7.50	5.01	5.00
नागालैंड	34.97	30.02	33.56
उड़ीसा	24.80	25.00	59.10
पंजाब	12.56		
पांडिचेरी		1.50	.00
राजस्थान	.00	30.00	98.64
तमिलनाडु	114.35	120.73	11.43
त्रिपुरा	1.56	.00	
उत्तर प्रदेश	114.94	433.41	171.45
उत्तरांचल	47.99	169.85	3.44
पश्चिम बंगाल	373.58	31.16	150.39
कुल	3200.09	2973.73	3566.99
हडको निवास	1294.25	128.76	77.86
सकल योग	4494.34	3102.49	3644.85

चंडीगढ़ में आवासों का निर्माण

4645. श्री पवन कुमार बंसल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में लाल डोरा वाले गांवों की संख्या कितनी है;

(ख) अंतिम बार लाल डोरा किस वर्ष में निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या इन गांवों में लाल डोरा के बाहर बहुत बड़ी संख्या में आवासों का निर्माण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी गांव-वार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या इन आवासों का निर्माण पंजीकृत विक्रय विलेख के अंतर्गत धारकों द्वारा विधिवत रूप से खरीदे गए भूखण्ड पर किया गया है;

(च) क्या पूर्ववर्ती अधिसूचित क्षेत्र समिति, मनीमाजरा में पड़ने वाले क्षेत्रों के लिए सीमावर्ती नियंत्रण नियम लागू नहीं होते हैं; और

(छ) यदि हां, तो इन्हें गिराने पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा विचार किये जाने के क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) 22। इनमें से चार नगर निगम चंडीगढ़ को अन्तरित कर दिए गए हैं।

(ख) लाल डोरा, 1952 से 1960 तक अलग-अलग वर्षों के दौरान अलग-अलग गांवों में चकबंदी के समय निर्धारित किया गया था।

(ग) जी हां, श्रीमान। लाल डोरा के बाहर सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमति के बिना बहुत बड़ी संख्या में आवासों का निर्माण किया गया है;

(घ) विभिन्न गांवों में ऐसे घरों की संख्या करीब दादुमाजरा में 60, मलोया में 75, धास में 55, सारंगपुर में 4, लाहोरा में 90, जस्सु में 65, खुदा अलीसेर में 75, केम्बवाला में 150, किशनगढ़ और भगवान पुरा में 155, मनीमाजरा (शास्त्री नगर) में 250, हलौमाजरा में 280, बेहलाना में 90, रायपुर खुर्द में 200, दरिया में 600, कझेरी में 400, पलसोरा में 100 और मखन माजरा में 10 हैं।

(ङ) स्टॉप ड्यूटी से बचने के लिए अधिकतर लोगों ने सामान्य पावर ऑफ अटोर्नी अथवा शपथपत्रों व विक्रय समझौतों जैसे कागजातों के माध्यम से जमीन खरीदी है। ये भी गैर-कानूनी खरीद-फरोख्त है और इनमें से अधिकतम 1997 की सी डब्ल्यू पी सं. 16325 में पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से जारी निदेशों का उल्लंघन करते हैं।

(च) पूर्ववर्ती अधिसूचित क्षेत्र समिति में पड़ने वाली कृषि भूमि पर परिधि नियंत्रण अधिनियम लागू होता है।

(छ) क्योंकि मनीमाजरा में, शैक्षणिक, व्यावसायिक आवासीय और नगर सेवाओं जैसे सार्वजनिक उद्देश्यों हेतु प्रशासन द्वारा अधिगृहित भूमि पर अवैध ढांचे बनने के कारण और अधिकांश मामलों में मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। इसके अलावा, इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी चंडीगढ़ प्रशासन के पक्ष में निर्णय दिया गया है।

[हिन्दी]

संगमरमर का आयात

4646. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने प्रकार के संगमरमर का आयात/निर्यात किया गया तथा उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ आयात/निर्यात किया गया;

(ख) क्या संगमरमर के आयात से स्थानीय मार्बल व्यापारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में आयात घटाने तथा निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित और निर्यातित संगमरमर के ब्यौरे तथा उन देशों के नाम, जहां से/जिनको उनका आयात/निर्यात किया गया है, वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी, खण्ड-II (आयात)—वार्षिकांक" तथा भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी खण्ड-I (निर्यात)—वार्षिकांक जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, में उल्लिखित हैं।

(ख) और (ग) निर्यात एवं आयात मदों का आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2002-07 के अध्याय 68 में शामिल संगमरमर के परिष्कृत ब्लॉक/टाइलें मुक्त रूप से आयात योग्य हैं और उनके लिए डीजीएफटी से किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। तथापि भारत द्वारा अपरिष्कृत एवं असंसाधित संगमरमर पर आयात प्रतिबंध लागू किए हुए हैं। तदनुसार, आईटीसी (एचएस) के अध्याय 25 में शामिल असंसाधित एवं कामचलाऊ संसाधित संगमरमर के आयात, जिसकी अनुमति 01.04.1999 से 31.03.2001 तक एसआईएल की सुपुर्दगी पर पहले असंसाधित संगमरमर ब्लॉकों के लिए 300 अम. डॉ./मी. टन और उससे अधिक तथा स्लैबों के लिए 450 अम. डॉ. और उससे अधिक उच्चतम मूल्य सीमा के अधीन प्रदान की जाती थी, को 01.04.2001 से आयात हेतु प्रतिबंधित कर दिया गया है अर्थात् आयात की अनुमति डीजीएफटी द्वारा जारी किए जाने वाले लाइसेंस पर ही प्रदान की जा

सकती है। इस प्रतिबंध के लागू होने के कारण सरकार घरेलू उद्योग के हित की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

शहरों का विकास

4647. श्री वी.के. तुम्मर :
श्री काशीराम राणा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शहरों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये आबंटित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो चिह्नित किये गये शहरों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ग) उक्त धनराशि से बड़े शहरों के किस प्रकार से लाभान्वित होने की संभावना है तथा शामिल किये गए बड़े शहरों के नाम क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, अवस्थापना विकास के लिए सुधार आधारित केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के लिए चुनिंदा शहरों हेतु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एनयूआरएम) और एनयूआरएम में शामिल शहरों से भिन्न अन्य सभी शहरों को शामिल करने के लिए छोटे तथा मझोले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम का प्रस्ताव है। इस बारे में ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

4648. श्री राजेन गोहेन :
श्री बाडिगा रामकृष्णा :
श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री ई. पोन्नुस्वामी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संख्या में वृद्धि करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि तक देश में कार्यरत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की राज्य-वार, स्थानवार संख्या कितनी है;

(घ) क्या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के कुछ निदेशकों को उनकी अवैध नियुक्ति के कारण हटा दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अवैध नियुक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा जांच शुरू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) वर्तमान रायपुर इंजीनियरी कालेज, रायपुर को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा देकर स्तरोन्नत करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन है। एक केन्द्रीय दल ने इस संस्थान को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा देकर स्तरोन्नत करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए संस्थान का दौरा किया है। व्यवहार्यता संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

(ग) इस समय देश में कुल 18 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कार्य कर रहे हैं। ये संस्थान निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:- इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), कालीकट (केरल), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश), जयपुर (राजस्थान), जालंधर (पंजाब), जमशेदपुर (झारखंड), कुरुक्षेत्र (हरियाणा), नागपुर (महाराष्ट्र), पटना (बिहार), राउरकेला (उड़ीसा), सिल्चर (असम), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर), सूरत (गुजरात), सूरतकल (कर्नाटक), तिरूचिरापल्ली (तमिलनाडु) और वारंगल (आंध्र प्रदेश)।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के 11 निदेशकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है चूंकि ये नियुक्तियां उपयुक्त प्रक्रिया का पालन किए बिना ही की गई थी। निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाती है। 18 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से 13 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशक फरवरी, 2003 से दिसम्बर, 2003 की अवधि में नियुक्त किए गए थे। उपर्युक्त में से नागपुर और हमीरपुर स्थित दो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशकों ने सेवा ग्रहण करने के पश्चात् त्यागपत्र दे दिया। प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक की नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही की जा सकती है। हालांकि, इन निदेशकों को नियुक्त करने से पूर्व मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। जब यह मामला कार्मिक और

प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति ने मामलों की जांच करने के बाद इस विभाग को ये नियुक्तियां रद्द करने और संबंधित संस्थान के वरिष्ठतम प्रोफेसर को प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने के निर्देश दिए। तद्नुसार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के 11 निदेशकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी।

(च) इस संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपेक्षित कदम उठाए जा रहे हैं।

तमिलनाडु में बाडगा समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करना

4649. **श्री के. सुब्बारायण** : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के बाडगा समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक कर लिये जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) बाडगा समुदाय को तमिलनाडु की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने हेतु तमिलनाडु सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा चुकी है।

(ख) इस स्तर पर कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें विशेषज्ञ अभिकरणों से परामर्श करना शामिल है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में नए पाठ्यक्रम

4650. **श्री चंद्रकांत खैरे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुम्बई, खड़गपुर तथा कानपुर का विचार नैनोविज्ञान/नैनो प्रौद्योगिकी में नए पाठ्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कब तक शुरू होने की संभावना है;

(घ) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुम्बई तथा खड़गपुर का विचार पांच वर्षीय एकीकृत दोहरे स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इन पाठ्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(च) अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में नैनोविज्ञान के क्षेत्र में पाठ्यक्रमों की स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एम.एम.टी.सी. और एस.टी.सी. का पुनर्गठन

4651. **श्री जुएल ओराम** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एमएमटीसी और एसटीसी का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में इनके कार्यकलापों के विस्तार के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि वे समय-समय पर व्यापार वातावरण का मूल्यांकन करने के पश्चात् अपने कार्यकलापों का विविधीकरण एवं विस्तार करते हैं।

ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना

4652. **श्री जुएल ओराम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का नाम क्या है जहां ये विश्वविद्यालय स्थापित किये गए हैं या स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) इन ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातियों का पुनर्वास

4653. **श्री हरिन पाठक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय समूह पुनर्वास की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) (क) से (ग) 1996 और 1998 के दौरान असम के कोकराझार, बोंगईगांव और धुब्री जिलों में जातीय हिंसा के कारण इन क्षेत्रों के आदिवासी समुदायों के कुछ लोग बेघर हो गए थे। ऐसे शरणार्थी परिवारों के पुनर्वास के लिए असम सरकार को 1996-97 से 1998-99 के दौरान 25.00 करोड़ रुपए जारी किए थे। 2000-01 से 2004-05 की अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ असम सरकार को 35.29 करोड़ रुपए की और राशि जारी की गई थी। इन शरणार्थी परिवारों को राज्य सरकार द्वारा मुफ्त राहत भी प्रदान की जा रही है जिसकी प्रतिपूर्ति सुरक्षा से संबंधित व्यय की योजना के अधीन की जाती है। मिजो ग्रामीणों द्वारा मिजोरम के ब्रू (रिवांग) आदिवासियों पर हमला करने के कारण इनमें से कुछ आदिवासी 1997 में त्रिपुरा चले गए थे। भारत सरकार, ब्रू (रियांग) शरणार्थियों, जिन्हें त्रिपुरा में राहत शिविरों में आश्रय दिया गया है, के पालन-पोषण के लिए त्रिपुरा सरकार को अनुदान सहायता देती रही है। 2004-05 के दौरान गृह मंत्रालय ने त्रिपुरा में ब्रू (रियांग) शरणार्थियों के पालन-पोषण के लिए त्रिपुरा सरकार को 11.00 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की थी।

[अनुवाद]

धार्मिक स्थलों की सुरक्षा

4654. **श्री पी. राजेन्द्रन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सुरक्षा संबंधी धमकियों के मद्देनजर पूरे देश में विभिन्न तीर्थ यात्रा केन्द्रों में मैटल डिटेक्टर तथा बैगेज स्कैनर स्थापित करने की कोई व्यापक योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास देश में कतिपय धार्मिक स्थलों, विशषकर केरल में गुरूवयुर श्रीकृष्णा स्वामी मंदिर को सुरक्षा संबंधी धमकियों के बारे में कोई सूचना है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक विभिन्न धार्मिक स्थलों में सुरक्षा उपायों को दोष रहित बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त "क" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंडरा देवी के कलुबी मंदिर में मची भगदड़ (25 जनवरी, 2005) के बाद, सरकार ने 21.2.2005 को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को धार्मिक उत्सवों/मेलों के दौरान उपयुक्त और प्रर्याप्त नागरिक और अन्य संभारिकी प्रबंध, कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा सुरक्षा व्यवस्था जैसे उपाय करने का सुझाव दिया है।

भारत-मॉरीशस व्यापार

4655. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन** :
श्री गुरूदास दासगुप्त :
श्री अनन्त नायक :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के हाल के मॉरीशस, चीन और सिंगापुर

के दौरे के दौरान भारत और मोरीशस के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या दोहरे कराधान परिवर्तन समझौते में खामियां हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा खामियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ वर्तमान में भारत का मुक्त व्यापार समझौता है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्तमान में भारत ने दिनांक 28 दिसम्बर, 1998 से श्रीलंका के साथ एक मुक्त व्यापार करार किया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय शहरीकरण संबंधी नीति

4656. श्री एम. अंजनकुमार यादव :
श्री काशीराम राणा :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरीकरण संबंधी कोई नीति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्तमान राष्ट्रीय शहरीकरण नीति किस तारीख को बनाई गई थी और इसकी प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) जी, नहीं। शहरी नवीकरण तथा शहरी अवस्थापना विकास के विभिन्न पहलू सरकार के विचाराधीन है।

(घ) लागू नहीं।

राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव

4657. श्रीमती नीता पटैरिया : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद महिला तथा बाल विकास योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर अब तक केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

कनाट प्लेस को नया रूप देना

4658. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट प्लेस, नई दिल्ली को नया रूप देने की कोई योजना बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने 74 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत की कनॉट प्लेस तथा उसके आस-पास के क्षेत्र की पुनर्विकास योजना के लिए एक संकल्पना योजना तैयार की है।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने निर्माणाधीन प्रस्तावित भूमिगत इंटरचेंज स्टेशन पर विचार करते हुए कनॉट प्लेस के केन्द्रीय पार्क को पुन: डिजाइन किया है। इसके लिए भू-विन्यास प्रस्ताव निश्चित कर लिया गया है जिसमें खुले थियेटर के चारों ओर एक जल-क्षेत्र, जमीन के ऊपर स्काई लाईट, वायु-संचार के लिए निकास, सार्वजनिक सुविधायें इत्यादि जैसी भूमोपरि मेट्रो संरचनाएं शामिल हैं। अनुमानित लागत लगभग 5 करोड़ रुपये है। परियोजना को जून, 2005 तक पूरा किया जाना है।

चाय बोर्ड

4659. श्रीमती मिनाती सेन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड द्वारा दार्जिलिंग की चाय के संरक्षण हेतु अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस तथा रूस जैसे देशों के साथ निर्यातकों के व्यक्तिगत पंजीकरण के लिए बातचीत शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत सभी देशों द्वारा मान्या दिए जाने वाले जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट (जी आई) पर डब्ल्यू टी ओ में चर्चा की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मस्काटेल फ्लेवर वाली चाय का वर्षों से बार-बार दुरुपयोग किया जाता रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(छ) क्या बड़े खरीददार प्रमाणिक ट्रेड मार्क (सीटीएम) का उल्लंघन करते हैं और मिलावटी चाय को बाजार में शुद्ध दार्जिलिंग चाय के रूप में पेश करते हैं; और

(ज) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) चाय बोर्ड ने दार्जिलिंग चाय को यूके में प्रमाणन ट्रेड मार्क के रूप में पहले ही पंजीकृत कर दिया है। यह पंजीकरण दार्जिलिंग लोगो मार्क और दार्जिलिंग वर्ड मार्क दोनों के लिए वर्ष 2008 तक वैध है। चाय बोर्ड ने दार्जिलिंग चाय को अमरीका में भी प्रमाणन ट्रेड मार्क के रूप में पंजीकृत किया है। यह पंजीकरण दार्जिलिंग लोगो मार्क के लिए 2007 तक और दार्जिलिंग वर्ड मार्क के लिए 2012 तक वैध है। दार्जिलिंग लोगो मार्क का मैड्रिड करार के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के अंतर्गत एक वैध पंजीकरण है जो वर्ष 2007 तक वैध है, जिसमें फ्रांस शामिल है। दार्जिलिंग वर्ड मार्क फ्रांस में पंजीकृत नहीं है। फ्रांस सहित सम्पूर्ण यूरोपीय संघ के लिए वर्ड मार्क के पंजीकरण के लिए समुदाय का एक सामूहिक मार्क आवेदन प्रस्तुत किया गया है। रूस में दार्जिलिंग वर्ड मार्क एक ट्रेड मार्क के रूप में पंजीकृत है। भारत दार्जिलिंग चाय सहित भौगोलिक संकेतकों (जी आई) के संरक्षण के बारे में रूस के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के विकल्प का भी पता लगा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर वार्ताएं की जा रही हैं, संरक्षण स्तर में परम्परा ट्रिप्स करार के अंतर्गत अनुच्छेद 22 (वाइन एवं स्प्रिटों के अलावा अन्य जीआई उत्पाद) और अनुच्छेद 23 (वाइन एवं स्प्रिट के लिए जी आई) के बीच अंतर से संबंधित है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत वाइनों एवं स्प्रिटों को मजबूत स्तर का संरक्षण दिया जाता है। भारत सहित अनेक विकसित और विकासशील देश संरक्षण के दोनों प्रकारों के बीच असमानता को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं।

(ङ) और (च) इस मुद्दे को प्रमाणित करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन अथवा आंकड़े नहीं हैं। चाय बोर्ड तीसरे पक्षकारों द्वारा दार्जिलिंग मार्क के पंजीकरण के सभी प्रयासों का सक्रिय रूप से विरोध कर रहा है। उल्लंघन के सभी सूचित मामलों पर चाय बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जाती है।

(छ) ऐसी घटनाओं के कोई मामले सूचित नहीं किए गए हैं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में नर्सरी कक्षाओं को शुरू करना

4660. श्री ब्रजेश पाठक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में नर्सरी कक्षाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो नर्सरी के छात्रों से प्रति माह कितना विद्यालय विकास निधि शुल्क लिया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा गरीब वर्गो के छात्रों को विद्यालय विकास निधि शुल्क से छूट देने अथवा नर्सरी छात्रों के लिए शुल्क कम करने का है;

(घ) क्या सरकार का विचार मंत्रालय/आयुक्त स्तर पर "विद्यालय विकास निधि" का अनुवीक्षण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, हां। कुछ केन्द्रीय विद्यालयों में स्व-वित्त पोषण आधार पर पूर्व-प्राथमिक कक्षाएं शुरू की गई हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यद्यपि पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों से कोई विद्यालय विकास निधि शुल्क नहीं लिया जाता तथापि अन्य सभी विद्यार्थी विद्यालय विकास निधि में अंशदान करते हैं और केन्द्रीय विद्यालय संगठन इस सम्बंध में कोई छूट देने पर विचार नहीं कर रहा है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन विद्यालय विकास निधि एकत्र करता है और उसका अनुवीक्षण करता है। तथापि सरकार ने कुछ मामलों में विद्यालय विकास निधि का उपयोग अस्थायी भवन के निर्माण के लिए किए जाने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच-पड़ताल करने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

तम्बाकू बोर्ड

4661. श्री सी.एच. विजयशंकर :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान कर्नाटक में कम किए गए तथा विपणन किए गए वीएफसी तम्बाकू की मात्रा कितनी है;

(ख) वर्ष 2004-05 के लिए आईटीए (भारतीय तम्बाकू संघ) द्वारा कितनी मात्रा में तम्बाकू की मांग की गई है तथा क्या तम्बाकू बोर्ड आईटीए की आवश्यकता को पूरा करने के अपने कर्तव्य में असफल रहा है;

(ग) वर्ष 2004-05 के लिए कर्नाटक के वीएफसी तम्बाकू उत्पादकों हेतु फसल की निर्धारित मात्रा कितनी है;

(घ) क्या भारत सरकार तम्बाकू बोर्ड में पर्मिट राज तथा लाइसेंस राज को समाप्त करते हुए प्रबीर सेन गुप्ता समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तथा वर्षवार तम्बाकू का कितना उत्पादन हुआ है; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई मात्रा तथा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) कर्नाटक में उत्पादित और विपणन की गई एफसीवी तंबाकू की मात्रा निम्नलिखित है:-

वर्ष	उत्पादित मात्रा (मिलियन कि.ग्रा)	विपणित मात्रा (मि. कि.ग्रा.)
2003-04	73.69	73.69
2004-05	90.34	90.34

(ख) वर्ष 2004-05 के लिए आईटीए द्वारा तंबाकू की 74 मिलियन कि.ग्रा. मात्रा की मांग की गई थी। इस मांग की तुलना में वर्ष 2004-05 में 90.34 मिलियन कि.ग्रा. का विपणन किया गया था।

(ग) वर्ष 2004-05 के लिए कर्नाटक के लिए निर्धारित फसल:

6.7 मिलियन कि.ग्रा. + प्राकृतिक उदारता के रूप में 10%। यह कुल 73.7 मिलियन कि.ग्रा. परिकलित होती है।

(घ) और (ङ) सरकार प्रबीर सेनगुप्ता समिति की सिफारिशों की जांच कर रही है। व्यापक निहितार्थों वाली ऐसी सिफारिशों पर यथोचित विचार किया जाता है और सभी प्रभावित पक्षकारों/समूहों के साथ वार्ताएं करने के पश्चात् कोई दृष्टिकोण अपनाया जाता है।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित तंबाकू की मात्रा

एफसीवी तंबाकू उत्पादन-राज्यवार

(मात्रा: मिलियन कि.ग्रा.)

फसल मौसम	राज्य	उत्पादित फसल	विपणित फसल
1	2	3	4
2002-03	आंध्र प्रदेश	127.16	
	महाराष्ट्र	0.03	
	उड़ीसा	0.48	
	कर्नाटक	63.26	
	जोड़	190.93	190.93
2003-04	आंध्र प्रदेश	148.32	
	महाराष्ट्र	0.07	
	उड़ीसा	0.32	
	कर्नाटक	74.59	
	जोड़	223.30	222.40
2004-05	आंध्र प्रदेश	146.01*	
	महाराष्ट्र	0.07*	
	उड़ीसा	0.13*	
	कर्नाटक	90.34	90.34
	जोड़	236.55	प्रगति पर

*अनुमानित उत्पादन, विपणन प्रगति पर है।

(छ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के निर्यात की कुल मात्रा और मूल्य का ब्यौरा:

वर्ष	तम्बाकू		तम्बाकू उत्पाद		जोड़	
	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7
2001-02	86010	602.89	16076	285.63	102086	888.52
2002-03	107715	770.62	19842	325.33	127557	1095.95

1	2	3	4	5	6	7
2003-04	128186	825.48	22776	350.15	150962	1175.63
2004-05*	114722	784.92	21630	350.37	136352	1135.29

*अप्रैल 2004-फरवरी 2005

[हिन्दी]

जवाहर नवोदय विद्यालयों में अनियमितताएं

4662. श्री अवतार सिंह भडाना :
डा. राजेश मिश्रा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जवाहर नवोदय विद्यालयों में इनके स्टाफ तथा देश के निजी कोचिंग संस्थानों के बीच सांठ-गांठ के कारण हो रही अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त अनियमितताओं को रोकने के लिए कोई कदम उठाया गया है ताकि जरूरतमंद बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) नवोदय विद्यालय समिति ने सूचित किया है कि नवोदय विद्यालय के एक कर्मचारी और निजी कोचिंग संस्थान के बीच सांठगांठ की एक घटना वारंगल (आन्ध्र प्रदेश) में वर्ष 2001-2002 में उनकी जानकारी में आई है। यह मामला सक्षम न्यायालय के समक्ष है। घटना में शामिल इस कर्मचारी को विस्तृत जांच-पड़ताल के पश्चात् सेवा से हटा दिया गया है।

[अनुवाद]

एन एस टी एफ डी सी के उद्देश्य

4663. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एन एस टी एफ डी सी) के उद्देश्यों को निगम के अधिदेश के अनुसार पूरा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में पूरे देश में असंतोष व्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी वर्षवार उपलब्धियां क्या हैं और विभिन्न राज्यों के सीमावर्ती जिलों में कितनी निधियों का उपयोग किया गया?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एन एस टी एफ डी सी) शीर्ष संगठन होने के कारण अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए राज्य चैनेलाइजिंग अभिकरणों के माध्यम से 10.00 लाख रुपए लागत वाली प्रत्येक इकाई/लाभ केन्द्र को आय सृजन की सक्षम योजनाओं/परियोजनाओं के लिए रियायती वित्तीय सहायता तथा पात्र अनुसूचित जनजातियों के कौशल एवं उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए अनुदान देता है। यह निगम कृषि/लघु वन्य उत्पाद एवं जनजातीय उत्पादों के समर्थन एवं विपणन कार्यों के लिए राज्य चैनलाइजिंग अभिकरणों/सरकारी संस्थाओं/राष्ट्रीय स्तर के परिसंघों के माध्यम से कार्यशील पूंजी ऋण भी उपलब्ध कराता है। एन एस टी एफ डी सी की स्थापना से लेकर अब तक के निष्पादन के वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एन एस टी एफ डी सी) के राज्य चैनलाइजिंग अभिकरणों को निधियों की संस्वीकृतियों एवं संवितरण के राज्यवार/वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण क्रमशः II एवं III में दिए गए हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) का निष्पादन

बजट आबंटन तथा वास्तविक कुल स्वीकृति

वित्तीय वर्ष	बजट आबंटन	वास्तविक स्वीकृति (एनएसटीएफडीसी की अंश पूंजी) (करोड़ रुपए)					
		आय सृजक गतिविधियां		कार्यशील पूंजी/विपणन समर्थन		जोड़	
		धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	धनराशि	लाभार्थियों की संख्या
2001-02	60.00	60.25	5383	3.00	290430	63.25	295813
2002-03	80.00	93.98	69015	5.00	110000	98.98	179015
2003-04	100.00	66.15	12825	13.00	675900	79.15	688725
2004-05	100.00	68.06	11094	5.00	283000	73.06	294094
कुल जोड़	340.00	288.44	98317	26.00	1349330	314.44	1457647

विवरण-II

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)

2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 तथा 2004-05 (31/03/2005 के अनुसार) दौरान कुल आबंटन का राज्यवार विवरण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	आबंटन तथा वास्तविक (2001-02)			आबंटन तथा वास्तविक (2002-03)			आबंटन तथा वास्तविक (2003-04)			आबंटन तथा वास्तविक (2004-05) 31.03.2005 के अनुसार		
		आबंटन	एनएसटी एफडीसी का शेयर	लाभार्थियों की संख्या	आबंटन	एनएसटी एफडीसी का शेयर	लाभार्थियों की संख्या	आबंटन	एनएसटी एफडीसी का शेयर	लाभार्थियों की संख्या	आबंटन	एनएसटी एफडीसी का शेयर	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	375.00	372.04	718	490.00	577.81	540	612.00	644.44	1095	612.00	1069.41	2520
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	50.00	—	—	50.00	—	—	50.00	—	—	50.00	—	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	50.00	32.64	8	64.00	—	—	80.00	—	—	80.00	—	—
4.	असम	212.00	425.85	82	335.00	124.80	30	419.00	—	—	419.00	—	—
5.	बिहार	51.00	—	—	67.00	76.00	75	83.00	88.00	90	83.00	—	—
6.	छत्तीसगढ़	510.00	—	—	666.00	720.86	189	833.00	968.00	224	833.00	591.75	628
7.	दादरा व नगर हवेली	50.00	—	—	50.00	—	—	50.00	—	—	50.00	—	—
8.	गोवा	50.00	—	—	50.00	—	—	50.00	—	—	50.00	—	—
9.	गुजरात	550.00	867.57	283	718.00	1012.87	1096	898.00	567.6	265	898.00	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	हिमाचल प्रदेश	50.00	247.66	93	50.00	116.18	38	50.00	111.26	30	50.00	—	—
11.	जम्मू व कश्मीर	78.00	255.48	207	102.00	78.19	45	128.00	257.60	120	128.00	214.10	90
12.	झारखंड	540.00	286.50	165	705.00	538.39	795	881.00	700.30	452	881.00	533.86	216
13.	कर्नाटक	171.00	324.69	841	223.00	493.94	1427	279.00	415.31	1163	279.00	250.80	416
14.	केरल	50.00	15.60	24	50.00	16.10	20	50.00	31.1	45	50.00	42.35	85
15.	लक्षद्वीप	50.00	7.24	6	50.00	13.18	10	50.00	32.95	19	50.00	20.76	21
16.	मणिपुर	50.00	—	—	74.00	—	—	92.00	—	—	92.00	—	—
17.	महाराष्ट्र	653.00	259.75	375	853.00	354.40	840	1066.00	20.00	400	1066.00	1174.06	398
18.	मेघालय	112.00	—	—	177.00	38.66	29	221.00	—	—	221.00	—	—
19.	मध्य प्रदेश	864.00	753.44	1327	1128.00	1204.05	840	1411.00	696.00	2351	1411.00	457.88	206
20.	मिजोरम	100.00	51.85	10	100.00	—	—	100.00	—	—	100.00	—	—
21.	नागालैंड	100.00	88.13	30	124.00	170.79	93	155.00	173.75	122	155.00	278.93	65
22.	उड़ीसा	628.00	482.81	149	820.00	197.40	60	1025.00	566.51	175	1025.00	471.03	134
23.	राजस्थान	489.00	720.45	435	638.00	508.73	362	798.00	314.95	281	798.00	582.86	585
24.	सिक्किम	50.00	127.23	123	50.00	174.00	60	50.00	132.04	243	50.00	232.00	80
25.	तमिलनाडु	51.00	—	—	67.00	2.80	7	84.00	—	—	84.00	—	—
26.	त्रिपुरा	63.00	69.68	100	100.00	118.45	169	124.00	158.50	150	124.00	126.40	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	उत्तरांचल	50.00	142.28	80	50.00	—	—	50.00	63.52	28	50.00	92.35	25
28.	उत्तर प्रदेश	50.00	—	—	50.00	—	—	50.00	—	—	50.00	—	—
29.	पश्चिम बंगाल	340.00	493.69	326	444.00	460.61	2290	555.00	673.07	5572	555.00	667.1	5585
	जोड़	6437.00	6024.58	5383	8345.00	6998.21	9015	10294	6614.90	12825	10294.00	6805.64	11094

क्र. सं.	राज्य का नाम	आबंटन तथा वास्तविक (2001-02)			आबंटन तथा वास्तविक (2002-03)			आबंटन तथा वास्तविक (2003-04)			आबंटन तथा वास्तविक (2004-05) 31.03.2005 के अनुसार		
		आबंटन	एनएसटी एफडीसी का शेयर	लाभार्थियों की संख्या	आबंटन	एनएसटी एफडीसी का शेयर	लाभार्थियों की संख्या	आबंटन	एनएसटी एफडीसी का शेयर	लाभार्थियों की संख्या	आबंटन	एनएसटी एफडीसी का शेयर	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(विपणन समर्थन गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता)												
1.	विपणन समर्थित गतिविधियों हेतु		300.00	300.00		—	—		—	—		—	—
2.	गिरिजन को-आपरेटिव कारपोरेशन लि. (जीसीसी) आंध्र प्रदेश		—	—		500.00	110000		500.00	110000		500.00	283000
	जोड़		300.00	300.00		500.00	110000		500.00	110000		500.00	283000
	कैश क्रेडिट सहायता												
1.	ट्राइफेड विपणन समर्थन गतिविधियों के लिए								800.00	565900			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	विशेष परियोजना : कॉफी प्लांटेशन												
1.	आंध्र प्रदेश ट्राइब्स कोपरेटिव फाइनेंस कारपोरेशन लि. आंध्र प्रदेश		—	—		2400.00	60000		—	—		—	—
	जोड़		—	—		2400.00	60000		—	—		—	—
	कुल जोड़	6437.00	6324.58	295813	8345.00	9898.21	179015	10294.00	7914.90	688725	10294.00	7305.64	294094
बजटीय आबंटन													
		(6000.00)			(8000.00)			(1000.00)			(1000.00)		

टिप्पणी—कुल वार्षिक बजट आबंटन कोष्ठक में दिए गए हैं। परंतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक एससीए को न्यूनतम 50.00 लाख रुपए आबंटन की इंगित बजट आबंटन राशि अधिक है।

विवरण-III

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)

2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 तथा 2004-05 (31/03/2005 के अनुसार) के दौरान वितरण का राज्यवार विवरण

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	(वितरित निधियां)			
		2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	137.89	540.32	206.64	1181.71
2.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	46.64	1.10	—	—
4.	असम	290.68	20.47	—	—
5.	बिहार	—	—	—	—
6.	छत्तीसगढ़	—	296.74	—	734.07
7.	दादरा व नगर हवेली	—	—	—	—
8.	गोवा	—	—	—	—
9.	गुजरात	942.00	84.00	477.02	—
10.	हिमाचल प्रदेश	230.06	10.64	32.65	31.96
11.	जम्मू व कश्मीर	—	65.25	—	74.33
12.	झारखंड	—	586.78	123.2	601.91
13.	कर्नाटक	237.35	244.54	1.35	202.90
14.	केरल	—	—	38.42	17.13
15.	लक्षद्वीप	5.29	7.33	8.65	—
16.	मणिपुर	—	—	—	—
17.	महाराष्ट्र	—	149.75	—	436.83

1	2	3	4	5	6
18.	मेघालय	–	–	–	–
19.	मध्य प्रदेश	6.80	281.93	114.59	–
20.	मिजोरम	–	–	–	–
21.	नागालैंड	95.51	137.77	216.49	244.09
22.	उड़ीसा	415.56	–	–	27.72
23.	राजस्थान	111.45	356.06	217.91	454.89
24.	सिक्किम	74.78	145.00	219.04	116.00
25.	तमिलनाडु	–	–	–	–
26.	त्रिपुरा	–	69.68	236.15	–
27.	उत्तरांचल	–	115.17	–	11.20
28.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–
29.	पश्चिम बंगाल	156.51	303.28	380.40	711.75
	जोड़	2750.52	3415.81	2272.51	4846.49
	विपणन समर्थित गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता				
1.	ट्राइफेड विपणन समर्थित गतिविधियां	–	300.00	–	–
2.	गिरिजन को-आपरेटिव कोरपोरेशन लि. (जीसीसी), आंध्र प्रदेश	–	500.00	500.00	500.00
	जोड़ :	–	800.00	500.00	500.00
	कैश क्रेडिट सहायता				
1.	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ, दिल्ली	–	–	800.00	–
	कुल जोड़	2750.52	4215.81	3572.51	5346.49
	(सहायता अनुदान-प्रशिक्षण कार्यक्रम)				
1.	सर्टिफिकेट कोर्स आन आफिस आटोमेशन	1.21	–	2.65	1.84

भारत-जापान व्यापार

4664. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने जापान के साथ व्यापार के उन क्षेत्रों पर, जो कि गत सात वर्षों में 4 बिलियन डालर से ऊपर नहीं गए हैं, में चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच कितना व्यापार किया गया है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में चीन तथा कोरिया सहित अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार संबंधों में सराहनीय वृद्धि देखी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत और जापान दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में सुधार लाने पर सहमत हुए हैं;

(च) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत-जापान के व्यापार की मात्रा निम्नानुसार रही है:-

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

	2001-02	2002-03	2003-04 (अ)
1	2	3	4
जापान को भारत के निर्यात	-1510	1864	1714
	-15%	23%	-8%
जापान से भारत में आयात	2146	1836	2642
	17%	-14%	44%
कुल	3656	3700	4356
	1%	1%	18%
व्यापार संतुलन	-636	18	-928

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस

(ग) जी, हां। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2003-04 के दौरान उत्तर पूर्वी एशिया में निम्नलिखित देशों के साथ औसत प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई:-

(1) चीन 47%

(2) आरओके 20%

(3) हांगकांग 19%

(ङ) से (छ) जापान के साथ व्यापार संबंधों में सुधार करना भारत सरकार का सतत प्रयास रहता है। इस दिशा में जनवरी, 2005 में जापान के आर्थिक, व्यापारिक एवं उद्योग मंत्री (एमईटीआई) की भारत यात्रा के दौरान, भारत एवं जापान के बीच नीतिगत बातचीत की औपचारिक शुरूआत की घोषणा की गई थी। यह घोषणा भी की गई थी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री एवं जापान के एमईटीआई मंत्री के बीच वार्षिक आधार पर नियमित रूप से मंत्रिस्तरीय वार्ताएं की जाएंगी। इस पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने एक बड़े व्यापारिक शिष्टमंडल के साथ जापान का दौरा किया तथा जापान के आर्थिक, व्यापारिक एवं उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि, वानिकी एवं मत्स्ययन मंत्री तथा विदेश मंत्री के साथ व्यापक वार्ताएं कीं। नीति संबंधी बातचीत चल रही है।

पश्चिम बंगाल में उद्योग

4665. श्री हितेन बर्मन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल में उद्योगों का प्रतिशत कितना है;

(ख) पश्चिम बंगाल में ऐसे कितने शहर हैं जहां नए आर्थिक सुधार कार्यान्वित नहीं किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के उद्योग रहित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर उद्योगों की स्थापना हेतु नई नीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) से (घ) औद्योगिक निवेश संबंधी प्रस्तावों का राज्य-वार वितरण (प्रतिशत में) संलग्न विवरण में दिया गया है।

उदारीकृत औद्योगिक नीति के तहत, उद्योगों को स्थापित करने का निर्णय उद्यमियों की व्यावसायिक समझ पर निर्भर करता है, जो कि राज्य सरकार द्वारा आधारभूत सुविधाएं तथा दूसरे प्रोत्साहनों के तौर पर की गई पहलों पर निर्भर करता है। औद्योगिक विकास मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। केन्द्र सरकार उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करती है जो इसकी विभिन्न स्कीमों के तहत सहायता/प्रोत्साहनों के रूप में होती है, विशेषकर औद्योगिक रूप से अलाभप्रद क्षेत्रों के विकास के लिए। विकास केन्द्र योजना के तहत पश्चिम बंगाल में बोलपुर, जलपाईगुड़ी और मालदा में तीन विकास केन्द्रों को मंजूरी दी जा चुकी है।

विवरण

अगस्त 1991 से फरवरी 2005 के बीच औद्योगिक निवेश संबंधी प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा

(फाइल किए गए औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापनों (आईईएम) और जारी किए गए आशय पत्रों (एलओआई)/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाईसेंसों (डीआईएल) पर आधारित)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निवेश संबंधी प्रस्तावों का वितरण प्रतिशत में
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.01
2.	आंध्र प्रदेश	7.02
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.04
4.	असम	0.59
5.	बिहार	0.31
6.	चंडीगढ़	0.07
7.	छत्तीसगढ़	2.10
8.	दादरा और नगर हवेली	3.02
9.	दमन और दीव	1.38
10.	दिल्ली	0.83
11.	गोवा	0.92
12.	गुजरात	12.31
13.	हरियाणा	5.70
14.	हिमाचल प्रदेश	1.01
15.	जम्मू और कश्मीर	0.53
16.	झारखंड	0.83
17.	कर्नाटक	4.07
18.	केरल	0.95
19.	लक्षद्वीप	0.00
20.	मध्य प्रदेश	3.75
21.	महाराष्ट्र	18.99
22.	मणिपुर	0.00
23.	मेघालय	0.31
24.	मिजोरम	0.00
25.	नागालैंड	0.02

1	2	3
26.	उड़ीसा	1.31
27.	पांडिचेरी	1.00
28.	पंजाब	4.24
29.	राजस्थान	4.54
30.	सिक्किम	0.03
31.	तमिलनाडु	8.90
32.	त्रिपुरा	0.05
33.	उत्तर प्रदेश	8.64
34.	उत्तरांचल	1.04
35.	पश्चिम बंगाल	5.45
36.	एक से अधिक राज्यों में स्थित इकाइयां	0.04
	योग	100.00

नकारात्मक मतदान

4666. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चुनाव में उचित उम्मीदवारों के न पाए जाने पर मतदाताओं को किसी भी उम्मीदवार को मत न देने के विकल्प को चुनने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा नकारात्मक मतदान संबंधी प्रस्ताव को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) मुख्य चुनाव आयुक्त ने सुझाव दिया है कि चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 22 और 49 ख को, एक परन्तुक जोड़ करके उचित रूप से संशोधित किया जाए कि उम्मीदवारों के नाम से संबंधित कॉलम में अन्तिम उम्मीदवार से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, मतपत्र में तथा मतपत्र यूनिट पर ब्यौरों में "उपर्युक्त में से कोई नहीं" कॉलम होगा, जिससे कि मतदाता चाहे; तो सभी उम्मीदवारों को खारिज करने में सक्षम हो सके।

(ग) मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रस्ताव की विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में जांच की गई है। इसके अलावा, यह मामला उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका (ग) 2004 की संख्या 161-पी यू सी एल तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य के अन्तर्गत विचारार्थ लम्बित है।

कोका कोला संयंत्र

4667. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के प्लाछीमाड़ा में कोका कोला संयंत्र को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र के उत्तेजित निवासियों को मुआवजा देने के लिए कंपनी को निदेश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) केरल के प्लाछीमाड़ा में कोका कोला संयंत्र को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। दिनांक 8 मार्च, 2004 के ओ.पी. सं. 7077/04 और दिनांक 7 अप्रैल, 2004 की डब्ल्यू. पी.सी. (रिट पैटीशन सिविल) सं. 1260/04 में केरल के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, कंपनी उक्त संयंत्र से 8 मार्च, 2004 से अपने उत्पादों का उत्पादन नहीं कर रही है।

(ग) और (घ) इस समय में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाएं

4668. श्री के.सी. सिंह 'बाबा' : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण विदेशी प्रशिक्षकों को मोटी रकम देकर बड़ी संख्या में विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाएं प्राप्त करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गयी विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाओं का ब्यौरा क्या है और उन्हें कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय प्रशिक्षकों को अधिक से अधिक संख्या में आगे लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त) : (क) संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों के अनुरोध पर भारत सरकार के अनुमोदन से भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा विदेशी प्रशिक्षक रखे जाते हैं। संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ द्वारा पता लगाए गए पैनल में से, विदेशी प्रशिक्षक चयन समिति विदेशी प्रशिक्षक के जीवन-वृत्त, कार्यकाल और वेतन ढांचे का मूल्यांकन करती है तथा सरकार को उसके अनुमोदन के लिए सिफारिश करती है।

(ख) प्रशिक्षक की क्षमता तथा उनके प्रशिक्षणार्थियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन पर पर्याप्त विचार करने के बाद संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ की सिफारिश पर विदेशी प्रशिक्षकों को रखा जाता है। इससे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकों से आधुनिकतम तकनीकों में प्रशिक्षण लेते हैं।

(ग) 2001-02 से 2004-05 के दौरान रखे गए विदेशी प्रशिक्षकों को भुगतान किए गए वेतन की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) भारतीय प्रशिक्षकों को प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण से संबंधित योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठित विदेशी संस्थानों से आधुनिक प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा जाता है। भारतीय प्रशिक्षक के लिए विदेशी प्रशिक्षकों द्वारा आयोजित किए जा रहे पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के अलावा विदेशी प्रशिक्षकों द्वारा लागू की जा रही विभिन्न प्रशिक्षण पद्धतियों/माड्यूलों को सीखने के लिए राष्ट्रीय शिविरों में विदेशी प्रशिक्षकों के साथ भारतीय प्रशिक्षकों को भी संबद्ध किया जाता है।

विवरण

क्र. सं.	विदेशी प्रशिक्षक/विशेषज्ञ का नाम तथा कार्य रखने की अवधि	खेल विधा	वेतन*
1	2	3	4
	2001-2003		
1.	श्री विक्टर बेल्स्की (15.3.02 से 31.10.02 तक)	एथलेटिक्स (कूद)	भारतीय एथलेटिक्स परिसंघ द्वारा भुगतान किया गया—अन्य सुविधाएं भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई।
2.	श्री वोलोडिमिर हडलिन (18.3.02 से 31.10.02 तक)	एथलेटिक्स (हैमर)	भारतीय एथलेटिक्स परिसंघ द्वारा भुगतान किया गया—अन्य सुविधाएं भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई।
3.	श्री एनाटोली फैटीइव (18.3.02 से 31.10.02 तक)	एथलेटिक्स (संयुक्त)	भारतीय एथलेटिक्स परिसंघ द्वारा भुगतान किया गया—अन्य सुविधाएं भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई।
4.	श्री यूरी ओगोडिनिक (17.4.01 से 31.10.02 तक)	एथलेटिक्स (स्प्रिंट)	2000 अमेरिकी डालर प्रति माह

1	2	3	4
5.	श्री विक्टर ओमेलचेंको (17.4.01 से 31.10.02 तक)	एथलेटिक्स (भालाफेंक)	150 अमेरिकी डालर प्रति माह
6.	श्री सरगेई चेकलीव (17.4.01 से 31.10.02 तक)	एथलेटिक्स (मेसर)	1000 अमेरिकी डालर प्रति माह
7.	सुश्री इन्ना ज्वेरेयेवा (17.4.01 से 31.10.02 तक)	एथलेटिक्स (मेसर)	1200 अमेरिकी डालर प्रति माह
8.	श्री उलादजिमीर पोलाहा (23.11.01 से 31.10.02 तक)	एथेलेटिक्स (मिडिल एण्ड लांग डिस्टेंस)	2000 अमेरिकी डालर प्रति माह
9.	श्री यूरी मिनकोव (23.11.01 से 31.10.02 तक)	एथलेटिक्स	2000 अमेरिकी डालर प्रति माह
10.	श्री वालोदिमीर पोर्टेंको (23.6.02 से 31.10.02 तक)	रिकवरी विशेषज्ञ	1500 अमेरिकी डालर प्रति माह
11.	डा. ओलेक सन्दर के (19.4.01 से 31.10.02 तक)	जीटीरएमटी (विशेषज्ञ)	1500 अमेरिकी डालर प्रति माह
12.	श्री पीटर स्टायानोव (11.8.01 से 31.10.02 तक)	मुक्केबाजी	2000 अमेरिकी डालर प्रति माह
13.	श्री इस्टवान मार्टोन (13.01.02 से 31.10.02 तक)	फेंसिंग	2000 अमेरिकी डालर प्रति माह
14.	श्री लियू सू फा (13.4.01 से एशियाई खेल, 2002 तक)	जिम्नास्टिक्स	2500 अमेरिकी डालर प्रति माह
15.	श्रीमती झांग जिंग (13.4.01 से एशियाई खेल, 2002 तक)	जिम्नास्टिक्स	2000 अमेरिकी डालर प्रति माह
16.	श्री लि झियिन (13.4.01 से एशियाई खेल, 2002 तक)	जिम्नास्टिक्स	1500 अमेरिकी डालर प्रति माह
17.	श्री के कुराब्बानोव (23.6.01 से 31.12.01 तक)	जिम्नास्टिक्स	1000 अमेरिकी डालर प्रति माह
18.	श्री नूसरतखान वेलीव (18.2.02 से 31.10.02 तक)	जूडो	1500 अमेरिकी डालर प्रति माह
19.	श्री निकोली बूलपे (15.3.02 से 31.10.02 तक)	रोइंग	2000 अमेरिकी डालर प्रति माह
20.	श्री अट्टो कवाक्स (8.4.02 से 6 महीनों के लिए)	तैराकी	2000 अमेरिकी डालर प्रति माह
21.	श्री सिंगारावेलू सुब्रमणियम (16.5.02 से 31.10.02 तक)	स्क्वैश रैकेट्स	2500 अमेरिकी डालर प्रति माह—यूएस डालर (1500 प्रति माह फेडरेशन द्वारा)
22.	श्री जोरान डीजोकी (13.12.01 से 1.2.02 तक)	टेबल टेनिस	2000 अमेरिकी डालर प्रति माह
23.	श्री किम चांग हो (23.2.02 से एक वर्ष के लिए)	टेबल टेनिस	1000 अमेरिकी डालर प्रति माह

1	2	3	4
23ए.	श्री किम चोल हो (23.2.02 से एक वर्ष के लिए)	इंटरप्रेटर टेबल टेनिस	–
24.	श्री लिबरमेन लेनिड (26.6.01 से 31.10.02 तक)	कुश्ती (जीआर)	1500 अमेरिकी डालर प्रति माह
25.	श्री स्टानिसलेव हार्लो (25.8.2000 से 31.10.02 तक)	कुश्ती (एफएस)	2000 अमेरिकी डालर प्रति माह
26.	श्री जुन इन सू (1.8.01 से 30.9.01 तक)	तीरंदाजी	2500 अमेरिकी डालर प्रति माह
27.	श्री मो. रजिफ बिन सिदेक (5.10.01 से 10.11.01 तक)	बैडमिंटन	2500 अमेरिकी डालर प्रति माह
28.	श्री कुमुद फूजिया (प्रत्येक बार 20 दिनों के लिए तथा दो बार एशियाई खेल, 2002 तक)	बिलियर्डस व स्नूकर	100 अमेरिकी डालर प्रति दिन
29.	श्री मार्टिन स्पूरमेन्ट (26.5.02 से 7.6.02 और 16-26 जुलाई, 2002 तक)	बिलियर्डस व स्नूकर	100 अमेरिकी डालर प्रति दिन
30.	जीएम इवेजेनी ब्लादीमिरोव (1.5.02 से 25.7.02 और 7.10.02 से एक वर्ष के लिए)	शतरंज	2000 अमेरिकी डालर प्रति माह
31.	श्री मेक्सिम सोरोकिन (27.5.02 से 26.7.02 तक)	शतरंज	2000 अमेरिकी डालर प्रति माह
32.	श्री जुआन गिहा यरूर (प्रत्येक बार 15 दिनों के लिए और वर्ष में 4 बार)	निशानेबाजी	129 अमेरिकी डालर प्रति दिन
33.	श्री मारकेलोडार्डी (प्रत्येक बार 15 दिनों के लिए और वर्ष में 4 बार)	निशानेबाजी	129 अमेरिकी डालर प्रति दिन
34.	श्री टाइबर गॉंगजोल (प्रत्येक बार 21 दिन के लिए और वर्ष में 4 बार)	निशानेबाजी	129 अमरिकी डालर प्रतिदिन
35.	श्री डिजोकिक जोरान (11-28 अप्रैल, 2002 तक)	टेबल टेनिस	129 अमरिकी डालर प्रतिदिन
36.	श्री क्रिस्टोफर बेनार्ड केल्ली (19-30 अप्रैल, 2002 तक)	यार्टिंग	125 अमरिकी डालर प्रतिदिन
37.	श्री पीटर मार्टिन (21-31 मई, 2002 तक तथा 23.9.02 से 9.10.02 तक)	यार्टिंग	125 अमरिकी डालर प्रतिदिन
38.	श्री कीथ विलकिंस (11-25 जून, 2002 तक)	यार्टिंग	125 अमरिकी डालर प्रतिदिन
39.	श्री रिचर्ड इस्टोघ (10 दिन के लिए)	यार्टिंग	129 अमरिकी डालर प्रतिदिन
40.	श्री ट्रेवर मिलर (16 दिन के लिए)	यार्टिंग	129 अमरिकी डालर प्रतिदिन

1	2	3	4
41.	श्री एन्ड्रयू रुशवर्थ (23.9.02 से 9.10.02 तक)	यार्टिंग	129 अमरिकी डालर प्रतिदिन
42.	श्री रोलिन कैम्पबेल (25.9.02 से 9.10.02 तक)	यार्टिंग	129 अमरिकी डालर प्रतिदिन
		2003-2004	
1.	डा. लैक्स बरट्रेंड (4-11 मई, 21 जून से 16 जुलाई, 14-28 अगस्त, 11-25 सितंबर, 2003 और 17 मार्च से 11 अप्रैल तथा 2-16 मई, 2004)	यार्टिंग-470 क्लास	129 अमरिकी डालर प्रतिदिन
2.	श्री अलिकसेई हासपाड्रिक (16.11.2003 से 15.11.2004 तक)	रिकवरी एक्स्पर्ट	1000 अमरिकी डालर प्रति माह
3.	श्री एंड्रयू रूशवर्थ (20 मई से 29 जून और 14-18 अगस्त तथा 11-25 सितंबर 2003)	यार्टिंग-स्टार क्लास	129 अमरिकी डालर प्रतिदिन
4.	श्री एंड्रिस मालिना (22.11.2003 से 30.9.04 तक)	कुश्ती (जीआर)	2500 अमरिकी डालर प्रति माह
5.	श्री चेई वूंग लिंग (7.1.2003 से 31.7.2003 तक)	तीरंदाजी	2500 अमरिकी डालर प्रति माह
6.	श्री क्रिस केली (16-27 जुलाई, 2003 तक)	यार्टिंग-420 क्लास	129 अमरिकी डालर प्रतिदिन
7.	श्री इवजेनिंग ब्लादीमीरोव (1.5.2003 से 15.6.2003 तक)	शतरंज	2500 अमरिकी डालर प्रति माह
8.	श्री फेड्रिक लूफ (31.1.2004 से 5.2.2004 तक)	यार्टिंग	129 अमरिकी डालर प्रतिदिन
9.	श्री हाडी सुगिंटो (15.1.2004 से 1.4.2005 तक)	बैडमिंटन	2500 अमरिकी डालर प्रति माह
10.	श्री हारिस्टो पेटकोव (9.3.2003 से 31.10.2003 तक)	वालीबाल	1500 अमरिकी डालर प्रति माह
11.	श्री ल्यूबर्ड हस्टेक (14.1.2004 से 27.2.2004 तक)	टेबल टेनिस	129 अमरिकी डालर प्रतिदिन
12.	श्री एस्तावन मार्टन (10.1.2004 से 9.12.2004 तक)	फेंसिंग	2000 अमरिकी डालर प्रति माह
13.	श्री इवान इओटोव (5.3.2004 से 15.9.2004 तक)	तीरंदाजी	2500 अमरिकी डालर प्रति माह
14.	श्री जानोफ ज्ञानजियोसी (20.6.2004 से 2 माह के लिए)	कयाकिंग व केनोइंग	2000 अमरिकी डालर प्रति माह
15.	श्री जूलियन बेथवेटे (6-12 जुलाई, 2003, 14-28 अगस्त, 2003, 11-25 सितंबर, 2003 तथा 3-22 अप्रैल, 2004)	यार्टिंग 48 इयर क्लास	125 अमरिकी डालर प्रतिदिन
16.	श्री लियोनिड टारानेको (13.1.2004 से 28.8.2004 तक)	भारोत्तोलन	3000 अमरिकी डालर प्रति माह

1	2	3	4
17.	श्री लिसेंको एलेक्सेंद्री (5.4.2003 से 4.5.2003 तक)	शतरंज	2500 अमरिकी डालर प्रति माह
18.	श्री मैक्सिम सारोकिम (5.4.2003 से 4.5.2003 तक)	शतरंज	2500 अमरिकी डालर प्रति माह
19.	श्री निकोलाई वियूलपे (10.5.2003 से 15.9.2004 तक)	रोइंग	2000 अमरिकी डालर प्रति माह
20.	श्री पेरबागोई (23 जनवरी से 4 फरवरी, 2004, 1-14 मार्च, 2004, 16 मार्च से 2 अप्रैल, 2004, 20 अप्रैल, 2 मई, 2004)	यार्टिंग-स्टार क्लास	129 अमरिकी डालर प्रतिदिन
21.	श्री पीटर मार्टिन (18.12.2003 से 2.1.2004 तक)	यार्टिंग (सब-जूनियर) आप्टीकमस्ट	129 अमरिकी डालर प्रतिदिन
22.	श्री रोड हेगबाल्स (4-25 जनवरी, 2003 तक)	यार्टिंग	129 अमरिकी डालर प्रतिदिन
23.	श्री रूस्लान सेचरबाकोव (7 अप्रैल से 21 मई, 2003, 1 अक्टूबर, 2003 से 31 मार्च, 2004)	शतरंज	2500 अमरिकी डालर प्रति माह
24.	श्री एस. सुब्रामणियम (1.11.2002 से 31.10.2004 तक)	स्क्वैश	2500 अमरिकी डालर प्रति माह
25.	श्री ट्रैवीर मिलर (20 अप्रैल, से 20 मई, 2004 तक)	यार्टिंग-लेसर क्लास	129 अमरिकी डालर प्रतिदिन
26.	मि. व्लादीमेर मेस्टवीरशिविली (22.6.2003 से 30.9.2004 तक)	कुश्ती (फ्री स्टाइल)	2500 अमरिकी डालर प्रतिमाह
27.	श्री ब्लादीमीर पेट्रोबेको (17.10.2003 से 16.10.2004 तक)	रिकवरी एक्सपर्ट	2000 अमरिकी डालर प्रमिमाह
28.	मि. ब्लादीमीर हडलीन (14.7.2004 से 1 वर्ष तक)	एथलेटिक्स (थ्रो)	1500 अमरिकी डालर प्रतिमाह
29.	मि. यीन वेई (17.3.2004 से 31.8.204 तक)	टेबल टैनिस	1200 अमरिकी डालर प्रतिमाह
30.	मि. युरी मिनाकोव (16.11.2003 से 15.11.2004 तक)	एथलेटिक्स (थ्रो)	2000 अमरिकी डालर प्रतिमाह
31.	मि. यूरी ओगोरोनिक (15.7.2003 से 31.10.2004 तक)	एथलेटिक्स (स्प्रिंट)	2500 अमरिकी डालर प्रतिमाह
32.	मि. बी.आई. फर्नांडीज (20.6.2004 से 31.8.2004 तक)	मुक्केबाजी	1500 अमरिकी डालर प्रतिमाह
33.	मिस इन्ना जेवेरेया (16.11.2003 से 15.11.2004 तक)	रिकवरी एक्सपर्ट	1200 अमरिकी डालर प्रतिमाह
	2004-2005		
1.	डा. लेक्स बेट्रांनड (2 से 16 मई 2004 तक)	यार्टिंग-470 क्लास	129 अमरिकी डालर प्रतिदिन

1	2	3	4
2.	मि. अलिक्से हास्यादर्क (16.11.2003 से 15.11.2004 तक)	रिकवरी एक्सपर्ट	1000 अमरिकी डालर प्रतिमाह
3.	मि. आंद्रेज मालिनी (22.11.2003 से 30.9.2004 तक)	कुश्ती (जी.आर.)	2500 अमरिकी डालर प्रतिमाह
4.	मि. चे वूंग लिम (7.1.2003 से 12.6.2003 तक)	तीरंदाजी	3000 अमरिकी डालर प्रतिमाह
5.	मि. हादी सुगिंतो (15.1.2004 से एशियाई खेल, 2006 तक)	बैडमिंटन	2500 अमरिकी डालर प्रतिमाह
6.	मि. स्यूबर्ट हस्टेक (31.3.2006 तक)	टेबल टैनिस	129 अमरिकी डालर प्रतिदिन
7.	मि. इस्तवान मार्टोन (10.1.2004 से 9.12.2004 तक)	फेन्सिग	2000 अमरिकी डालर प्रतिमाह
8.	मि. आइवन इटोव इवानोव (5.3.2004 से 31.8.2004 तक)	तीरंदाजी	2500 अमरिकी डालर प्रतिमाह
9.	मि. जानोस गयोसी (20.6.2004 से 20.7.2004 तक)	केनायकिंग और कैनोइंग	2000 अमरिकी डालर प्रतिमाह
10.	मि. जुलियन बेथवेट (3 से 22 अप्रैल, 2004 और 11 से 25 अगस्त 2004 तक)	याटिंग 48 वर्ग	125 अमरिकी डालर प्रमिदिन
11.	मि. लियोनिड टारानेको (13.1.2004 से 28.8.2004 तक)	भारोत्तोलन	3000 अमरिकी डालर प्रतिमाह
12.	मि. निकोले वुल्पे (10.5.2003 से 15.9.2004 तक)	रोइंग	2000 अमरिकी डालर प्रतिमाह
13.	मि. पेर बागोई (16 मार्च से 2 अप्रैल, 2004 और 20 अप्रैल से 2 मई 2004 तथा 11 से 25 जुलाई, 2004 तक)	याटिंग-स्टार क्लास	129 अमरिकी डालर प्रतिदिन
14.	मि. एस. सुब्रामनियम (1.11.2002 से 31.10.2005 तक)	स्क्वैश	2500 अमरिकी डालर प्रतिमाह
15.	मि. ट्रेवोर मिलर (20.4.2004 से 20.5.2004 तक)	याटिंग-लेसर क्लास	129 अमरिकी डालर प्रतिदिन
16.	मि. ब्लादीमेर मेस्टवीरीशविली (22.6.2003 से 30.9.2004 तक)	कुश्ती (भारोत्तोलन)	2000 अमरिकी डालर प्रतिमाह
17.	मि. ब्लादीमीर पोट्रेबेन्को (17.10.2003 से 16.10.2004 तक)	रिकवरी एक्सपर्ट	2000 अमरिकी डालर प्रतिमाह
18.	मि. वोलोयदमीर हुडलीन (15.7.2003 से 14.7.2004 तक)	एथलेटिक्स (थ्रो.)	1500 अमरिकी डालर प्रतिमाह
19.	मि. यीन वेई (17.3.2004 से 31.8.2004 तक)	टेबल टैनिस	1200 अमरिकी डालर प्रतिमाह
20.	मि. यूरी मिनाकोव (16.11.2003 से 15.11.2004 तक)	एथलेटिक्स (थ्रो.)	2000 अमरिकी डालर प्रतिमाह
21.	मि. यूरी ओगोरोदिनिक (15.7.2003 से 31.10.2004 तक)	एथलेटिक्स (स्प्रिंट)	2500 अमरिकी डालर प्रतिमाह
22.	मि. बी.आई. फर्नांडीज (20.6.2004 से 31.8.2005 तक)	मुक्केबाजी	1500 अमरिकी डालर प्रतिमाह

1	2	3	4
23.	मि. ईन्ना जेवेरेय (16.11.2003 से 15.11.2004 तक)	रिकवरी एक्सपर्ट	1200 अमरिकी डालर प्रतिमाह
24.	मि. एंथनी स्टीवेन फिलिप (29.11.2004 से 31.12.2004 तक)	यार्टिंग	129 अमरिकी डालर प्रतिदिन
25.	मि. रिचर्ड इस्टोध (अगस्त 2004 में 15 दिनों के लिए)	यार्टिंग	125 अमरिकी डालर प्रतिदिन
26.	मि. जर्ब एजमाईपराशिवली (14.9.2004 से 30.9.2004 तक तथा 1.10.2004 से 14.10.2004 तक)	शतरंज	129 अमरिकी डालर प्रतिमाह
27.	मि. इवेगेनी ब्लादीमिरोव (सितम्बर 2004 से फरवरी 2005 तक)	शतरंज	3000 अमरिकी डालर प्रतिमाह
28.	मि. रुसलान स्केरवाकोव (सितम्बर 2004 से फरवरी 2005 तक)	शतरंज	3000 अमरिकी डालर प्रतिमाह
29.	मि. एज्जूकसाक लासजेवो (2.11.2004 से एशियाई खेल 2006 तक)	शूटिंग	3500 अमरिकी डालर प्रतिमाह
30.	मि. क्सावा ग्योरिक (3.1.2005 से 2.1.2006 तक)	शूटिंग	2000 अमरिकी डालर प्रतिमाह
31.	मि. स्टेनिसलाव लापीडस (एक वर्ष के लिए)	शूटिंग	2500 अमरिकी डालर प्रतिमाह
32.	मि. ओलेकसन्दर क्रावचेको (एक वर्ष के लिए)	एथलेटिक्स (संयुक्त विधा)	1500 अमरिकी डालर प्रतिमाह
33.	मि. ईवजेनी श्वीलावी (एक वर्ष के लिए)	एथलेटिक्स (जम्पिंग विधा)	2000 अमरिकी डालर प्रतिमाह
34.	डा. निकोलाई सानासारेव (एक वर्ष के लिए)	एथलेटिक्स (लंबी और मध्यम दूरी)	3000 अमरिकी डालर प्रतिमाह (1500 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा 1500) टिस्को प्राधिकारी
35.	मि. स्टेहेन कॉस्टानटाइन (19.11.2004 से 15.6.2005 तक)	फुटबाल	2500 अमरिकी डालर प्रतिमाह
36.	मि. इवो जोस डी ओलीवेरा (एक वर्ष के लिए)	वालीबाल	2200 अमरिकी डालर प्रतिमाह
37.	मि. ओट्टर हाल्डोरसेन (31.1.2005 से 20.2.2005 तक)	स्कीइंग (क्रास कंट्री)	129 अमरिकी डालर प्रतिदिन
38.	मि. टोक्यू सासाकी (10.2.2005 से 24.2.2005 तक)	स्कीइंग (एल्पाइन)	129 अमरिकी डालर प्रतिदिन

*धनराशि में अन्य सुविधाएं जैसे प्रशिक्षक के संबंध में तथा दीर्घावधि के लिए रखे प्रशिक्षकों के पति/पत्नी और 1 बच्चे के जाने-आने की यात्रा लागत; सरकारी दौरों के लिए घरेलू यात्रा लागत; उसके मुख्यालय के अलावा अन्य स्थानों पर शिविरों के दौरान भोजन/आवास तथा परिवहन सुविधाएं; प्रशिक्षकों के संबंध में जीवन और चिकित्सा बीमा तथा दीर्घावधिक कार्य के लिए पति/पत्नी और 1 बच्चे के लिए चिकित्सा बीमा शामिल नहीं है।

विस्थापित लोगों के लिए स्थापित की गयी कॉलोनियां

4669. श्री बसुदेव आचार्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 1 जनवरी, 1955 से 25 मार्च, 1971 के दौरान पूर्ववर्ती ईस्ट पाकिस्तान से विस्थापित होकर पश्चिम बंगाल में बसे लोगों द्वारा अवैध रूप से बसायी गयी कालोनियों को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार के समक्ष मंजूर की गयी सूची में शामिल न की गयी अवैध रूप से बसायी गयी एक कॉलोनी को शामिल करने का मामला भेजा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है;

(ङ) क्या भारत सरकार ने विस्थापित लोगों द्वारा बसायी गयी 346 ग्रामीण कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निधियां भी मंजूर की है;

(च) यदि हां, तो क्या इस संबंध में निधियां जारी की गयी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) भारत सरकार, पूर्ववर्ती ईस्ट पाकिस्तान से विस्थापितों द्वारा पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनियों की अनुमोदित सूचियों में भूमि के अधिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है। 1.1.1951 और 25.3.1971 के बीच बसाई गई 607 अवैध कॉलोनियों के संबंध में आखिरी सूची 1987 में अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त के साथ अनुमोदित की गई थी कि भारत सरकार आगे और कोई भी सूची स्वीकार नहीं करेगी और वर्तमान सूची को अंतिम माना जाएगा।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। राज्य सरकार से समुचित निर्णय लेने में मदद करने हेतु आवश्यक सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) से (ज) भारत सरकार ने योजना आयोग के साथ परामर्श करके विस्थापित लोगों की ग्रामीण कॉलोनियों में आधारभूत सुविधाओं के विकास संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया है। योजना आयोग ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को इस प्रस्ताव को 2005-06 में राज्य योजना परिव्यय के अंतर्गत एक-बारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुदान के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली प्राथमिक वाली परियोजनाओं की सूची में शामिल करने की सलाह दी जाए। पश्चिम बंगाल सरकार से 01.04.2005 को तदनुसार अनुरोध किया गया है।

दिल्ली में पार्किंग की समस्या

4670. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि चांदनी चौक, फतेहपुरी, सदर बाजार आदि में जाने वाले लोगों को अपने वाहनों को खड़ा करने में कठिनाई होती है क्योंकि पार्किंग स्थल या तो बंद मिलते हैं या वे भरे होते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने जनता को पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या दिल्ली की सड़कों की स्थिति खराब है जिससे हल्के वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और ऐसी घटनाएं भी घट जाती है जिनसे बचा जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने सड़कों की मौजूदा स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये हैं और इनकी स्थिति कब तक सुधारी जायेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) पुराने शहर के चांदनी चौक, फतेहपुरी और सदर बाजार जैसे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में आने वाले लोगों के सभी वाहनों के लिए, जगह की कमी और वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण, पार्किंग सुविधाएं प्रदान करना कठिन है। तथापि, दिल्ली नगर निगम ने गांधी ग्राऊंड, बाग दिवार, राधा मोहन क्लब, गांधी मैदान, लाजपत राय मार्किट, परेड ग्राऊंड, चर्च मिशन रोड और सदर बाजार के नजदीक पार्किंग सुविधाएं प्रदान की हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली में आमतौर पर सड़कें अपेक्षित विशिष्टियों वाली हैं और उन्हें संतोषजनक स्थिति में बनाए रखने की आवश्यकता पड़ने पर उनकी आवश्यक मरम्मत की जाती है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती

4671. श्री हरिभाऊ राठौड़ :
श्री नवीन जिन्दल :
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में शिक्षक वर्ग की संस्थानवार कितनी रिक्तियां हैं और इन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या इन संस्थानों के शिक्षकों में अपने वेतन भत्तों और अन्य सेवा संबंधी दशाओं विशेषकर इस बात को लेकर कि इन संस्थानों के विद्यार्थियों को इन शिक्षकों से बेहतर वेतन मिल रहे हैं; असंतोष व्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तत्काल आधार पर क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गयी है/की जानी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीमावर्ती क्षेत्रों में मदरसे

4672. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-नेपाल सीमा पर स्थित मदरसों को सऊदी अरब, ईरान, बांग्लादेश, कुवैत और पाकिस्तान जैसे देशों से भारी वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या अवैध घुसपैठियों और प्रवासियों के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या अनुपात में भारी परिवर्तन आया है जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) अपुष्ट रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि भारत-नेपाल सीमा पर भारत की तरफ के क्षेत्रों में स्थित कुछ मदरसें विदेशों में स्थित संगठनों से धन प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) और (घ) चूंकि भारत और नेपाल के बीच वीजा-मुक्त शासन-प्रणाली है जिसके तहत दोनों देशों के राष्ट्रिक स्वेच्छा से सीमा पार कर सकते हैं इसलिए इन क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ/प्रवासन का प्रश्न ही नहीं उठता है।

आपराधिक विधि

4673. श्री रनेन बर्मन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने बलात्कार और बच्चों के साथ यौनाचार के अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करने वाले नये उपबन्धों को आपराधिक विधि में शामिल करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि बलात्कार के सभी मामले विशेष अदालतों द्वारा ही देखे जाने चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-कौन सी अनुवर्ती कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) साक्षी, इन्टरवेंशन फार सपोर्ट, हीलिंग एण्ड अवएयरनेस (आई एफ एस एच ए), अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (ए आई डी डब्ल्यू ए) तथा राष्ट्रीय महिला आयोग (एन सी डब्ल्यू) जैसे विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात्- भारत के विधि आयोग ने 'बलात्कार कानूनों की समीक्षा' पर अपनी 172वीं रिपोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में अपराध के क्षेत्र को विस्तृत बनाने तथा इसे लिंग सापेक्ष बनाने हेतु, इसमें परिवर्तनों की सिफारिश की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376क से 376घ में अन्य विभिन्न परिवर्तन करने तथा गैर कानूनी यौन सम्पर्क

से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता में 376(ङ) नई धारा को शामिल करने, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को समाप्त करने तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 509 में सजा को बढ़ाने की भी सिफारिश की है। विधि आयोग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में अनुवर्ती परिवर्तनों की भी सिफारिश की है।

(ग) एक गैर सरकारी संगठन ने भारत के विधि आयोग को सुझाव दिया है कि यौन शोषण के सभी मामलों का विचारण विशेष न्यायालयों, जिनमें यौन शोषण के मामलों में विशेष रूप से प्रशिक्षित/सुग्राहित न्यायाधीश, अभियोजक और सलाहकार हों, द्वारा किया जाना चाहिए। विधि आयोग ने इसे अपनी सिफारिश के भाग के रूप में सम्मिलित नहीं किया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

महिलाओं के कल्याण और बाल विकास हेतु प्रस्ताव

4674. मो. मुकीम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं/बालिकाओं के संरक्षण, कल्याण और पुनर्वास के लिए भेजे गये प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) अब तक कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है और राज्य-वार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(घ) शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) से (घ) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर आवश्यकता-आधारित लक्ष्यों के अनुसार विचार किया जाता है। अतः, इन स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु धनराशि का राज्य-वार आबंटन निर्धारित नहीं किया जाता है।

विभाग की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का ब्यौरा विभाग की वार्षिक रिपोर्टों तथा विभाग के वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

बालिकाओं के संरक्षण एवं कल्याण हेतु चलाई जा रही बालिका समृद्धि योजना हेतु निर्मुक्त धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31.3.2005 तक की स्थिति के अनुसार, बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत निर्मुक्त और प्रयुक्त राशि तथा लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल निर्मुक्त राशि (1997 से 2005)*	कुल प्रयुक्त राशि	वर्ष 2004-05 के दौरान निर्मुक्त राशि	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1405.54	1137.33	500.21	229978
2.	अरुणाचल प्रदेश	24.85	18.27	00	3654
3.	असम	594.02	561.25	00	112250

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	2623.91	690.00	00	138000
5.	गोवा	16.41	8.50	00	1700
6.	गुजरात	982.31	489.80	400.00	104123
7.	हरियाणा	291.74	226.02	63.29	45203
8.	हिमाचल प्रदेश	115.97	94.86	00	18972
9.	जम्मू व कश्मीर	229.99	156.47	00	31294
10.	कर्नाटक	1417.73	927.37	490.36	178508
11.	केरल	875.47	275.47	600.00	128877
12.	मध्य प्रदेश	2247.21	1593.99	258.78	351229
13.	महाराष्ट्र	1146.40	691.21	00	138242
14.	मणिपुर	41.41	21.80	00	4360
15.	मेघालय	57.83	38.19	19.00	5333
16.	मिजोरम	18.72	18.72	30.00	3744
17.	नागालैंड	13.22	7.14	00	1428
18.	उड़ीसा	2093.65	1412.42	620.00	282471
19.	पंजाब	432.65	196.43	236.22	32280
20.	राजस्थान	837.62	811.09	00	162218
21.	सिक्किम	15.43	10.49	3.50	2097
22.	तमिलनाडु	575.97	350.40	00	70080
23.	त्रिपुरा	144.20	83.20	60.00	16640
24.	उत्तर प्रदेश	3311.77	1636.54	00	327308
25.	पश्चिम बंगाल	924.16	690.22	00	138044
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	4.15	0.57	00	114

1	2	3	4	5	6
27.	चण्डीगढ़	5.50	3.83	00	766
28.	दादरा व नगर हवेली	5.91	3.93	1.98	804
29.	दमन व दीव	1.87	0.59	00	118
30.	दिल्ली	50.17	28.08	00	5616
31.	लक्षद्वीप	1.96	0.58	00	116
32.	पाण्डिचेरी	34.51	10.06	18.60	3182
33.	छत्तीसगढ़	593.90	593.90	393.90	78780
34.	झारखंड	100.00	63.66	00	12732
35.	उत्तरांचल	379.24	100.00	279.24	30848
	कुल	21615.69	12952.38	3975.08	2661109

*वर्ष 2004-05 के दौरान निर्मुक्त 3975.08 लाख रुपये की राशि शामिल है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महिला कोष

4675. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला कोष गैर-सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी एजेन्सियों के माध्यम से सहायता प्रदान करके डेयरी, कृषि, दुकानदारी, हस्तशिल्पों की बिक्री जैसी आय प्रदान करने वाले कार्यकलाप आरंभ करने के लिए महिलाओं को ऋण सहायता अथवा लघु वित्त सहायता प्रदान करता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऋण की शीघ्र वसूली और चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही के लिए क्या कदम उठाये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) देय ऋण की वसूली के लिए निम्नलिखित उपयुक्त कार्रवाई की जाती है:-

(क) कानूनी नोटिस जारी किया जाता है।

(ख) न्यायालय में सिविल मुकदमा दायर किया जाता है।

(ग) विवाचन कार्रवाई शुरू की जाती है।

(घ) दोषी गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को काली सूची में डाल दिया जाता है।

[हिन्दी]

एक्सचेंज ऑफ विजिट्स बाय ट्रायबल्स

4676. श्री कैलाश बैठा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आरंभ की गयी "एक्सचैंज आफ विजिट्स बाय ट्रायबल्स" नामक केन्द्रीय योजना के लिए क्या अर्हता है;

(ख) राज्यों के चयन के क्या मानदंड हैं;

(ग) लाभार्थियों का चयन किस एजेंसी के माध्यम से किया जाता है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत और अधिक राज्यों विशेषकर बिहार को शामिल करने का हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) "जनजातियों द्वारा परस्पर भ्रमण" नामक केन्द्रीय योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का अनुसूचित जनजाति का कोई भी लाभार्थी, जिसकी आय गरीबी रेखा से ऊपर न हो, चुना जा सकता है। फिर भी, सांस्कृतिक विनियम या खेलकूद के लिए लाभार्थी को व्यावसायिक रूप से योग्य होना चाहिए एवं उसकी आय 5000/- रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) लाभार्थियों का चयन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है।

(घ) और (ङ) यह योजना बिहार सहित सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में लागू है।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वयंसेवक कार्यक्रमों में कार्य करने के लिए भेजे गए भारतीय

4677. श्री सनत कुमार मंडल : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वयंसेवक कार्यक्रमों में कार्य करने के लिए भारतीय लोगों को भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षो के दौरान कितने भारतीयों को स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने के लिए भेजा गया और कौन-कौन से देशों में इन स्वयंसेवकों को भेजा गया;

(ग) किसी विशेष देश में इन स्वयंसेवकों की सामान्य कार्य अवधि कितनी है; और

(घ) उन्हें क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) किसी एक विशेष देश में स्वयंसेवकों की सामान्य कार्य अवधि 24 महीनों की होती है।

(घ) इन स्वयंसेवकों के लिए सुविधाओं में स्वैच्छिक जीवन भत्ता (760 से 2000 यू.एस. डालर तक), सैटलिंग-इन-ग्रांट प्लस, पुनर्स्थापन भत्ता, बीमा कवर, यात्रा अनुदान आदि शामिल हैं।

विवरण

नवंबर 2002 से आज की तारीख तक विदेशों में तैनात किए गए भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ स्वयंसेवकों .(यू.एन.वी.) की सूची

क्र. सं.	लिंग	नाम	पदनाम	तैनाती का देश/ स्थान	तैनाती का तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	महिला	आरती डी. मित्रा	यूएनवी डिस्पेंसरी चिकित्सक	डीपीआर कोरिया	07.11.2002
2.	पुरुष	कुलबंत सिंह	यूएनवी सिचाई/जल प्रबंधन सलाहकार	लाओ	17.11.2002
3.	पुरुष	जगदीश प्रसाद यादव	यूएनवी सामाजिक निगरानी विश्लेषक	मार्शल आईलैण्ड, फिजी	09.02.2003
4.	पुरुष	मोहसिन मोहिद्दीन	यूएनवी मूवकोन अधिकारी	कांगो	21.02.2003

1	2	3	4	5	6
5.	पुरुष	सैय्यद सिद्दकी	यूएनवी मानव अधिकार अधिकारी	एरीट्रीया/इथोपिया	16.02.2003
6.	महिला	जीजो मोल जोसफ	यूएनवी नर्स	कोसोवो	25.01.2003
7.	पुरुष	जाय अरूलरोज डेनियल	यूएनवी आईसीटी विकास सलाहकार	श्रीलंका	
8.	पुरुष	अजय चवरूलकटिल जौन	यूएनवी हैल्प डेस्क विशेषज्ञ	डिली, यूएसए	05.03.2003
9.	पुरुष	सतविंदर पाल सिंह	यूएनवी सीओई इंस्पेक्टर	कांगो	
10.	पुरुष	विकक्षित कमल गुड़िया	यूएनवी डाक्टर	कोसोवो	22.05.2003
11.	पुरुष	चेस्टर बी फर्नांडिस	यूएनवी लोजिस्टिक सहायक	कोसोवो	07.06.2003
12.	पुरुष	बाबू कोका हनुमंथा	यूएनवी क्षेत्रीय क्षेत्र समन्वयक	अफगानिस्तान	24.07.2003
13.	महिला	रजीता बाल रामोहंती	यूएनवी रिइंटीग्रेशन अधिकारी	सेयरालॉन	17.07.2003
14.	पुरुष	रामराज नरसिंहगम	प्रोजेक्ट मैनेजर	श्रीलंका	27.07.2003
15.	पुरुष	विपिन कुमार	यूएनवी हार्डवेयर रख-रखाव कार्यालय	कोसोवो	14.08.2003
16.	पुरुष	परमजीत सिंह	यूएनवी रेडियो टेक्नीशियन	कोसोवो	04.09.2003
17.	पुरुष	जगदीश कुमार	यूएनवी रेडियो टेक्नीशियन	कोसोवो	04.09.2003
18.	पुरुष	गगन कुमार	यूएनवी साफ्टवेयर डवलपमेंट	कोसोवो	04.09.2003
19.	महिला	शिवा आबिदी	यूएनवी प्रोग्राम आफिसर	इंडोनेशिया	10.09.2003
20.	पुरुष	जार्ज मेलमाना	यूएनवी सूचना, मूल्यांकन टीम नेतृत्व निगरानी	अफगानिस्तान	05.11.2003
21.	पुरुष	निलेश कुमार सुरेन्द्र बुद्धा	यूएनवी मेडिकल डाक्टर	ट्रीनीनाड व टाबेगो	20.12.2003
22.	महिला	अरूणा देवी वैल्लुरी समाबेदन	यूएनवी मेडिकल डाक्टर	ट्रीनीनाड व टाबेगो	29.10.2003
23.	महिला	रश्मि सिंह	यूएनवी मेडिकल डाक्टर	ट्रीनीनाड व टाबेगो	29.10.2003
24.	पुरुष	आनंद कुमार मल्होत्रा	यूएनवी मेडिकल डाक्टर	ट्रीनीनाड व टाबेगो	31.10.2003
25.	पुरुष	मुकेश प्रजापति	यूएनवी मेडिकल डाक्टर	ट्रीनीनाड व टाबेगो	29.10.2009
26.	महिला	रमिन्द्र ढिल्लन	यूएनवी मेडिकल डाक्टर	ट्रीनीनाड व टाबेगो	29.10.2003

1	2	3	4	5	6
27.	पुरुष	राजेश बुद्धिराजा	यूएनवी रिजिनल रजिस्ट्रेशन सुपरवाइजर	अफगानिस्तान	02.11.2003
28.	पुरुष	वीरेन्द्र पाल सिंह सहगल	यूएनवी रिजिनल रजिस्ट्रेशन सुपरविजन	अफगानिस्तान	02.11.2003
29.	पुरुष	सुनील थाईखानडियल	यूएनवी टेलीकम्युनिकेशन टेक्नीशियन	अफगानिस्तान	27.10.2003
30.	महिला	सुशांत टेपेटो	यूएनवी वकील (यूएनएचसीआर द्वारा वित्त पोषित स्वयंसेवक	सुडान	12.11.2003
31.	पुरुष	चन्द्रशेख पकाला वेंकट	यूएनवी इलैक्ट्रोलर एडवाइजर	लाईबेरिया	21.02.2004
32.	पुरुष	तनवीर करीम	यूएनवी मेडिकल डाक्टर	ट्रीनीनाड व टाबेगो	04.12.2003
33.	पुरुष	सुनील सचदेवा	यूएनवी मेडिकल डाक्टर	ट्रीनीनाड व टाबेगो	27.10.2003
34.	पुरुष	गणेश कानन	यूएनवी ग्राहक सहायता सहायक	कोसोवो	22.10.2003
35.	पुरुष	रघुवीर थिरूखोवलूर	यूएनवी लोटस नोट्स टेक्नीशियन	लाईबेरिया	30.11.2003
36.	पुरुष	रामकिशोर प्रसाद सिंह	प्रोजेक्ट आफिसर	सूडान	30.11.2003
37.	पुरुष	हरीश कांतिलाल राजा	यूएनवी डाटा बेस प्रबंधक	कोंगो	03.01.2004
38.	पुरुष	कानागशबापथि अमबालबन	यूएनवी वरिष्ठ परियोजना सलाहकार	ऐरिटेरिया	09.01.2004
39.	पुरुष	अजित संधे	यूएनवी प्रोटेक्शन आफिसर	ऐरिटेरिया	18.01.2004
40.	महिला	कामिनी कारलेकर	यूएनवी वकील	सूडान	18.01.2004
41.	पुरुष	सुलील जेकब काननयेखल	यूएनवी इंजीनियरिंग डिजाइन असिस्टेंट	लाईबेरिया	21.02.2004
42.	पुरुष	चन्द शेखर शर्मा	यूएनवी रेडियो टेक्नीशियन	कोंगो	26.02.2004
43.	पुरुष	संजय राणा	यूएनवी जनरेटर मेकेनिक	सिरालियोन	01.03.2004
44.	पुरुष	विजय दत्त	यूएनवी निर्माण स्थल फोरमेन	लाईबेरिया	27.02.2004
45.	पुरुष	मुकेश कुमार श्रीवास्तव	यूएनवी भंडार प्रबंधन सहायक	लाईबेरिया	27.02.2004
46.	पुरुष	संजय कुमार सिंह	यूएनवी जेनरेटर मेकेनिक	लाईबेरिया	28.02.2004
47.	पुरुष	श्रीनिवासु पारूपति	यूएनवी डाटा बेस प्रबंधक	कोंगो	07.03.2004
48.	पुरुष	राहुल मिधा	यूएनवी मूवकोन सहायक	कोंगो	19.03.2004

1	2	3	4	5	6
49.	महिला	भारती देवी	यूएनवी गायनाकलोजिस्ट/आबेस्ट्रीशियन	लिलोंगेवे	04.05.2003
50.	महिला	आशा मिश्रा	यूएनवी मेडिकल डाक्टर	ट्रीनीनाड व टाबेगो	27.04.2004
51.	पुरुष	प्रशांत कुमार मिश्रा चौधरी	यूएनवी मेडिकल डाक्टर	ट्रीनीनाड व टाबेगो	22.04.2004
52.	पुरुष	संजय कुमार नाथ	आईटी सहायक यूएनडीपी अफगानिस्तान	अफगानिस्तान	21.06.2004
53.	पुरुष	अकील अहमद	आंचलिक पंजीकरण समन्वयक कंबोडिया	कंबोडिया	20.06.2004
54.	परुष	मनवीर सिंह	जेनरेटर सुपरवाइजर	अफगानिस्तान	21.06.2004
55.	पुरुष	विकास विश्वांभरन	आई टी असिस्टेंट	कोंगो	12.06.2004
56.	पुरुष	परमेश्वरन पिल्लई जनार्धरन नय्यर	यूएनवी फाइनेंस असिस्टेंट	कोट डि लिवोरे	05.06.2004
57.	पुरुष	विजय सिंह	अर्ली चाल्डहुड डवलपमेंट असिस्टेंट	सानाज	29.04.2004
58.	पुरुष	पालनीकुन्नथिल रमन पिल्लई वेणुगोपालन	यूएनवी परिवहन सहायक	अफगानिस्तान	25.05.2004
59.	पुरुष	थॉमस नईवेलीकुन्नेल जोसफ	यूएनवी सिविल इंजीनियर	लाईबेरिया	07.04.2004
60.	पुरुष	मनमाधन जनार्धरन	यूएनवी खाद्य निरीक्षक	कोंगो	17.04.2004
61.	पुरुष	रघुनाग राथेहल्ली	प्रशिक्षण अधिकारी	अफगानिस्तान	12.04.2004
62.	पुरुष	वेरोइ्स रोबिन फेनड	रेडियो तकनीशियन	कोंगो	31.07.2004
63.	महिला	श्रीधर	आंचलिक पंजीकरण समन्वयक	कंबोडिया	29.07.2004
64.	पुरुष	परमजीत सिंह	सीआई निरीक्षक	ब्रुरूण्डी	25.07.2004
65.	पुरुष	रघुनाथ सिंह यादव	सैटेलाइट टेक्नीशियन	कोंगो किनसाना	23.07.2004
66.	पुरुष	महेश कुमार	आईटी सर्वर विशेषज्ञ	लाईबेरिया	26.07.2004
67.	पुरुष	कुनेन्द्र कुमार वर्मा	बीएमएस सहायक	हैती	21.07.2004
68.	पुरुष	मनोज कुमार कार	एचआईवी/एड्स विशेषज्ञ	तुर्कमेनिस्तान	12.06.2004
69.	पुरुष	शिवकुमार सवधन	दंत चिकित्सक	अफगानिस्तान	05.07.2004

1	2	3	4	5	6
70.	पुरुष	जतिन्दर सिंह	सूचना सिस्टम अधिकारी	कोट डि लिवोरे	
71.	महिला	रूहि सेठ	आंचलिक पंजीकरण अधिकारी	कंबोडिया	24.06.2004
72.	पुरुष	अमर जीत सिंह	लेन/सर्वर टैक्नीशियन	लाईबेरिया	04.09.2004
73.	पुरुष	थामस वेरापल्लील जॉय	नेटवर्क प्रशासक	पूर्वी तिमोर	23.08.2004
74.	पुरुष	श्रीबासु परूपति	आईटी सहायक	किनसासा	04.09.2004
75.	पुरुष	रविन्द्र कुमार दुलिऊ	इंजीनियरिंग प्रशासनिक अधिकारी	इथोपिया	16.08.2004
76.	पुरुष	सुशील खन्ना	प्रचालन अधिकारी	अफगानिस्तान	23.08.2004
77.	महिला	गिनी बत्रा	एनसथिसियोलॉजिस्ट/क्रिटीकलकेयर विशेषज्ञ	मलावी	17.08.2004
78.	पुरुष	राजा अग्रवाल	मेडिकल डाक्टर	ट्रीनीनाड व टाबेगो	05.03.2004
79.	पुरुष	अवेधेश भूमिहार	साफ्टवेयर डवलपर्स	कोसोवो	09.08.2004
80.	पुरुष	बलिजिन्दर सिंह	रेडियो टेक्निशियन	कांगो किनसासा	03.08.2004
81.	पुरुष	पंकज कुमार	कार्यक्रम एवं निगरानी अधिकारी	लाइबेरिया	31.07.2004
82.	पुरुष	रघुवीर थिरूखोवल्लूर	आई टी टेक्नीशियन	सियरा रि.ोन	11.11.2004
83.	पुरुष	प्रशांत कुमार मिश्रा चौधरी	मेडिकल डाक्टर	ट्रीनीनाड व टाबेगो	05.03.2004
84.	पुरुष	जाय मोन इब्राहिम	मूकोन यात्री सहायक	लाइबेरिया	23.10.2004
85.	पुरुष	राम कृष्णा चिदामब्रम लेयर	यूनएनवी प्रचालक प्रबंधक	श्रीलंका	19.09.2004
86.	पुरुष	भूपिन्दर सिंह	जल एवं अपशिष्ट जल विशेषज्ञ	हैती	04.09.2004
87.	पुरुष	विमनसेन गुप्ता	डिजाइन सहायक बिजली	कोट डि लियोरे	24.10.2004
88.	पुरुष	ग्रातापति सीतारम्मेया	प्रचालन अधिकारी	अफगानिस्तान	18.10.2004
89.	पुरुष	सुनील कुमार सिंह	हैल्पडेस्क अधिकारी	हैती	02.09.2004
90.	पुरुष	नरेन्द्र सिंह	नेटवर्क इंजीनियर	हैती	19.08.2004
91.	पुरुष	असीमा चौधरी	जन सूचना अधिकारी	लाइबेरिया	02.10.2004

1	2	3	4	5	6
92.	पुरुष	सुरेश विष्णुपंथ रामदुर्गाकर	सिविल इंजीनियर	लाइबेरिया	02.10.2004
93.	पुरुष	पारितोष कुमार मंडल	यूएनवी प्लंबर	कोट डि लियोरे	19.09.2004
94.	महिला	सुशाना गिरीगोरियां	सहायक सुरक्षा अधिकारी	बंगलादेश	06.05.2004
95.	पुरुष	दया कुशाली भड़ते	इनवायरिंग एवं रिक्विजिशन अधिकारी	लाइबेरिया	22.01.2005
96.	पुरुष	नरेन्द्र सिंह	प्राप्ति एवं निरीक्षक सहायक	कांगो	11.01.2005
97.	पुरुष	राहुल सेन गुप्ता	आपदा प्रबंधन कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी	नेपाल	06.02.2005
98.	पुरुष	सुभाष चन्द्र गोसेन	यूएनवी	दक्षिण अफ्रीका	11.12.2004
99.	पुरुष	संदीप सेठ	सूचना प्रबंधन अधिकारी	लाइबेरिया	03.11.2004
100.	पुरुष	विनोद कुमार शर्मा	कंट्री इलैक्ट्राल सलाहकार (लॉजिस्टिक)	लाइबेरिया	11.12.2004
101.	पुरुष	संदीप मोहन प्रसाद	सिविल अफेयर अधिकारी	लाइबेरिया	11.12.2004
102.	महिला	सुमन गुप्ता	यूएनएफपीए-कार्टोग्राफर	केनिया	10.12.2004
103.	महिला	कानू प्रिया गोयल	लेन/वेन सहायक	बुरूण्डी	02.12.2004
104.	पुरुष	चमन लाल	रेडियो तकनीशियन	बुरूण्डी	09.01.2005
105.	पुरुष	भूप किशोर कथूरिया	जल एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक	बुरूण्डी	20.11.2004
106.	पुरुष	उदय सिंह	जनरेटर मैकेनिक	बुरूण्डी	20.11.2004
107.	पुरुष	शंकर नारायणन नरसिंहा	प्रोक्यूरमेंट अधिकारी	सियरा लियोन	13.11.2004
108.	पुरुष	गौतम कुमार पांडे	सहायक शिविर प्रबंधक	सियरा लियोन	01.03.2005
109.	पुरुष	सुशील खन्ना	यूएनवी कंट्री समन्वयक	लाइबेरिया	28.02.2005
110.	पुरुष	कृष्णा मूर्ति राधा मनोहर देसाई	मेडीकल डाक्टर	कोसोवो	27.02.2005
111.	पुरुष	कर्मवीर डागर	जरनेटर मैकेनिक	सियरा लियोन	01.03.2005
112.	पुरुष	आसिफ दहूदवाला	भंडार पर्यवेक्षक	कांगो	23.02.2005
113.	पुरुष	सर्वजीत सिंह	नेटवर्क सहायक	इथोपिया, एरिट्रीया	19.02.2005

1	2	3	4	5	6
114.	पुरुष	नजीर मोहम्मद	नेटवर्क इंजीनियर	हैती	07.03.2005
115.	पुरुष	नोयल मरियन	यूएनवी इलैक्ट्रीशियन	हैती	05.03.2005
116.	पुरुष	अकील अमहद	इलैक्ट्रोल सहायता अधिकारी	लाइबेरिया	05.03.2005
117.	पुरुष	गुणचरण सिंह धट्ट	नेटवर्क सहायक	एरिट्रीया	05.03.2005
118.	महिला	धन्य रविन्द्रन कोहराम	मानव संसाधन अधिकारी	अफगानिस्तान	23.03.2005
119.	पुरुष	सीता रम्मैया गेरापति	यूएनवी इलैक्ट्राल सहायता अधिकारी	लाइबेरिया	02.04.2005
120.	पुरुष	नजीर मोहम्मद	नेटवर्क इंजीनियर	हैती	05.04.2005
121.	पुरुष	लक्ष्मा रेड्डी चिटाकुंटिया	एसेट प्रबंधक	हैती	03.04.2005
122.	पुरुष	हेमांग दिनेश चन्द्र करेलिया	जीआईएस डाटाबेस विशेषज्ञ	अफगानिस्तान	16.04.2005
123.	पुरुष	टीटू थॉमस	फिल्ड अधिकारी (सुरक्षा)	अफगानिस्तान	20.04.2005
124.	महिला	त्रिरूपति तेंगिंगकाई	अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क अधिकारी	अफगानिस्तान	20.04.2005

[हिन्दी]

जाली डिग्रियों की छपाई और बेचा जाना

4678. **श्री अधीर चौधरी :**
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत कुछ वर्षों के दौरान देश में विशेषकर महानगरों में जाली डिग्रियों और प्रमाणपत्रों की छपाई और उन्हें बेचे जाने के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये हैं;

(ग) युवाओं को इस कारण किस सीमा तक नुकसान हुआ है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में जाली डिग्रियों को छपाई और उनका विक्रय को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) कुछ समाचार पत्रों में समय-समय पर देश में जाली डिग्री तथा प्रमाणपत्रों के मुद्रण तथा बिक्री से संबंधित मामले प्रकाशित हुए हैं। सरकार द्वारा इस संबंध में केन्द्रीय स्तर पर कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जाली डिग्रियों/प्रमाणपत्रों से संबंधित घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्यार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में स्थित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सलाह दी है कि वे अपने-अपने विश्वविद्यालयों से जारी की जाने वाली डिग्रीयों/डिप्लोमाओं को रद्दोबदल-रहित बनाने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करें।

[अनुवाद]

मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने वाला पाठ्यक्रम आरंभ किया जाना

4679. श्री अनन्त नायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी विश्वविद्यालय ने इस प्रयोजनार्थ पाठ्यक्रम आरंभ किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इन विश्वविद्यालयों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) सरकार 'मानवीय मूल्यों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता' नामक एक योजना चला रही है जिसका उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों पर मानवीय मूल्यों से संबंधित निवेशों को सुदृढ़ करना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की एजेंसियां, शैक्षिक संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं, पंजीकृत सोसाइटियां, सार्वजनिक न्यास और मुनाफा न कमाने वाली कंपनियां वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

उच्च शिक्षा के लिए संसाधन केंद्र के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 10वीं योजनावधि के दौरान मानवाधिकार और मूल्यपरक शिक्षा योजना के तहत नीति शास्त्र एवं मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु पाठ्यक्रम शुरू करने तथा शोध कार्य करने के लिए पात्र एवं अभिचिह्नित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान देने की एक योजना शुरू की है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानवाधिकार और मूल्यपरक शिक्षा के लिए दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं जिसे सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को भेजा गया है। अब तक 16 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सहायता दी गई है।

मेट्रो परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता

4680. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में मेट्रो परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए केन्द्रीय बजट में 6000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक ने हाल ही में हैदराबाद में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के सम्मुख प्रेजेंटेशन दिया है;

(ग) यदि हां, तो परियोजना रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) मेट्रो रेल निगम द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद में मेट्रो रेल कुल कितने कि.मी. तक चलेगी?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रबन्ध निदेशक, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने 12 मार्च, 2005 को आन्ध्र प्रदेश सरकार को इस विषय पर प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत किया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में 3205 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (अप्रैल, 2003 मूल्य) से दो कोरीडोरों अर्थात् मियापुर-चैतन्यपुरी (25.57 कि.मी.) और सिकन्दराबाद-फलकनुमा (12.48 कि.मी.) के निर्माण की सिफारिश की गई है। इस संबंध में राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

निधियों का उपयोग

4681. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिर पर मैला ढोने वाले और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन हेतु जारी निधियों का उपयोग नहीं कर पाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की शुरूआत के बाद से आज

तक स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निगरानी प्रणाली में खामियों को दूर करने और सिर पर मैला ढोने वालों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) मैला ढोने वालों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम (एन.एस.एल.आर.एस.) का कार्यान्वयन मुख्यत: राज्य सरकारों को करना होता है।

इस स्कीम के तहत धनराशि के कम उपयोग के कुछ कारण निम्नलिखत हैं:-

(i) राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम (एस सी डी सी)/राज्य मरकार अर्थात् कार्यान्वयन प्राधिकारियों के पास पड़ी हुई अव्ययित शेष धनराशि।

(ii) एस सी डी सी/राज्यों से नई स्कीमों/प्रस्तावों का अभाव।

(iii) राज्यों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना।

(ख) वर्ष 1991-92 में स्कीम के शुरू होने से लेकर दिनांक 31 मार्च 2005 तक स्वीकृत धनराशि/जारी धनराशि तथा विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी धनराशि के लिए उपयोग प्रमाणपत्रों की स्थिति के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रु.)

कुल जारी	प्राप्त कुल उपयोग प्रमाणपत्र	बाकी उपयोग प्रमाणपत्र**
749.97	424.37	312.04

**वर्ष 2004-05 में जारी धनराशि शामिल नहीं है।

(ग) केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की समीक्षा के बाद योजना आयोग ने वार्षिक योजना बजट अनुमान 2005-06 से अन्य स्कीमों में एन.एस.एल.आर.एस. को राज्यों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

दिल्ली में जल संकट

4682. श्री सज्जन कुमार : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली देश के उन शहरों में से एक है जहां पर पेयजल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय औसत कितना है और यह दिल्ली में कितना है;

(ग) क्या दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने केन्द्र सरकार को शहर में निकट भविष्य में अत्यधिक जल संकट के बारे में सूचित किया है और अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस समस्या से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का है जिसमें पड़ोसी राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति की स्थिति में सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने सूचित किया है कि दिल्ली में पेयजल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता देश में सबसे कम नहीं है। दिल्ली में पानी का प्रति व्यक्ति उत्पादन लगभग 48 गैलन (216 लीटर) प्रति व्यक्ति दैनिक है।

नवम्बर, 2003 की स्थिति के अनुसार देश में 35 मेट्रो शहरों से संबंधित उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति 65 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक (एलपीसीडी) से लेकर 264 एलपीसीडी है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र के लिए अतिरिक्त

पानी की आपूर्ति हेतु जल संसाधन मंत्रालय के हस्तक्षेप की मांग की है।

(घ) और (ङ) जल संसाधन मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस समय विभिन्न स्रोतों से दिल्ली को कच्चे पानी की आपूर्ति के समन्वयन के लिए समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि ओखला तक यमुना पानी के उपलब्ध बहाव का आवंटन ऊपरि यमुना नदी बोर्ड द्वारा विनियमित होता है और बोर्ड के निर्णय पर यदि असहमति हो तो मामला ऊपरि यमुना समीक्षा समिति को भेजा जाता है जिसमें ऊपरि यमुना बेसिन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं।

(च) दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली में पेयजल की आपूर्ति सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं/करने का उल्लेख किया है:-

(i) सोनिया विहार में 140 मिलियन गैलन दैनिक (एमजीडी) का जल शोधन संयंत्र लगाया गया है। संयंत्र को चालू किया जाना उत्तर प्रदेश से कच्चे पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ii) पानी के परिसंचरण प्रणाली में रिसाव से होने वाली क्षति को रोकने के लिए मुनाक से हैदरपुर तक समानान्तर लाईन चैनल का निर्माण शुरू किया गया है और 40% कार्य पूरा कर लिया गया है।

(iii) मौजूदा जल शोधन संयंत्रों के अपशिष्ट जल की रीसाइकिलिंग करना जिससे लगभग 46 एमजीडी पानी और उपलब्ध होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) ने सूचित किया है कि जल आपूर्ति के संबंध में मसौदा क्षेत्रीय योजना-2021 में प्रस्तावित उपायों में क्षेत्र में जल संसाधनों के लिए ब्लू प्रिंट, पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए एकीकृत क्षेत्रीय योजना तैयार करना, भू-जल प्रतिपूर्ति, भू-जल तल (एक्वीफर) की प्रतिपूर्ति आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

जनरल एग्रीमेंट आन ट्रेड इन सर्विसेज

4683. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल एग्रीमेंट आन ट्रेड इन सर्विसेज (गैट्स) में सकारात्मक सूची की सभी सेवाएं आती हैं जिनका लक्ष्य ट्रेड इन सर्विसेज को उत्तरोत्तर उदार बनाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकसित देशों द्वारा देश के लोगों के वहां जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में भारत का रुख क्या है;

(ङ) क्या गैट्स निर्माण कामगारों, श्रमिकों आदि जैसे अकुशल कामगारों के डाउन मार्किट के मुद्दे पर मौन है; और

(च) यदि हां, तो विदेश जाने वाले अकुशल कामगारों की "ट्रेड इन सर्विसेज" पर विचार-विमर्श करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के सेवा व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट्स) में 12 व्यापक क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गीकृत सभी सेवाएं अर्थात् व्यापारिक सेवाएं, संचार सेवाएं, निर्माण एवं संबंधित इंजीनियरी सेवाएं, वितरण सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, पर्यावरणिक सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य संबंधी एवं सामाजिक सेवाएं, पर्यटन एवं यात्रा से जुड़ी सेवाएं, मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक एवं खेल सेवाएं, परिवहन सेवाएं तथा अन्यत्र शामिल न की गई अन्य सेवाएं शामिल हैं। गैट्स के अंतर्गत अधिदेशित और बाद में दोहा विकास कार्यसूची के अंतर्गत चल रही वार्ताओं का उद्देश्य एक ऐसी सकारात्मक नीति अपनाते हुए सेवा व्यापार का उत्तरोत्तर उदारीकरण करना है जिसके अंतर्गत सदस्य देशों के पास आपूर्ति के ऐसे क्षेत्रों और पद्धतियों को चुनने का अधिकार होगा जिनमें वे वचनबद्धताएं करने की स्थिति में होंगे।

(ग) और (घ) प्रकृत व्यक्तियों के आवागमन हेतु अधिकांश विकसित देशों द्वारा की गई वचनबद्धताएं वाणिज्यिक उपस्थिति की स्थापना से संबंधित हैं और व वीजा तथा आव्रजन प्रक्रियाओं, आर्थिक जरूरत संबंधी परीक्षणों, कार्य-परमिट संबंधी मानदंडों योग्यताओं की अमान्यता आदि जैसी अनेक सीमाओं तथा प्रशासनिक बाधाओं के अधीन हैं। प्रकृत व्यक्तियों के मुक्त आवागमन में आने वाली इन बाधाओं को दूर करने के लिए भारत ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें द्विपक्षीय,

सर्वपक्षीय एवं बहुपक्षीय स्तरों पर व्यापारिक भागीदारों के साथ वार्ताएं करना तथा इन मुद्दों के समाधान एवं सेवा आपूर्ति की इस पद्धति में सार्थक उदारीकरण हासिल करने के लिए कार्यनीतियों का सुझाव देने हेतु डब्ल्यू टी ओ में देशों के समूहों के साथ प्रस्ताव करना शामिल है।

(ङ) और (च) गैट्स के सिद्धांत सेवाओं की आपूर्ति हेतु प्रकृत व्यक्तियों के अस्थाई आवागमन पर ही लागू होते हैं और वे किसी अन्य देश में रोजगार बाजार में पहुंच हासिल करने की मंशा रखने वाले कुशल अथवा अकुशल प्रकृत व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले उपायों पर लागू नहीं होते हैं। अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ बातचीत करने में भारत सरकार के प्रयासों का उद्देश्य ऐसे अस्थाई आवागमन में आने वाली बाधाओं को कम करना तथा उनके बाजारों में और अधिक पहुंच हासिल करना है।

[हिन्दी]

पंजाब में आतंकवादी संगठन

4684. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में इस समय सक्रिय आतंकवादी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन संगठनों को सीमापार से प्रशिक्षण मिल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या निवारक कार्रवाई किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, इस समय ऐसा कोई भी आतंकवादी ग्रुप पंजाब में सक्रिय नहीं है। तथापि, कुछेक खालिस्तान-समर्थक आतंकवादी ग्रुपों से जुड़े कतिपय व्यक्ति राज्य पुलिस द्वारा समय-समय पर गिरफ्तार किए जाते हैं।

(ख) ऐसी कोई रिपोर्टें नहीं हैं।

(ग) खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुटों नामत: बब्बर खालसा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, खालिस्तान कमांडो फोर्स और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स पर विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2004 के तहत प्रतिबंध जारी है। स्थिति का केन्द्रीय और राज्य सुरक्षा तथा आसूचना एजेंसियों द्वारा गहन रूप से प्रबोधन किया जाता है।

[अनुवाद]

विधेयक पर स्वीकृति

4685. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "द गुजरात कंट्रोल ऑफ आर्गेनाइज्ड क्राइम बिल-2003" नामक राज्य विधेयक और इसके बाद गुजरात राज्य विधानमंडल द्वारा पारित संशोधित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार विधेयक की स्थिति क्या है और इसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) राज्य विधायनों की तीन दृष्टिकोणों से जांच की जाती है अर्थात (क) केन्द्रीय नियमों के साथ असंगति (ख) राष्ट्रीय और केन्द्रीय नीति से विचलन और (ग) कानूनी और संवैधानिक वैधता। इस मामले में, संबंधित मंत्रालयों/विभागों सहित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके कुछ नीतिगत मुद्दों को हल किया जाना है। अत: इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय

4686. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्परों को मानदेय के रूप में आज तक जारी निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय के भुगतान हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) और (ख) 1.4.2002 से, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं के मानदेय में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:-

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां

क्र.सं.	श्रेणी	मानदेय की राशि
1.	मैट्रिक से कम शिक्षा प्राप्त	938/- रुपये प्रति माह
2.	अवैतनिक कार्य का 5 वर्षीय अनुभव रखने वाली मैट्रिक से कम शिक्षा प्राप्त	969/- रुपये प्रति माह
3.	अवैतनिक कार्य का 10 वर्षीय अनुभव रखने वाली मैट्रिक से कम शिक्षा प्राप्त	1000/- रुपये प्रति माह
4.	मैट्रिक पास	1000/-रुपये प्रति माह
5.	अवैतनिक कार्य का 5 वर्षीय अनुभव रखने वाली मैट्रिक पास	1031/- रुपये प्रति माह
6.	अवैतनिक कार्य का 10 वर्षीय अनुभव रखने वाली मैट्रिक पास	1063/- रुपये प्रति माह
	सहायिकाएं	500/- रुपये प्रति माह

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मानदेय हेतु सहायतानुदान आई.डी.सी.एस. स्कीम के अन्य घटकों हेतु सहायता के साथ ही जारी किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के वर्षों के दौरान आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई.सी.डी.एस. (सामान्य), विश्व बैंक तथा उदिशा के अंतर्गत जारी की गई धनराशि		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	14884.25	11135.88	13271.36
2.	अरुणाचल प्रदेश	2530.72	1552.73	1697.61
3.	असम	8121.08	4489.45	15999.37
4.	बिहार	7264.74	5354.59	13611.47
5.	गोवा	435.75	420.70	294.52
6.	गुजरात	7055.28	9894.54	12465.58
7.	हरियाणा	4349.41	4446.88	4782.27
8.	हिमाचल प्रदेश	2194.40	1603.66	2687.26
9.	जम्मू व कश्मीर	3728.75	2415.88	3457.78
10.	कर्नाटक	10699.29	11341.87	11253.50
11.	केरल	6621.08	9585.50	8403.16
12.	मध्य प्रदेश	14670.68	16002.77	13673.86
13.	महाराष्ट्र	18935.09	19598.87	14824.19
14.	मणिपुर	2360.06	1453.55	2065.65
15.	मेघालय	1181.87	881.52	1467.81

1	2	3	4	5
16.	मिजोरम	1149.44	852.63	795.68
17.	नागालैंड	2416.47	1509.28	1383.50
18.	उड़ीसा	8726.42	11523.81	11682.93
19.	पंजाब	3777.09	4943.21	3956.27
20.	राजस्थान	11625.54	11727.65	11863.17
21.	सिक्किम	280.97	173.69	332.88
22.	तमिलनाडु	13459.18	10855.27	14526.55
23.	त्रिपुरा	1403.95	1822.82	1452.32
24.	उत्तर प्रदेश	13659.04	19095.23	23564.37
25.	पश्चिम बंगाल	16629.63	15873.69	13069.59
26.	छत्तीसगढ़	6948.24	6581.19	6412.21
27.	झारखंड	2379.15	3161.25	7719.66
28.	उत्तरांचल	4867.38	1782.83	2458.77
	संघ राज्य क्षेत्र			
29.	दिल्ली	1014.18	1172.42	1138.36
30.	पांडिचेरी	241.05	205.54	236.89
31.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	164.32	187.41	188.39
32.	चण्डीगढ़	121.50	142.54	130.64
33.	दादरा व नगर हवेली	42.00	48.50	50.13
34.	दमन व दीव	43.24	41.37	38.98
35.	लक्षद्वीप	30.83	35.09	25.15
	कुल	194012.06	191913.81	220981.83

सभी के लिए आवास कार्यक्रम

4687. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान "सभी के लिए आवास कार्यक्रम" के अंतर्गत निर्धारित राज्यवार लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या आवास इकाइयों का निर्माण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार कितनी प्रगति हुई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लक्ष्य के अनुसार इकाइयों का निर्माण करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) वर्ष 1998 में बनाई गई राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) तथा कम आय वर्ग (एल.आई.जी.) श्रेणी पर जोर देते हुए प्रत्येक वर्ष दो मिलियन आवास के निर्माण की संकल्पना की गई है। बीस लाख आवास प्रति वर्ष के लक्ष्य में से सात लाख आवास शहरी क्षेत्रों के लिए है तथा तेरह लाख आवास ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। शहरी क्षेत्रों में सात लाख आवासों के निर्माण के वित्तपोषण के लक्ष्य को हडको (4 लाख आवास प्रति वर्ष), आवास वित्त संस्थान/सरकारी बैंक (एक लाख आवास प्रतिवर्ष में बांटा गया है। तथापि, दो मिलियन आवास कार्यक्रम के तहत कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) नामक एक अन्य स्कीम है जिसके तहत मुख्यत: शहरी स्लमवासियों के लिए आवासों का निर्माण किया गया है।

वाम्बे के तहत वर्ष-वार लक्ष्य एवं प्रगति निम्न प्रकार है:-

वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत आवासों की संख्या
1	2	3
2002-03	100000	110388
2003-04	106000	108376
2004-05	112000	113004

दो मिलियन आवास कार्यक्रम के तहत वर्षवार स्वीकृत आवासों की संख्या के ब्यौरे निम्नलिखत हैं:-

वर्ष	लक्ष्य	हडको* स्वीकृत यूनिटों की कुल संख्या (शहरी)	सहकारी क्षेत्र स्वीकृत यूनिटों की कुल संख्या (शहरी)	आवास वित्त** संस्थान स्वीकृत यूनिटों की कुल संख्या (शहरी)	आवासों की कुल संख्या
2002-03	700000	459969	73461	637091	1170521
2003-04	700000	427455	89948	621331	1138734
2004-05	700000	254885	50000	277520#	582405

* हडको-आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड

** सरकारी बैंकों सहित आवास वित्त संस्थान

\# दिनांक 31.12.2004 की स्थिति अनुसार

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण I, II, III तथा IV में दिये गये हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

दो मिलियन आवास कार्यक्रम के तहत राज्यवार लक्ष्य एवं हडको (शहरी) की उपलब्धियां
(वर्ष 2002-03 से 2004-05)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	वार्षिक लक्ष्य	2002-03	2003-04	2004-05 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	29388	67791	21451	24396

1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	483	0	0	40
असम	20513	195	1774	1361
बिहार	14873	128	512	0
छत्तीसगढ़	9509	11015	10184	10178
दिल्ली	7848	0	0	0
गोवा	951	0	0	0
गुजरात	27184	18136	9259	793
हरियाणा	6113	3263	0	0
हिमाचल प्रदेश	1645	0	0	32
जम्मू व कश्मीर	5328	0	894	1176
झारखंड	7662	10531	20000	0
कर्नाटक	23923	95083	277364	54505
केरल	12090	57449	10586	14978
मध्य प्रदेश	22188	5022	2335	8039
महाराष्ट्र	44240	7894	34142	38901
मणिपुर	4573	780	1607	253
मेघालय	2777	0	0	0
मिजोरम	6218	377	280	327
नागालैंड	2581	463	667	435
उड़ीसा	12423	0	377	310
पंजाब	8935	4050	0	0
राजस्थान	25071	0	800	12335
सिक्किम	166	0	0	0

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	33750	17810	12026	67623
त्रिपुरा	2717	866	1076	0
उत्तर प्रदेश	36486	5711	9854	9329
उत्तरांचल	4509	890	2135	1806
पश्चिम बंगाल	24210	50149	5163	4798
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	181	0	0	0
चंडीगढ़	619	0	0	0
दादरा व नगर हवेली	45	0	0	0
दमन व दीव	60	0	0	0
लक्षद्वीप	60	0	0	0
पांडिचेरी	679	0	457	903
कुल		357603	422943	252518
हडको निवास	0	102366	4512	2367
कुल	400000	459969	427455	254885

विवरण-II

दो मिलियन आवास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक सहकारी आवास की राज्यवार स्थिति

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	
आंध्र प्रदेश	1012	2200	
असम	215	77	
बिहार	1	7	
चंडीगढ़	4500	0	
दिल्ली	337	558	
गोवा	2259	2491	
गुजरात	837	1058	
हरियाणा	3360	3213	
हिमाचल प्रदेश	243	28	
जम्मू व कश्मीर	0	20	

1	2	3	4
कर्नाटक	3105	3035	
केरल	22995	21761	
मध्य प्रदेश	285	400	
महाराष्ट्र	15042	16615	
मणिपुर	52	627	
मेघालय	36	1	
उड़ीसा	102	10537	
पांडिचेरी	494	768	
पंजाब	2877	5261	
राजस्थान	498	881	
तमिलनाडु	11716	15622	
त्रिपुरा	0	0	
उत्तर प्रदेश	1908	1207	
पश्चिम बंगाल	993	3384	
नागालैंड	0	0	
उत्तरांचल	593	197	
छत्तीसगढ़	1	0	
कुल	73461	89948	50000*

*अनंतिम आंकड़े। राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-III

वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक दो मिलियन आवास कार्यक्रम के तहत हडको को छोड़कर अन्य आवास वित्त संस्थानों की उपलब्धि

आवास वित्त संस्थान/सरकारी बैंक :

वर्ष	रिहायशी यूनिटें
2002-2003	637091
2003-2004	621331
2004-2005	277520#

दिनांक 31.12.2003 की स्थिति अनुसार

नोट: राष्ट्रीय आवास बैंक के पास राज्यवार ब्यौरे नहीं हैं।

विवरण-IV

वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना (वाम्बे) के तहत निर्धारित लक्ष्य तथा शामिल रिहायशी यूनिटों के राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरों के विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष 2002-03 के दौरान रिहायशी यूनिटों के लिए लक्ष्य	वर्ष 2002-03 के दौरान शामिल किए गए रिहायशी यूनिटों की संख्या	वर्ष 2003-04 के दौरान रिहायशी यूनिटों के लिए लक्ष्य	वर्ष 2003-04 के दौरान शामिल किए गए रिहायशी यूनिटों की संख्या	वर्ष 2004-05 के दौरान रिहायशी यूनिटों के लिए लक्ष्य	वर्ष 2004 05 के दौरान शामिल किए गए रिहायशी यूनिटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	9732	22268	9456	27627	10901	16148

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	61		353		68	80
3.	असम	942		5477		1056	
4.	बिहार	4300		4178	50	4816	
5.	छत्तीसगढ़	1221	2185	1186	1850	1368	
6.	गोवा	185		179		207	
7.	गुजरात	5562	18776	5405		6230	250
8.	हरियाणा	1628		1582	3263	1824	
9.	हिमाचल प्रदेश	261		254		292	
10.	जम्मू व कश्मीर	1259	170	1223	442	1410	210
11.	झारखंड	1433		1393		1605	3504
12.	कर्नाटक	2873	7104	2792	14978	3218	0
13.	केरल	2661	11948	2586	6926	2981	1000
14.	मध्य प्रदेश	3301	4054	3207	1024	3697	1500
15.	महाराष्ट्र	17366	328	16875	22700	19452	40915
16.	मणिपुर	183	35	1064	853	205	
17.	मेघालय	188		1091		210	
18.	मिजोरम	187		1087		209	
19.	नागालैंड	99	40	573	766	110	0
20.	उड़ीसा	1813	306	1761	232	2030	82
21.	पंजाब	3063		2976		3431	
22.	राजस्थान	5281	4000	5132	200	5916	2700
23.	सिक्किम	20		116		22	
24.	तमिलनाडु	7050	27226	6850	14684	7896	35380

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	त्रिपुरा	144	644	840	976	162	
26.	उत्तरांचल	624	701	606	1098	698	
27.	उत्तर प्रदेश	11847	5412	11512	8462	13270	8835
28.	पश्चिम बंगाल	10640	5191	10339	979	11918	1782
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	83		80		93	
30.	चंडीगढ़	345		335		386	
31.	दादरा व नगर हवेली	6		6		8	
32.	दमन व दीव	22		22		25	
33.	दिल्ली	5267		5118		5900	
34.	पांडिचेरी	344		334	408	386	618
35.	लक्षद्वीप	12		11		0	
	कुल	100003	110388	105999	107336	112000	113004
	बीएमटीपीसी द्वारा निर्मित की गई रिहायशी इकाइयां	0	0	0	1040	0	0
	सकल योग	100003	110388	105999	108376	112000	113004

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (आई एम) की मांगें

4688. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (आई एम) ने शांतिवार्ता के दौरान नागा वासित सभी क्षेत्रों के एकीकरण की माग की है तथा तीस विभिन्न मुद्दे उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (आई एम) ने सरकार से यह कहा था कि नागा व्यक्तियों की संप्रभुता एक ऐसा मुद्दा है जिसके संबंधी में समझौता नहीं किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) जी हां, श्रीमान। सभी नागा निवासी क्षेत्रों का समेकन नागा भूमिगत गुटों की एक मांग रही है।

(ख) से (ङ) इस समय मंत्रियों का एक ग्रुप, नागा मुद्दों पर एनएससीएन (आई/एम) के नेताओं के साथ बातचीत कर रहा है। इस अवस्था में और अधिक ब्यौरा प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

अमरीका के साथ व्यापार

4689. श्री दुष्यंत सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में तथा उसके बाद आज तक अमरीका को/से किन प्रमुख मदों का निर्यात/आयात किया गया;

(ख) क्या अमरीका को हीरे और स्वर्ण आभूषणों के निर्यात में वृद्धि किए जाने की व्यापक संभावना है; और

(ग) यदि हां, निर्यात में कितनी वृद्धि की संभावना है और वर्ष 2005-06 के दौरान इनके निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से अमरीका को निर्यातित प्रमुख मदें हैं : कीमती पत्थर, धातु, बने हुए परिधान, विविध वस्त्र सामग्री, बुने हुए परिधान, लोहा और इस्पात, कार्बनिक रसायन, विद्युत मशीनें, वस्त्र फर्शाच्छादन, मशीनें, मत्स्य एवं समुद्री खाद्य तथा भेषजीय उत्पाद आदि।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अमरीका से भारत में आयातित प्रमुख मदें हैं : मशीनें, विद्युत मशीनें, कीमती पत्थर, कार्बनिक रसायन, वायुयान, अंतरिक्ष यान, खनिज ईंधन, तेल, लोहा एवं इस्पात, प्लास्टिक, उर्वरक, खाद्य फल एवं गिरियाँ आदि।

(ख) और (ग) भारत अमरीका में कीमती पत्थरों, धातुओं आदि के आयात का प्रमुख स्रोत है जिसका बाजार हिस्सा लगभग 13% है। इस तथ्य पर विचार करते हुए रत्न एवं आभूषण को अमरीका में हमारे निर्यातों के लिए संभावित निर्यात क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है। पिछले तीन वर्षों 2002-04 के दौरान अमरीका को रत्न एवं आभूषण (एचएसकोड 71, कीमती पत्थर, धातु) के निर्यातों की मात्रा निम्नानुसार रही है:-

वर्ष	2002	2003	2004
मूल्य मिलि. अम. डॉ. में	3661.41	3958.74	4516.61

स्रोत : अमरीकी वाणिज्य विभाग

इस क्षेत्र में हमारे निर्यातों के संवर्धन हेतु किए जा रहे उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ अमरीका में प्रमुख व्यापार प्रदर्शनों/आयोजनों में निरंतर भागीदारी तथा इंटरनेट, डिपार्टमेंटल स्टोरों, मेल ऑर्डरों और विशेष आभूषण आउटलेटों के जरिए ऑन लाइन शॉपिंग जैसे बिक्री के नए तरीकों का उपयोग करना शामिल है।

आटो चालकों द्वारा व्यक्तियों की हत्या

4690. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आटो रिक्शा और टैक्सी चालकों द्वारा यात्रियों को लूटने और उनकी हत्या करने के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा उसके बाद ऐसी कुल कितनी घटनाओं की जानकारी मिली है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और 15 अप्रैल, 2005 तक आटो रिक्शा और टैक्सी चालकों द्वारा यात्रियों को लूटने और हत्या के मामलों का ब्यौरा:-

वर्ष	आटो रिक्शा और टैक्सी चालकों द्वारा यात्रियों को लूटने के मामलों की संख्या	आटो रिक्शा और टैक्सी चालकों द्वारा यात्रियों की हत्या के मामलों की संख्या
2002	7	1
2003	3	2
2004	4	1
2005 (15 अप्रैल तक)	4	–

(ग) आटो/रिक्शा टैक्सी चालकों द्वारा किए गए अपराधों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में, निगरानी रखने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना, केवल प्री-पेड बुथों से ही आटो रिक्शा/टेक्सी किराए पर लेने के संबंध में आम जनता को सलाह देने हेतु रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और हवाई अड्डों पर लोक सूचना प्रणाली स्थापित करना, यातायात और अन्य नियमों के उल्लंघन के लिए चालकों पर मुकदमा चलाना, ऐसे क्षेत्रों पर निगरानी रखना जहां पर्यटक प्रायः आते-जाते रहते हैं, पर्यटकों के साथ हवाई अड्डों से जाने वाले आटो रिक्शा/टैक्सियों का रिकार्ड रखना, टैक्सी चालकों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करना तथा हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा पर्यटक स्थलों सहित महत्वपूर्ण स्थानों/स्थलों पर पर्यटक पुलिस की तैनाती शामिल है।

[हिन्दी]

जनजातीय नगरों का विकास

4691. श्री रामदास आठवले : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा जनजातीय नगरों के समेकित विकास से संबंधित परियोजना रिपोर्ट भेजी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जनजातीय नगरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत तथा अस्वीकृत परियोजनाओं की अलग-अलग संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान भी समेकित विकास से संबंधित परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो उनकी क्या स्थिति है;

(च) क्या सरकार का विचार देश में विशेष रूप से गुजरात के जनजातीय नगरों के विकास के लिए विदेशी एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय को गत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय नगरों के समेकित विकास के संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव/रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। शहरी विकास मंत्रालय की भी देश में जनजातीय नगरों के समेकित विकास हेतु परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विशेषरूप से कोई योजना नहीं है। तथापि, उक्त मंत्रालय सारे राज्यों में छोटे एवं मझौले कस्बों के समेकित विकास (आई डी एस एम टी) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है। आई.डी.एस.एम.टी. योजना के दिशानिर्देशों में भी जनजातीय क्षेत्रों में नगरों या जनजातीय आबादी वाले नगर के संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं है। अतः जनजातीय क्षेत्रों में स्थित नगर या जनजातीय आबादी वाले नगरों में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के संबंध में कोई अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शहरी विकास मंत्रालय की आईडीएसएमटी योजना के दिशानिर्देशों में भी नगरों के विकास के लिए विदेशी एजेन्सियों के माध्यम से वित्तीय सहायता मांगने/मुहैया कराने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

जिला सलाहकार समितियां

4692. श्री मुनव्वर हसन : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू युवक संगठन द्वारा दिल्ली के विभिन्न जिलों में जिला सलाहकार समितियों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गठित की गई ऐसी समितियों की जिले-वार संख्या तथा इनके सदस्यों के नाम और पते क्या हैं; और

(ग) उक्त समितियों द्वारा अब तक क्या कार्रवाई शुरू की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त) : (क) जी, हां। जिला नेहरू युवा केन्द्र अलीपुर, महरौली और नांगलोई प्रत्येक में एक जिला सलाहकार समिति गठित की गई है जो दिल्ली के सभी जिलों को कवर करती है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ये समितियां नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उनकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अन्य सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ इसका समन्वय करती हैं। ये समितियां नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यों की समीक्षा और मूल्यांकन भी करती हैं तथा आगे सुधार के लिए उपाय सुझाती है।

विवरण

दिल्ली के विभिन्न नेहरू युवा केन्द्रों में युवा कार्यक्रम संबंधी जिला सलाहकार समितियों के ब्यौरे

क्र.सं.	जिला	सरकारी सदस्य	गैर-सरकारी सदस्य
1	2	3	4
1.	महरौली	उपायुक्त-अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य महा प्रबंधक-जिला उद्योग केन्द्र-सदस्य जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य लीड बैंक अधिकारी-सदस्य परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी-सदस्य युवा अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना-सदस्य	(1) श्री सुरेन्द्र कुमार, सचिव, सामाजिक सेवा और उपभोक्ता संरक्षण के लिए पीपुल एसोसिएशन, महरौली (2) श्री फैजल हक, फील्ड आफीसर, एस.पी.वाई.एम., बी.-04/3054, बसंतकुंज, नई दिल्ली-70 (3) श्री श्रीचंद तंवर, सामाजिक कार्यकर्ता और बी. संयोजक, जेएसएस, प्रयास, फतेहपुर, नई दिल्ली (4) श्री सुरेश कुमार, सचिव, जन कल्याण युवा भाटी माइंस, महरौली, नई दिल्ली (5) श्री अमित तवर, अध्यक्ष ए.एस.ओ.एल.ए. फतेहपुर, महरौली, नई दिल्ली (6) कु. हेमलता, अध्यक्ष नव ज्योति युवती मंडल, भाटी माइंस, नई दिल्ली
2.	नांगलोई	उपायुक्त-अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य	(1) श्री राजेश गुप्ता, नि. 1/बापूधाम मार्केट, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021 (2) श्री एस.एस. शाश्वत, अध्यक्ष सामाजिक संस्था, 592, देवैान कलां, नई दिल्ली-43

1	2	3	4
		मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य	(3) श्री एस. परमल, सामाजिक कार्यकर्ता, म.नं. 320, मंगोलपुर कलां, मार्बल मार्केट, नई दिल्ली-110085
		महा प्रबंधक-जिला उद्योग केन्द्र-सदस्य	
		जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य	(4) कु. गरिमा अग्रवाल, जिला परियोजना अधिकारी (यूएनडीपी), रामपुरा, पंजाबी बाग, नई दिल्ली
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य	(5) श्री तेज पाल राणा, यूथ लीडर, सुल्तानपुरी, नई दिल्ली
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी-सदस्य	(6) श्री उमेश राय, यूथ लीडर, ब्लाक ई, म.न. 97, डीडीए, कालोनी ख्याला, नई दिल्ली
		परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी-सदस्य	
		यूथ अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना-सदस्य	(7) कु. रूकमणि, एनएसवी, प्लाट, नं.-11, साई बाबा एन्कलेव, नजफगढ़, नई दिल्ली-43
3.	अलीपुर	उपायुक्त-अध्यक्ष	(1) सुश्री उमा रानी, अध्यक्ष, नारी जागृति मंच बख्तावरपुर, दिल्ली
		जिला युवा समन्वयक-सदस्य-सचिव	(2) श्री एस.एस. सारश्वत, पूर्व अध्यक्ष, इडारा, ग्राम. रामजनपुर, दिल्ली
		क्षेत्रीय समन्वयक-सदस्य	
		अतिरिक्त उपायुक्त-सदस्य	(3) श्री इन्द्रजीत सिंह, भूतपूर्व पंचायत अध्यक्ष, ग्राम. व पो. आ.-मुखमेलपुर, दिल्ली
		मुख्य चिकित्साधिकारी-सदस्य	
		महा प्रबंधक-जिला उद्योग केन्द्र-सदस्य	(4) श्री नवीन कुमार, अध्यक्ष, युवा एकता कल्याण समिति, चांदपुर, दिल्ली
		जिला जन संपर्क अधिकारी-सदस्य	(5) श्री जय करन डबास, अध्यक्ष, युवा एकता कल्याण समिति, चांदपुर, दिल्ली
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी-सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी-सदस्य	(6) श्री राम प्रवेश, एनएसवी, अलीपुर ग्राम/पो.आ.-मुखमेलपुर, दिल्ली
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी-सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी-सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी-सदस्य	
		यूथ अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना-सदस्य	

सीमा के साथ-साथ चीन की गतिविधियां

4693. श्री मोहन सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन से लगी भारतीय सीमा पर चीन की गतिविधियों के कारण गंभीर सुरक्षा चुनौती का सामना किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल ए सी) के उस पार विभिन्न सेक्टरों में चीनी ढांचागत विकास गतिविधियों के बारे में समय-समय पर रिपोर्टें प्राप्त होती रहती है। सरकार ऐसी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहती है और सभी आवश्यक और उपयुक्त उपाय करती है।

(ख) भारत चीन-सीमा सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। राज्यों को उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें हथियार, संचार उपकरण, निगरानी उपकरण, गतिशीलता इत्यादि शामिल है।

[अनुवाद]

संस्कृति शिक्षा

4694. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यालयों में संस्कृति शिक्षा की स्थिति पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने चिंता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्कूली विद्यार्थियों के लिए उनकी इच्छा के अनुरूप कला चुनने के लिए पृथक समय का आवंटन और कला में विशिष्ट पाठ्यक्रम की शुरूआत करने के संबंध में विद्यालय पाठ्यक्रम में संस्कृति शिक्षा के समेकन के बारे में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की गठित उप समिति ने सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा शिक्षा पाठ्यक्रम में समेकित संस्कृति शिक्षा को शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 10-11 अगस्त 2004 को आयोजित अपनी बैठक में इस मामले के नाजुक स्वरूप पर विचार करते हुए, जिसके लिए व्यापक विचार-विमर्श अपेक्षित है, "स्कूल पाठ्यचर्या में संस्कृति शिक्षा का समेकन" विषय पर एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति के गठन का निर्णय लिया। तदनुसार ऐसी समिति का गठन किया गया है जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

चाय का उत्पादन/निर्यात

4695. श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री जुएल ओराम :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद चाय उत्पादन करने वाले प्रत्येक राज्यों द्वारा विभिन्न प्रकार की चाय की कितनी मात्र उत्पादित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान घरेलू खपत के लिए चाय की कितनी मात्रा रखी गई और कितनी मात्रा का निर्यात कर दिया गया;

(ग) सरकार द्वारा चाय के उत्पादन और निर्यात बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या उत्पादन में गिरावट के परिणामस्वरूप अंतर को पाटने हेतु चाय का आयात किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि का ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या उपाय किए गए;

(च) क्या चाय उद्योग का अधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) विभिन्न प्रकार की उत्पादित चाय के राज्य-वार

ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान देश में उत्पादित विभिन्न प्रकार की चाय की कुल मात्रा निम्नलिखित है:-

वर्ष	उत्पादन (मिलि. कि.ग्रा. में)			
	सीटीसी	परम्परागत*	हरी चाय	कुल
2001-02	772.36	73.58	5.47	851.41
2002-03#	763.20	69.70	4.70	837.60
2003-04#	772.498	73.50	4.50	850.49

*परम्परागत में दार्जिलिंग शामिल है।

#अनुमानित

(ख) वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान चाय के अनुमानित घरेलू प्रतिधारण और निर्यात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(मिलि. कि.ग्रा. में)

वर्ष	अनुमानित घरेलू प्रतिधारण	निर्यात
2001-2002	678	190.01
2002-2003	676	184.39
2003-2004	679	183.07

(ग) देश में उम्पादित चाय के उत्पादन, गुणवत्ता और पण्यता को बढ़ाने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चाय बोर्ड द्वारा अनेक विकासात्मक स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। अनेक बागान विकास कार्यकलापों जैसे पुनर्रोपण, नवीकरण, सिंचाई सुविधाओं के सृजन इत्यादि के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। चाय के निर्यातों को बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों में निजी परामर्शदाताओं के माध्यम से तैयार की गई एक मध्यावधि निर्यात नीति का कार्यान्वयन, अच्छी गुणवत्ता की चाय विशेषकर परम्परागत प्रकार की चाय के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, विदेशों में प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, भारतीय ब्रांडों के विपणन में भारतीय निर्यातकों को संवर्धनात्मक सहायता उपलब्ध कराना, विशेषज्ञता स्टोरों और अधारभूत बाजारों पर फील्ड सेम्पलिंग, चाय प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान, उपभोक्ता जागरुकता बढ़ाने के लिए मीडिया अभियान चलाना, आईसीडी अमीन गांव के जरिए निर्यात चाय के लिए 1.50 रु. प्रति कि.ग्रा. की दर पर परिवहन सब्सिडी देना आदि शामिल हैं।

(घ) और (ङ) चाय का आयात मुख्यत: मूल्यवर्धन के साथ पुनर्निर्यात के प्रयोजनार्थ किया जाता है। पुनर्निर्यात के लिए ऐसे आयात अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय की कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाते हैं। वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान चाय आयातों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	आयात (मिलि. कि.ग्रा. में)
2001-02	16.80
2002-03	22.49
2003-04	11.10

(च) और (छ) भारतीय चाय उद्योग के समक्ष चुनौतियों से संबंधित पणधारकों का सम्मेलन नई दिल्ली में 16 और 17 सितम्बर, 2004 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान उत्पादन, उत्पादकता, अनुसंधान, सुधार, विपणन, कराधान और भूमि तथा श्रम कानूनों को शामिल करने वाले विधानों आदि से संबंधित चाय से सम्बद्ध मुद्दों की पूरी श्रृंखला पर विचार-विमर्श किए गए थे। सम्मेलन में की गई सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश चाय झाड़ियों के नवीकरण और पुनर्रोपण से संबंधित थी। सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सरकार ने एक चाय सलाहकार समिति गठित की है। चाय बोर्ड ने समस्त उद्योग के लिए आईटी चाय पोर्टल भी शुरू किया है जो चाय उद्योग के सभी पणधारकों तक पहुंचाने और उन्हें सूचना उपलब्ध करने के लिए प्रमुख साधन के रूप में कार्य करता है।

रुग्ण चाय बागान

4696. श्री जुएल ओराम :
श्री हितेन बर्मन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और उसके बाद से अब तक कितने चाय बागान रूग्ण हो गए हैं;

(ख) उनकी रूग्णता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इनमें से किसी बागान के पुनरूद्धार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने भारतीय चाय उद्योग को सुधारने हेतु कोई खाका तैयार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) वर्ष 2002 के अंत तक 43 चाय बागान, वर्ष 2003 के अंत तक 51 बागान तथा वर्ष 2004 के अंत तक 32 बागान बंद किए गए थे।

(ख) से (घ) देश में बंद पड़े चाय बागानों की समस्याओं का सामाधान करने के लिए भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल, केरल, असम और त्रिपुरा राज्यों में बंद पड़े चाय बागानों का गहन अध्ययन करने के लिए जनवरी, 2003 में तीन विशेषज्ञ समितियों का गठन किया था। समितियों द्वारा यथाअभिज्ञात रूग्णता/बन्द होने के प्रमुख कारणों में कम उत्पादकता के कारण बागानों की अंतर्निहित कमजोरियां, खराब बागान प्रबंधन तथा नई इक्विटी की नगण्य प्राप्ति के साथ बैंक ऋण पर अत्यधिक निर्भरता शामिल हैं।

विशेषज्ञ समितियों के निष्कर्षों के आधार पर केंद्र सरकार और चाय बोर्ड ने बंद पड़े चाय बागानों के प्रबंधकों एवं उनके बैंकरों के बीच बातचीत को सुकर बनाया है।

(ङ) और (च) भारतीय चाय उद्योग के समक्ष चुनौतियों के संबंध में 16 और 17 सितम्बर, 2004 को नई दिल्ली में पणधारकों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान उत्पादन, उत्पादकता, अनुसंधान, सुधार, विपणन, कराधान एवं भूमि तथा श्रम कानूनों सहित विधानों आदि के बारे में चाय से संबंधित अनेक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। सम्मेलन के दौरान की गई सबसे प्रमुख सिफारिश चाय की झाड़ियों के पुनर्नवीकरण एवं पुनर्रोपण के विषय में रही। सरकार ने उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक चाय सलाहकार समिति का गठन किया है।

[हिन्दी]

रॉ के भगौड़े अधिकारी

4697. श्री हरिन पाठक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऐसे कितने अधिकारी हैं, जो भाग गए हैं/जिनका पता नहीं लगाया जा सका है;

(ख) क्या सरकार ने उनकी परिसम्पत्तियों की कुर्की की है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान एजेंसी का केवल एक अधिकारी फरार हुआ है।

(ख) यद्यपि अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, उसकी परिसम्पत्तियों को अभी तक जब्त नहीं किया गया है।

(ग) सुरक्षा प्रक्रियाओं को और सुदृढ़ किया गया है।

झींगा मछली का निर्यात

4698. श्री बापू हरी चौरे :
श्री सुशील कुमार मोदी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमपीईडीए वर्ष 2003 से देश के किसी भाग में झींगा मछली के किसानों के प्रशिक्षण और उनकी सहायता हेतु धनराशि स्वीकृत करती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सहायता प्राप्त करने वाले किसानों ने निर्यात के लिए झींगा का उत्पादन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस व्यापार के माध्यम से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ङ) झींगा मछली के निर्यात का पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं तथा उन्हें किन-किन राज्यों ने निर्यात किया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) श्रिंप/झींगा कृषकों और निर्यातकों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहा है। खारे पानी और ताजे पानी में श्रिंप के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एम्पीडा, नए फार्म के विकास, श्रिंप और स्कैम्पी हेतु नई अंडज उत्पत्तिशालाओं की स्थापना, फार्मों में निस्सारण एवं उपचार प्रणाली की स्थापना, अंडज उत्पत्तिशालाओं में पॉलिमराइज्ड चेन रियेक्शन (पीसीआर) प्रयोगशालाओं (विषाणु जनित रोगों का शीघ्र पता लगाने के लिए) की स्थापना, श्रिंप फार्मों के लिए जल परीक्षण कीटों की खरीद, फार्म क्षेत्रों के निकट शीतगृहों की स्थापना इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त एम्पीडा द्वारा कृषकों को कृषि के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकार बनाने के लिए प्रशिक्षण एवं अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरों की व्यवस्था भी की जाती है।

(ग) से (ङ) सामान्यत: एम्पीडा द्वारा निर्यात हेतु उत्पादन में वृद्धि के लिए कुछ शर्तों के अधीन पूंजी लागत के 25% की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

निर्यात आंकड़े पत्तन-वार उपलब्ध हैं न कि राज्यवार। जापान, यूएसए तथा यूरोपीय संघ भारत से प्रशीतित श्रिंप/झींगा के प्रमुख आयातक हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को निर्यातित श्रिंप/झींगे का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (टन में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
2002-03	1,34,815	4608.31
2003-04	1,29,768	4,013.07
2004-05 (फरवरी, 05 तक) (अनंतिम)	1,23,890	3,836.79

[अनुवाद]

भारतीय निर्यात

4699. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी पारंपरिक वस्तुएं जैसे कच्चा माल और कृषि उत्पादों तथा कितनी गैर-परम्परागत वस्तुएं जैसे इंजीनियरिंग वस्तुएं और अन्य मूल्यवर्धित/निर्मित वस्तुओं का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार ने निर्मित/मूल्य वर्द्धित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अगले तीन वर्षों के लिए निर्मित/मूल्यवर्द्धित वस्तुओं के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान कृषि उत्पाद, गैर परम्परागत मदों तथा अन्य विनिर्मित वस्तुओं सहित प्रमुख वस्तुओं के निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ग) विदेश व्यापार नीति (2004-09) में अनेक कार्य नीतियों का प्रस्ताव किया गया है जिनसे विनिर्मित/मूल्यवर्धित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इनमें पूंजीगत वस्तुओं तथा उपकरणों के आयात के जरिए प्रौद्योगिकीय एवं अवसंरचनात्मक उन्नयन को सुकर बनाने के उपाय शामिल हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने के साथ-साथ मूल्यवर्धन तथा उत्पादकता में वृद्धि होगी। अगले तीन वर्षों के लिए प्रारंभिक रूप से 88 बिलियन अमरीकी डालर, 104 बिलियन अमरीकी डॉलर और 125 बिलियन अमरीकी डॉलर के समग्र निर्यात लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तथापि, वर्ष 2004-05 के दौरान निर्यात निष्पादन को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005-06 के लिए निर्यात लक्ष्य को 88 बिलियन अमरीकी डॉलर से संशोधित कर अब 92 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया है। समूह के रूप में विनिर्मित/मूल्यवर्धित वस्तुओं के निर्यात के लिए कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

प्रमुख वस्तुएं	2001-02	2002-03	2003-04	% वृद्धि 03-04/02-03	% भार 2003-04
1	2	3	4	5	6
I. विनिर्मित वस्तुएं जिनमें प्रथम 10 मदें हैं:	**31966**	**40251**	**47791**	**18.73**	**75.31**
1. रत्न एवं आभूषण	7306	9030	10510	16.39	16.56
2. तैयार परिधान	5007	5690	6088	6.99	9.59
3. टेक्सटाइल यार्न, फैब्रिक्स, मेड अप्स	3073	3351	3324	-0.79	5.24
4. औषधि, भेषज एवं प्रसंस्कृत रसायन	2062	2650	3117	17.59	4.91
5. मशीनरी एवं उपकरण	1734	2008	2772	38.05	4.37
6. धातु विनिर्माण	1604	1848	2408	30.30	3.79
7. प्राथमिक एवं अर्द्ध परिष्कृत लोहा एवं इस्पात	731	1621	2140	32.02	3.37
8. चर्म एवं चर्म विनिर्माण	1910	1848	2025	9.58	3.19
9. परिवहन उपस्कर	1021	1334	1892	41.83	2.98
10. इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	1193	1295	1739	34.29	2.74
अन्य	6325	9576	11776	22.97	
II. पेट्रोलियम उत्पाद	2119	2577	3519	36.55	5.55
III. कृषि एवं संबंधित उत्पाद जिनमें प्रथम 10 मदें हैं:	5859	6700	7229	7.90	11.39
1. समुद्री उत्पाद	1237	1432	1320	-7.82	2.08
2. तेल खाद्य	474	307	712	131.92	1.12
3. गेहूं	279	364	511	40.38	0.81
4. गैर बासमती चावल	279	780	466	-40.21	0.73

1	2	3	4	5	6
5. बासमती चावल	386	425	433	1.89	0.68
6. काजू गिरी छिलका सहित काजू	375	426	370	-13.15	0.58
7. फल एवं सब्जियां	208	225	370	64.44	0.58
8. मांस एवं मांस उत्पाद	250	285	349	22.46	0.55
9. चाय	360	341	347	1.76	0.55
10. मसाले	314	342	332	-2.92	0.52
अन्य	1696	1773	2019	13.87	
IV. अयस्क एवं खनिज	1262	1995	2340	17.29	3.69
1. लौह अयस्क	426	868	1117	28.69	1.76
2. अन्य अयस्क एवं खनिज	412	516	533	3.29	0.84
3. प्रसंस्कृत खनिज	351	550	615	11.82	0.97
4. कोयला	61	53	58	9.43	0.09
5. अभ्रक	12	8	17	112.50	0.03
V. अवर्गीकृत उत्पाद	2621	1195	2575	115.48	4.06
कुल निर्यात	43827	52719	63455	20.36	100.00

स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कोलकाता द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर आर्थिक प्रभाग, वाणिज्य विभाग द्वारा तैयार।

ब्राजील को जूट का निर्यात

4700. **श्री जी.वी. हर्ष कुमार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्राजील ने भारत से जूट आयात पर लगने वाले पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्राजील और अन्य देशों को निर्यात किए गए जूट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्यात बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन) : (क) जी, हां। ब्राजील ने ब्राजील में जूट की वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क को आंशिक रूप से समाप्त कर लिया है।

(ख) ब्राजील की सरकार ने उन पांच उत्पादक-निर्यातकों (ग्लोस्टर, चेविओट, हावड़ा, बिड़ला और गंजेज) पर ब्राजील में जूट

की वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया है जिन्होंने जांच में सहयोग दिया था और ब्राजील की कामेक्स सरकार के सरकारी राजपत्र में 10 सितम्बर, 2004 को प्रकाशित एक अधिसूचना द्वारा अन्य भारतीय कम्पनियों के लिए पाटनरोधी शुल्क की दर 398.9% से घटाकर 0.22 अमरीकी डॉलर/किग्रा. (27.8%) कर दी गयी है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्राजील को किए गए जूट के निर्यातों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा	मूल्य
2001-02	895.0 मी.टन	28.44 मिलियन रुपए
2002-03	1222.2 मी.टन	40.14 मिलियन रुपए
2003-04	1834.4 मी.टन	55.19 मिलियन रुपए

(घ) भारत की सरकार निर्यातों में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है:-

(1) बाह्य बाजार सहायता स्कीम (ई एम ए)

(2) बाजार सहायता स्कीम

(3) जूट उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु जे एम डी सी प्रोत्साहन स्कीम

(4) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम।

[हिन्दी]

अस्पतालों द्वारा नियमों का उल्लंघन

4701. श्री ब्रजेश पाठक : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नियमों और कानूनों का उल्लंघन करने वाले निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई करने या अधिग्रहण करने के संबंध में विधि मंत्रालय के समक्ष इस मामले को उठाया है;

(ख) यदि हां, तो उन निजी अस्पतालों के नाम क्या हैं जिनके संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विधि मंत्रालय से सलाह देने का अनुरोध किया है और अनुरोध किए जाने की तिथियां क्या हैं;

(ग) क्या विधि मंत्रालय ने इस संबंध में कोई सलाह दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अगस्त, 2004 में दिल्ली स्थित एस्कोर्टस हार्ट इंस्टिट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का चंडीगढ़ स्थित एस्कोर्टस हार्ट इंस्टिट्यूट एंड रिसर्च सेंटर (ईएचआईआरसी) लिमिटेड के साथ एकीकरण करने संबंधी मामला विधि मंत्रालय के विचार हेतु भेजा था। यह मामला विधि मंत्रालय को कानूनी राय हेतु भेजा गया था। विधि मंत्रालय ने कुछ अतिरिक्त सूचना मांगी थी, जो अब भेज दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वर्ण नीति

4702. श्री ई. पोन्नुस्वामी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्ण संबंधी एक व्यापक नीति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मूल्य और व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) भारत को स्वर्ण व्यापार केन्द्र बनाने के लिए स्वर्ण उद्योग के विनियामक ढांचे की जांच करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:-

(i) स्वर्ण के भावी बाजारों में स्थान बनाने हेतु बैंकों को सुविधा प्रदान करने के लिए किए गए उपायों की व्याप्ति में सुधार करना।

(ii) स्वर्ण में निवेश के लिए परस्पर निधियों को सुकर बनाने के उपायों की सिफारिश करना।

(ii) स्वर्ण संबंधी बचत योजना को कार्यान्वित करने के लिए बैंकों की क्षमता में सुधार करने हेतु उपायों की सिफारिश करना।

(iv) स्वर्ण के विनिर्माण एवं व्यापार को सुकर बनाने के लिए अपेक्षित उचित सीमाशुल्क एवं विदेश व्यापार उपायों की सिफारिश करना।

(v) स्वर्ण व्यापार में सुधार के लिए अपेक्षित तथा व्यापार की जा रही वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित उपायों के संबंध में कोई अन्य सिफारिश करना।

भारत में स्वर्ण की कीमत में उतार-चढ़ाव आम तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार होता है। इसके अतिरिक्त, मांग एवं आपूर्ति, निवेशक का हित, ब्याज दरें, अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर की विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव आदि जैसे कारकों से स्वर्ण की कीमतें प्रभावित होती हैं। समिति के जांच परिणामों से देश में स्वर्ण व्यापार के परिदृश्य में सुधार होने की उम्मीद है।

दिल्ली में गोसदनों द्वारा अतिरिक्त भूमि को हथियाना

4703. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993 से 1998 के बीच दिल्ली में प्रत्येक गोसदन को एक एकड़ के हिसाब से 100 गोसदनों को भूमि आबंटित की गई थी और उनमें से अधिकांश गोसदनों ने स्वीकृत भूमि से अतिरिक्त भूमि को हथिया लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने यह सूचित किया है कि 238 एकड़ भूमि केवल छह गोसदनों को आबंटित की गई थी और उनमें से किसी ने भी आबंटित भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा नहीं किया है।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तर के आलोक में लागू नहीं।

भारत-इज़ाइल व्यापार

4704. **श्री रायापति सांबासिवा राव** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इज़ाइल दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी बनाने हेतु संयुक्त अध्ययन दल गठित करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इज़ाइल के उपप्रधानमंत्री के नेतृत्व में आए इज़ाइल व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ हाल ही में चर्चा की थी;

(ग) यदि हां, तो इन नेताओं के साथ क्या प्रमुख चर्चा हुई; और

(घ) इस संयुक्त दल से भारत और इज़ाइल के बीच कितना द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलंगोवन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विचार-विमर्श आपसी लाभ के लिए द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को सुकर बनाने तथा इसका विस्तार करने पर केन्द्रित थे।

(घ) संयुक्त अध्ययन दल से भारत और इज़ाइल के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए उपायों का पता लगाने की उम्मीद है।

राज्यों में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती

4705. **श्री विजय कृष्ण** :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में अर्द्धसैनिक बलों को कितनी बार भेजा गया था और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु बलों को राज्य-वार किन-किन अवसरों पर भेजा गया था;

(ख) क्या मौजूद नियमों के अनुसार अर्द्धसैनिक बलों पर होने वाले व्यय को राज्य सरकारों को वहन करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इन अर्द्धसैनिक बलों पर कितनी राशि व्यय की गई और आज की तिथि के अनुसार इन राज्यों के प्रति कितनी राशि बकाया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) राज्य सरकारों के अनुरोध पर, लोक व्यवस्था बनाए रखने में उनकी सहायता करने के लिए, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल उपलब्ध कराए जाते हैं। इन बलों की तैनाती समग्र सुरक्षा परिदृश्य और इन बलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तदनुसार, समय-समय पर विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की जाती है। इन बलों के ब्यौरे देना या उनके तैनाती के क्षेत्र के बारे में बताना जनहित में नहीं है।

(ख) जी हां, श्रीमान। उन्हें छोड़कर जिन्हें ऐसी अदायगी से छूट मिली हुई है।

(ग) विभिन्न राज्यों पर कुल बकाया राशि को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	कुल बकाया राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	274.82
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	असम	50.17
5.	बिहार	233.85
6.	छत्तीसगढ़	72.06
7.	दिल्ली	320.28
8.	दादरा एवं नगर हवेली	0
9.	दमन एवं दीव	0
10.	गुजरात	035.05
11.	गोवा	0.96
12.	हरियाणा	15.90
13.	हिमाचल प्रदेश	0
14.	जम्मू एवं कश्मीर	0
15.	झारखंड	153.48
16.	कर्नाटक	14.25
17.	केरल	0.19
18.	लक्षद्वीप	0
19.	मध्य प्रदेश	13.94
20.	महाराष्ट्र	2.71
21.	मणिपुर	0
22.	मेघालय	0.012
23.	मिजोरम	0.058
24.	नागालैंड	0
25.	उड़ीसा	65.78
26.	पांडिचेरी	2.64
27.	पंजाब	317.24

1	2	3
28.	राजस्थान	6.97
29.	सिक्किम	0
30.	तमिलनाडु	144.21
31.	त्रिपुरा	0.003
32.	उत्तर प्रदेश	362.72
33.	उत्तरांचल	5.089
34.	पश्चिम बंगाल	58.75
	कुल	2151.13

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना

4706. **श्री हंसराज जी. अहीर :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत स्कूल जा रहे विद्यार्थियों को फल प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस संबंध में कोई रूपरेखा तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना का कार्यान्वयन कब से शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सिफारिश भेजी थी कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के भाग के रूप में फलों की आपूर्ति की व्यवहार्यता की जांच की जानी चाहिए।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से उक्त सिफारिश पर उचित कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है।

[अनुवाद]

जनजातियों से अभ्यावेदन

4707. **श्री पी. करूणाकरन :** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान जनजातियों की समस्याओं/मांगों के संबंध में राज्य सरकारों/राज्य जनजाति आयोगों और आदिवासी संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) राज्य सरकारों/विभिन्न संगठनों से अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधनों के संबंध में लगभग 990 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन एक सतत् प्रक्रिया है। इसलिए वर्षवार ब्यौरे नहीं रखे जाते।

(ख) राज्यवार प्रस्तावों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों/संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों पर अनुमत प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

विवरण

प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	95
2.	अरुणाचल प्रदेश	24

1	2	3
3.	असम	113
4.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	2
5.	झारखंड सहित बिहार	50
6.	चंडीगढ़	17
7.	दिल्ली	1
8.	दादरा व नगर हवेली	3
9.	दमन व दीव	2
10.	गोवा	13
11.	गुजरात	14
12.	हरियाणा	4
13.	हिमाचल प्रदेश	14
14.	जम्मू व कश्मीर	11
15.	कर्नाटक	54
16.	केरल	59
17.	लक्षद्वीप	1
18.	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	37
19.	मणिपुर	28
20.	मेघालय	17
21.	महाराष्ट्र	90
22.	मिजोरम	7
23.	नागालैंड	24
24.	उड़ीसा	88
25.	पांडिचेरी	11
26.	पंजाब	13
27.	राजस्थान	18
28.	सिक्किम	8
29.	तमिलनाडु	70
30.	त्रिपुरा	12
31.	उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल	70
32.	पश्चिम बंगाल	20
	जोड़ :	990

बालिकाओं हेतु बोर्डिंग तथा होस्टल सुविधा

4708. श्री सी.एच. विजयशंकर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "बालिकाओं हेतु बोर्डिंग सुविधाओं को सुदृढ़ करने" की योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों के एक भी प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावों को स्वीकृति देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान कुल 155 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार

4709. प्रो. एम. रामदास : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संशोधित व्यापार संबंधी बौद्धिक सम्पदा अधिकार (टी आर आई पी एस) में जैविक विविधता संबंधी अभिसमय में समानता तथा आधार तथा भोजन और कृषि हेतु प्लान्ट जेनेटिक संसाधनों संबंधी एफ ए ओ संधि के प्रावधान शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने प्रावधान शामिल किए गए हैं;

(ग) क्या संशोधित टी आर आई पी एस में भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित आविष्कार के मामले में अधिकारों की अनिवार्य लाइसेंसिंग तथा जेनेटिक संसाधनों और परंपरागत ज्ञान के प्राथमिक संरक्षकों के साथ लाभ की भागीदारी हेतु प्रावधान हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) डब्ल्यू टी ओ के बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) करार के व्यापार से संबंधित पहलुओं को संशोधित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की समीक्षा

4710. श्री तथागत सत्पथी :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता अभियान तथा प्रौढ़ शिक्षा योजना की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अभियान को फिर से क्रियान्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस अभियान के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक राज्य को राज्यवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की विभिन्न योजनाओं के तहत हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य 2007 तक 75% साक्षरता की पोषणक्षम प्रभावसीमा को प्राप्त करना है। 2001 की जनगणना के मुताबिक 7 वर्ष तथा इससे अधिक उम्र की आबादी की साक्षरता दर 64.84% थी जो 1991 से 12.6% की वृद्धि को दर्शाती है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने 11.4.2005 को आयोजित अपनी सामान्य परिषद् की बैठक में 150 ऐसे जिलों पर चरणबद्ध ढंग से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है जहां साक्षरता दर न्यूनतम है।

(ङ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता। जिलों/राज्यों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान विहित मानदंडों एवं पैरामीटरों के मुताबिक जारी किया जाता है। 2005-06 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के लिए 290 करोड़ रु. का बजटीय प्रावधान किया गया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान

4711. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान हेतु परियोजना स्वीकृति बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा तत्पश्चात् महाराष्ट्र और उड़ीसा में जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो ये जिले कौन-कौन से हैं; और

(ग) परियोजना स्वीकृति बोर्ड द्वारा उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत की गई वार्षिक योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने महाराष्ट्र के 35 जिलों और उड़ीसा के 30 जिलों के लिए वार्षिक कार्य योजना और बजट अनुमोदित किया है। गत तीन वर्षों में इन दोनों राज्यों के लिए वार्षिक कार्य योजना और बजट के तहत अनुमोदित कुल राशि नीचे दर्शाई गई है:-

(रु. करोड़ में)

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05
महाराष्ट्र	369.57	765.26	856.02
उड़ीसा	134.07	471.97	640.04

दिल्ली में चोरी के मामले

4712. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कार चोरियां बढ़ती जा रही हैं तथा पुलिस इस प्रकार के मामलों को सुलझाने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा तत्पश्चात् आज की तारीख तक कुल कितनी कारें चोरी हुईं; और

(ग) कार चोरियों के सुलझाये गए मामलों की दर क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान और 31 मार्च, 2005 तक दिल्ली से चोरी हुई कारों, बरामद की गई कारों की संख्या और कार चोरी के सुलझाए गए मामलों की दर नीचे दी गई है:-

वर्ष	कार चोरी के सूचित किए गए मामलों की संख्या	बरामद की गई कारों की संख्या	सुलझाए गए मामलों की दर
1	2	3	4
2002	3609	1096	30.36%
2003	3478	801	23.03%
2004	3891	762	19.58%
2005 (31 मार्च तक)	862	113	13.10%

दिल्ली में वाहनों की संख्या में वृद्धि होना, अपर्याप्त और असुरक्षित पार्किंग स्थल, सेकेंड हैंड वाहनों का सुलभ बाजार ऐसे कुछ कारक हैं जिनके कारण कारों की चोरियां अधिक होती हैं। चूंकि चोरी के वाहनों की पंजीकरण संख्या बदल कर ऐसे अधिकांश वाहनों को दूर-दराज के स्थानों में बेच दिया जाता है इसलिए इन वाहनों को बरामद करने में पुलिस के सामने कठिनाई आती है।

स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन

4713. श्री सुग्रीव सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्त्री अशिष्ट रूपण वाले उत्तेजक विज्ञापनों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) अधिनियम के उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) और (ख) विभिन्न प्रचार माध्यमों में दर्शाये जाने वाले विज्ञापनों की संख्या एवं स्वरूप के विषय में केन्द्रीय स्तर पर कोई आंकड़े दर्ज नहीं किये जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

(i) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम के कार्य क्षेत्र में विस्तार करने तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को अधिनियम के कार्य क्षेत्र में लाने के लिए 'विज्ञापन' तथा 'महिलाओं का अशिष्ट रूपण' की परिभाषाओं में संशोधन।

(ii) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के मामलों की सक्षम न्यायालयों में शिकायत करने हेतु महिलाओं के कल्याण एवं विकास के क्षेत्रों में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अधिकृत करना।

(iii) उक्त अधिनियम की धारा 3 तथा धारा 4 के उपबंधों के उल्लंघन हेतु दण्ड में वृद्धि करना।

(ङ) प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श किया जा रहा है।

(च) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों को सौंपा गया है। इस अधिनियम की धारा 5 में राज्य सरकार द्वारा विधिवत् प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारियों को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वे ऐसे परिसरों, जहां इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल अपराध किये गये हों या ऐसे अपराध किये जाने का संदेह हो, में प्रवेश कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं तथा ऐसे किसी विज्ञापन, पर्चे, पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, आरेख, चित्र, फोटो, रूपण या आकृति, जिनके संबंध में ऐसा विश्वास करने का उनके पास पर्याप्त कारण हों कि उनमें उक्त अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, को जब्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति

4714. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा तत्पश्चात् अपराधों के कुल कितने मामले सुलझाए गए;

(ख) शेष मामलों के लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों को कब तक सुलझाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और 31 मार्च, 2005 तक दिल्ली में सूचित अपराधिक मामलों और हल किए गए मामलों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	सूचित मामलों की कुल संख्या	हल किए गए मामलों की कुल संख्या
2002	67409	47184
2003	67571	50634
2004	76827	57596
2005 (31 मार्च तक)	19909	13556

(ख) मामलों के लंबित होने के कारणों में, न्यायिक और अन्य रिपोर्ट प्राप्त न होना; अभियुक्त की पहचान न होना; अपराधी का दूसरे देशों में प्रवासन; कुल मामलों में अपराधी सह-अपराधी और गवाहों का गायब होना, पीड़ित व्यक्तियों द्वारा मामलों पर कार्रवाई करने में अरुचि; डी एन ए परीक्षण के लिए अपर्याप्त सुविधाएं, सबूत की कमी जिससे अभियुक्त की गिरफ्तारी प्रभावित होती है; और मेडिको-कानूनी प्रमाण पत्र पर घायल होने के परिणाम प्राप्त न होना शामिल हैं।

(ग) लंबित मामलों को हल करने के लिए कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है क्योंकि यह कई कारकों पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

दिल्ली में वृद्ध व्यक्तियों की हत्या

4715. श्री रघुनाथ झा :
श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा

तत्पश्चात् महिलाओं सहित कुल कितने वृद्ध व्यक्तियों की हत्या की गई;

(ख) इस संबंध में कितने अभियुक्त पकड़े गए तथा आज की स्थिति के अनुसार अनसुलझे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) वरिष्ठ नागरिकों/वृद्ध व्यक्तियों को पुलिस सहायता प्रदान करने तथा सरकारी कालोनियों सहित रिहायशी इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस की नीति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) दिल्ली में विगत तीन वर्षों के दौरान तथा 31 मार्च, 2005 तक महिलाओं सहित मारे गए वृद्ध व्यक्तियों के ब्यौरे, हल किए गए/लम्बित मामलों की संख्या तथा गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए प्रयासों में अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान का पता लगाना; अभियुक्त व्यक्तियों की घोषित अपराधियों के रूप में घोषणा करना; उनकी सम्पत्ति को कुर्क करना; तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही जांच का गहराई से सर्वेक्षण करना शामिल हैं।

(घ) दिल्ली में रहने वाले वृद्ध लोगों (वरिष्ठ नागरिकों) की सुरक्षा हेतु उठाए गए कदमों में, अकेले रहने वाले वृद्ध व्यक्तियों की पहचान करना; उनके कर्मचारियों विशेषकर घरेलू नौकरों तथा ड्राइवरों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन करना; बीट स्टाफ, थानेदारों तथा प्रभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर वृद्ध व्यक्तियों के घरों में आते-जाते रहना; अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) के अधीन अपराध शाखा में वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना करना; वरिष्ठ नागरिकों को भावानात्मक समर्थन प्रदान करने तथा उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों से सम्पर्क करना; उन्हें सुरक्षा युक्तियों और सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में ब्रीफ करना; आपातकाल की स्थिति में इस्तेमाल के लिए हैल्पलाइनों के टेलीफोन नम्बर उपलब्ध करवाना; वरिष्ठ नागरिकों के हित के लिए सुरक्षा जगारुकता शिविर आयोजित करना शामिल है।

विवरण

वर्ष	सूचित किए गए मामलों की संख्या	महिलाओं सहित मारे गए वृद्ध व्यक्तियों की संख्या	हल किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जांचाधीन मामलों की संख्या	हल न किए गए मामलों की संख्या
2002	20	21	11	19	—	9
2003	17	18	10	28	—	7
2004	17	20	11	22	6	—
2005 (31 मार्च तक)	3	4	—	—	3	—

पुरूलिया में हथियार गिराने का मामला

4716. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरूलिया में हथियार गिराने वाले मामले में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद अब भी गायब हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गायब हथियारों तथा गोला-बारूद को बराबद करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(घ) गिराए गए तथा अब तक बरामद किए गए हथियारों तथा गोला-बारूद का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) यद्यपि, इस घटना में गिराये गए अधिकांश हथियार बरामद कर लिए गए हैं, सी बी आई, जिसे पुरूलिया में हथियार गिराने की मामले की जांच-पड़ताल का काम सौंपा गया था, ने शेष गायब हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों और दिल्ली पुलिस से सहायता मांगी है। गिराए गए हथियारों/गोला बारूद, अब तक बरामद किए गए और बरामद किए जाने वाले हथियारों/गोला बारूद की सूची संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

गिराये गए/बरामद किए गए/अभी बरामद किए जाने वाले हथियारों और गोला-बारूद का ब्यौरा

क्र. सं.	मद	अब तक की गई बरामदगी	वास्तव में गिराये गए	अभी तक बरामद किए जाने हैं
1	2	3	4	5
1.	ए.के.-47/56 (कलशिनकोव)	252	300	48
2.	7.62 गोला-बारूद (50 एम एम टाइप)	21,239 राउंड	25,000	3,761
3.	9 एम एम पिस्तौल	11	25	14
4.	9 एम एम गोला-बारूद	3,885 राउंड	6,000	2,115
5.	राकेट लांचर	10	10	शून्य
6.	राकेट लांचर के लिए बूस्टर	69	100	31
7.	ड्रैगनोव 7.62 स्निपर राइफलें	2	2	शून्य
8.	हैंड ग्रेनेड	65	100	35
9.	एंटी टैंक ग्रेनेड	78	100	22

जनजातियों के लिए अनुसंधान/ प्रशिक्षण कार्यक्रम

4717. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी** : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्र सरकार द्वारा जनजातियों के कल्याण के लिए 2004-05 के दौरान तथा तत्पश्चात् चलाई जा रही अनुसंधान तथा प्रशिक्षण गतिविधियों के अंतर्गत राज्यवार कितने लोगों/अध्येताओं को अनुसंधान कार्य सौंपा गया है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार कर्नाटक में इस प्रकार की नई गतिविधियां आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) वर्ष 2004-2005 के दौरान "जनजातीय विकास के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान और प्रशिक्षण-रिसर्च फैलोशिप एवार्ड (डॉक्टोरल और पोस्ट-डॉक्टोरल) योजना के अधीन डॉक्टोरल/पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च करने के लिए 17 विद्यार्थियों को रिसर्च फैलोशिप दिए गए।" इसके राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्रमांक	राज्य का नाम	विद्यार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	छत्तीसगढ़	1
3.	झारखंड	1
4.	हिमाचल प्रदेश	3
5.	केरल	1
6.	उड़ीसा	2
7.	उत्तर प्रदेश	2
8.	पश्चिम बंगाल	6
	कुल	17

(ख) रिसर्च कार्य पूरा करने पर ये विद्यार्थी अपनी पी.एच.डी./डी.लिट/डी. सांइस की डिग्री प्राप्त करेंगे।

(ग) और (घ) इच्छुक विद्यार्थी राज्य सरकार के माध्यम से रिसर्च फैलोशिप एवार्ड के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत करते हैं। मंत्रालय, इस प्रयोजन के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में गुण-दोष के आधार पर प्रस्तावों की जांच करता है।

सीमा पार करने हेतु दस्तावेजों की पहचान/सत्यापन

4718. श्री अधीर चौधरी :
श्री निखिल कुमार :
डा. एम. जगन्नाथ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संवेदनशील सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सुरक्षा बलों ने सीमा पार करने के लिए दस्तावेजों की पहचान/सत्यापन आरंभ करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) अपने संबंधित राष्ट्रिकों द्वारा सीमा पार करने के लिए दस्तावेजों की पहचान की शुरूआत करने हेतु भारत और नेपाल की सरकारों ने एक पायलट परियोजना के संबंध में परामर्श शुरू कर दिया है।

युवा विकास परियोजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठन

4719. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार युवाओं से संबंधित परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों को स्वीकृति प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के प्रस्तावों को नेहरू युवक केन्द्रों की सिफारिशों के बाद स्वीकृति दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान तथा तत्पश्चात् कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों, जिला कलेक्टरों अथवा नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) द्वारा प्रस्तावों की सिफारिश की जाती है।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन की फील्ड यूनिटों और गैर-सरकारी संगठनों को स्वीकृत किये गये प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या संबंधी विवरण संलग्न है। वर्ष 2005-2006 के दौरान कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है।

विवरण

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की युवा संबंधी योजनाओं के अंतर्गत पिछले दो वर्षों अर्थात् 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान नेहरू युवा केन्द्रों की फील्ड यूनिटों सहित गैर-सरकारी संगठनों को स्वीकृत किये गये प्रस्तावों की संख्या को दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय एकीकरण		साहस		युवा संबंधी गतिविधियों का संवर्धन और प्रशिक्षण		किशोरों का विकास और अधिकारिता
		03-04	04-05	03-04	04-05	03-04	04-05	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	4	2	—	—	29	23	अक्तूबर, 2004 से योजना परिचालन में है। योजना के अंतर्गत जिन प्रस्तावों की सिफारिश जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, उन पर विचार किया जाता है।
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	2	—	—	—	
3.	असम	9	7	—	2	5	23	
4.	बिहार	15	15	—	—	60	29	
5.	चंडीगढ़	—	—	2	—	—	1	
6.	छत्तीसगढ़	—	2	—	—	—	1	
7.	गुजरात	—	3	—	2	7	2	
8.	हरियाणा	18	19	12	16	20	30	
9.	हिमाचल प्रदेश	—	—	2	4	2	12	
10.	जम्मू व कश्मीर	2	3	4	3	6	3	
11.	झारखंड	—	—	—	1	11	16	
12.	कर्नाटक	1	2	—	3	44	6	
13.	केरल	3	6	—	—	4	5	
14.	मध्य प्रदेश	14	13	4	2	71	33	
15.	महाराष्ट्र	1	5	—	1	29	10	
16.	मणिपुर	9	11	3	3	19	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	मिजोरम	—	—	—	—	2	—	
18.	नागालैंड	—	12	1	11	7	11	
19.	उड़ीसा	16	14	1	7	54	37	
20.	पंजाब	—	—	—	1	2	14	
21.	राजस्थान	11	8	2	5	14	5	
22.	दमन व दीव	—	—	—	—	1	2	
23.	सिक्किम	5	—	1	1	5	1	
24.	त्रिपुरा	1	2	1	1	2	1	
25.	तमिलनाडु	1	5	—	—	9	27	
26.	उत्तरांचल	3	—	—	3	7	11	
27.	उत्तर प्रदेश	35	26	7	8	179	107	
28.	पश्चिम बंगाल	17	4	2	4	14	28	
29.	दिल्ली	24	37	19	28	16	31	
30.	दादरा व नगर हवेली	2	—	—	—	—	—	
31.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	2	—	1	—	4	
32.	मेघालय	—	—	—	—	—	2	
33.	गोवा	—	—	—	—	—	1	
	कुल	82	211	63	107	619	496	

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर के लिए विकास पैकेज

4720. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए अब तक घोषित पैकेजों का ब्यौरा क्या है तथा किस-किस तारीख को इनकी घोषणा की गई;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन पैकेजों का मूल्यांकन किया गया है अथवा इनका मूल्यांकन किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन पैकेजों पर पैकेजवार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ङ) किन-किन संसाधनों से ये धनराशि जुटाई गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) इस उत्तर के लिए ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा अब तक कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(घ) इस उत्तर के लिए सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) संसाधनों में मुख्यरूप से केन्द्रीय मंत्रालयों के वार्षिक बजट तथा जम्मू और कश्मीर राज्य की वार्षिक योजनाएं शामिल हैं।

विवरण

1. **17-18 नवम्बर, 2004 को घोषित प्रधान मंत्री की पुनर्निर्माण योजना**

17 और 18 नवम्बर, 2004 को जम्मू और कश्मीर के अपने दौरे के दौरान प्रधान मंत्री ने अनुमानतः 24,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से जम्मू और कश्मीर के लिए पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की थी, जो राज्य के 3 क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने तथा सन्तुलित विकास के लिए थी। इस योजना में आधारभूत परियोजनाओं जैसे विद्युत और सड़कें, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बुनियादी सेवाओं को सुदृढ़ करना; जल आपूर्ति, जल निकासी में सुधार जैसी जन सुविधाओं, पर्यटन, उद्योग, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में आय अर्जन तथा रोजगार पर जोर, स्व-रोजगार हेतु उपायों, केन्द्रीय पुलिस बलों में युवकों की भर्ती तथा प्रवासियों के परिवारों के लिए राहत और पुनर्वास हेतु उपायों तथा लेह और कारगिल में लद्दाख स्वायत्तशासी हिल विकास परिषद हेतु अनुदान सहायता को शामिल किया गया है। वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य वार्षिक योजना के भाग के रूप में राज्य सेक्टर परियोजनाओं के लिए 1199.57 करोड़ रुपए विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

2. **23 मई, 2002 को घोषित प्रधानमंत्री का पैकेज**

प्रधान मंत्री द्वारा 23.5.2002 को जम्मू और कश्मीर राज्य हेतु रेल और सड़क विकास, रोजगार, राहत और सुरक्षा के लिए एक पैकेज की घोषणा की गई थी। इस पैकेज के अंतर्गत शामिल स्कीमों/परियोजनाओं में 287 कि.मी. उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लाइन, जम्मू तवी-जालंधर रेल लाइन को डबल करना, मनाली सम्पर्क रोड़-रोहतांग सुरंग-दारचा-नीमू सड़क का निर्माण, परम्परागत कुटीर उद्योगों का विकास, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पारिस्थितिकी संरक्षण परियोजनाओं, सेबों और अखरोटों के लिए कृषि-निर्यात जोनों का विकास, दो भारतीय रिजर्व बटालियनों का गठन को शामिल किया गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस पैकेज में शामिल परियोजनाओं पर 2531.63 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

3. **19 अप्रैल, 2003 को घोषित प्रधानमंत्री का पैकेज**

19.4.2003 को की गई घोषणा में व्यापक पर्यटन विकास योजना, व्यवहार्य चालू विद्युत परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने हेतु योजना, रावी नदी के ऊपर बशौली पुल, कम्प्यूटर सूचना केन्द्रों, केन्द्रीय विद्यालयों के विकास, महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, टेली-मेडिसिन परियोजना तथा एक लाख रोजगार और स्व-रोजगार अवसरों के सृजन हेतु टास्क फोर्स की स्थापना को शामिल किया गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस पैकेज में शामिल परियोजनाओं पर 1935.67 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

4. **29 अप्रैल, 2003 को घोषित प्रधानमंत्री का पैकेज**

29.8.2003 को की गई घोषणा में जम्मू विश्वविद्यालय और इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के विकास, कान्डी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, कारगिल से होते हुए श्रीनगर से लेह तक 220वीं सिंगल सर्कट सर्किट ट्रान्समीशन लाइन स्थापित करना, बढ़ाई गई राहत और कश्मीरी प्रवासियों हेतु एक कमरे वाले घरों का निर्माण को शामिल किया गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस पैकेज में शामिल परियोजनाओं पर 390.43 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

5. **23 जुलाई, 1996 तथा 2 अगस्त, 1996 को प्रधानमंत्री की घोषणाएं**

राज्य में विकास की प्रक्रिया को तेज करने तथा सामान्य स्थिति

की बहाली हेतु प्रधानमंत्री द्वारा 23 जुलाई, 1996 तथा 2 अगस्त, 1996 को संसद में दो घोषणाएं की गई थीं। इनमें उधमपुर से बारामुला तक रेलवे लाइन का निर्माण, जालंधर जम्मू तवी रेलवे ट्रैक को डबल करना, मुगल सड़क के निर्माण, दुलहस्ती एच ई पी तथा उरी एच ई पर पर लोक निर्माण कार्यों को पूरा करना, ऋण राहत उपलब्ध करवाने, विशेष केन्द्रीय सहायता, प्रवासी शिविरों में सुधार हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, लेह में सम्मेलन केन्द्र की स्थापना, कारगिल हवाई अड्डे तथा डल झील के विकास को शामिल किया गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार इन घोषणाओं में शामिल परियोजनाओं पर 8338.22 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

[अनुवाद]

जल आपूर्ति में सुधार के लिए निजी भागीदारी हेतु दिशानिर्देश

4721. श्री बाडिगा रामकृष्णा :
श्री ई. पोन्नुस्वामी :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुधारने के लिए निजी भागीदारी हेतु कोई दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या अन्य उपाय किए जा रहे है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां। भारत में शहरी जल आपूर्ति तथा सफाई सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार के लिए सेक्टर सुधार और सफल सार्वजनिक निजी भागीदारी हेतु दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

(ख) दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

- सुधार शुरू करने के लिए नीतिगत ढांचा/रोड मैप
- राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकाय और सुधार सलाहकारों द्वारा कार्यान्वयन व्यवस्थाएं
- कानूनी तथा सांस्थानिक ढांचे, नियामक प्रणाली, उपयोगिता शासन ढांचे के जरिए अनुकूल स्थितियों का सृजन
- निजी क्षेत्र भागीदारी (पीएसपी) लेन देनों का चयन और निष्पादन तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रबंधन

राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों के परामर्श से दिशानिर्देश तैयार किए गए थे। सितंबर-अक्टूबर 2004 के दौरान नई दिल्ली, कोलकाता और गोवा में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशालाओं में भी दिशानिर्देश परिचालित किए गए थे। राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों से प्रतिक्रियाएं उत्साहजनक रही हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा के विश्वविद्यालयों में खेलों को प्रोत्साहन

4722. श्री अनन्त नायक : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के विश्वविद्यालयों में खेलों की स्थिति बहुत ही दयनीय है;

(ख) क्या राज्य के तीनों विश्वविद्यालयों में केवल संसाधनों की कमी के कारण ही खेल गतिविधियों की उपेक्षा हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस राज्य के विश्वविद्यालयों में खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए पर्याप्त धनराशि मंजूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त) : (क) भारतीय विश्वविद्यालय संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस समय उड़ीसा राज्य के तीन विश्वविद्यालय अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में भाग ले रहे हैं। इनमें से दो विश्वविद्यालय नामत: संभलपुर और उत्कल विश्वविद्यालय अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में नियमित रूप से भाग ले रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों में खेलों के स्तर में विभिन्न बाध्यताओं के बावजूद सुधार हो रहा है। हाकी (पुरुष)) और तीरंदाजी में उनके परिणाम उत्साहवर्धक हैं। बेहरामपुर विश्वविद्यालय में सहभागिता और प्रदर्शन के मानदंड महत्वपूर्ण नहीं है।

(ख) संसाधनों की कमी एक महत्वपूर्ण कारण है। अन्य कारणों में राज्य में घरेलू प्रतियोगिताओं की तुलनात्मक रूप से कमजोर संरचना,

अपर्याप्त खेल अवस्थापना, निगमित क्षेत्र आदि द्वारा निवेश की कमी शामिल है।

(ग) "खेल" राज्य का विषय है अतः किसी राज्य में खेलों का संवर्धन मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, भारत सरकार विश्वविद्यालय और कालेजों में खेलों के संवर्धन सहित केन्द्रीय रूप से प्रायोजित खेल अवस्थापना योजनाओं के अंतर्गत स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों को शामिल करते हुए देश के विभिन्न स्थानों पर खेल सुविधाओं के सृजन के लिए वित्तीय सहायता देकर उड़ीसा सरकार सहित राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा कर रही थी। केन्द्रीय रूप से प्रायोजित खेल अवस्थापना संबंधी सभी योजनाएं 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई हैं। अब देश में खेलकूद के विकास के लिए आधारभूत खेल सुविधाओं के सृजन के लिए राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/कालेजों को अपने स्वयं के संसाधनों से संपूर्ण धनराशि देनी होगी।

"विश्वविद्यालयों और कालेजो में खेल संवर्धन के लिए अनुदान की योजना" के अंतर्गत उड़ीसा के विभिन्न कालेजों और विश्वविद्यालयों को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	जारी की गई धनराशि (लाख रु. में)	उड़ीसा में सहायता-प्राप्त विश्वविद्यालयों/कालेजों की संख्या
2002-03	58.98	24
2003-04	83.60	40
2004-05	57.98	32

भारत-थाई मुक्त व्यापार समझौता

4723. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-थाई मुक्त व्यापार समझौता के अंतर्गत अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (ई एच एस) का "प्रभाव आकलन" अध्ययन शुरू कराया है क्योंकि घरेलू उद्योग को आशंका है कि थाईलैंड से निर्यात में वृद्धि आएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ई एच एस योजना के अंतर्गत भारत और थाईलैंड के उद्यमी शुल्क देकर 82 वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात-निर्यात कर सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) भारत और थाईलैंड के बीच शीघ्र फलदायी स्कीम (ई एच एस) जिसे 1 सितम्बर, 2004 से कार्यान्वित किया गया था, के प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए मदवार व्यापार के आंकड़े केवल सितम्बर, 2004 से जनवरी, 2005 तक के लिए उपलब्ध हैं। तथापि, ये आंकड़े थाईलैंड से आयातों में वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग पर हुए प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

(ग) और (घ) 1 सितम्बर, 2004 से ई एच एस में शामिल की गयी 82 मदों के लिए भारत में आयात और भारत से थाईलैंड को निर्यात करने के लिए उद्‌गम के अंतरिम नियमों को पूरा किए जाने के अध्यधीन 1 जनवरी, 2004 की स्थिति के अनुसार लागू परम मित्र राष्ट्र टैरिफों पर 50 प्रतिशत रियायत की अनुमति है। ई एच एस में शामिल मदों पर निम्नलिखित समय तालिका के अनुसार 2 वर्ष की अवधि में टैरिफ समाप्त किए जाएंगे:-

अवधि	1 जनवरी, 2004 की स्थिति के अनुसार लागू परम मित्र राष्ट्र टैरिफ दरों पर टैरिफ कटौती
1.9.2004 — 31.8.2005	50%
1.9.2005 — 31.8.2006	75%
1.9.2006	100%

पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति

4724. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति के अन्तर्गत जिन प्रोत्साहनों की संकल्पना मूल रूप से मात्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए की गयी थी उन जैसे प्रोत्साहन देश के अन्य भाग में प्रदान किए जाने से पहले और बाद में पूर्वोत्तर क्षेत्र में निजी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश के पहले जैसे रुझान को पुनः बहाल करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन घोषित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर निवेशकों को आकर्षित करने एवं वहां औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने 24 दिसंबर, 1997 को पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति (एनईआईपी) की घोषणा की। इसके बाद, 14 जून, 2002 को जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए तथा 7 जनवरी, 2003 को हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल राज्य के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई थी। देश के अन्य भागों को इसी तरह के प्रोत्साहन प्रदान करने के पहले और बाद में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों की स्थापना करने से संबंधित निवेश-आशयों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। मंत्रालय द्वारा किए गए प्रभाव-अध्ययन एवं विभिन्न पणधारियों से किए गए विचार-विमर्श के आधार पर हस्तक्षेप को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर औद्योगिक पैकेज को संशोधित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रस्तावित निजी निवेश

क्र.सं.	राज्य का नाम	दिसंबर, 1997 से जून, 2002 तक				जुलाई, 2002 से मार्च, 2005 तक			
		आई.ई.एम.		एल.ओ.आई./डी.आई.एल.		आई.ई.एम.		एल.ओ.आई./डी.आई.एल.	
		सं.	प्रस्तावित निवेश (रुपये करोड़ में)	सं.	प्रस्तावित निवेश (रुपये करोड़ में)	सं.	प्रस्तावित निवेश (रुपये करोड़ में)	सं.	प्रस्तावित निवेश (रुपये करोड़ में)
1.	असम	130	1764	0	0	140	721	1	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	37	0	0	17	200	0	0
3.	मणिपुर	0	0	0	0	2	3	0	0
4.	मेघालय	88	1209	0	0	85	495	0	0
5.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	नागालैंड	2	66	0	0	5*	27*	0	0
7.	त्रिपुरा	16	839	0	0	10	254	0	0
	योग	240	3915	0	0	259	1700	1	2

नोट : निजी क्षेत्र के अंतर्गत संयुक्त क्षेत्र, निजी क्षेत्र, व्यक्ति विशेष से सहायता प्राप्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के आवेदकों के आई.ई.एम./एल.ओ.आई./डी.आई.एल. शामिल किए गए हैं।

आई.ई.एम. : औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन; एल.ओ.आई. : आशय पत्र; डी.आई.एल. : प्रत्यक्ष औद्योगिक लाईसेंस

*इसके अतिरिक्त मैसर्स रैनेसाँ पेपर मिल्स प्रा. लि., दीमापुर द्वारा दिसंबर, 2003 में दो औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन दाखिल किए गए, जो इस प्रकार हैं (i) 12,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ लुगदी एवं कागज के विनिर्माण के लिए और (ii) 4,010 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ कैप्टिव विद्युत के उत्पादन के लिए।

जनजातीय विकास योजनाओं का प्रभाव

4725. प्रो. एम. रामदास :
श्री रतेन बर्मन :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनजातीय विकास योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं;

(घ) शासन में जनजातियों को सशक्त करने के लिए कौन-कौन से उपायों पर विचार किया गया है; और

(ङ) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में सुधार करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को क्या भूमिका सौंपी गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता, संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान एवं तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा समर्थित योजनाओं के मूल्यांकन का कार्य सौंपा है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) वर्ष 2003-04 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11(ख) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातीय परिवारों जिन्हें आर्थिक सहायता दी गयी के संदर्भ में सक्ष्यों एवं उपलब्धियों के ब्यौरे इस मंत्रालय की वर्ष 2003-04 की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं जिसकी प्रतियां संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) यह मंत्रालय आय एवं रोजगार सृजन, विवेचनात्मक अवसंरचना के निर्माण, शैक्षणिक विकास एवं साक्षरता-सुधार, मानव विकास सूचकांक का स्तर उठाने, एवं लघु वन्य उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य दिलाने इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित योजनाएं/कार्यक्रम चलाता है जिनका उद्देश्य जनजातीय लोगों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण है। इसके अतिरिक्त, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधान भी अनुसूची 5 के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाते हैं। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ ग्राम सभाओं को लघु वन्य उत्पादों का स्वामित्व देने तथा इस बात का भी प्रावधान है कि भावी लाइसेन्स या अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के खनन का पट्टा देने और नीलामी द्वारा लघु खनिजों के दोहन की रियायत देने से पूर्व ग्राम सभाओं की पूर्व-अनुशंसा आवश्यक है।

(ङ) स्वयंसेवी संगठनों को निम्नलिखित योजनाओं के अधीन अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक विकास की परियोजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य सौंपा गया है:-

1. कोचिंग एवं संबद्ध सहित तथा अनुकरणीय सेवाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन सहित अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान।
2. जनजातीय क्षेत्रों में महिला साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षणिक परिसरों की स्थापना।
3. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र।
4. आदिम जनजातीय समूहों का विकास।

मुक्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा

4726. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मुक्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे विद्यालयों के शैक्षिक कार्यक्रम देश के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़े हुए लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं; और

आमों का निर्यात

4729. श्री तथागत सत्पथी :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू मौसम के दौरान आम का कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) क्या सरकार ने आम के निर्यात हेतु नए बाजार का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया जा चुका है; और

(घ) सरकार द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) कृषि और सहकारिता विभाग ने वर्तमान मौसम के दौरान आम उत्पादन का कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) आम के लिए कोई विशिष्ट निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, कृषि निर्यात जोन स्थापित करके, व्यापार मेलों में भागीदारी करके, विभिन्न देशों में निर्यात संवर्धन अभियानों और निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के जरिए इसका निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

अंतर्राज्यीय व्यापार परिषद्

4730. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए किसी अंतर्राज्यीय व्यापार परिषद् की स्थापना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लक्ष्य को हासिल करने के संबंध में कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, अंतर्राज्यीय व्यापार परिषद गठित करने का प्रस्ताव किया गया है और इस परिषद का शीघ्र गठन किए जाने की संभावना है। ऐसी परिषद की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी क्योंकि यह महसूस किया गया था कि संघ और राज्य सरकारों, दोनों की व्यापार एवं अन्य आर्थिक नीतियों के बीच सामंजस्य और सुसंगतता के अधिकतम विकास में योगदान के लिए महत्वपूर्ण हैं। राज्य सरकारों से इस प्रक्रिया में केन्द्र सरकार के साथ भागीदारी की उत्तरोत्तर अपेक्षा की जा रही है।

अंतर्राज्यीय व्यापार परिषद का प्रस्ताव अंतर्राज्यीय व्यापार परिषद की स्थापना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराने में राज्य सरकार को शामिल करने का है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता। देश से निर्यातों के संवर्धन हेतु किए जाने वाले सामान्य उपायों का उल्लेख विदेश व्यापार नीति में किया गया है उनमें से प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं:-

(i) नियंत्रणों को समाप्त करना और हमारे व्यापारियों, उद्योगपतियों, कारोबारियों और व्यवसायियों की अन्तर्निहित उद्यमिता को उजागर करने के लिए विश्वास एवं पारदर्शिता का वातावरण पैदा करना।

(ii) प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा सौदा लागतों को कम करना।

(iii) शुल्कों और लेवियों का निर्यात नहीं किए जाने के आधारभूत सिद्धांत के अनुसार निर्यात उत्पादों में प्रयुक्त निविष्टियों पर सभी प्रकार की लेवियों और शुल्कों को निष्प्रभावी करना।

(iv) भारत के विनिर्माण, व्यापार एवं सेवाओं के लिए एक वैश्विक केन्द्र के रूप में विकास को सुकर बनाना।

(v) ऐसे विशेष फोकस क्षेत्रों को अभिज्ञात करना और उनका पोषण करना जिनसे खासकर अर्द्ध शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित होंगे और इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के लिए अनेक "पहलें" तैयार होंगी।

(vi) भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का खासकर पूंजीगत वस्तुओं और उपकरणों के आयात के जरिए प्रौद्योगिकीय एवं अवसंरचनात्मक उन्नयन को सुकर बनाना जिससे गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानकों को प्राप्त करने के साथ-साथ मूल्यवर्धन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।

(vii) व्युत्क्रमित शुल्क ढांचों को हटाना और इस बात को सुनिश्चित करना कि हमारे घरेलू क्षेत्रों से उन मुक्त व्यापार करारों/क्षेत्रीय व्यापार करारों/अधिमानी व्यापार करारों में नुकसान नहीं होता है जिन्हें हमनें अपने निर्यातों को बढ़ाने के लिए निष्पादित किया है।

(viii) समूची विदेश व्यापार नीति की श्रृंखला से संबंधित वास्तविक और आभासी दोनों तौर से हमारे अवस्थापनात्मक नेटवर्क का उन्नयन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करना।

(ix) व्यापार बोर्ड को विधिवत् मान्यता प्रदान करते हुए तथा व्यापार नीति में विशेषज्ञों को शामिल करते हुए उसकी भूमिका को पुन: परिभाषित करके उसे कार्यक्षम बनाना।

(x) हमारे दूतावासों को हमारी निर्यात कार्यनीति में प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के रूप में सक्रिय बनाना तथा विदेश स्थित हमारी वाणिज्यिक शाखाओं को वास्तविक व्यापार आसूचना एवं पूछताछ के प्रसार हेतु एक इलैक्ट्रॉनिक मंच के जरिए जोड़ना।

राष्ट्रमंडल खेल 2010

4731. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री चन्द्रभान सिंह :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने के लिए खेलों और खिलाड़ियों की पहचान का कार्य आरंभ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक खेल के लिए कोई विशेष रणनीति बनाई गई है और इसके लिए अवसंरचना और बजट निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त) : (क) से (घ) दावा संबंधी दस्तावेज के अनुसार राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित विधाओं में आयोजित किए जाएंगे:-

जलीय खेल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, साइक्लिंग, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, लान बाउल्स, नेटबाल, निशानेबाजी, स्क्वैश, रग्बी 7'' एस, टेबल-टेनिस, भारोत्तोलन तथा कुश्ती।

राष्ट्रमंडल खेलों सहित मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए विशेष रणनीति तैयार करना दीर्घावधिक विकास योजनाओं के अंतर्गत एक सतत् प्रक्रिया है जिसको राष्ट्रीय खेल परिसंघों के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है। तथापि यह राष्ट्रीय खेल परिसंघों की जिम्मेदारी है कि वे पिछले प्रदर्शनों तथा हासिल करने योग्य लक्ष्यों के अपने अनुमान के आधार पर दीर्घावधिक विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए अपेक्षित निवेश उपलब्ध करायें। इस प्रयोजन के लिए, उन खेल विधाओं, जिनमें भारत द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त करने की संभावना है, की पहचान की गई है और इन खेल विधाओं को अधिक संक्रेद्रित निवेश दिए गए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में सहभागिता के लिए दीर्घावधिक विकास योजनाएं तैयार कर एथलीटों तथा टीम के चयन करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए एक व्यवस्थित पहुंच अपनायी जाती है ताकि चार वर्ष से चल रही योजना को कार्यरूप दिया जा सके, जिसके अंतर्गत कार्यनिष्पादन के आधार पर श्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन किया जाता है और उन्हें वैज्ञानिक पद्धति से तैयार किया गया सतत् प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में सहभागिता के लिए खिलाड़ियों की पहचान एशियाई खेल, 2006 राष्ट्रमंडल खेल, 2006, तथा ओलम्पिक खेल, 2008 तथा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से ठीक पहले की अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में संबंधित टीम/खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद की जाएगी।

जहां तक अवस्थापना के सृजन का संबंध है वर्ष 2003 में राष्ट्रमंडल खेलों के दावे हेतु सरकारी अनुमोदन के समय, भारतीय ओलम्पिक संघ (आई.ओ.ए.) ने 399.05 करोड़ रु. का व्यय प्रस्तावित किया था। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने खेल गांव के निर्माण की लागत 186.00 करोड़ रु. प्रस्तावित की है तथा यमुना

खेल परिसर में इंडोर तथा आऊटडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की विद्यमान अवस्थापना के उन्नयन के लिए 32.50 करोड़ रु. प्रस्तावित किए हैं। तथापि, बाद में इन अनुमानों का और अधिक संशोधन किए जाने की संभावना है। इसके बाद भारतीय खेल प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण, एन.डी.एम.सी. जो मुख्य स्थल के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, की विद्यमान खेल अवस्थापनाओं को मुख्यत: नवीकरण तथा उन्नयन की जरूरत होगी। आई.ओ.ए. ने सरकार को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, एक परामर्शदाता के अनुमान के आधार पर, 100 मिलियन अमरीकी डालर का राजस्व अर्जित करने का अनुमान रखा था। भारत सरकार ने राजस्व तथा व्यय के बीच की कमी को वहन करने की जिम्मेदारी ली है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई योजना का आरंभ

4732. श्री अनन्त नायक : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई आवासीय योजना आरंभ करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सस्ते मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता वाले आवास/फ्लैटों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि नए निर्माण होने पर अथवा आवंटनों के निरस्त/अभ्यर्पित होने के बाद और बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के अध्यधीन जब भी फ्लैट उपलब्ध होते हैं, एमआईजी व एचआईजी श्रेणियों के लिए नई आवासीय स्कीम आरंभ की जाती है। एल आई जी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए नए निर्माण द्वारा उपलब्ध कराए गए फ्लैट प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों को आबंटित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, डीडीए ने यह सूचित किया है कि वे किफायती दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाले मकानों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम सिविल इंजीनियरिंग पद्धति अपना रहे हैं।

राष्ट्रीय

4733. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

श्री तथागत सत्पथी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान ने यह दर्शाया है कि 2003-04 में अधिकतर विद्यालयों में छात्राओं के लिए प्रसाधन नहीं थे;

(ख) यदि हां, तो देश में सरकार द्वारा 2004-05 के दौरान शिक्षा संबंधी उपकर लगाने के पश्चात् कितने विद्यालयों में छात्राओं हेतु प्रसाधन, पेयजल, श्यामपट्ट इत्यादि उपलब्ध करवाए गए हैं; और

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान इसके लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कितना उपकर एकत्र किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) नीपा ने बताया है कि वर्ष 2003-04 से संबंधित 25 राज्यों के डी.आई.एस.ई. डाटा से पता चलता है कि अभी भी ऐसे स्कूलों की संख्या काफी है जहां लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं है। जहां तक केंद्र सरकार का संबंध है, यह विभाग पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय संचालित कर रहा है। जहां तक इन स्कूलों का संबंध है, पेयजल, ब्लैकबोर्ड तथा लड़कियों के लिए शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने नियंत्रणाधीन सभी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। वर्ष 2004-05 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने 44322 स्कूलों में शौचालय एवं पेयजल सुविधा अनुमोदित की है। विशेषरूप से ब्लैकबोर्ड के लिए कोई संस्वीकृति जारी नहीं की गई। तथापि वर्ष 2004-05 के लिए अध्ययन अध्यापन उपकरण श्रेणी के तहत 51063 स्कूलों के लिए प्रावधान किया गया। प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.ई.एल.) के तहत विभिन्न स्कूलों हेतु 2004-05 के लिए 6970 बालिका शौचालय और 6923 पेयजल सुविधाएं अनुमोदित की गई। केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया उपकर अनन्य रूप से सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए है।

(ग) इस परियोजनार्थ उपयुक्त मंच पीएबी ने अभी तक 2005-06

के लिए लक्ष्यों को अंतिम रूप नहीं दिया है तथा इस स्तर पर किसी भी प्रकार का अनुमान दर्शाना समयपूर्व होगा।

कृषि क्षेत्र में व्यापार उदारीकरण

4734. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत जैसे विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में व्यापार उदारीकरण द्वारा भारी लाभ मिलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस संभावना को वास्तविकता में बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस संबंध में विश्व व्यापार संगठन की बातचीत में कोई बड़ी रुकावट है; और

(घ) यदि हां, तो प्रमुख विकासशील देशों के साथ द्विपक्षीय अथवा क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते करने के विकल्प तलाशने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि में व्यापार उदारीकरण का लाभ उठाने के लिए हमारे कृषि व्यापार में सुधार हो, सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यक उपाय किए जाते रहे हैं। सरकार ने फलों, सब्जियों, पुष्पों, लघु वनोत्पादों, दुग्ध, कुक्कुट एवं मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान करके ऐसे उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष कृषि उपज योजना प्रारंभ की है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, मसाला बोर्ड और निर्यात निरीक्षण परिषद आदि स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता मानकों सहित कृषि में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अपेक्षाओं, जिन्हें पूरा किया जाना है, के बारे में निर्यातकों के लिए सुग्राही बनाने का कार्य कर रहे हैं।

(ग) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के कृषि संबंधी करार पर चल रही वार्ताओं में भारत के उद्देश्यों में यह सुनिश्चित करने के साथ-साथ कि विकासशील देश उचित साधनों एवं उपायों से अपनी ग्रामीण विकास, आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने में सक्षम हों, निर्यात सब्सिडियों की समाप्ति तथा विकसित देशों द्वारा अपनी कृषि को प्रदान की गयी सहायता एवं सुरक्षा के उच्च स्तर के कारण कृषि उत्पादों में सभी प्रकार की विकृतियों में पर्याप्त कमी किया जाना शामिल है। भारत द्वारा वार्ताओं में यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि समान हितों एवं चिंताओं वाले डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्यों के साथ साझेदारी करने सहित वार्ताओं के परिणाम उसके उद्देश्यों के अनुरूप हों। वार्ताओं को 31 दिसम्बर, 2005 तक समाप्त किया जाना है।

(घ) भारत ने अपने कुछ व्यापार भागीदारों के साथ उनके देशों में अपने निर्यात बाजार को बढ़ाने के उद्देश्य से द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुक्त व्यापार करार किए हैं। भारत ने श्रीलंका के साथ मार्च, 2000 से मुक्त व्यापार करार किया हुआ है।

भ्रष्टाचार मामलों में दण्डित डी.डी.ए. अधिकारी

4735. श्री रामदास आठवले : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कितने अधिकारी दंडित किए गए हैं;

(ख) ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध प्राधिकरण ने कार्रवाई की है अथवा न्यायालयों में विचारण हो रहा है अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहा है;

(ग) उक्त अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध कौन से आरोप लगे हैं और साबित हुए आरोपों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा डी.डी.ए. में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान उनके 15 अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराए गए हैं।

(ख) डीडीए ने यह सूचित किया है कि उन्होंने दोषी पाए जाने पर 9 अधिकारियों को बरखास्त किया है। शेष 6 अधिकारियों पर शास्ति लगाने के लिए कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा, गत तीन वर्षों के दौरान दर्ज 16 मामलों में न्यायालयों में मुकदमा चल रहा है तथा तीन अधिकारियों के मामलों में सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) कार्यप्रणाली को सरल व कारगर बनाने तथा सशक्त सतर्कता बरतने के लिए डीडीए ने अनेक उपाय आरंभ किए हैं, जिनमें जनता के लिए सूचना प्रचार-प्रसार व सुविधा, आबंटन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष शिविर लगाना, कंप्यूटरीकरण तथा कार्यबल को प्रशिक्षण शामिल है।

विवरण

क्र.सं.	अधिकारी/कार्मिक का नाम	उनके खिलाफ आरोप	आरोप सिद्ध
1	2	3	4
	सर्व/श्री		
1.	योगिन्दर सिंह भरतवाल	घूस की मांग/प्राप्ति और स्वीकारोक्ति। ट्रैप केस	जांच न्यायालय द्वारा आरोप/दोष सिद्ध तथा दिनांक 27.8.02 को सेवा से बर्खास्त किया।
2.	ओम प्रकाश	घूस की मांग/प्राप्ति और स्वीकारोक्ति। ट्रैप केस	जांच न्यायालय द्वारा आरोप/दोष सिद्ध तथा दिनांक 27.8.02 को सेवा से बर्खास्त किया।
3.	देवेन्दर कुमार गोयल	घूस की मांग/प्राप्ति और स्वीकारोक्ति। ट्रैप केस	जांच न्यायालय द्वारा आरोप/दोष सिद्ध तथा दिनांक 10.1.03 को सेवा से बर्खास्त किया।
4.	अन्ना वांकडे	घूस की मांग/प्राप्ति और स्वीकारोक्ति। ट्रैप केस	जांच न्यायालय द्वारा आरोप/दोष सिद्ध तथा दिनांक 23.10.03 को सेवा से बर्खास्त किया।
5.	हरस्वरूप वर्मा	घूस की मांग/प्राप्ति और स्वीकारोक्ति। ट्रैप केस	जांच न्यायालय द्वारा आरोप/दोष सिद्ध तथा दिनांक 19.11.03 को सेवा से बर्खास्त किया।
6.	अशोक कुमार गुप्ता	घूस की मांग/प्राप्ति और स्वीकारोक्ति। ट्रैप केस	जांच न्यायालय द्वारा आरोप/दोष सिद्ध तथा दिनांक 19.11.03 को सेवा से बर्खास्त किया।
7.	मो. अब्बास	घूस की मांग/प्राप्ति और स्वीकारोक्ति। ट्रैप केस	जांच न्यायालय द्वारा आरोप/दोष सिद्ध तथा दिनांक 3.12.03 को सेवा से बर्खास्त किया।
8.	सतीश कुमार गुप्ता	घूस की मांग/प्राप्ति और स्वीकारोक्ति। ट्रैप केस	जांच न्यायालय द्वारा आरोप/दोष सिद्ध तथा दिनांक 16.12.03 को सेवा से बर्खास्त किया।
9.	कान्ति कुमार	घूस की मांग/प्राप्ति और स्वीकारोक्ति। ट्रैप केस	जांच न्यायालय द्वारा आरोप/दोष सिद्ध तथा दिनांक 27.12.03 को सेवा से बर्खास्त किया।
10.	ओम कंवर वर्मा	घूस की मांग/प्राप्ति और स्वीकारोक्ति। ट्रैप केस	जांच न्यायालय द्वारा दिनांक 24.8.04 को आरोप/दोष सिद्ध। शास्ति लगाने की कार्रवाई चल रही है।

1	2	3	4
11.	करतार सिंह	घूस की मांग/प्राप्ति और स्वीकारोक्ति। ट्रैप केस	जांच न्यायालय द्वारा दिनांक 17.9.04 को आरोप/दोष सिद्ध। शास्ति लगाने की कार्रवाई चल रही है।
12.	जे.सी. वर्मा	घूस की मांग/प्राप्ति और स्वीकारोक्ति। ट्रैप केस	जांच न्यायालय द्वारा दिनांक 17.9.04 को आरोप/दोष सिद्ध। शास्ति लगाने की कार्रवाई चल रही है।
13.	नेपाल सिंह रावल	घूस की मांग/प्राप्ति और स्वीकारोक्ति। ट्रैप केस	जांच न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.99 को आरोप/दोष सिद्ध। शास्ति लगाने की कार्रवाई चल रही है।
14.	ओम प्रकाश	घूस की मांग/प्राप्ति और स्वीकारोक्ति। ट्रैप केस	जांच न्यायालय द्वारा दिनांक 23.12.99 को आरोप/दोष सिद्ध। शास्ति लगाने की कार्रवाई चल रही है।
15.	एस.सी. जोशी	घूस की मांग/प्राप्ति और स्वीकारोक्ति। ट्रैप केस	जांच न्यायालय द्वारा दिनांक 13.1.03 को आरोप/दोष सिद्ध। तथापि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपील किए जाने पर दिनांक 2.4.2003 को दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है।

[अनुवाद]

भारत-बांग्लादेश सीमा का निरीक्षण

4736. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बांग्लादेश ने असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे विवादग्रस्त क्षेत्रों का नए सिरे से निरीक्षण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच चार दशक से पुराने सीमा विवाद के समाधान के लिए निरीक्षण के पश्चात् गृह सचिव स्तर की बैठक होगी;

(ग) यदि हां, तो क्या केंद्र ने लोवर असम में करीमगंज जिला प्रशासन को जिले के लथिरिला दुमाबाड़ी में भारत-बांग्लादेश सीमा के विवादग्रस्त भागों पर रिपोर्ट देने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो भारत-बांग्लादेश के संयुक्त निरीक्षण से इस विवाद के समाधान में कितनी सहायता मिलेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, असम में लथिटिला-दुमाबाड़ी सेक्टर में 3 कि.मी. का संयुक्त सीमांकन लंबित है।

सितम्बर, 2004 में दोनों देशों के मध्य हुई पिछली सचिव स्तरीय वार्ता में बांग्लादेश पक्ष ने कहा था कि वे सीमा से संबंधित लंबित मुद्दों के समाधान संबंधी भारतीय प्रस्ताव की जांच कर रहे हैं।

दिल्ली नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण गिराया जाना

4737. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री 6.7.2004 और 7.12.2004 के अतारांकित प्रश्न सं. 273 और 931 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना कब तक एकत्रित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) दिनांक 6.7.2004 के अतारांकित प्रश्न सं. 273 से संबंधित सूचना प्राप्त हो गयी है जो निम्नलिखित है:-

दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान पुलिस बल की अनुपलब्धता की वजह से निर्माण गिराने के 2125 कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किये जा सके:-

क्षेत्र	कार्यक्रमों की संख्या
सिटी	49
सदर पहाड़गंज	74
करोलबाग	69
रोहिणी	206
दक्षिण	523
केन्द्रीय	458
शाहदरा दक्षिण	053
शाहदरा उत्तर	093
नरेला	102
नजफगढ़	099
सिविल लाइन क्षेत्र	093
पश्चिम	306

गिराने के कार्यक्रमों के लिए पुलिस बल उपलब्ध करा पाने की असमर्थता के लिए पुलिस प्राधिकारियों द्वारा दिए गए मुख्य कारणों में कानून व्यवस्था बनाये रखने के मुख्य कार्य में पुलिस बल की भारी व्यस्तता तथा बाह्य पुलिस बल की अनुपलब्धता शामिल है क्योंकि स्थानीय पुलिस पर्याप्त नहीं थी।

दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि उनका नोडल अधिकारी इस मामले को विशेष कार्य बल (एस टी एफ) की होने वाली मासिक बैठक में उठाता है। इस मामले को पुलिस विभाग में उच्चतर स्तर पर भी उठाया जाता है।

जहां तक दिनांक 7.12.2004 के अतारांकित प्रश्न सं. 931 का संबंध है, संबंधित एजेंसियों से पूर्ण सूचना अभी भी प्राप्त होनी है।

राष्ट्रीय कोचिंग कैंप

4738. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री अनंत कुमार :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न खेलों के लिए कितने राष्ट्रीय कोचिंग कैंप आयोजित किए गए हैं;

(ख) केवल चार प्रमुख शहरों में ऐसे कितने कैंप आयोजित किए गए;

(ग) ऐसे कैंप आयोजित करने के लिए शहरों का चयन करने हेतु क्या मानदंड हैं;

(घ) इन राष्ट्रीय कैंपों को जनजातीय क्षेत्रों वाले शहरों में विशेष रूप से महाराष्ट्र में आयोजित न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में ऐसे कितने कैंप आयोजित किए गए हैं; और

(च) देश के जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे कैंप आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों की संख्या निम्नानुसार है:-

1. 2002-2003 — 167

2. 2003-2004 — 294

3. 2004-2005 — 299

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान चार मुख्य शहरों में आयोजित किये गये राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	दिल्ली	मुम्बई	चेन्नई	कोलकाता
2002-03	68	02	04	08
2003-04	103	07	03	02
2004-05	75	02	05	16

(ग) दीर्घावधि विकास योजना (एल.टी.डी.पी.) के अनुसार संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघो के परामर्श से अनुमोदित ऐसे स्थानों जहां पर विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानक प्रशिक्षण सुविधाएं और अन्य अपेक्षित सहायता/समर्थन उपलब्ध हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एन.एस.एफ.) द्वारा राष्ट्रीय कोचिंग शिविर आयोजित किये जाते हैं।

(घ) राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के स्थान का निर्धारण करते समय विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधायें साथ ही साथ इसकी सम्पर्कता अर्थात् रेल, बस और हवाई सुविधाओं पर विचार किया जाता है, क्योंकि इन कोचिंग शिविरों में देश के विभिन्न हिस्सों से खिलाड़ी भाग लेते हैं। अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में इन राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों को आयोजित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं।

(ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

राजस्थान-04, दिल्ली-75, पंजाब-55, कर्नाटक-52, केरल-11, तमिलनाडु-04, हिमाचल प्रदेश-07, मध्य प्रदेश-08, पश्चिम बंगाल-21, गोवा-03, चंडीगढ़-08, आंध्र प्रदेश-18, महाराष्ट्र-17, गुजरात-02, उड़ीसा-02, उत्तर प्रदेश-05, असम-01, हरियाणा-05 तथा जम्मू और कश्मीर-01।

(च) खेल राज्य का विषय है। खेल विधा की प्रसिद्धि और विशेष क्षेत्र से उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के खिलाड़ियों पर आधारित विशेष खेलों के लिये राज्य सरकारें जनजातीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास पर विचार कर रही हैं। किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों का आयोजन ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

शिक्षा प्रौद्योगिकी-योजना के अंतर्गत सहायता

4739. **श्री रामदास आठवले** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा प्रौद्योगिकी योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने वाले प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या योजना के अंतर्गत उर्दू-विद्यालयों को भी सहायता प्रदान की गई है या किए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) पूर्व "शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना" के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए रंगीन टेलीविजनों तथा प्राथमिक विद्यालयों के लिए रेडियो-व-कैसिट-प्लेयरों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई थी। रंगीन टेलीविजनों तथा रेडिया-व-कैसिट-प्लेयरों के राज्य-वार आवंटन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इस योजना के अंतर्गत उर्दू विद्यालयों को सहायता के लिए विशिष्ट रूप से लक्षित नहीं किया गया था क्योंकि विद्यालयों का चयन योजना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया गया था। इस शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना को स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना में मिलाते समय योजना के इस घटक को 10वीं योजना के दौरान बंद कर दिया गया था।

विवरण

नाम : शैक्षिक प्रौद्योगिकी (सीटीवी/आरसीसीपी)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-2001		2001-02	
		सीटीवी की संख्या	आरसीसीपी की संख्या	सीटीवी की संख्या	आरसीसीपी की संख्या	सीटीवी की संख्या	आरसीसीपी की संख्या	सीटीवी की संख्या	आरसीसीपी की संख्या	सीटीवी की संख्या	आरसीसीपी की संख्या
1.	गोवा	49						19			35
2.	हिमाचल प्रदेश		4281			600	400				
3.	कर्नाटक			802				1000			
4.	मेघालय		428								
5.	मिजोरम		170				40				60
6.	नागालैंड		98	100		150		150			
7.	सिक्किम		38								
8.	दादरा और नगर हवेली				35						
9.	केरल					1936					
10.	मध्य प्रदेश					1000	5000				
11.	महाराष्ट्र							1000			
12.	उड़ीसा								12978		
13.	तमिलनाडु					2000	6106				
14.	त्रिपुरा							20	118		

बिल्डरों द्वारा अवैध गतिविधियां

4740. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के हरित पट्टी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद भी बिल्डर दिल्ली में लगभग प्रतिदिन एक नई अनधिकृत कालोनी बना रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसे बिल्डरों और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वन एवं वन्य जीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली ने यह सूचित किया है कि उनके नियंत्रणाधीन क्षेत्र में कोई नई कालोनी नहीं बन रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि कड़ी सतर्कता बरती जाती है और उनके नियंत्रणाधीन पार्कों/हरित क्षेत्रों में जब भी अनधिकृत निर्माण की सूचना प्राप्त होती है, उन्हें गिराने/हटाने की कार्रवाई की जाती है।

(ख) सरकार समय-समय पर भू-स्वामी एजेंसियों को अपनी भूमि अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए सशक्त उपाय करने हेतु जोर देती रहती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग

4741. **श्री सुग्रीव सिंह :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी निवेशकों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए कतिपय शर्तें निर्धारित की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने दोनों उद्यमों के बीच तालमेल के लिए कोई योजना बनाई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) घरेलू कंपनियों पर विदेशी कंपनियों का क्या प्रभाव पड़ा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) और (ख) सरकार ने एक ज्ञान आयोग स्थापित करने की घोषणा की है, जिसके ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) से (च) विदेशी निवेशकों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार दी जाती है। इस नीति के तहत, निम्नलिखित को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों/कार्यकलापों में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति प्रदान की जाती है:-

- ऐसे कार्यकलाप/मदें, जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस जरूरी हो;
- ऐसे प्रस्ताव, जिनमें विदेशी सहयोगकर्ता का उसी क्षेत्र में कोई मौजूदा उद्यम/समझौता हो;
- निम्नलिखित में किसी मौजूदा भारतीय कंपनी में शेयरों के अधिग्रहण के प्रस्ताव:
  - (i) वित्तीय सेवाएं क्षेत्र; और
  - (ii) जहां सेबी (शेयरों की भारी प्राप्ति व उनका अधिग्रहण) विनियम, 1997 लागू होते हों;
- अधिसूचित क्षेत्रीय नीति/अधिकतम सीमा से बाहर के सभी प्रस्ताव अथवा ऐसे क्षेत्रों के तहत आने वाले प्रस्ताव, जिनमें एफडीआई की अनुमति न हो।

(छ) एफडीआई कुछ सीमा तक घरेलू निवेशों में संपूरक की भूमिका निभाता है और बचत-निवेश अंतर को पाटता है। यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारने में भी मददगार है और इस प्रकार, भारतीय उद्योगों को लाभ पहुंचाता है।

सीमाओं पर बाड़ लगाना

4742. **श्री दुष्यंत सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा भारत-पाक सीमा और भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए पृथक-पृथक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार बाड़ लगाने के कार्य की राज्यवार क्या स्थिति है; और

(ग) इस कार्य को राज्यवार कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत-पाक और भारत बांग्लादेश सीमा के साथ-साथ बाड़ लगाने पर किया गया व्यय निम्नानुसार है:-

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	भारत-पाक	भारत-बांग्लादेश
2002-03	38.74	*105.73
2003-04	41.07	247.74
2004-05	114.41	270.47

*सीमा सड़कों पर किया गया व्यय भी शामिल है।

(ख) और (ग) 31 मार्च, 2005 तक बाड़ कार्यों की राज्य-वार स्थिति नीचे दी गई है:-

(संख्या कि.मी. में)

भारत-पाक सीमा		भारत-बांग्लादेश सीमा	
राज्य	पूरी की गई बाड़	राज्य	पूरी की गई बाड़
1	2	3	4
पंजाब	457.15	पश्चिम बंगाल	1123.13
राजस्थान	1048.27	असम	153.294
गुजरात	87.00	मेघालय	251.75
जम्मू और कश्मीर	160.00	त्रिपुरा	393.21
		मिजोरम	7.00

भारत-पाक सीमा के साथ-साथ पंजाब और राजस्थान सेक्टरों में कार्य क्रमशः 1993 और 1999 में पूरा हो चुका है। तथापि, गुजरात तथा जम्मू और कश्मीर में कार्य 2005 में पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। जहां तक भारत-बांग्लादेश सीमा का संबंध है, मिजोरम सेक्टर को छोड़कर यह कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मार्च, 2006 तक पूरा किया जाना है।

अभियांत्रिकी निर्यात संवर्धन परिषद

4743. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभियांत्रिकी निर्यात संवर्धन परिषद् भारी घाटे में चल रही है और परिषद् का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभियांत्रिकी निर्यात संवर्धन परिषद के एक शिष्टमंडल ने हाल ही में चीन का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त शिष्टमंडल ने मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था;

(ङ) यदि हां, तो निर्यात के मुख्य मदों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) चीन के साथ व्यापार संबंधी सूचना के आदान-प्रदान के लिए सरकार द्वारा और अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद घाटे में नहीं चल रही है। तथापि परिषद ने समूचे संगठन को एक अर्ध-सरकारी कार्यशील कार्यालय के स्थान पर निर्यातकों के लिए एक सक्रिय सेवा प्रदाता के रूप में पुनर्गठित करने की दृष्टि से स्वैच्छिक

सेवा निवृत्ति स्कीम (वी आर एस) कार्यान्वित की है। वी आर एस के अनुसार कर्मचारियों को उपलब्ध विकल्प हैं– (i) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए डेढ़ माह का वेतन जो अधिकतम 10 लाख रुपए होगा; अथवा (ii) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए दो माह का वेतन जो अधिकतम 6.5 लाख रुपए होगा अथवा (iii) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए तीन माह का वेतन जो अधिकतम 3.00 लाख रुपए होगा।

तथापि, उपर्युक्तानुसार निकाली गयी राशि वर्तमान वेतन के आधार पर संगणित सेवा की असमाप्त अवधि से लेकर औपचारिक सेवा निवृत्ति की तारीख तक के वेतन तक सीमित होगी।

(ग) से (ङ) जी, हां। श्री राकेश शाह, अध्यक्ष, इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद (ई ई पी सी) के नेतृत्व में ई ई पी सी के एक प्रतिनिधिमंडल ने 14-20 मार्च, 2005 के दौरान चीन का दौरा किया था। मशीनरी एवं इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों के आयात एवं निर्यात हेतु इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद तथा भारत एवं चीन वाणिज्य मंडल के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। निर्यात की प्रमुख मदें हैं—लोहा एवं इस्पात, तांबा एवं तांबे की वस्तुएं, निकल एवं निकल की वस्तुएं, एल्यूमीनियम, टिन तथा टिन की वस्तुएं, अन्य आधारभूत धातुएं, औजार, आधारभूत धातु के छुरी-कांटे, आधारभूत धातुओं की विविध वस्तुएं, मशीन, विद्युत मशीनरी, रेलवे ट्रैफिक सिगनल उपकरण तथा ऑप्टिकल एन। इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य सामान्यत: दोनों देशों के व्यापारी समुदायों और विशेष रूप से अपने-अपने सदस्यों के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित करना और उसका विकास करना है। इस समझौता ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें हैं—(i) भारत और चीन के बीच व्यापार एवं निवेश संबंध को बढ़ाना तथा दोनों संगठनों के बीच सहयोग में सुधार करने का सतत् प्रयास करना (ii) एक दूसरे देश को व्यापार एवं बाजार अनुसंधान मिशनों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों के आयोजन तथा व्यापार संवर्धनात्मक कार्यकलाप के तरीकों में मदद करना (iii) आर्थिक घटनाक्रमों तथा उनके सदस्यों के व्यापारिक हितों को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों के बारे में सूचना तैयार करना तथा उसका सतत् आदान-प्रदान करना (iv) संगठनों के बीच सम्पर्कों को अभिज्ञात करना और उन्हें स्थापित करना तथा संवर्धित व्यापारिक संबंधों के लिए सहयोग को बढ़ाने तथा अपने-अपने सदस्यों को बेहतर सेवा प्रदान करने की दृष्टि से सरकारी व्यापारिक व्यक्तियों तथा तकनीकी विशेषज्ञों के पारस्परिक दौरों को प्रोत्साहित करना।

(च) सरकारी एवं व्यापारिक दोनों स्तरों पर विभिन्न प्रतिनिधियों के बीच विचार-विमर्शों तथा व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों आदि में भागीदारी के जरिए चीन के साथ व्यापार से संबंधित सूचना का सतत् आधार पर आदान-प्रदान किया जाता है।

[हिन्दी]

एकीकृत बाल विकास योजना के तहत पोषण परियोजनाएं

4744. **श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री ब्रजेश पाठक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान तथा उसके पश्चात् सरकार को विश्व बैंक द्वारा आयोजित एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत पोषण परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये परियोजनाएं योजना आयोग के समक्ष लंबित पड़ी हैं;

(घ) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने परियोजनाओं को स्वीकृत करने का अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो इन पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं तथा परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(छ) उक्त परियोजनाएं कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) से (छ) उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालनार्थ तथा राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु समेकित बाल विकास सेवा (सामान्य) स्कीम के अंतर्गत, मौजूदा जनसंख्या मानकों के अनुसार, समस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध करने पर उन्होंने 467 अतिरिक्त आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं तथा 1,88,168 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। नई परियोजनाओं हेतु मंत्रिमण्डल के अनुमोदनार्थ कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है।

विवरण

आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्य-वार आवश्यकता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृति हेतु प्रस्तावित आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या			
		परियोजनाएं	आंगनवाड़ी केन्द्र		
			नई आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र	मौजूदा आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र	आंगनवाड़ी केन्द्रों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13	1468	8094	9562
2.	अरुणाचल प्रदेश	27	959	–	959
3.	असम	23	1659	5000	6659
4.	बिहार	139	–	22066	22066
5.	झारखंड	कोई नहीं	कोई नहीं	6683	6683
6.	गोवा	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
7.	गुजरात	33	259	3264	3523
8.	हरियाणा	12	534	2453	2987
9.	हिमाचल प्रदेश	4	कोई नहीं	10894	10894
10.	जम्मू व कश्मीर	19	725	6092	6817
11.	कर्नाटक	कोई नहीं	कोई नहीं	11313	11313
12.	केरल	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
13.	मध्य प्रदेश	31	4657	4880	9537
14.	छत्तीसगढ़	6	599	8898	9497
15.	महाराष्ट्र	44	2493	10371	12864

1	2	3	4	5	6
16.	मणिपुर	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
17.	मेघालय	7	307	654	961
18.	मिजोरम	2	13	218	231
19.	नागालैंड	2	35	230	265
20.	उड़ीसा	कोई नहीं	कोई नहीं	3279	3279
21.	पंजाब	6	463	2228	2691
22.	राजस्थान	17	1855	9186	11041
23.	सिक्किम	6	124	364	488
24.	तमिलनाडु	कोई नहीं	कोई नहीं	3049	3049
25.	त्रिपुरा	11	550	1670	2220
26.	उत्तर प्रदेश	1	99	31399	31498
27.	उत्तरांचल	कोई नहीं	कोई नहीं	1134	1134
28.	पश्चिम बंगाल	63	5752	11977	17729
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	कोई नहीं	कोई नहीं	94	94
30.	चण्डीगढ़	कोई नहीं	29	–	29
31.	दिल्ली	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
32.	दादरा व नगर हवेली	1	77	–	77
33.	दमन व दीव	कोई नहीं	कोई नहीं	10	10
34.	लक्षद्वीप	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
35.	पाण्डिचेरी	कोई नहीं	कोई नहीं	11	11
	कुल	467	22657	165511	1,88,168

"महिलाओं पर अत्याचार" के बारे में दिनांक 1 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 203 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : मैंने 1.3.2005 को श्री सनत कुमार मंडल, संसद सदस्य द्वारा महिलाओं पर अत्याचार के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 203 का उत्तर दिया था।

यह सूचित किया गया था कि 1.3.2005 को उत्तरित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 203 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं के प्रति हुए अपराधों की घटनाओं की संख्या वर्ष 2001, 2002 तथा 2003 के लिए क्रमशः 143795, 1433034 और 139490 थी, जिनके राज्यवार ब्यौरे संलग्न किए गए थे।

राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर एन सी आर बी द्वारा अपराध के आंकड़े संकलित किए जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने एन सी आर बी को सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 2003 के दौरान पति अथवा उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के पहले सूचित 100 मामलों को संशोधित करके 1211 कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप देश में महिलाओं के प्रति अपराधों की पहले सूचित की गई कुल संख्या 2003 में 139490 से संशोधित करके 140601 हो गई है।

जैसे ही यह त्रुटि नोटिस में आई, इसे ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है ताकि इसे संसद के इसी सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखा जा सके।

अब, उत्तर को सही करने संबंधी विवरण, संसद के चालू सत्र के दौरान 26.4.2005 को सदन के पटल पर रखने का प्रस्ताव है।

विवरण

प्रश्न	पहले दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर
श्री सनत कुमार मंडल:		
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:		
(क) क्या देश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं; (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाश में आए विभिन्न मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;	(क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं के प्रति हुए अपराधों की घटनाओं की संख्या वर्ष 2001, और 2002 तथा 2003 के लिए क्रमशः 143795, 143034 तथा 139490 बताई गई जिसके राज्यवार ब्यौरे संलग्न हैं।	(क) और(ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, देश में महिलाओं के प्रति हुए अपराधों की घटनाओं की संख्या वर्ष 2001, 2002 तथा 2003 के लिए क्रमशः 143795, 143034 तथा 140601 बताई गई है जिसके राज्यवार ब्यौरे संलग्न हैं।
(ग) महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?		

अपराह्न 12.23 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : मैं भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, पायनियर संवर्ग (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2005, जो 16 मार्च, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 177 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 1942/2005]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड तथा शहरी विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 1943/2005]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 1944/2005]

(3) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 1945/2005]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : मैं आतंकवाद निवारण (निरसन) अधिनियम, 2004 की धारा 2 की उपधारा (5) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 541 (अ) जो 11 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समीक्षा समिति गठित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1946/2005]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 1947/2005]

(3) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1948/2005]

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नालॉजी, रांची के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1949/2005]

(7) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1950/2005]

(9) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1951/2005]

(11) भारत शिक्षा कोष के वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 1952/2005]

(12) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या आईजी/एडमिन (जी)/एसटी. 4 एण्ड 12/2003/1838 जो 4 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा क्रमशः निदेशकों और चयन समिति से संबंधित परिनियम 4 और परिनियम 12 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 1953/2005]

(13) (एक) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद्, वडोदरा के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद्, वडोदरा के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद्, वडोदरा के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद्, वडोदरा के वर्ष 2003-2004 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1954/2005]

(15) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1955/2005]

(17) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1956/2005]

(19) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1957/2005]

(21) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1958/2005]

(23) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1959/2005]

(25) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1960/2005]

(27) (एक) स्टेट मिशन ऑथरिटी (सर्वशिक्षा अभियान), सिक्किम के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट मिशन ऑथरिटी (सर्वशिक्षा अभियान), सिक्किम के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1961/2005]

(29) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसाफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसाफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1962/2005]

(31) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1963/2005]

(33) (एक) ऐक्सॉम सर्व शिक्षा अभिजान मिशन (सर्व शिक्षा अभियान) गुवाहाटी के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऐक्सॉम सर्व शिक्षा अभिजान मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), गुवाहाटी के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1964/2005]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 1965/2005]

(3) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 1966/2005]

अपराह्न 12.24 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(1) 'मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 17 मार्च, 2005 को हुई अपनी बैठक में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:-

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति जिसकी अवधि 1 मई, 2005 को आरम्भ होगी और 30 अप्रैल, 2006 को समाप्त होगी, के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा के सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने और उस विधि से जैसा सभापति निर्देश दे उक्त समिति में कार्य करने के लिए सभा के सदस्यों में से सात सदस्यों को निर्वाचित करने हेतु कार्यवाही करें।"

(2) उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि राज्य सभा से निम्नलिखित सदस्यों का उक्त समिति के लिए निर्वाचन कर लिया गया है:-

1. श्रीमती अम्बिका सोनी
2. श्री अजय मारू
3. श्री जीवन राय
4. श्री शाहिद सिद्दिकी
5. प्रो. राम देव भंडारी
6. श्री प्यारीमोहन महापात्र
7. श्री दिनेश त्रिवेदी

(3) 'मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 17 मार्च, 2005 को हुई अपनी बैठक में लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:-

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लोक सभा की लोक लेखा समिति जिसकी अवधि 1 मई, 2005 को आरम्भ होगी और 30 अप्रैल, 2006 को समाप्त होगी, के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा के सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने और उस विधि से जैसा सभापति निर्देश दे उक्त समिति में कार्य करने के लिए सभा के सदस्यों में से सात सदस्यों को निर्वाचित करने हेतु कार्यवाही करें।

(4) उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि राज्य सभा से निम्नलिखित सदस्यों का उक्त समिति के लिए निर्वाचन कर लिया गया है:-

1. श्री जयराम रमेश
2. श्री आर.के. धवन
3. श्री वी. नारायणसामी
4. श्री आर.वी.एस. वर्मा
5. श्री प्रशांत चटर्जी
6. डा. के. मलयसामी
7. श्री सी. रामचन्द्रैया

(5) 'मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 17 मार्च, 2005 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:-

"यह सभा यह प्रस्ताव करती है कि राज्य सभा के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संयुक्त समिति जिसकी अवधि 1 मई, 2005 को आरम्भ होगी और 30 अप्रैल, 2006 को समाप्त होगी में शामिल होने को स्वीकृत करती है तथा एकल हस्तांतरित मत के माध्यम से समानुपाती प्रतिनिधित्व के अनुसार उक्त समिति में कार्य करने के लिए सभा के सदस्यों में से दस सदस्यों को निर्वाचित करने हेतु कार्यवाही करें।"

(6) उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह भी बताना है कि राज्य सभा से निम्नलिखित सदस्यों का उक्त समिति के लिए निर्वाचन कर लिया गया है:-

1. श्री मूलचंद मीणा
2. श्री नंदी येल्लैया
3. डा. फगुनी राम
4. श्री राम नाथ कोविन्द
5. श्री नारायण सिंह केसरी
6. श्री वीर सिंह
7. श्री फकीर चन्द मुलाना
8. श्री राबर्ट खारशींग
9. श्री लालमिंग लिआना
10. श्री अनंतराव जोशी

अपराह्न 12.24½ बजे

प्राक्कलन समिति

सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : महोदय, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग)-काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड टेक्नोलॉजी (कापार्ट) के बारे में प्राक्कलन समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या-10 प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा। श्री नवीन जिन्दल।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.25 बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व) : महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार के अंतिम की-गई-कार्यवाही उत्तरों को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 31वां प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा)—पंजाब नेशनल बैंक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन तथा बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध करायी गयी ऋण सुविधाएं;

(2) नौवां प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा)—भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रवेश में आरक्षण सहित उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन;

(3) बारहवां प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा)—दक्षिण पूर्व रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन; और

(4) चौदहवां प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा)—दक्षिण मध्य रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन।

अपराह्न 12.25½ बजे

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

आठवें से दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद महाराष्ट्र) : महोदय, मैं कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2004-2005) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(एक) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2004-2005) का आठवां प्रतिवेदन;

(दो) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2004-2005) का नौवां प्रतिवेदन; और

(तीन) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2004-2005) का दसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.26 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

तीसरा और चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव) : महोदय, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2004-05) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2004-05 के बारे में समिति (14वीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन:

(2) 'सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण' के बारे में

समिति (13वीं लोक सभा) के बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.26¼ बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

छठा और सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमार (औरगांवाद, बिहार) : महोदय, मैं विदेशी मामलों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों के बारे में छठा प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा); और

(2) विदेश मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों के बारे में सातवां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.26½ बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

एक सौ साठवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री स्वदेश चक्रवर्ती (हावड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले कर प्रस्तावों के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 160वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.26¾ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 16 लेगी। माननीय मंत्री वक्तव्य सभा पटल पर रखेगें।

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

महोदय, मैं यह वक्तव्य माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73 क, जो निम्नलिखित है, के अनुसरण में प्रस्तुत करता हूं:-

"संबंधित मंत्री अपने मंत्रालय के संबंध में लोक सभा की अपने विभाग से संबंधित स्थायी समिति की रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सदन में 6 माह में एक बार विवरण अवश्य प्रस्तुत करेंगे।"

मैं सदन के माननीय सदस्यों के हित के लिए उन्हें यह सूचित करना चाहूंगा कि चौदहवीं लोक सभा की शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति की दूसरी रिपोर्ट लोक सभा में दिनांक 23.8.2004 को प्रस्तुत की (राज्य सभा के पटल पर रखी गई थी) गयी थी। इस रिपोर्ट में 42 सिफारिशें की गयी थीं। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इन सिफारिशों पर की गयी कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां दिसंबर, 2004 में समिति को प्रस्तुत की गयी थी।

की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों में निहित सरकार के उत्तरों की जांच करने के बाद, माननीय स्थायी समिति ने दिनांक 22 मार्च, 2005 को शहरी विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों (2004-05) पर अपनी पांचवीं रिपोर्ट प्रस्तुत की।

माननीय समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में निहित 42 सिफारिशों पर प्रस्तुत की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों को अपनी 5वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है:-

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1967/2005

(i)	सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशें	–	27
(ii)	सरकार के उत्तरों के मद्देनजर समिति जिन सिफारिशों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है	–	4
(iii)	सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार द्वारा दिए गए उत्तर समिति ने स्वीकार नहीं किए हैं	–	3
(iv)	सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्रतीक्षित है	–	8

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा स्वीकार की गई 27 सिफारिशों के संबंध में जहां कहीं आवश्यक होगा आगे की अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी और यथासमय माननीय सदन को उससे अवगत कराया जाएगा। सरकार द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को देखते हुए समिति जिन 4 सिफारिशों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है उनके संबंध में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आगे कोई कार्रवाई करना अपेक्षित नहीं है।

माननीय समिति ने 3 सिफारिशों के संबंध में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और 8 सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर अभी प्रस्तुत किए जाने हैं। समिति चाहती है कि 5वीं रिपोर्ट के अध्याय-V में निहित सिफारिशों के उत्तर तीन महीनों के अंदर (23.03.05 से) और 5वीं रिपोर्ट के अध्याय-I में निहित सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तर 10 सितम्बर, 2005 तक प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ये उत्तर निर्धारित तारीखों तक प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अपराह्न 12.27 बजे

(दो) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग संबंधी स्थायी समिति के छियासठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री इलेंगोवन, आप भी वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : जी हां, महोदय, मैं यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

मैं दिनांक 1 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन-भाग-2 के द्वारा जारी किए गए लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 389 के उपबंधों के अनुसरण में, माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निर्देश पर, वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति की 66वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

वाणिज्य सम्बन्धी स्थायी समिति ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की वर्ष 2004-05 की अनुदान मांगों की जांच की और इस संबंध में अपनी 66वीं रिपोर्ट राज्य सभा में 18 अगस्त, 2004 को पेश की, और यह रिपोर्ट लोक सभा में 18 अगस्त, 2004 को ही रखी गई थी। इस रिपोर्ट में बीस सिफारिशें हैं। समिति की सिफारिशें मुख्य रूप से इन मुद्दों के बारे में हैं– भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम और विकास केन्द्रों के लिए वर्ष 2004-05 के संशोधित अनुमानों में आबंटन बढ़ाना; प्रौद्योगिकी उन्नयन और भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के प्रमुख योजनागत कार्यक्रम को समय पर अनुमोदन प्रदान करना; टैरिफ आयोग के भविष्य पर शीघ्र निर्णय; अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के लिए सी.एस.आई.आर. और प्रौद्योगिकी सूचना भविष्यवाणी और निर्धारण परिषद् (टाइफैक) जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं तथा उद्योगों के साथ केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई) का घनिष्ठ संपर्क कायम करना; भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान एसोसिएशन (आईआरएमआरए) द्वारा निधियों का पूरा उपयोग करना; राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) और सीमेंट उद्योग की विकास परिषद और परिवहन राजसहायता को निधियों का अधिक आबंटन करना; पेटेंट और व्यापार चिन्ह कार्यालयों के तेजी से आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए तथा व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के सुदृढ़ीकरण के लिए पूर्ण सहयोग; भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा निधियों का प्रभावशाली ढंग से उपयोग; राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद (एनसीसीबीएम) द्वारा निधियों का सही समय पर उपयोग करने के लिए अन्त:निर्मित प्रणाली; पर्यावरण अनुकूल आतिशबाजी के विकास के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर के साथ सहयोग; औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना का कार्यान्वयन और निगरानी; प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1967/2005

[श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन]

को शीघ्र स्वीकृति देना और स्कीमों की उपयुक्त रूप से योजना तैयार करना।

समिति की सभी बीस सिफारिशों पर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में विचार-विमर्श किया गया है। समिति द्वारा सिफारिश की गई कार्रवाई या तो पूरी कर ली गई है अथवा उसका आरम्भ कर दिया गया है। इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर भी समिति को भेज दिए गए हैं।

अपराह्न 12.27¼ बजे

कार्यमंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा 25 अप्रैल, 2005 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:-

"कि यह सभा 25 अप्रैल, 2005 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.27½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

(एक) तमिलनाडु के चेन्नई में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल) : महोदय, संविधान के अनुच्छेद 124 में भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 में उल्लेख है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियत करे। देश में 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं और भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है। भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है जो कि राष्ट्र का उत्तरी किनारा है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्य एकदम दक्षिणी सिरे पर हैं। इन राज्यों के लोगों को सम्माननीय उच्चतम न्यायालय तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुकदमें के खर्चे के अलावा यात्रा, भोजन और आवास की लागत बहुत ज्यादा है। मामलों के अंतिम निपटान के चरण में 5000 से अधिक मामले लंबित हैं और प्रत्येक वर्ष लगभग 12,000 मामले दर्ज होते हैं। यदि पृथक न्यायपीठ बन जाए तो इस प्रस्तावित न्यायपीठ में मामले अंतरित होने से सम्माननीय उच्चतम न्यायालय का भार कम हो जाएगा। यदि वर्षों तक इतनी अधिक संख्या में मामले लंबित रहते हैं तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में न्याय में विलंब, न्याय से वंचित करने के समान है। मुकदमा दायर करने वाले को समय पर न्याय देने के लिए समय पर निपटान आवश्यक और अनिवार्य है। यदि सम्माननीय उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ चेन्नई में स्थापित की जाती है तो उत्तरी राज्यों को दिल्ली में न्यायालय होने के कारण इससे कोई नुकसान नहीं होगा तथा दक्षिण के राज्यों में उन गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए न्यायिक प्रक्रिया सरल हो जाएगी जिन्हें शीघ्र न्याय और समाधान की आवश्यकता है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह चेन्नई में सम्माननीय उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ गठित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

(दो) गुजरात के मेहसाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विकास और पेयजल योजनाओं में ओ.एन.जी.सी से प्राप्त रायल्टी का एक आनुपातिक भाग व्यय किए जाने के लिए गुजरात सरकार को निदेश जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय

---

*सभा पटल पर रखे माने गये।

क्षेत्र मेहसाणा में ओ.एन.जी.सी. के 1208 तेल कुएं हैं, जिसमें से करोड़ों रुपये का आयल एवं गैस निकलता है। इसी एवज में 300 करोड़ रुपये को रायल्टी मिलती है। परन्तु, इस रॉयल्टी से मेहसाणा के किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। दूसरी ओर यहां का जल स्तर एक हजार फीट नीचे चला गया है, जिसके कारण यहां के किसानों को अपने खेतों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है एवं मवेशी पानी के बिना मर रहे हैं। तेल के कुएं से तेल पानी मिल जाने से यहां का पानी फ्लूराइड वाला हो गया है, जिसके कारण गरीब किसान इस फ्लोराइड प्रदूषित पानी से दिन प्रति दिन बीमार पड़ रहे हैं। पानी के अभाव में भूमि बंजर होती जा रही है और किसानों के आय के साधन छिन रहे हैं। इन सब कारणों से यहां का किसान बहुत ही दुखी है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह गुजरात राज्य सरकार को निर्देश दे कि ओएनजीसी से जो रायल्टी राज्य सरकार को मिलती है, उन्हें कुएं के हिसाब से रायल्टी का हिस्सा मेहसाणा के ग्रामीण विकास एवं पेयजल उपलब्ध कराया जाये।

(तीन) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में अवस्थित वर्तमान सीमेंट फैक्टरियों को अन्यत्र ले जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अमरोली के अंतर्गत दो सीमेंट फैक्ट्रियों हैं जो अपने वेस्टज को किसानों की जमीनों में फेंक देती है, जिसके कारण किसानों की जमीन बंजर होती जा रही है और इन दोनों फैक्ट्रियों से इतना डस्ट निकलता है कि लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा खतरा बन गया है। इस संबंध में वन पर्यावरण मंत्री जी को अनेक पत्र लिख चुका हूं परन्तु अभी तक इन दोनों सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा पैदा किये जा रहे प्रदूषण को रोका नहीं जा सका है। साथ ही दोनों सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा ट्रकों मे 25 हजार टन माल ढोया जाता है जबकि ट्रकों पर केवल 15 हजार टन माल ढोने का नियम है, जिसके कारण यहां की सभी सड़कें खराब हो गयी हैं। इन दोनों फैक्ट्रियों से गिरि वन क्षेत्र को भी बहुत नुकसान हो रहा है। इन सब कारणों से इन दोनों फैक्ट्रियों को किसानों के हित एवं वन क्षेत्र के बचाव के लिए हटाना जरूरी है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि दोनों सीमेंट फैक्ट्रियों को यहां से हटाकर अन्यत्र स्थानांतरित किया जाये, जहां पर इनके प्रदूषण से वातावरण खराब न हो सके।

(चार) झारखंड में सिंदरी उर्वरक संयंत्र को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रशेखर दूबे (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, उर्वरक मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि पूर्व में सरकार द्वारा देश के प्रथम प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा स्थापित झारखंड के सिन्दरी खाद कारखाने को बंद कर दिया गया था। परन्तु, हाल ही में सिन्दरी कारखाने को पुनः चालू करने की दिशा में कार्यवाही करते हुए कारखाना के संबंध पी.एफ.डी. की एक विशेषज्ञ कमेटी बनाकर विस्तृत जांच प्रतिवेदन मांगा गया। पी.एफ.डी. द्वारा इस संबंध में अपना प्रतिवेदन पिछले वर्ष मंत्रालय को सौंप दिया गया है, परन्तु प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद भी इस दिशा में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है, जिससे सिन्दरी कारखाने पर आधारित लाखों नागरिकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि सिन्दरी कारखाने को चालू करने के संबंध में पी.एफ.डी. द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर अविलम्ब कार्यवाही कर उसे पुनः चालू करने की दिशा में पहल की जाये।

(पांच) देश में तम्बाकू और इसके उत्पादों के प्रयोगों पर प्रतिबंध, लगाने के लिए विधान लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी) : महोदय, मैं हमारे युवाओं और बच्चों द्वारा अत्यधिक तम्बाकू सेवन के संबंध में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसाकि आप जानते हैं, तम्बाकू में कई हानिकारक पदार्थ होते हैं जिनमें से एक अमोनिया है तथा तम्बाकू बाजार में कई रूपों में उपलब्ध है जैसे गुटका, पान मसाला आदि। देश के हर कोने में गुटका आकर्षक रूप से तैयार पाउच में उपलब्ध है।

एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि 15 वर्ष से कम आयु के चार मिलियन बच्चे नियमित रूप से तम्बाकू का प्रयोग करते हैं और इनमें से कुछ बच्चे प्रतिदिन 5 से 15 पैकेट गुटके का सेवन करते हैं। आगे चलकर इससे मुंह का कैंसर हो जाएगा।

कई राज्य तम्बाकू और इसके उत्पादों को प्रतिबंधित कर चुके हैं। तथापि, यह अलग बात है कि इन राज्यों में गैर-कानूनी रूप से तम्बाकू उत्पादों का सेवन किया जाता है। लेकिन अधिकांश राज्यों में इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और यह सरलता से बच्चों को भी उपलब्ध होता है।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह सरकार को इस बात के लिए राजी करें तथा तम्बाकू और इसके उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधान लाएं तथा उसे उचित रूप से क्रियान्वित भी करे।

(छह) कर्नाटक के मंगलौर हवाई अड्डे का शीघ्र स्तरोन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मनोरमा माधवराज (उडुपी) : महोदय, अपर्याप्त निधि के आबंटन के कारण बाजपी (मंगलौर) विमानपत्तन का विस्तार और उन्नयन कार्य लंबित पड़ा है।

तीर्थ स्थलों (मंदिरों), समुद्रतट और पर्यटक स्थलों, तकनीकी/चिकित्सीय शिक्षा केन्द्रों तथा मंगलौर के समृद्ध निर्यात/आयात बंदरगाह वाले व्यापारिक केन्द्र के वृहत् पश्चप्रदेश के लिए उपयोगी होते हुए बाजपी विमानपत्तन में घरेलू और विदेशी विमान यातायात सृजन की क्षमता है। इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं और वे प्रतिवर्ष हज यात्रा भी करते हैं।

केरल के निकटवर्ती राज्यों में तीनों अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों का उन्नयन किया गया है जिसमें 'एयर इंडिया एक्सप्रेस' कोजीकोडी तथा कोच्ची से खाड़ी देशों के लिए कम कीमत पर उड़ान शुरू कर रही है। भारी-भरकम विमानों (एयरबस) को उतारने के लिए धावनपट्टी के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि राज्य प्राधिकरणों द्वारा पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है तथा अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दी गई है। इस समय मंगलौर से मुम्बई तक केवल अलायंस एयरलाइन्स के विमान ही उड़ान भरते हैं जिसमें अधिक लोगों को लेने जाने की क्षमता नहीं है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए।

(सात) देश में जटरोफा पौधे की खेती को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भंवर सिंह डांगावास (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन व सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा कि जटरोफा रतनजोत नामक बनोषधि सम्पूर्ण भारत में पायी जाती है। आजकल सर्वाधिक प्रचलित औषधियों में इसकी गणना इसलिए की जा रही है क्योंकि इसके बीजों से प्राप्त तेल की कुछ प्रतिशत मात्रा डीजल के साथ मिलाकर इंजनों को संचालित किया जा रहा है तथा विश्व में पेट्रोल पदार्थों की कमी की पूर्ति में इसका विशेष योगदान है।

औषधीय उपयोग के साथ साबुन, लुब्रीकेंट, मोमबत्ती बनाने में डाई डीजल के साथ मिलाकर ईंधन के रूप में उच्चकोटि का वार्निस बनाने आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बीजों की खली के भी अनेक व्यावसायिक उपयोग हैं। इसमें पाया जाने वाला जेट्रोफिन तत्व से कैंसर रोग की दवा, दाद, खाज, गठिया, लकवा अनेक रोगों की दवा बनायी जाती है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि किसानों को जटरोफा रतनजोत नामक पौध के उत्पादन के लिए विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाये।

(आठ) राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की दिशा में संबंधित लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़) : महोदय, किलों और महलों का राज्य राजस्थान, अपने जीवंत संस्कृति, समृद्ध विरासत, अपने मरुस्थल के कारण पर्यटकों का गंतव्य स्थल है। देश में आने वाले पर्यटकों में से 20 प्रतिशत से अधिक पर्यटक यहां आते हैं क्योंकि राजस्थान पर्यटकों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान करता है। राष्ट्रीय राजकोष में अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के उद्देश्य से पर्यटकों के आगे और आगमन विशेषरूप से विदेशी पर्यटकों के लिए राज्य में बुनियादी ढांचा प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

अत:, मै भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि पर्यटन संवर्धन से जुड़े लंबित मुद्दों को क्रियान्वित किया जाए जैसे जयपुर विमानपत्तन का अतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में उन्नयन, राजस्थान में विभिन्न विमानपत्तनों से बेहतर विमान सेवाएं, जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स का विकास तथा एलीफेंट विलेज आमेर को पर्याप्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करना। इसके अलावा, मैं यह भी मांग करता हूं कि राजस्थान में पर्यटकों के सभी आकर्षण केन्द्रों को अविलंब रेलमार्गों से जोड़ा जाए।

(नौ) समानांतर विपणन योजना के अंतर्गत सफेद मिट्टी के तेल के खुदरा वितरण के लिए एक अलग नेटवर्क बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : महोदय, भारत सरकार ने एक नई नीति की घोषणा की है जिसके अंतर्गत तेल कम्पनियों को समानांतर विपणन योजना के अंतर्गत सफेद मिट्टी के तेल का आयात करने हेतु प्राधिकृत किया है। इस नई योजना में निम्नलिखित खामियां है:- (एक) समान नेटवर्क से नीले मिट्टी का तेल औद्योगिक/वाणिज्यिक प्रयोक्ताओं को देना सुगम हो सकता है (दो) राशन कार्ड धारकों को लाभ से वंचित करेगा (तीन) निरीक्षण के दौरान प्रवर्तन प्राधिकरण को परेशानी में पड़ सकते हैं क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अभिप्रेत मिट्टी के तेल की वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोक्ताओं को ढुलाई के दौरान सफेद मिट्टी के तेल के दस्तावेज में गड़बड़ी होने की संभावना रहेगी (चार) वर्तमान मिट्टी का तेल (प्रयोग पर प्रतिबंध तथा अधिकतम मूल्य का निर्धारण) संशोधन आदेश 1998 ऐसी अनियमितता समाप्त करने का प्रभावी साधन नहीं होगा।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह समानान्तर विपणन योजना के अंतर्गत सफेद मिट्टी के तेल के खुदरा वितरण के लिए पृथक नेटवर्क पर विचार करे।

(दस) मध्यप्रदेश में "स्वजलधारा योजना" के कार्यान्वयन के लिए निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, स्वजल धारा योजना के तहत देश के राज्यों के विभिन्न जिलों की अनेक ग्राम पंचायतों की ओर से निर्धारित अंशराशि जमा करा दी गयी है, कुछ स्थानों पर तो उक्त राशि को जमा कराये हुए तीन-तीन साल से अधिक हो चुके हैं, किंतु केन्द्र द्वारा जो राशि प्रदत्त की जानी चाहिए थी वह राशि नहीं दिये जाने के कारण उक्त योजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तथा देश में पेयजल के संकट की गंभीर स्थिति बनी हुयी है। इन जिलों में बहुत से ऐसे ग्राम हैं, जो पिछले काफी समय से पेयजल समस्या मूलक हैं। आदिवासी बहुल हैं अथवा अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में हैं।

मध्य प्रदेश के कतिपय जिलों में जिनमें मंदसौर, नीमच, रतलाम और उज्जैन प्रमुख हैं, इनमें लगातार जल स्तर नीचे जाने से जहां किसानों के लिए तो समस्या पैदा हुयी ही है, किंतु आम व्यक्तियों के लिए पीने के पानी का भी गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और अभी से तापमान का दवाब तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में मेरी ग्रामीण विकास मंत्री महोदय से मांग है कि पेयजल योजना (स्वजल धारा योजना) के लिए जिनके बारे में राज्य शासन द्वारा भी अनुशंसा कर प्राथमिकता तय कर दी गयी है। उनके लिए धनराशि अविलंब उपलब्ध कराये ताकि नागरिकों को पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े और पेयजल संकट का समाधान समय रहते किया जा सके।

(ग्यारह) हल्दिया डाक परिसर में शिपिंग चैनल के डिसिल्टिंग के लिए उपाय शुरू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : महोदय, कोलकाता पत्तन की अनुषंगी कम्पनी हल्दिया डॉक परिसर में शिपिंग चेनल में भारी गाद जमा होने के बाद ड्राफ्ट की खराबी के कारण गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। कोलकाता पत्तन न्यास ने कैपिटल ड्रेजिंग के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान से परामर्श करके एक संशोधित नदी विनियामक योजना तैयार की है। पोत परिवहन मंत्रालय ने अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी है। यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया जिसे भारत सरकार द्वारा ड्रेजिंग के रखरखाव हेतु लगाया गया है वह निकाली गई मिट्टी को नदी में छोड़ देता है जिससे वह पुन: नहर में बह जाती है। इसके परिणामस्वरूप कोई ठोस नतीजा नहीं निकल रहा है। इसलिए तट पर मिट्टी के निपटान की बहुत आवश्यकता है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री और पोत परिवहन मंत्री से उपर्युक्त समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय करने का अनुरोध करता हूं:-

(1) कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा प्रस्तुत संशोधित नदी विनियामक योजना को मंजूरी।

(2) कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा निकाली गई मिट्टी को तट से हटाने के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी।

(3) सैंडहैड पर एस बी एम की स्थापना करना।

[श्री लक्ष्मण सेठ]

(4) सैडहैड से 40 किमी. धामरा के उत्तर में कनिका द्वीप के सैडहैड पर अथवा लंगर स्थान पर कोयले का बाद में लदान।

(बारह) तमिलनाडु में मदुरै और स्थानीय शहरों के बीच डी.एम.यू. ट्रेन सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन (मदुरै) : मदुरै तमिनाडु में चेन्नई के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह जिला मुख्यालय है और प्राचीन पर्यटन केंद्र है। इसके अलावा यहां बहुत से लघु उद्योग भी चल रहे हैं।

मदुरै के लोगों की सभी दैनिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक वस्तुएं तथा सब्जियां, अनाज, फल, दुग्ध, तेल, तैयार भोज्य पदार्थ इत्यादि मदुरै के चारों ओर स्थित कस्बों से लाये जाते हैं।

बहुत से विक्रेता और कार्यालय जाने वाले लोग रोजाना सीजन टिकट लेकर मदुरै-डिंडिगुल; मदुरै-राजापलायम, मदुरै-कोविलपट्टी, मदुरै-मन्यादुरै; और मदुरै-बोदिनैकानूर के बीच यात्रा करते हैं।

उनकी नियमित यात्रा के लिए, जो कि अधिकांशत: दिन के समय होती हैं, इन स्थानों के लिए वर्तमान रेलगाड़ियों की सेवाएं और उनकी संख्या बिल्कुल अपर्याप्त है।

इसलिए, मदुरै से डिंडिगुल, राजापलायम, कोविलपट्टी, मन्यादुरै और बोदिनैकानूर तक डीजल मल्टीपल यूनिट (डी एम यू) जिसे पुश पुल ट्रेन सेवा भी कहा जाता है, शुरू करने की कृपा करें।

अपने इस सुझाव के अनुसार शीघ्र डी एम यू सेवा शुरू करने का अनुरोध करता हूं।

(तेरह) उत्तर प्रदेश में एकीकृत रोग मानिटरिंग परियोजना कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने समन्वित रोग निगरानी परियोजना के पहले चरण में नौ प्रांतों में यह योजना लागू करने का निर्णय लिया है। ये राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल एवं मिजोरम हैं लेकिन अत्यधिक खराब स्वास्थ्य सेवाओं वाले राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एवं उड़ीसा जैसे बीमारू राज्यों में फिलहाल यह योजना शुरू नहीं हो रही है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने समन्वित रोग निगरानी परियोजना को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। सरकार ने 9 राज्यों में इस घोषणा को लागू करने का निर्णय लेते हुए कहा है कि योजना के लिए 408 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया है तथा जिन राज्यों में यह योजना लागू हो रही है, उसके लिए 103 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उत्तर प्रदेश में इस योजना को लागू न करने का औचित्य बताते हुए सरकार ने कहा है कि इस प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के मूलभूत ढांचे का अभाव है तथा इस प्रांत में योजना तीसरे चरण में शुरू होगी, जिसमें लगभग एक साल का समय लगेगा। मगर केन्द्र सरकार यह बात स्पष्ट नहीं कर सकी कि एक साल में इस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे सुदृढ़ किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां आबादी का घनत्व अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा है और बीमारियों का प्रकोप भी अधिक है को इस स्वास्थ्य योजना से वंचित रखा गया है। सरकार को चाहिए कि वह अविलम्ब प्राथमिकता के तौर पर उ.प्र. में भी इस स्वास्थ्य योजना को तुरंत लागू करे।

(चौदह) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 के लोखा नरहिया खंड पर भूथी-बालान नदी पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 के लौकहा-नरहिया पथांश में स्थित भुतही-बलान नदी पर अभी तक पुल निर्माण नहीं हो सका है। पुल नहीं होने के कारण हर साल बाढ़ के समय नदी पार करते समय अनेक लोग डूब कर मर जाते हैं। वर्षा ऋतु में इस पथांश पर आवागमन पूरी तरह ठप्प हो जाता है और नदी से पूरब 2 लाख की आबादी वाले क्षेत्र का जिला मुख्यालय मधुबनी से सड़क सम्पर्क टूट जाता है। मैं चाहूंगा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 के ऊपर वर्णित पथांश में स्थित भुतही-बलान नदी पर पुल निर्माण कराकर ग्रामीण पिछड़े क्षेत्र में आवागमन को बहाल करने का सकारात्मक कदम जनहित में उठाये।

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के वन क्षेत्रों में रह रहे जनजातियों के लोगों को स्वामित्व अधिकार दिलाए जाने की आवश्यकता

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आदिवासी लोगों की संख्या सबसे अधिक है। आज भी इस जाति के लोगों के पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है। जिस जगह पर यह अपना जीवनयापन कर रहे हैं, वह जमीन

वन विभाग के क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज है। केन्द्र सरकार शीघ्र ऐसे आदिवासी लोगों को इनकी जमीन का मालिकाना हक इनको दे। वन विभाग की भूमि को आबादी में घोषित किया जाये, ताकि इनको रहने की जगह का हक प्राप्त हो सके और यह जमीन इनके नाम दर्ज हो।

(सोलह) तमिलनाडु में को-आपरेटिव सोसाइटियों के कार्य को दुरूस्त किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. वेणुगोपाल (तिरूपत्तूर) : महोदय, सम्पूर्ण देश में विशेषकर तमिलनाडु में पाई जाने वाली कृषि, सहकारी समितियां और बुनकर सहकारी समितियां ऐसी हालत में हैं कि उनके पुनरूद्धार की जरूरत है। ऋण वापस वसूलने के उपाय के रूप में अधिकारी घरेलू सामान को जब्त कर लेते हैं जिसे रोके जाने की आवश्यकता है। नए ऋणों की घोषणा की जाती है और वितरण किए जाने का दावा किया जाता है परन्तु लम्बित ऋणों को देखते हुए समायोजित कर दिए जाते हैं जिससे कृषि और बुनाई संबंधी गतिविधियों में मदद नहीं होती और इस प्रवृत्ति को बदले जाने की जरूरत है। जब सहकारी समितियां प्रभावी ढंग से कार्य करेंगी तभी उत्पादकता बढ़ाकर और साथ ही कारोबार, आय और लाभांश बढ़ाते हुए व्यवहारिक रूप से ऋण माफी संभव होगी। सहकारी समितियों के कार्यकरण को सुचारू बनाने हेतु समय पर औपचारिक चुनाव अवश्य होने चाहिएं। सहकारिताएं जो कि एक विशाल जन-आंदोलन है उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए और बहुत लम्बे समय तक चलाने के लिए अधिकारियों के हाथों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सहकारी आंदोलनों, जिससे ग्रामीण विकास और गरीब मजदूर वर्ग सम्पन्न हो सकता है उसका महत्व खराब प्रशासन, पक्षपातपूर्ण राजनैतिक हस्तक्षेपों, कार्यक्रमों का गलत कार्यान्वयन और कतिपय राज्य सरकारों के वित्तीय प्रबंधन से समाप्त न हो जाए। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि समय पर चुनाव कराने के लिए सहकारी निकायों को संवैधानिक सुरक्षोपाय प्रदान करे, जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त है और सहकारी आंदोलन को नई शक्ति प्रदान की जाए।

(सत्रह) तमिलनाडु के कोयम्बटूर, शिवगंगैई और रामनाथपुरम जिलों की एन टी सी मिलों के कामगारों से बोनस की वसूली के आदेश को निरस्त किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. अप्पादुरई (तेनकासी) : महोदय, तमिलनाडु में 8 राष्ट्रीय वस्त्र निगम की 8 मिले हैं जिनमें कोयम्बटूर जिले में कोयम्बटूर स्पिनिंग और वीविंग मिल्स, मुरूगन मिल्स, कम्बोडिया मिल्स, सढ रंमा विलास मिनिंग, स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स, शिवगंगा जिले में कैलस्वारर मिल्स, कलायर कीकिल में 'बी' यूनिट तथा रामचन्द्रपुरम जिले में पायनियर स्पिनर्स ऑफ कामुताकुडी हैं। इन इकाइयों में लगभग 5000 कर्मचारी कार्य करते हैं। उनकी अनेक शिकायतें हैं जिनमें उन्हें बोनस न मिलने की शिकायत भी है। बोनस अधिनियम का उदाहरण देकर, जिसके अनुसार 3500/- रुपए प्रतिमाह से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जाता, कताई मिलों के इन मजदूरों को बोनस नहीं दिया जाता है। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के कर्मचारियों पर क्षेत्र-वार, उद्योग-वार और व्यापार-वार समझौता लागू होना चाहिए। परन्तु 1996-97 से आज तक वितरित किए गए बोनस की, इस समझौते की अनदेखी करते हुए कि इसका निपटारा बातचीत के बाद ही किया जाएगा, वसूली की मांग की गई है। श्रमिकों को ऐसी मिलों से सेवानिवृत्त होने अथवा त्यागपत्र देने के समय उन्हें दी जाने वाली उपदान अथवा मुआवजा राशि में से एक समान रूप से 15,000/- रुपए से 35,000/- रुपए तक की राशि उन्हें पहले दिए गए बोनस के रूप में वसूली जाती है। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि तमिलनाडु में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के इन बेसहारा श्रमिकों के साथ न्याय किया जाए और सेवा छोड़ते समय मिलने वाले उपदान और मुआवजा जैसे सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली को रोका जाए।

(अठारह) झारखंड में "कुर्मी" जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो (जमशेदपुर) : अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार ने झारखंड में रहने वाली कुर्मी जाति का शेडयूल्ड ट्राइब सूची में शामिल किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजा है जो अभी तक लंबित है। झारखंड में रहने वाली कुर्मी जाति की प्रकृति एवं प्रवृत्ति आदिवासी जैसी है एवं वे अत्यंत पिछड़ी हुयी हैं। उनके विकास हेतु उन्हें शेडयूल्ड ट्राइब की सूची में शामिल करना अतिआवश्यक है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि झारखंड में रहने वाली कुर्मी जाति को शेडयूल्ड ट्राइब में शामिल किये जाने के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृत किया जाये।

(उन्नीस) केरल के वेस्ट हिल के एफ सी आई डिपों में संविदा श्रम को समाप्त किए जाने के कारण उत्पन्न समस्याओं को हल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : महोदय, भारत सरकार के आदेश के अनुसरण में केरल स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपो

[श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार]

में ठेका श्रमिकों का रोजगार 2001 में समाप्त कर दिया गया था। तथापि ये आदेश वेस्ट हिल्स, मवेलीकारा और चलक्कुडी स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपो के मामले में लागू नहीं किए गए। भारतीय खाद्य निगम के पूर्ति डिपो, वेस्ट हिल्स में कार्य लेबर कांट्रेक्ट कोपरेटिव सोसाइटी द्वारा कराये गए थे। तथापि श्रम मंत्रालय इन डिपुओं पर ठेका श्रम को समाप्त करने के लिए दबाव डालता रहा। इसके मद्देनजर कोजीकोड फूड कारपोरेशन लेबर कोंट्रेक्ट कोपरेटिव सोसाइटी, जो वेस्ट हिल्स में कार्य करा रही थी, उसने आगे लाइसेंस का नवीकरण न कराने का निर्णय लिया। यद्यपि, समिति ने अस्थाइ रूप से कार्य करना शुरू कर दिया है। वहां अभी तक डी.पी. प्रणाली शुरू नहीं की गई है। इसके कारण वेस्ट हिल्स में एफ एस डी पूरी तरह से अव्यवस्थित है।

इसलिए, मैं सरकार का ध्यान इस भ्रम के कारण उत्पन्न हुई वहां की गम्भीर स्थिति की ओर आकर्षित करता हूं और आग्रह करता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री इसमें हस्तक्षेप करें।

(बीस) पश्चिम बंगाल के सुंदरबन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन एशिया में सबसे बड़ा डेल्टा है जिसमें 222 किमी. लम्बा बारहमासी नदी क्षेत्र है। इन नदियों को नौवहन के लिए उपयोग किया जा सकता है। तथापि, उनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया। एक प्रस्ताव पहले ही मंजूर किया गया था परन्तु इसे अभी तक पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्वीकृति नहीं मिली है।

सुंदरबन हमारे देश के औद्योगिक रूप से सर्वाधिक पिछड़े और निर्धन क्षेत्रों में से है। यदि सुंदरबन की बारहमासी नदियों का नौवहन के लिए उपयोग किया जाए तो इससे मछुआरों सहित स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी।

इसलिए, मेरा सरकार से आग्रह है कि सुंदरबन जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने हेतु शीघ्र कदम उठाये जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.28 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[अनुवाद]

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : मान्यवर उपाध्यक्ष जी, आज प्रातःकाल एनडीए की ओर से बोलते हुए हमारे वरिष्ठ नेता श्री वाजपेयी जी ने अध्यक्ष जी की इच्छा की पुष्टि की कि सदन ठीक प्रकार से चलना चाहिए। लेकिन सदन ठीक प्रकार से चले, इस दृष्टि से उन्होंने दो बातें सुझाई। उन्होंने कहा कि आपत्ति इस बात पर होती है जब ऐसे बयान दिये जाते हैं, जो बयान वास्तव में सदन में नहीं दिये जाने चाहिए। रेल मंत्री जी द्वारा कल जो बयान सदन में दिया गया, वह एक भयानक दुर्घटना के संबंध में ही होना चाहिए था। लेकिन अगर कोई वास्तव में उन बयान को देखे तो उस बयान में एक पैराग्राफ तो पूरा ऐसा है जिसका कोई संबंध उस दुर्घटना से नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि पूर्वाग्रहों के आधार पर एक राजनैतिक बयान सरासर अनुचित है। इसलिए उन्होंने मांग की कि यह बयान वापस होना चाहिए या कम से कम वे पोर्शन्स वापस होने चाहिए। मेरे पास वह वक्तव्य है, जो बहुत खराब है गलत है वाजपेयी जी ने सुबह जब उस बयान को देखा, तो कहा कि यह बयान नहीं है। उन्होंने ऐसा शब्द प्रयोग किया था जो मैं यहां नहीं करूंगा। उन्होंने एक मांग यह की कि यह बयान वापस होना चाहिए। जिसके उत्तर में रेल मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि मैं किसी भी सूरत में यह बयान वापस नहीं लूंगा। मैं अपने उस बयान पर कायम हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : बिल्कुल ठीक कहा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप कह सकते हैं, आपको अधिकार है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें। मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हमें भी अपनी बात कहने का मौका दीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सरकार से कहना चाहता हूं और सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री यहां बैठे हैं और भी मंत्री बैठे हैं। जिस नेता ने अपनी राजनीति से एक प्रदेश को बर्बाद करके रखा और उस प्रदेश ने बड़ी कठिनाई से उनसे मुक्ति पाई।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : गुजरात में क्या हुआ? हिंदुस्तान को आपने बर्बाद करके रख दिया।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी बोल रहे हैं आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो (जमशेदपुर) : गुजरात के बारे में आप सुनना नहीं चाहते हैं, ...*(व्यवधान)* गुजरात को आपने बर्बाद करके रख दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यहां व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

*(व्यवधान)**

श्री राम कृपाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कितनी बार एक ही विषय पर चर्चा होगी?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, अनावश्यक बातों को उठाया जा रहा है...*(व्यवधान)* मैं इस पर आपका विनिर्णय चाहता हूं... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने श्री आडवाणी जी को अनुमति दी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, वे अनावश्यक विषय का उल्लेख कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.09 बजे

लोक लेखा समिति

बारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री नवीन जिन्दल (कुरूक्षेत्र) : महोदय, मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्राइवेट अस्पतालों और औषधालयों को भूमि के आबंटन के बारे में लोक लेखा समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.10 बजे

(इस समय श्री सुशील कुमार मोदी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 3.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.10¼ बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.30 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुबह अपनी बात समाप्त करने वाला था और मेरा यह कहना था कि दो ऐसे ईश्यूज थे, जिनकी ओर एन.डी.ए. के चेयरमैन श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ध्यान दिलाया था...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी जी ने केवल दो मिनट के लिये बोलना है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लाल कृष्ण आडवाणी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 3.32 बजे

(इस समय श्री एम.के. अन्नासाहेब पाटील और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 4.15 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.35 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 4.15 बजे

लोक सभा अपराह्न 4.15 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया मुझे एक मिनट दीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सभी सहमत हैं तो मैं कल सायं पांच बजे गिलोटीन कराने का प्रस्ताव करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, आज जब आप नहीं थे और डिप्टी स्पीकर साहब चेयर पर थे, तब आडवाणी जी यहां पर अपनी बात रख रहे थे, परंतु उनको यहां बोलने नहीं दिया गया।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सुनने दीजिए। हम आपको भी सुनेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी मदद कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा को व्यवस्थित करने में कृपया मेरी सहायता करें। मैं उन्हें बैठने के लिए कह रहा हूं। कृपया सहयोग करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। सुनने दीजिए। आप लोगों को भी बोलने का मौका देंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ये क्या बात है? हम सबको रिक्वैस्ट कर रहे हैं कि आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष महोदय किसी माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहते हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि उन्हें बोलने के लिए मेरी अनुमति प्राप्त है। यदि आज उनके भाषण के दौरान बाधा उत्पन्न करते हैं तो इसका यह अर्थ हुआ कि आप अध्यक्षपीठ का अपमान कर रहे हैं। मैं एक-एक कर सभी पक्षों की राय जानना चाहूंगा। आप अपनी बारी की प्रतिक्षा क्यों नहीं करते?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप फिर बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

यह अच्छी आदत नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, जब लीडर ऑफ अपोजीशन आडवाणी जी बोल रहे थे, तो उनको बीच में ही रोक

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

दिया गया, बोलने नहीं दिया गया, भाषण नहीं करने दिया गया।... *(व्यवधान)* यह अत्यंत आपत्तिजनक है। इस तरह से काम नहीं चल सकता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको कुछ और कहना है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय प्रतिपक्ष के नेता को क्यों नहीं सुनते?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अरे भई! हम कोशिश कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं उन्हें मनमानी करने की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उन्होंने माननीय प्रतिपक्ष के नेता को नहीं सुना...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.18 बजे

(इस समय श्री सुशील कुमार मोदी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं उन्हें अपने स्थान पर बैठने को कह रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : किसी के खड़े होने पर यहां से कैसे कंट्रोल करेंगे? हम तो उनको मना कर रहे हैं। आप क्या बात करते हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर जायें। इस तरह स्वयं को बिगाड़ें नहीं। कृपया अपनी सीट पर बैठें।

(व्यवधान)

अपराह्न 4.19 बजे

(इस समय श्री सुशील कुमार मोदी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिये। आज वाजपेयी जी को बोलने का मौका दिया।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह कौन सा तरीका है कि लीडर ऑफ अपोजीशन को बोलने नहीं देंगे?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप यहां श्रीमती सुमित्रा महाजन को आने और स्थिति पर नियंत्रण पाने की अनुमति दें। उन्हे आने दीजिए और

स्थिति पर नियंत्रण करने दीजिए। यदि आप को लगता है कि मैं अपने दायित्वों का उचित निर्वहन नहीं कर पा रहा हूं, तो उनका नाम सभापति तालिका में है, तो आप उन्हें आने दें और स्थिति पर नियंत्रण करने दें। इन लोगों ने तो आपको भी सभापति के रूप में कार्य नहीं करने दिया।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर) : अगर ये लोग इसी तरह से करते रहेंगे तो हाउस नहीं चल सकता।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बात कर रहे हैं?

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप हमारी पार्टी के सदस्य को कह रहे हैं कि पैनल ऑफ चेयर में हैं। पैनल में तो इनकी पार्टी के सदस्य भी हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे बैठ जाने को कह रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : सत्ता पक्ष के कैबिनेट मिनिस्टर्स भी खड़े हो जाते हैं। आज सुबह कैबिनेट मिनिस्टर्स खड़े होकर शोर कर रहे थे।...*(व्यवधान)* कैबिनेट मिनिस्टर्स इस तरह का काम करते हैं और आप पैनल ऑफ चेयर की बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं। लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। यदि यहां कोई मुझसे अधिक सक्षम व्यक्ति आये तो शायद वे उसकी बात सुनें।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : कैबिनेट मंत्री लोगों को सभा के बीचोबीच आने के लिए उकसा रहे थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे लगातार बैठने के लिए कह रहा हूं और आप मुझ पर ही दोषारोपण कर रहे हैं। यह बहुत ही गलत बात है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : बहुत अनफेयर किया है।.. *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या अनफेयर किया है? वे लोग खड़े हो जाते हैं तो यहां से कैसे रोकेंगे?

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : यह बहुत ही खराब बात है आपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को नहीं कहा जब उनकी पार्टी के सदस्य वैल में आ रहे थे।...*(व्यवधान)* मैंने नहीं कहा। कभी नहीं कहा, आप क्या बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि यदि मैं सभा का नियंत्रण करने में सक्षम नहीं हूं तो सभापति तालिका में से कोई सक्षम सदस्य आये और इसे नियंत्रित करे। मैंने किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। मैं उनसे कह रहा हूं कि वे अपनी जगह पर बैठ जायें और अध्यक्षपीठ की बात सुनें। लेकिन आजकल अध्यक्षपीठ की सुनता ही कौन है? जब आप बोलते हैं तो वे आपत्ति करते हैं और जब वे बोलते हैं तो आप को आपत्ति होती है।

[हिन्दी]

मैंने यही बोला है। मैं यहां बैठ कर क्या कर सकता हूं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं। सुबह श्री वाजपेयी जी यहां उपस्थित थे, और मुझे इस बात की प्रसन्नता थी। आप सभी को यह बात पता है। मैंने सदस्यों से सहयोग का अनुरोध किया था और हमने देखा कि वाजपेयी जी ने दिल खोल कर अपनी बात कही। उन्हें जो कहना था, कहा। सभा के अवकाश के बाद विपक्ष के नेता कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन वह बोल नहीं सके और सभा को स्थगित करना पड़ा। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि

वे शांत रहें ताकि वह बोल सकें। अब मैं विपक्ष के माननीय नेता को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, ये कैसे बोल सकते हैं? एक मामला जिसकी स्टेटमैंट डिस्पोज-ऑफ हो गई है, उसको कैसे रिओपन कर सकते हैं? आपने उस समय श्री प्रभुनाथ सिंह का नाम, जब वे ऑन-लेग थे, पुकारा था। यदि रिओपन होगा तो वहां की प्रोसीडिंग्स रिओपन होंगी। बीच की प्रोसीडिंग्स कैसे रिओपन हो सकती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं आपके भी बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इनका भाषण पूरा होने के बाद मैं आपको भी बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पाइंट ऑफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : क्या पाइंट ऑफ आर्डर है। यहां कोई बिजनेस नहीं है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आपने विशेष परिस्थिति में एनडीए के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोलने का समय दिया था। आपका जो आदेश था, उसको हमने माना।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। मैंने उन्हें भी बोलने की अनुमति दी है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं उनसे इसलिए अनुरोध कर रहा हूं कि वे बाद में बोल सकें। मैंने पहले से ही उन्हें अनुमति दी हुई है।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपने बोलने की अनुमति उन्हें दी है या मुझे?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें नहीं आपको बोलने की अनुमति दी है लेकिन मेरी सुनता ही कौन है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लाल कृष्ण आडवाणी के भाषण के अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा केवल इतना निवेदन है कि माननीय रेल मंत्री जी के स्टेटमैंट पर बहस नहीं हो सकती है। यह नियम है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कोई नहीं सुनता है। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बोलना चाहते हैं। हम क्या कोशिश नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे एक बार फिर से अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग तो बोल देते हैं कि इंकम्पीटेंट है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

यदि मैं असक्षम हूं तो कोई सक्षम व्यक्ति क्यों नहीं ले आते।

[हिन्दी]

आप यहां पर आकर बैठिये। मेरी बात कोई नहीं सुनता है। क्या आप लोग मेरी बात सुनते हैं?

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : ये लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन लोगों को ज्यादा डांटता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आपका जो नियमन होगा, उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन हमारा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, नियम, 56 के अंतर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हुआ हूं। पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लिया जाए। उसके बाद आपका जो नियमन होगा, वह शिरोधार्य होगा।*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट ऑफ आर्डर पर खड़ा हूं। पहले मुझे सुना जाए।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, सदन इस तरह से नहीं चलेगा। सदन नियमों से चलेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 4.26 बजे

(इस समय श्री सुशील कुमार मोदी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे अत्यधिक खेद है। मैं यहां उपस्थित सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। सभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य पर चर्चा होनी है। मैंने इस विषय में श्री वाजपेयी जी द्वारा दिये जाने वाले पूरे वक्तव्य की अनुमति पहले ही दे दी है। मेरा सत्ताधारी दल और उनका समर्थन करने वाले दलों से अनुरोध है कि वे कृपया सभा की कार्यवाही चलने दें। मुझे इस बात का खेद है कि मेरे हार्दिक अनुरोध के बाद भी, यदि माननीय सदस्य सभा के बीचों-बीच आते हैं, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं सदस्यों के उस व्यवहार की कड़ी आलोचना करता हूं जो इस सभा में दर्शाया जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.27 बजे

(तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 27 अप्रैल, 2005/ 7 वैशाख/1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी श्री बृज किशोर त्रिपाठी	421
2.	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	422
3.	श्री सर्वानन्द सोनोवाल	423
4.	श्री अर्जुन सेठी श्री हंसराज जी. अहीर	424
5.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	425
6.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	426
7.	श्री सुग्रीव सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	427
8.	श्री चन्द्रभूषण सिंह श्री निखिल कुमार	428
9.	श्री सुब्रत बोस श्री जसुभाई दानाभाई बारड़	429
10.	श्री अधीर चौधरी श्री मुनव्वर हसन	430
11.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी श्री अनन्त नायक	431
12.	श्री रामदास आठवले	432
13.	श्री मोहन सिंह श्री जी.वी. हर्ष कुमार	433
14.	श्री ई. पोन्नुस्वामी श्री वाडिगा रामकृष्णा	434
15.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	435
16.	श्री खारबेल स्वाईं	436
17.	श्री नवजोत सिंह सिद्धू श्री डी. विट्टल राव	437
18.	श्री भर्तृहरि महताब	438
19.	डा. अरुण कुमार शर्मा	439
20.	प्रो. एम. रामदास	440

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	4669
2.	आदित्यनाथ, योगी	4643
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	4711, 4726, 4734, 4738
4.	अहमद, श्री अतीक	4641

1	2	3
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	4706
6.	अनंत कुमार, श्री	4738
7.	आठवले, श्री रामदास	4691, 4720, 4735, 4739
8.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	4668
9.	बैठा, श्री कैलाश	4607, 4676
10.	बंसल, श्री पवन कुमार	4645
11.	बारड, श्री जसुभाई दानाभाई	4642, 4687
12.	बर्मन, श्री हितेन	4665, 4696
13.	बर्मन, श्री रनेन	4616, 4673, 4725
14.	बखला, श्री जोवाकिम	4637
15.	भडाना, श्री अवतार सिंह	4662
16.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	4646
17.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	4637
18.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	4630
19.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	4655
20.	चौरे, श्री बापू हरी	4608, 4698
21.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	4615
22.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	4640
23.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	4632, 4638
24.	चौधरी, श्री पंकज	4631
25.	चौधरी, श्री अधीर	4678, 4718
26.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	4655
27.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	4639

1	2	3
28.	गमांग, श्री गिरिधर	4620
29.	गंगवार, श्री संतोष	4631
30.	गोहेन, श्री राजेन	4648
31.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	4700
32.	हसन, श्री मुनव्वर	4692
33.	जगन्नाथ, डा. एम.	4658, 4718
34.	झा, श्री रघुनाथ	4638, 4715
35.	जिन्दल, श्री नवीन	4671
36.	करुणाकरन, श्री पी.	4605, 4707
37.	खैरे, श्री चंद्रकांत	4650
38.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	4610
39.	कृष्ण, श्री विजय	4626, 4705
40.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	4635
41.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	4611, 4619, 4675
42.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	4643
43.	मंडल, श्री सनत कुमार	4622, 4677, 4730
44.	मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	4624
45.	माने, श्रीमती निवेदिता	4639
46.	मेघवाल, श्री कैलाश	4610
47.	मिश्रा, डा. राजेश	4662
48.	मोदी, श्री सुशील कुमार	4698
49.	मुकीम, मो.	4617, 4674
50.	मो. ताहिर, श्री	4625

1	2	3
51.	मोहिते, श्री सुबोध	4614
52.	मोल्लाह, श्री हन्नान	4606
53.	मुर्मु, श्री हेमलाल	4648, 4672, 4714, 4715
54.	नायक, श्री ए. वेंकटेश	4621
55.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	4678
56.	नायक, श्री अनन्त	4655, 4679, 4722, 4732
57.	निखिल कुमार, श्री	4718
58.	ओराम, श्री जुएल	4651, 4652, 4695, 4696
59.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	4626, 4680
60.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	4684
61.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	4613
62.	पासवान, श्री सुकदेव	4623
63.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	4612, 4686, 4716, 4738
64.	पटैरिया, श्रीमती नीता	4657
65.	पाठक, श्री ब्रजेश	4660, 4701, 4727, 4744
66.	पाठक, श्री हरिन	4653, 4697
67.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	4639
68.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	4648, 4702, 4721
69.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	4629, 4726
70.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	4666
71.	राई, श्री नकुल दास	4628
72.	राजेन्द्रन, श्री पी.	4654
73.	रामदास, प्रो. एम.	4709, 4725

1	2	3
74.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	4648, 4681, 4721
75.	राणा, श्री काशीराम	4647, 4656
76.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	4664, 4704, 4723, 4736
77.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	4615, 4630, 4639, 4671
78.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	4642, 4687, 4717
79.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	4661
80.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	4683
81.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	4624
82.	सज्जन कुमार, श्री	4627, 4682
83.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	4724
84.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	4633
85.	सत्पथी, श्री तथागत	4636, 4710, 4729, 4733
86.	सेन, श्रीमती मिनाती	4659
87.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	4663, 4703
88.	शाहिद, मोहम्मद	4625, 4635
89.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	4634
90.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	4636, 4695, 4710, 4733
91.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	4635
92.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	4688
93.	सिंह, श्री चन्द्रभान	4731
94.	सिंह, श्री दुष्यंत	4644, 4689, 4695, 4742
95.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	4624, 4705
96.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	4609

1	2	3
97.	सिंह श्री मोहन	4393
98.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	4670, 4712, 4728, 4737, 4740
99.	सिंह, श्री सुग्रीव	4711, 4713, 4741, 4744
100.	सुब्बारायण, श्री के.	4649
101.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	4667
102.	ठक्कर, श्री जयाबहन बी.	4611, 4685
103.	तुम्मर, श्री वी.के.	4647
104.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	4684
105.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	4686, 4716, 4726, 4733
106.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	4690, 4719, 4731, 4743
107.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	4671
108.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	4628, 4636, 4694, 4710, 4729
109.	विजयशंकर, श्री सी.एच.	4661, 4708
110.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	4656
111.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	4618, 4699

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	433, 434, 436, 437, 439
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास	:	
गृह	:	422, 423, 425, 427, 432, 435, 438
मानव संसाधन विकास	:	421, 426, 429
संसदीय कार्य		
जनजातीय कार्य		
शहरी विकास		428, 430
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन		
युवक कार्यक्रम और खेल	:	424, 431, 440।

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	4605, 4616, 4623, 4635, 4636, 4637, 4643, 4646, 4651, 4655, 4659, 4661, 4664, 4665, 4667, 4683, 4689, 4695, 4696, 4698, 4699, 4700, 4702, 4704, 4709, 4723, 4724, 4729, 4730, 4734, 4741, 4743
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास	:	
गृह		4613, 4631, 4638, 4640, 4645, 4653, 4654, 4666, 4669, 4670, 4672, 4673, 4684, 4685, 4688, 4690, 4693, 4697, 4705, 4712, 4714, 4715, 4716, 4718, 4720, 4736, 4742
मानव संसाधन विकास	:	4611, 4619, 4624, 4625, 4626, 4630, 4633, 4671, 4642, 4648, 4650, 4652, 4657, 4660, 4662, 4671, 4674, 4675, 4678, 4679, 4686, 4694, 4706, 4708, 4710, 4711, 4713, 4726, 4727, 4733, 4739, 4744
संसदीय कार्य	:	

जनजातीय कार्य		4612, 4615, 4618, 4620, 4622, 4632, 4649, 4663, 4676, 4691, 4707, 4717, 4725
शहरी विकास	:	4606, 4607, 4608, 4609, 4617, 4621, 4627, 4634, 4639, 4647, 4666, 4658, 4680, 4682, 4701, 4703, 4721, 4728, 4732, 4735, 4737, 4740
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन		4614, 4628, 4629, 4644, 4681, 4687
युवक कार्यक्रम और खेल	:	4610, 4668, 4677, 4692, 4719, 4722, 4731, 4738।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/9/25/2005 (एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्र
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।